

THE FREE INDOLOGICAL COLLECTION

WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC

FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.

-The TFIC Team.

पार्खनाथ विद्याश्रम अन्थमाला

: 4:

जैन आचार

मोहनलाल मेहता
एम. ए. (दर्शन व मनोविशान), पी-एच. डी., शास्त्राचार्य
अध्यक्ष, पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान
वाराणसी-५



सच्चं लोगिम सारभूयं
पार्ञानाथ विद्याश्रम शोध संस्थान
जै ना श्र म
हिन्दू यूनिवर्सिटो, वाराणसी-५

प्रकाशक पार्व्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान जैनाश्रम हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणमी-५

मुद्रक वावूलाल जैन फागुल्ल महावोर प्रेस भेलूपुर, वाराणसी-१

प्रकाशन-वर्षः सन् १६६६

मृत्य . पाँच रुपये

समर्पण '

पार्श्वमाथ विद्याश्रम के प्रारा लाला हरजसराय जैन को साद्दर-सस्मेह

प्राक्कथन

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा ने मन् १९५६ में लेखक का 'जैन दर्शन' प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ का हिन्दी-जगत् में उल्लेखनीय स्वागत हुआ। राजस्थान सरकार ने एक सहस्र रुपये तथा स्वर्णपदक एव उत्तर-प्रदेश सरकार ने पाँच मौ रुपये प्रदान कर लेखक को पुरस्कृत व सम्मानित किया।

जैन दर्शनशास्त्र पर प्रकाशित उपर्युक्त कृति के समान ही प्रस्तुत ग्रन्थ जैन आचारशास्त्र पर अपने ढग की एक विशिष्ट कृति है। इसका निर्माण इस ढग से किया गया है कि भारतीय घर्म व दर्शन का सामान्य परिचय रखनेवाला जिज्ञासु इमे सरलता से समझ सकेगा। विद्यालयो, महा-विद्यालयो व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए भी यह उपयोगी मिद्ध होगा।

जैन आचार कर्मवाद पर प्रतिष्ठित है। कर्मवाद का आधार आत्मवाद है। आत्मवाद का पोपण करनेवाले तत्त्व है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्तदृष्टि।

जैन आचारणास्त्र में चारित्र-विकास अर्थात् आदिमक विकास की विभिन्न अवस्याएँ स्वीकार की गई है। आदिमक गुणो के विकास की इन अवस्थाओं को गुणस्थान कहा गया हं। गुणस्थानों का निरूपण मोहश्चित की प्रवलता-दुर्वलता के आधार पर किया गया है।

जैन आचार दो रूपों में उपलब्ध होता है: श्रावकाचार और श्रमणा-चार । वर्णाश्रम जैसी कोई व्यवस्था जैन आचारशास्त्र में मान्य नहीं हैं। किसी भी वर्ण का एवं किसो भी आश्रम में स्थित व्यक्ति श्रावक के अथवा श्रमण के व्रत ग्रहण कर सकता है। श्रावक देशविरित अर्थात् आशिक वैराग्य के कारण अणुत्रतो अर्थात् छोटे त्रतो का पालन करता है। श्रमण सर्वविरति अर्थात् सम्पूर्ण वैराग्य के कारण महात्रतो अर्थात् वहे त्रतो का पालन करता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में आचारागादि जैन आगमो के आघार पर श्रावकाचार एवं श्रमणाचार का सुव्यवस्थित प्रतिपादन किया गया है। अन्तिम प्रकरण में श्रमण-सघ का सक्षिप्त परिचय दिया गया है।

इस ग्रन्थ का प्रकाशन पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान से हो रहा है, यह विशेष हर्ष की बात है। भविष्य में संस्थान जैनविद्या से सम्बन्धिन अन्य अनेक उपयोगी ग्रन्थों का प्रकाशन करने के लिए कृतसंकल्प है।

ग्रन्थ को सक्षिप्त किन्तु महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना के लिए मैं डा॰ देवराज, अध्यक्ष, भारतीय दर्शन व धर्म विभाग, काशी विश्वविद्यालय का अत्यन्त अनुगृहीत हूँ। सुन्दर मुद्रण के लिए महावीर प्रेस के सुयोग्य सचालक श्री वावूलाल जैन फागुल्ल का तथा प्रूफ सशोधन आदि के लिए सस्यान के शोध-सहायक पं॰ किपलदेव गिरि का हृदय से आभार मानता हूँ।

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोघ सस्थान वाराणसी–५ २–५–१६६६ मोहनलाल मेहता ^{अघ्यक्ष}

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति में मुख्यत दो विचारघाराओ का सम्मिश्रण एवं समन्वय हुआ है। एक विचारघारा मूलत वैदिक सम्यताकी थी और दूसरी श्रमण सम्यता की । वैदिक सम्यता के आधारस्तम्भ ऋग्वेद आदि सहिता-ग्रन्थ तथा ब्राह्मण ग्रन्थ थे। श्रमण सम्यता की प्रतिनिधि अभिव्यक्ति जैनवर्म, हिन्दुओ के सांख्य दर्शन तथा वौद्धधर्म में हुई। कुछ लोग वैदिक अथवा ब्राह्मण मंस्कृति अर्थात् वह संस्कृति जिमपर ब्राह्मण पुरोहितो का विशेष प्रभाव था और श्रमण संस्कृति के भेद को स्वीकार नहीं करते, किन्तु यह मानना ही होगा कि इन दो विचारघाराओं में पर्याप्त विषमता थी। सहिता-काल के आर्य मुख्यतः प्रवृत्तिवादी जीवनदृष्टि के अनुगामी थे, जबिक जैन-बौद्ध-धर्मों में निवृत्तिपरक जीवन पर गौरव था। स्वयं वैदिक आर्यों के बीच निवृत्ति-धर्म का उदय उपनिषदों में देखा जा सकता है। इसीलिए कुछ अन्वेपको का विचार है कि निवृत्तिपरक जीवनदृष्टियो का सामान्य उत्स उपनिषद्-साहित्य है। किन्तु जैनधर्म की प्राचीनता और महाभारत आदि में सांख्यो के ज्ञानमार्ग एव प्रवृत्तिपरक वैदिक धर्म के विरोध की चर्चाएँ यह सकेत देती है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के पोषक दर्शनो का विकास भिन्न समुदायो के बीच हुआ।

भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि की प्रमुख विशेषना मोक्षतत्त्व की स्वीकृति और उसके सम्बन्ध में व्यवस्थित चिन्तन हैं, ये दोनो ही चीजें हमें मुख्यतः श्रमण-संस्कृति के धार्मिक नेताओं से प्राप्त हुईं। आगे चलकर, जब हमारी संस्कृति मे प्रवृत्ति एवं निवृत्तिपरक विचारधाराओं का समन्वय हुआ, तो यह निध्चित किया गया कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष ही है, जिसकी उपलब्धि अनेक मार्गों से चलकर की जा सकती है। मनु आदि धर्माचार्यों ने वर्णाश्रम की कल्पना की और यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हुए मोक्ष नामक चरम लक्ष्य की ओर अग्रमर हो सकता है। गीता में कहा गया है—'स्वे-स्वे कर्मण्य-भिरत सिसिंद्ध लभते नर', अर्थात् अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप (निष्काम भाव से) कर्म करता हुआ मनुष्य परम सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता, मनु आदि का यह मन्तव्य प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्गों का समन्वय रूप था।

जैन तथा बौद्ध धर्मों ने वर्णाश्रम के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। इनमें बौद्धधर्म मुख्यतः भिक्षुओं का निवृत्तिपरक धर्म वन गया। किन्तु जैनधर्म ने, हिन्दूधर्म की भाँति, गृहस्थों के लिए भी मुक्ति का द्वार खुला रखा। प्रस्तुत पुस्तक में जैनधर्म-सम्मत श्रमण-धर्म के साथ-साथ श्रावकों यानी गृहस्थों के धर्माचार का भी व्यवस्थित वर्णन हैं। इसके लेखक डा॰ मोहनलाल मेहता सामान्यतः भारतीय दर्शन के और विशेषत जैन दर्शन के अधिकारी विद्वान् हैं। अब तक ये जैन दर्शन, जैन मनोविज्ञान आदि विपयों पर अनेक प्रामाणिक कृतियों का प्रणयन कर चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तक में इन्होंने जैन दृष्टि से श्रावकधर्म तथा श्रमणधर्म का विस्तृत एव विशद विवेचन किया है। यो तो भारत के सभी धर्मों में विचारों एव आचरण के मामजस्य पर गौरव दिया गया है, किन्तु जैन दर्शन में यह गौरव अधिक स्पष्ट है। सास्य एव अद्दैत वेदान्त के अनुयायों कह सकते हैं कि केवल ज्ञान से मुक्ति हो मकती है, किन्तु जैनधर्म यह स्पष्ट घोपणा करता है कि मम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एव मम्यक् चारित्र—ये तीनो मिलकर ही मोक्ष नामक परिणाम को उत्पन्न करते हैं।

काशी विश्वविद्यालय वाराणमी-५ २२८६६

देवराज

प्रस्तुत ग्रन्थ में

१. जैनाचार की भूमिका		Ģ .	-२५
आचार और विचार			र्
वैदिक दृष्टि			ς
अोपनिपदिक रूप			3
सूत्र, स्मृतियाँ व धर्मशास्त्र			3
कर्ममुक्ति			११
अात्मविकास आत्मविकास		••	१२
कर्मपथ	,	***	१३
जैनाचार व जैन विचार	•		१४
कमवन्ध व कर्ममुक्ति			१६
आ त्मवाद		•	२०
अहिंसा और अपरिग्रह			२१
अनेकान्तदृष्टि		••	२ ३
२. जैन दृष्टि से चारित्र-विकास		२९.	-୪७
आत्मिक विकास			₹ 0
मोहशक्ति की प्रवलता		٠	३०
मिष्या दृष्टि			३१
अल्पकालीन सम्यक् दृष्टि			३१
मिश्र दृष्टि		***	३२
ग्रथिभेद व सम्यक् श्रद्धा			33
देशविरत्ति			३३
मर्वेविरति			38
अप्रमत्त अवस्था			३४

	ग्रपूर्वकरण	. ३५
	स्यूल कषाय	३६
	सूक्ष्म कपाय "	·
	उपशात कषाय	३६
	क्षीण कषाय	३७
	सदेह मुक्ति	9 દ
	विदेह मुक्ति	३८
	जैन गुणस्थान, बौद्ध अवस्थाएँ व वैदिक भूमिकाएँ	₹≒
	योगदृष्टियाँ	38
	ओघदृष्टि व योगदृष्टि	8∙
	मित्रादृष्टि व यम	४१
	तारादृष्टि च नियम	४१
	वलादृष्टि व आसन	४२
	दोप्रादृष्टि व प्राणायाम	४३
	स्थिरादृष्टि च प्रत्याहार	88
	कान्तादृष्टि व घारणा	४४
	प्रभादृष्टि व घ्यान	४६
	परादृष्टि व समाधि	86
₹.	जैन त्राचार-ग्रन्थ	48-06
	आचाराग	¥ \$
	उपासकदशाग	K 2
	दशवैकालिक	¥ E
	आवश्यक	६१
	दशाश्रुतस्कन्य	६१
	वृहस्कल्प	६३
	^३ यवहार	६४

	निशोथ	• ••	••••	६६
	महानिशीय	****	•••	६९
	जीतकल्प	••••	***	६६
	मूलाचार	****	••••	90
	मूलाराघना	•••	•	६७
	रत्नकरंडक-श्रावकाचार	• ••		७४
	वसुनन्दि-श्रावकाचार	••••	• •	७४
	सागार-धर्मामृत		•••	७६
	अनगार-धर्मामृत	•		७७
8.	श्रावकाचार		८३ -१	१३२
	अणुत्रत	• •	****	5५
	गुणव्रत	•		१०४
	शिक्षाव्रत			११३
	सल्लेखना अथवा संथारा		•	३११
	प्रतिमाएँ	•	••	१२४
	प्रतिक्रम्ण			१३१
G.	श्रमण-घर्म		१३५-	१९६
	महाव्रत	•		१३५
	रात्रिभोजन-विरमणव्रत	*	• •	१४१
	षडावर्यक			१४२
	आदर्श श्रमण		•	१५१
	अचेलकत्व व सचेलकत्व		•	१५७
	वस्त्रमर्यादा	•		१६०
	वस्त्र की गवेषणा	••	•	१६३
	पात्रकी गवेषणा व उपयोग	• •	• •	१६४
	बाहार	47 4	•	१६५

	आहार क्यो [?]	****	••••	१६६
	आहार क्यो नही [?]	•• •	.4.0.6	१६७
	विशुद्ध आहार	•	••	१६८
	आहार का उपयोग	***	•	१७१
	आहार-सम्बन्धी दोप	• •	•• •	१७२
	एकभक्त	•••	•	१७५
	विहार अर्थात् गमनागमन	•	•• •	१७६
	नौकाविहार	****	****	१७७
	पदयात्रा	• •	****	१७५
	वसति अर्थात् उपाश्रय	••	• •	१७५
	सामाचारी	****	••	१८३
	सामान्य चर्या	••••	•	१८४
	पर्युषणाकल्प	• •	•	१८७
	भिक्षु-प्रतिमाएँ	****	****	१६०
	समाधिमरण अथवा पडिता	मरण …		१६५
ξ.	श्रमण-संघ		१९९	-२१५
	गच्छ, कुल, गण व संघ	•• •	•••	700
	आचार्य	• •	***	२०१
	उपाष्ट्याय	•• •	• •	२०४
	प्रवर्तक, स्थविर, गणी, ग	णावच्छेदक व २	त्नाधिक	२०५
	निग्रंथी-सघ		• ••	२०६
	वैयावृत्य	•	••••	२०८
	दीक्षा		• ••	308
	प्रायिवत		• •	308
	ग्रन्थ-सूची	• • •	• • •	२१७
	अनुक्रमणिका	• • •	•••	२२१



जी ना चा र की भू मि का आचार और विचार वैदिक दृष्टि औपनिपदिक रूप सूत्र, स्मृतियाँ व घर्मशास्त्र कर्ममुक्ति आत्मविकास कर्मपथ जैनाचार व जैन विचार कर्मवन्घ व कर्ममुक्ति

आत्मवाद

अनेकान्तदृष्टि

अहिंसा और अपरिग्रह

आचार और विचार परस्पर सम्बद्ध ही नही, एक-दूसरे के पूरक भी हैं। संसार मे जितनी भी ज्ञान-शाखाएँ हैं, किसी न किसी रूप मे आचार अथवा विचार अथवा दोनो से सम्बद्ध हैं। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए ऐसी ज्ञान-शाखाएँ अनिवार्य है जो विचार का विकास करने के साथ ही साथ आचार को भी गित प्रदान करें। दूसरे शब्दो मे जिन विद्याओं मे आचार व विचार, दोनों के बीज मौजूद हो वे ही व्यक्तित्व का वास्तविक विकास कर सकती हैं। जब तक आचार को विचारों का सहयोग प्राप्त न हो अथवा विचार ग्राचार रूप मे परिणत न हों तव तक जीवन का यथार्थ विकास नही हो सकता। इसी दृष्टि से आचार और विचार को परस्पर सम्बद्ध एवं पूरक कहा जाता है।

आचार और विचार :

विचारों अथवा आदशों का व्यावहारिक रूप आचार है। आचार की आघारिशला नैतिकता है। जो आचार नैतिकता पर प्रतिष्ठित नहीं है वह आदर्श आचार नहीं कहा जा सकता। ऐसा आचार त्याज्य है। समाज में धर्म की प्रतिष्ठा इसीलिए है कि वह नैतिकता पर प्रतिष्ठित है। वास्तव में धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के भीतर रही हुई उस भावना के आघार पर ही होती है जिसे हम नैतिकता कहते हैं। नैतिकता का श्रादर्श जितना उच्च

होता है, धर्म की भूमिका भी उतनी ही उन्नत होती है। नैतिकता केवल भौतिक अथवा शारीरिक मूल्यों तक ही सीमित नहीं होती। उसकी दृष्टि में आध्यात्मिक अथवा मानसिक मूल्यों का अधिक महत्त्व होता है। सकुचित अथवा सीमित नैतिकता की ग्रपेक्षा विस्तृत अथवा अपरिमित नैतिकता अधिक वलवती होती है। वह व्यक्तित्व का यथार्थ एवं पूर्ण विकास करती है।

धर्म का सार आध्यात्मिक सर्जन अथवा आध्यात्मिक अनुभूति है। इस प्रकार के सर्जन अथवा अनुभूति का विस्तार ही धर्म का विकास है। जो आचार इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो वहीं धर्ममूलक आचार है। इस प्रकार का आचार नैतिकता की भावना के अभाव में सम्भव नहीं। ज्यो-ज्यों नैतिक भावनाओं का विस्तार होता जाता है त्यो-त्यों धर्म का विकास होता जाता है। इस प्रकार का धर्मविकास ही आध्यात्मिक विकास है। आध्यात्मिक विकास की चरम अवस्था का नाम ही मोक्ष अथवा मुक्ति है। इस मूलभूत सिद्धान्त अथवा तथ्य को समस्त आत्म-वादी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है।

दर्शन का सम्बन्ध विचार अथवा तर्क से है, जबिक धर्म का सम्बन्ध आचार अथवा व्यवहार से है। दर्शन हेतुवाद पर प्रतिष्ठित होता है जबिक धर्म श्रद्धा पर अवलिम्बत होता है। आचार के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है जबिक विचार के लिए तर्क की। आचार व विचार अथवा धर्म व दर्शन के सम्बन्ध मे दो विचारधाराएँ हैं। एक विचारधारा के अनुसार आचार व विचार अर्थात् धर्मं व दर्शन अभिन्न हैं। इनमे वस्तुतः कोई भेद नहीं है। आचार की सत्यता विचार में ही पाई जाती है एवं विचार का पर्यवसान आचार में ही देखा जाता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार आचार व विचार अर्थात् धर्मं व दर्शन एक-दूसरे से भिन्न हैं। तर्कशील विचारक का इससे कोई प्रयोजन नहीं कि श्रद्धाशील आचरणकर्ता किस प्रकार का व्यवहार करता है। इसी प्रकार श्रद्धाशील व्यक्ति यह नहीं देखता कि विचारक क्या कहता है। तटस्थ दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि आचार और विचार व्यक्तित्व के समान-शक्तिवाले अन्योन्याश्रित दो पक्ष हैं। इन दोनों पक्षो का सतुलित विकास होने पर ही व्यक्तित्व का विशुद्ध विकास होता है। इस प्रकार के विकास को हम ज्ञान और क्रिया का संयुक्त विकास कह सकते हैं जो दु खमुक्ति के लिए अनिवार्य है।

आचार और विचार की अन्योन्याश्रितता को दृष्टि मे रखते हुए भारतीय चिन्तको ने धर्म व दर्शन का साथ-साथ प्रतिपादन किया। उन्होने तत्त्वज्ञान के साथ ही साथ आचारशास्त्र का भी निरूपण किया एवं बताया कि ज्ञानिवहीन आचरण नेत्रहीन पुरुष की गित के समान है जबिक आचरणरहित ज्ञान पंगु पुरुष की स्थिति के सदश है। जिस प्रकार अभीष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए निर्दोष आँखे व पैर दोनों आवश्यक हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि के लिए दोषरिहत ज्ञान व चारित्र दोनों श्रनिवार्य हैं।

भारतीय विचार-परम्पराओं में स्राचार व विचार दोनों को

समान स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए मीमांसा-परम्परा का एक पच्च पूर्वमीमांसा आचारप्रधान है जबिक दूसरा पच्च उत्तरमीमांसा (वेदान्त) विचारप्रधान है। सांख्य और योग क्रमशः विचार और ग्राचार का प्रतिपादन करनेवाले एक ही परम्परा के दो अग हैं। बौद्ध-परम्परा मे हीनयान ग्रौर महायान के रूप मे आचार और विचार की दो घाराएँ है। हीनयान आचारप्रधान है तथा महायान विचारप्रधान। जैन-परम्परा मे भी आचार और विचार को समान स्थान दिया गया है। अहिंसामूलक ग्राचार एव अनेकांतमूलक विचार का प्रतिपादन जैन विचार-धारा की विशेषता है।

वैदिक दृष्टि:

भारतीय साहित्य मे आचार के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं। वैदिक सहिताओं में लोकजीवन का जो प्रतिविम्च मिलता है उससे प्रकट होता है कि लोगों में प्रकृति के कार्यों के प्रति विचित्र जिज्ञासा थी। उनकी धारणा थी कि प्रकृति के विविध कार्य देवों के विविध रूप थे, विविध देव प्रकृति के विविध कार्यों के रूप में अभिव्यक्त होते थे। ये देव अपनी प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता के आधार पर उनका हित-अहित कर सकते थे इसलिए लोग उन्हें प्रसन्न रखने अथवा करने के लिए उनकी स्तुति करते, उनकी यशोगाथा गाते। स्तुति करने की प्रक्रिया अथवा पद्धित का धीरे-धीरे विकास हुआ एवं इस मान्यता ने जन्म लिया कि अमुक उग से अमुक प्रकार के उच्चारणपूर्वक की जानेवाली स्तुति ही

फलवती होती है। परिणामत. यज्ञयागादि का प्रादुर्भाव हुआ एवं देवो को प्रसन्न करने की एक विशिष्ट आचार-पद्धतिने जन्म लिया। इस आचारपद्धति का प्रयोजन लोगो की ऐहिक सुख-समृद्धि एवं सुरचा था। लोगो के हृदय में सत्य, दान, ग्रादि के प्रति मान था। विविध प्रकार के नियमो, गुणो, दएडो के प्रवर्तको के रूप में विभिन्न देवों की कल्पना की गई।

औपनिषदिक रूप :

उपनिषदों मे ऐहिक सुख को जीवन का लच्य न मानते हुए श्रेयस् को परमार्थ माना गया है तथा प्रेयस् को हेय एव श्रेयस् को उपादेय वताया गया है। इस जीवन को अन्तिम सत्य न मानते हुए परमात्मतत्त्व को यथार्थ कहा गया है । आत्म-तत्त्व का स्वरूप समभाते हुए इसे शरीर, मन, इन्द्रियों से भिन्न वताया गया है। इसी दार्शनिक भित्ति पर सदाचार, सन्तोप, सत्य आदि आत्मिक गुणो का विधान किया गया है एव इन्हें आत्मानुभूति के लिए श्रावज्यक वताया गया है। इन गुणो के आचरण से श्रेयस् की प्राप्ति होती है। श्रेयस् के मार्ग पर चलनेवाले विरले ही होते हैं। ससार के समस्त प्रलोभन श्रेयस् के सामने नगण्य हैं--तुच्छ है।

स्त्र, स्मृतियाँ व धर्मशास्त्र:

सूत्रो, स्मृतियों व धर्मशास्त्रो में मनुष्य के जीवन की निव्चित योजना दृष्टिगोचर होती है। इनमे मानव-जीवन के कर्तव्य-श्रकर्तव्यो

के विषय मे विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है। वैदिक विधि-विधानों के साथ ही साथ सामाजिक गुणों एवं आध्यात्मिक विशुद्धियों का भी विचार किया गया है। संक्षेप मे कहा जाय तो इनमे भौतिक सुखों एवं आ तिमक गुणो का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है। सूत्रो व धर्मशास्त्रों मे मानव-जीवन के चार सोपान—चार ग्राश्रम निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार आचरण करने पर मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है। इन चार आश्रमों के पारिभाषिक नाम ये हैं: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम व संन्यासाश्रम । ब्रह्मचर्याश्रम मे शारीरिक व मान-सिक अनुशासन का अभ्यास किया जाता है जो सारे जीवन की भूमिका का काम करता है। गृहस्थाश्रम सांसारिक सुखों के अनुभव व कर्तव्यों के पालन के लिए है। वानप्रस्थाश्रम सांसारिक प्रपंचों के आंशिक त्याग का प्रतीक है। आध्यात्मिक सुखो की प्राप्ति के लिए सासारिक सुख-सुविधाओं के हेतु किये जानेवाले प्रपंचों का सर्वथा त्याग करना संन्यासाश्चम है। इन चार आश्रमों के साथ ही साथ चार प्रकार के वर्णों के कर्तव्याकर्तव्यों के लिए आचारसंहिता भी बनाई गई। श्राचार के दो विभाग किये गये: सव वर्णी के लिए सामान्य आचार और प्रत्येक वर्ण के लिए विशेष आचार। जिस प्रकार प्रत्येक आश्रम के लिए विभिन्न कर्तव्यों का निर्धारण किया गया उसी प्रकार प्रत्येक वर्ण के लिए विभिन्न कर्तव्य निश्चित किये गये, जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन-अध्यापन, क्षत्रिय के लिए रक्षण-प्रशासन, वैश्य के लिए व्यापार-व्यवसाय एव शूद्र

के लिए सेवा-शुश्रूषा । इसी व्यवस्था अर्थात् आचारसंहिता का नाम वर्णाश्रम-धर्म अथवा वर्णाश्रम-व्यवस्था है ।

कर्ममुक्तिः

भारतीय आचारशास्त्र का सामान्य आघार कर्मसिद्धान्त है। कर्म का वर्ष है चेतनाशक्ति द्वारा की जानेवाली किया का कार्य-कारणभाव । जो क्रिया अर्थात् आचार इस कार्य-कारण की परम्परा को समाप्त करने में सहायक है वह आचरणीय है। इससे विपरीत आचार त्याज्य है। विविध धर्मग्रन्थो, दर्शनग्रन्थो एव आचारग्रन्थो मे जो विधिनिपेध उपलब्ध हैं, इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं। योग-विद्या का विकास इस दिशा मे एक महान् प्रयत्न है। भारतीय विचारको ने कर्ममुक्ति के लिए ज्ञान, भक्ति एव ध्यान का जो मार्ग वताया है वह योग का ही मार्ग है। ज्ञान, भक्ति एवं ध्यान को योग की ही संज्ञा दी गई है। इतना ही नहीं, अनासक्त कर्म को भी योग कहा गया है। आत्मनियन्त्रण अर्थात् चित्तवृत्ति के निरोध के लिए योग अनिवार्य है। योग चेतना की उस अवस्था का नाम है जिसमे मन व इन्द्रियाँ अपने विषयो से विरत होने का अभ्यास करते हैं। ज्यो-ज्यो योग की प्रित्रया का विकास होता जाता है त्यो-त्यो आत्मा अपने-आप मे लीन होती जाती है। योगी को जिस आनन्द व सुख की अनुभूति होती है वह दूसरो के लिए अलभ्य है। वह आनन्द व सुख वाह्य पदार्थों पर अवलम्बित नही होता अपितु आत्मावलम्बित होता है। बात्मा का अपनी स्वाभाविक विशुद्ध अवस्था मे निवास

करना ही वास्तिवक सुख है। यह सुख जिसे हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है वह कर्मजन्य सुख-दु.ख से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष, मुक्ति अथवा निर्वाण है।

कर्म से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। योग की साधना करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए घीरे-घीरे निरन्तर प्रयत्न करना पड़ता है। आचार व विचार की अनेक कठिन ग्रवस्थाओं से गुजरना होता है। आचार के अनेक नियमों एवं विचार के अनेक अंकुशों का पालन करना पड़ता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ग्रात्मघादों दर्शनों ने कर्ममुक्ति के लिए आचार के विविध नियमों का निर्माण किया तथा आत्म-विकास के विभिन्न अंगों तथा रूपों का प्रतिपादन किया।

आत्मविकासः

वेदान्त मे सामान्यतया आत्मिक विकास के सात अंग अथवा सोपान माने गये हैं। प्रथम अग का नाम शुभ इच्छा है। इसमे वैराग्य अर्थात् सम्यक् पथ पर जाने की भावना होती है। द्वितीय अग विचारणारूप है। इसमे शास्त्राध्ययन, सत्सं-गति तथा तत्त्व का मूल्याकन होता है। तृतीय अग तनुमानस रूप है जिसमे इन्द्रियो और विषयो के प्रति अनासिक्त होती है। इसके बाद की जो अवस्था है उसमे मानसिक विषयो का निरोध प्रारम्भ होकर मन की शुद्धि होती है। इस अवस्था का नाम सत्यापित्त है। इसके बाद पदार्थभावनो ग्रवस्था ग्राती है जिसमें वाह्य वस्तुग्रो का मन पर कोई प्रभाव नहीं पडता। सातवां अंग तुरीयगा कहलाता है। इसमे पदार्थों का मन से कोई सम्बन्ध ही नही रहता तथा आत्मा का सत्, चित् व ग्रानन्द-रूप ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। यह ग्रवस्था निर्विकल्पक समाधिरूप है।

योगदर्शन का अष्टाग योग प्रसिद्ध हो है। प्रथम अग यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं व अपिरग्रह का समावेश होता है। द्वितीय अग नियम में शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय व ईंग्वरप्रणिधान का समावेश किया जाता है। तृतीय अंग का नाम आसन है। चतुर्थं अग प्राणायामरूप है। पांचवा अग प्रत्याहार, छठा घारणा, सातवा ध्यान व आठवा समाधि कहलाता है। निर्विकल्प समाधि आत्मिवकास की अतिम अवस्था होती है। जिसमे आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में अवस्थित हो जाती है।

कर्मपथ:

मीमासा व स्मृतियो आदि मे कियाकाण्ड पर अधिक भार दिया गया है जविक सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, वेदान्त आदि आत्मशुद्धि पर विशेष जोर देते हैं। वौद्धो के अनुसार हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं. ज्ञात और अज्ञात। इन्हें बौद्ध परिभाषा में विज्ञप्ति और अविज्ञिप्ति कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति परोक्ष अर्थात् अज्ञात रूप से किसी अन्य द्वारा किसी प्रकार का पापकार्य करता है तो वह अविज्ञिप्त-कर्म करता है। जो जानवूक्त कर अर्थात् ज्ञातरूप से पापिक्रया करता है वह विज्ञिप्त-कर्म करता है। यही बात शुभ प्रवृत्ति के विषय में भी है। अत. शोल भी विज्ञप्ति व अविज्ञप्ति रूप दो प्रकार का है। वौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक किया के तीन भाग होते हैं: प्रयोग, कर्मपथ और पृष्ठ । क्रिया की तैयारी करना प्रयोग है। वास्तविक किया कर्मपथ है। अनुगामिनी किया का नाम पृष्ठ है। उदाहरण के रूप मे चोरी को छे। जब कोई चोरी करना चाहता है तो अपने स्थान से उठता है, आवश्यक साधन-सामग्री लेता है, दूसरे के घर जाता है, चुपचाप घर मे घुसता है, रुपये-पैसे व अन्य वस्तुए दूढता है और उन्हें वहाँ से उठाता है। यह सव प्रयोग के अन्तर्गत है। चोरी का सामान छेकर वह घर से वाहर निकलता है, यही कर्मपथ है। उस सामान को वह अपने साथियो मे बाटता है, वेचता है अथवा छिपाता है, यह पृष्ठ है। ये तीनो प्रकार विज्ञप्ति व अविज्ञप्तिरूप होते है। इतना ही नही, एक प्रकार का कर्मपथ दूसरे प्रकार के कर्मपथ का प्रयोग अथवा पृष्ठ वन सकता है। इसी प्रकार अन्य पापो एव शुभ कियाओं के भी तीन विभाग कर लेने चाहिए । वस्तुत. प्रयोग, कर्मपथ व पृष्ठ प्रवृत्ति की अथवा आचार की तीन अवस्थाएं हैं। इन्हे प्रवृत्ति के तीन सोपान भी कह सकते है। किस प्रकार की प्रवृत्ति अर्थात् कर्म से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इसका भी बौद्ध साहित्य मे पूरी तरह विचार किया गया है। वह विचार वौद्ध आचारशास्त्र की भूमिकारूप है।

जैनाचार व जैन विचार:

जैनाचार की मूल भित्ति कर्मवाद है। इसी पर जैनो का

र्अहिसावाद, अपरिग्रहवाद एवं अनीश्वरवाद प्रतिष्ठित है। कर्म का साघारण अर्थ कार्य, प्रवृत्ति अथवा क्रिया है। कर्मकाण्डी यज्ञ आदि क्रियाओं को कर्म कहते हैं। पौराणिक व्रत-नियम आदि को कर्मरूप मानते हैं। जैन परम्परा मे कर्म दो प्रकार का माना गया है: द्रव्यकर्म व भावकर्म। कार्मण पुद्गल अर्थात जडतत्त्व विशेष जो कि जीव के साथ मिल कर कर्म के रूप मे परिणत होता है, द्रव्यकर्म कहलाता है। यह ठोस पदार्थरूप होता है। द्रव्यकर्म की यह मान्यता जैन कर्मवाद की विशेपता है। आत्मा के अर्थात् प्राणी के राग-द्वेपात्मक परिणाम अर्थात् चित्तवृत्ति को भावकर्म कहते हैं। दूसरे शब्दो मे प्राणी के भावों को भावकर्म तथा भावो द्वारा आकृष्ट सूक्ष्म भौतिक परमाणुओ को द्रव्यकर्म कहते हैं। यह एक मूलभूत सिद्धान्त है कि आत्मा और कर्म का सम्बन्ध प्रवाहत अनादि है। प्राणी अनादि काल से कर्मपरम्परा में पडा हुआ है। चैतन्य और जड का यह सम्मिश्रण अना-दिकालीन है। जीव पुराने कर्मी का विनाश करता हुआ नवीन कर्मो का उपार्जन करता जाता है। जब तक उसके पूर्वीपाजित समस्त कर्म नष्ट नहीं हो जाते — आत्मा से अलग नहीं हो जाते तथा नवीन कर्मो का उपार्जन बद नही होजाता—नया बंघ रुक नहीं जाता तव तक उसकी भवभ्रमण से मुक्ति नहीं होती। एक बार समस्त कर्मी का नाश हो जाने पर पुन. नवीन कर्मी का आगमन नहीं होता क्योंकि उस अवस्था में कर्मीपार्जन का कोई कारण विद्यमान नही रहता। आत्मा की इसी अवस्था का नाम मोत्त, मुक्ति, निर्वाण अथवा सिद्धि है। इस अवस्था मे आत्मा

अपने असली रूप में रहना है। आत्मा का यही रूप जैनदर्शन का ईश्वर है। परमेश्वर अथवा परमात्मा इससे भिन्न कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है जे अप्पा से परमप्पा।

कर्मवाद नियतिवाद अथवा अनिवार्यतावाद नहीं है। कर्म-सिद्धान्त यह नहीं मानता कि प्राणी को नियत समय में उपाजित कर्म का फल भोगना ही पड़ता है अथवा नवीन कर्म का उपा-जंन करना ही पड़ता है। यह सत्य है कि प्राणी को स्वोपाजित कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है किन्तु इसमें उसके पश्चात्-कालीन पराक्रम, पुरुपार्थ अथवा आत्मवीर्य के अनुसार न्यूना-धिकता तथा शीघ्रता अथवा देरी हो सकती है। इसी प्रकार वह नवीन कर्म का उपाजन करने में भी अमुक सीमा तक स्वतन्त्र होता है। आन्तरिक शक्ति तथा आचार की परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए व्यक्ति अमुक सीमा तक नये कर्मों के आगमन को रोक सकता है। इस प्रकार जैन कर्मसिद्धान्त में सीमित इच्छास्वातन्त्र्य स्वीकार किया गया है।

कर्मवन्ध च कर्ममुक्तिः

जैन कर्मवाद में कर्मोपार्जन के दो कारण माने गये हैं: योग और कपाय। शरीर, वाणी और मन के सामान्य व्यापार को जैन परिभाषा में योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में जैन परिभाषा में प्राणी की प्रवृत्तिसामान्य का नाम योग हैं। कषाय मन का व्यापारविशेष हैं। यह क्रोधादि मानसिक आवेगरूप है। यह लोक कर्म की योग्यता रखने वाले परमाणुओं से भरा हुआ है। जव प्राणी अपने मन, वचन अथवा तन से किसी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आस-पास रहे हुए कर्मयोग्य परमाणुओ का आकर्षण होता है अर्थात् आत्मा अपने चारों ओर रहे हुए कर्म-परमाणुओं को कर्में रूप से ग्रहण करती है। इस प्रक्रिया का नाम आस्रव है। कवाय के कारण कर्मपरमाणुओं का आत्मा से मिल जाना अर्थात् आत्मा के साथ व्यं जाना वंघकह्लाता है। वैसे तो प्रत्येक प्रकार का योग अर्थात् प्रवृत्ति कर्मवंघ का कारण है किन्तु जो योग क्रोधादि कपाय से युक्त होता है उससे होने वाला कर्मवंघ दह होता है। कपायरहित प्रवृत्ति से होने वाला कर्मवंघ व अस्थायो होता है। यह नाममात्र का वध है। इससे ससार नहीं वढता।

योग ग्रर्थात् प्रवृत्ति की तरतमता के अनुसार कर्मपरमाणुग्रो की मात्रा मे तारतम्य होता है। वद्व परमाणुओ की राशि को प्रदेश-वन्ध कहते है। इन परमाणुओ की विभिन्न स्वभावरूप परि-णित को अर्थात् विभिन्न कार्यरूप क्षमता को प्रकृति-वन्ध कहते है। कर्मफल की मुक्ति की अवधि अर्थात् कर्म भोगने के काल को स्थिति-वन्ध तथा कर्मफल की तीव्रता-मन्दता को अनुभाग-वन्ध कहते है। कर्म बधने के बाद जब तक वे फल देना प्रारम्भ नहीं करते तब तक के काल को ग्रवाधाकाल कहते हैं। कर्मफल का प्रारम्भ ही कर्म का उदय है। ज्यो-ज्यो कमो का उदय होता जाता है त्यों-त्यो कर्म आत्मा से ग्रलग होते जाते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम ' १८ : जैन आचार

निर्जरा है। जब आत्मा से समस्त कर्म अलग हो जाते हैं तब उसकी जो अवस्था होती है उसे मोच कहते है।

जैन कर्मशास्त्र मे प्रकृति-वन्घ के आठ प्रकार माने गये है अर्थात् कर्म की मूल प्रकृतियाँ आठ गिनाई गई हैं। ये प्रकृतियाँ प्राणी को भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुकूल एव प्रतिकूल फल प्रदान करतो है। इनके नाम इस प्रकार हैं :-- १. ज्ञानावरणीय २. दर्शना-वरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयु, ६ नाम, ७. गोत्र, ८ अन्तराय । इनमें से ज्ञानावरणीय, दर्जनावरणीय, मोहनीय व अन्तराय-ये चार प्रकृतियाँ घाती कहलाती है नयोकि इनसे आत्मा के चार मूल गुणो–ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य का घात होता है । शेष चार प्रकृतियाँ अघाती हैं क्यों कि ये किसी आत्मगुण का घात नहीं करती । ये शरीर से सम्बन्धित होती हैं। ज्ञानावरणीय प्रकृति आत्मा के ज्ञान अर्थात् विशेष उपयोगरूप गुण को आवृत करती है। दर्शनावरणीय प्रकृति ग्रात्मा के दर्शन अर्थात् सामान्य उपयोग-रूप गुण को आच्छादित करती है। मोहनीय प्रकृति आत्मा के स्वाभाविक सुख मे वाधा पहुँचाती है। अन्तराय प्रकृति से वीर्य श्रर्थात् आत्मशक्ति का नाश होता है। वेदनीय कर्मप्रकृति शरीर के अनुक्रल एवं प्रतिक्रल सवेदन अर्थात् सुख-दु.ख के अनुभव का कारण है। आयु कर्मप्रकृति के कारण नरक, तिर्यच, देव एवं मनुष्य भव के काल का निर्घारण होता है। नाम कर्मप्रकृति के कारण नरकादि गति, एकेन्द्रियादि जाति, औदारिकादि शरीर आदि की प्राप्ति होती है। गोत्र कर्मप्रकृति प्राणियो के लौकिक उच्चत्व एवं नीचत्व का कारण है। कर्म की सत्ता मानने पर पुनर्जन्म की सत्ता

भी माननी पड़ती है। पुनर्जन्म अथवा परलोक कर्म का फल है।
मृत्यु के वाद प्राणी अपने गित नाम कर्म के अनुसार पुन. मनुष्य,
तिर्यक्ष, नरक अथवा देव गित में उत्पन्न होता है। आनुपूर्वी नाम
कर्म उसे अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँचा देता है। स्थानान्तरण
के समय जीव के साथ दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर रहते हैं। तैजस
और कार्मण। औदारिकादि स्थूल शरीर का निर्माण अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँचने के वाद प्रारम्भ होता है। इस प्रकार जैन कर्मशास्त्र में पुनर्जन्म की सहज व्यवस्था की गई है।

कर्मबन्ध का कारण कषाय अर्थात् राग-द्वेपजन्य प्रवृत्ति है। इससे विपरीत प्रवृत्ति कर्ममुक्ति का कारण वनती है। कर्ममुक्ति के लिए दो प्रकार की कियाएँ आवश्यक हैं। नवीन कर्म के उपार्जन का निरोध एवं पूर्वोपाजित कर्म का चय। प्रथम प्रकार की किया का नाम संवर तथा द्वितीय प्रकार की किया का नाम निर्जरा है। ये दोनो कियाएँ कमश आस्रव तथा बन्ध से विपरीत हैं। इन दोनो की पूर्णता से आत्मा की जो स्थिति होती है अर्थात् आत्मा जिम श्रवस्था को प्राप्त होती है उसे मोच कहते हैं। यही कर्म-मुक्ति है।

नवीन कर्मी के उपार्जन का निरोध अर्थात् संवर निम्न कारणो से होता है:—गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, चारित्र व तपस्या। सम्यक् योगनिग्रह अर्थात् मन, वचन व तन की प्रवृत्ति का सुप्तु नियन्त्रण गुप्ति है। सम्यक् चलना, बोलना, खाना, लेना-देना आदि समिति कहलाता है। उत्तम प्रकार की समा, मृदुता, ऋजुता, शुद्धता आदि धर्म के अन्तर्गत हैं। अनुप्रेसा मे ग्रनित्यत्व, अशरणत्व, एकत्व आदि भावनाओं का समावेश होता है। क्षुघा, पिपासा, सर्दों, गर्मी आदि कप्टों को सहन करना परीपहजय है। चारित्र सामायिक आदि भेद से पाँच प्रकार का है। तप वाह्य भी होता है व आभ्यन्तर भी। अनशन आदि वाह्य तप है, प्राय-चिचत ग्रादि आभ्यन्तर तप कहलाते है। तप से सवर के साथ-साथ निर्जरा भी होती है। सवर व निर्जरा का पर्यवसान मोच में कर्ममुक्ति होता है।

यात्मवाद:

कर्मवाद का आत्मवाद से साक्षात् सम्बन्ध है। यदि आत्मा की पृथक् सत्ता न मानी जाय तो कर्मवाद की मान्यता निरर्थक तिद्व होती है। जैन आचारशाय मे कर्मवाद के आधारभूत बात्मवाद की भी प्रतिष्ठा की गई है। आत्मा का लक्षण उपयोग हि। उपयोग का अर्थ है वोवरूप व्यापार। यह व्यापार चैतन्य का वर्ग है। जह पदार्थों मे उपयोग-क्रिया का अभाव होता है क्यों कि उनमें चंतन्य नहीं होता । उपयोग अर्थात् वोध दो प्रकार का है: ज्ञान और दर्शन। नुख और वीर्य भी चैतन्य का ही धर्म है। प्रतिकिए आत्मा को अनन्त-चतुप्रयात्मक माना गया है।अनन्त चत्र्य ये हैं: अनन्त ज्ञान,अनन्त दर्शन,अनन्त मुख और अनन्त वीर्य। यह अर्थान् गमारी आत्मा मे ज्ञानावरणीय,दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय वर्म के सम्पूर्ण क्षय से क्रमश विशेष वोषहप धनन शान, नामान्य बोघरप अनल दर्शन, अलोकिक आनन्द-न्य अनन्य सुन्य व बाध्यारिमक शक्तिहप अनन्त वीर्य प्राटुर्मूत होता है। मुक्त आत्मा मे ये चार अनन्त—अनन्त-चतुष्ट्य सर्वदा वने रहते है। ससारी आत्मा स्वदेहपरिमाण एवं पौद्गलिक कर्मो से युक्त होती है, साथ ही परिणमनशील, कर्ता, भोका एव सीमिति उपयोगयुक्त होती है।

अहिंसा और अपरिग्रह :

जैनाचार का प्राण अहिंसा है। अहिंसक आचार एव विचार से ही आध्यात्मिक उत्थान होता है जो कर्ममुक्ति का कारण है। अहिंसा का जितना सुच्म विवेचन एव आचरण जैन परम्परा में उपलब्ध है उतना शायद ही किसी जैनेतर परम्परा में हो। अहिसा का मूलाधार आत्मसाम्य है। प्रत्येक आत्मा—चाहे वह पृथ्वीसम्बन्धी हो, चाहे उसका आश्रय जल हो, चाहे वह कीट अथवा पतंग के रूप मे हो, चाहे वह पशु अथवा पत्ती मे हो, चाहे उसका वास मानव मे हो—तात्त्विक दृष्टि से समान है। मुख-दु ख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है। जीवन-मरण की प्रतीति सबको होती है। सभी जीव जीना चाहते हैं। वास्तव मे कोई भी मरने की इच्छा नही करता। जिस प्रकार हमे जीवन प्रिय है एव मरण अप्रिय, सुख प्रिय है एव दु ख अप्रिय, अनुकू-लता प्रिय है एव प्रतिकूलता ग्रिपय, मृदुता प्रिय है एवं कठोरता श्रिप्रिय, स्वतन्त्रता प्रिय है एव परतन्त्रता अप्रिय, लाभ प्रिय है एवं हानि अप्रिय, उसी प्रकार अन्य जीवो को भी जीवन आदि प्रिय हैं एव मरण आदि अप्रिय । इसलिए हमारा कर्त्तव्य है कि हम मन से भी किसी के वध आदि की वात न सोचे। शरीर से किसी की हत्या करना अथवा किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना तो पाप है ही, मन अथवा वचन से इस प्रकार की प्रवृत्ति करना भी पाप है। मन, वचन और काया से किसी को सताप न पहुँचाना सच्ची अहिंसा है—पूर्ण अहिंसा है। वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवों से छेकर मानव तक के प्रति अहिंसक आचरण को भावना जैन विचारधारा की अनुपम विगे-पता है। इसे अहिंसक आचार का चरम उत्कर्ष कह सकते हैं। आचार का यह अहिंसक विकास जैन संस्कृति की अमूल्य निधि है।

अहिसा को केन्द्रिवन्दु मानकर अमृपावाद, अस्तेय, अमै-थुन एव अपरिग्रह का विकास हुआ । आत्मिक विकास मे वाधक कर्मवंध को रोकने तथा वद्ध कर्म को नष्ट करने के लिए अहिसा तथा तदाधारित अमृपावाद आदि की अनिवार्यता स्वीकार की गई। इसमे व्यक्ति एव समाज दोनो का हित निहित है। वैय-क्तिक उत्थान एवं सामाजिक उत्कर्प के लिए असत्य का त्याग, अनिधकृत वस्तु का अग्रहण तथा संयम का परिपालन आवश्यक है। इनके अभाव मे अहिंसा का विकास नहीं हो पाता। परि-णामतः आत्मविकास मे वहुत वडी वाधा उपस्थित होती है। इन सवके साथ अपरिग्रह का वृत अत्यावश्यक है। परिग्रह के साथ आत्मविकास की घोर शत्रुता है। जहाँ परिग्रह रहता है वहाँ आत्मविकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इतना ही नही, परिग्रह आत्मपतन का बहुत वडा कारण वनता है। परिग्रह का अर्थ है पाप का सग्रह। यह आसक्ति से वढता है एवं आसक्ति को वढाता भी है। इसी का नाम मूच्छी है। ज्यो-ज्यो परिग्रह

वहता है त्यों-त्यों मृच्छां—गृद्धि—आसक्ति बढती जाती है। जितनी अधिक वासक्ति बढती है उतनी ही अधिक हिंसा बढती है। यही हिंसा मानव-समाज में वैपम्य उत्पन्न करती है। इसीसे आत्म-पतन भी होता है। अपरिग्रहवृत्ति अहिंसामूलक आचार के सम्यक् परिपालन के लिए अनिवार्य है।

अनेकान्तर्दाष्ट्र :

जिस प्रकार जैन विचारको ने ग्राचार मे ग्रहिसा को प्रधा-नता दी उसी प्रकार उन्होने विचार मे अनेकान्तदृष्टि को मुख्यता दो । अनेकान्तदृष्टि का श्रर्थं है वस्तु का सर्वतोमुखी विचार । वस्तु मे अनेक धर्म होते हैं। उनमे से किसी एक धर्म का आग्रह न रखते हुए अर्थात् एकान्तदृष्टि न रखते हुए अपेक्षाभेद से सव धर्मों के साथ समान रूप से न्याय करना अनेकान्तदृष्टि का कार्य है। अनेक धर्मात्मक वस्तु के कथन के लिए 'स्यात्' शब्द का प्रयोग ग्रावश्यक है। 'स्यात्' का अर्थ है कथचित् ग्रर्थात् किसी एक अपेक्षा से—िकसी एक धर्म की दृष्टि से। वस्तु के ग्रनेक धर्मो अर्थात् अनन्त गुणो मे से किसी एक धर्म अर्थात् गुण का विचार उस दृष्टि से ही किया जाता है। इसी प्रकार उसके दूसरे घर्म का विचार दूसरी दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार वस्तु के धर्म-भेद से ही दृष्टि-भेद पैदा होता है। दृष्टिकोण के इस अपेक्षावाद प्रथवा सापेक्षवाद का नाम ही स्याद्वाद है। चूंकि स्याद्वाद से ग्रनेक धर्मात्मक ग्रर्थात् ग्रनेकान्तात्मक वस्तु का कथन या विचार होता है ग्रत स्याद्वाद का ग्रपर नाम ग्रनेकान्तवाद

है। इस प्रकार स्याद्वाद व अनेकान्तवाद जैनदर्शनाभिमत सापेक्ष-वाद के ही दो नाम है।

जैनधर्म मे अनेकान्तवाद के दो रूप मिलते है: सकलादेश और विकलादेश । सकलादेश का अर्थ है वस्तु के किसी एक धर्म से तदितर समस्त धर्मो का अभेद करके समग्र वस्तु का कथन करना। दूसरे शब्दो मे वस्तु के किसी एक गुण मे उसके शेप समस्त गुणो का संग्रह करना सकलादेश है। उदाहरणार्थ 'स्यादस्त्येव सर्वम्' श्रर्थात् 'कथचित् सव है ही' ऐसा जव कहा जाता है तो उसका अर्थ यह होता है कि अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य जितने भी धर्म हैं, सब किसी दृष्टि से अस्तित्व से अभिन्न हैं। इसी प्रकार नास्तित्व आदि घर्मीं का भी तदितर घर्मों से अभेद करके कथन किया जाता है। यह अभेद काल, आत्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध उपकार आदि आठ दृष्टियों से होता है। जिस समय किसी वस्तु में अस्तित्व धर्म होता है उसी समय अन्य धर्म भी होते हैं। घट मे जिस समय अस्तित्व रहता है उसी समय कृष्णत्व, स्थूलत्व आदि धर्म भी रहते हैं। अत. काल की दृष्टि से अस्तित्व व अन्य गुणों मे अभेद है। यही वात शेप सात दृष्टियों के विषय में भी समभनी चाहिये। वस्तु के स्वद्रव्य-चेत्र-काल-भाव से अस्तित्व धर्म का विचार किया जाता है एवं परद्रव्य-चेत्र-काल-भाव से नास्तित्व धर्म का । सकलादेश मे एक धर्म मे अशेप धर्मी का अभेद करके सकल अर्थात् सम्पूर्ण वस्तु का कथन किया जाता है। विकलादेश मे किसी एक धर्म की ही अपेचा रहती है और शेप की उपेचा। जिस धर्म का कथन करना होता है वही धर्म दृष्टि के सन्मुख रहता है। अन्य

घर्मों का निपेघ तो नहीं होता किन्तु प्रयोजनाभाव के कारण उनके प्रति उपेक्षाभाव अवश्य रहता है। विकल अर्थात् अपूर्ण वस्तु के कथन के कारण इसे विकलादेश कहा जाता है। इस प्रकार अहिंसा और अनेकान्तवाद की मूल भित्ति पर ही जैनाचार के भव्य भवन का निर्माण हुआ है।

जैन दृष्टि से चा रि त्र - वि का स

आत्मिक विकास मोहशक्ति की प्रवलता मिथ्या दृष्टि अल्पकालीन सम्यक् दृष्टि मिश्र दृष्टि ग्रन्थिभेद व सम्यक् श्रद्धा देगविरति सर्वविरति

अप्रमत्त ग्रवस्था

अपूर्वकरण स्थूल कपाय सुनम कपाय

उपशात कषाय चीण कषाय

> सदेह मुक्ति विदेह मुक्ति

जैन गुणस्थान, वौद्ध अवस्थाएँ व वैदिक भूमिकाएँ

योगदृष्टियाँ

ओघदृष्टि व योगदृष्टि

मित्राहिष्ट व यम ताराहिष्ट व नियम वलाहिष्ट व आसन दीप्राहिष्ट व प्राणायाम स्थिराहिष्ट व प्रत्याहार कान्ताहिष्ट व धारणा प्रभाहिष्ट व ध्यान पराहिष्ट व समाधि

जैन दृष्टि से चारित्र-विकास

आध्यात्मिक विकास को व्यावहारिक परिभाषा मे चारित्र-विकास कह सकते हैं। मनुष्य के आत्मिक गुणो का प्रतिबिम्ब उसके चारित्र मे पड़े बिना नही रहता। चारित्र की विविध दशाओं के आघार पर आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओं अथवा अवस्थाओं का सहज ही अनुमान हो सकता है। आत्मा की विविध अवस्थाओ को तीन मुख्य रूपो मे विभक्त किया जा सकता है: निकृष्टतम, उत्कृष्टतम व तदन्तर्वर्ती । अज्ञान |अथवा मोह का प्रगाढतम आव-रण आत्मा की निकृपृतम अवस्था है। विशुद्धतम ज्ञान अथवा आत्यन्तिक व्यपगतमोहृता आत्मा की उत्कृष्टतम अवस्था है। इन दोनो चरम अवस्थाओं के मध्य मे अवस्थित दशाएँ तृतीय कोटि की अवस्थाएँ हैं। प्रथम प्रकार की अवस्था मे चारित्र-शक्ति का सम्पूर्ण ह्रास तथा द्वितीय प्रकार की अवस्था मे चारित्र-शक्ति का सम्पूर्ण विकास होता है। इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं के अतिरिक्त चारित्र-विकास की जितनी भी अवस्थाएँ हैं, सबका समा-वेश उभय चरमान्तर्वर्ती तीसरी कोटि मे होता है । आत्म-विकास अथवा चारित्र-विकास की समस्त अवस्थाओ को जैन कर्मशास्त्र में चौदह भागो मे विभाजित किया गया है जो 'चौदह गुणस्थान' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जैनाचार के चतुर्दश सोपान अर्थात् जैन चारित्र की चौदह सीढियाँ है। साधक को इन्ही सीढियो से चढना-उतरना पडता है।

: २:

३०: जैन आचार

आत्मिक विकासः

आत्मिक गुणो के विकास की क्रमिक अवस्थाओ को गुणस्थान कहते है। जैन-दर्शन यह मानता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप जुद्ध ज्ञानमय व परिपूर्ण सुखमय है। इसे जैन पदावली मे अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख व अनन्तवीर्य कहा जाता है। इस स्वरूप को विकृत अथवा आवृत करने का कार्य कर्मी का है। कर्मावरण की घटा ज्यों-ज्यों घनी होती जाती है त्यो-त्यों त्रात्मिक शक्ति का प्रकाश मद होता जाता है। इसके विपरीत जैसे-जैसे कर्मो का आवरण हटता जाता है अथवा शिथिल होता जाता है वैसे-वैसे ग्रात्मा की शक्ति प्रकट होती जाती है। आत्मिक शक्ति के अल्पतम आविर्भाव वाली अवस्था प्रथम गुणस्थान है। इस गुणस्थान मे आत्मशक्ति का प्रकाश अत्यन्त मन्द होता है। आगे के गुणस्थानों मे यह प्रकाश ऋमशः वढता जाता है। अन्तिम अर्थात् चौदहवे गुणस्थान मे आत्मा अपने असली रूप मे पहुँच जाती है।

मोहराक्ति की प्रवलताः

आत्मगिक्त के चार प्रकार के आवरणों—ज्ञानावरण, दर्शना-वरण, मोहनीय और अन्तराय—मे मोहनीयरूप आवरण प्रधान है। मोह की तीव्रता-मंदता पर अन्य आवरणों की तीव्रता-मंदता निर्भर रहती है। यही कारण है कि गुणस्थानों को व्यवस्था में शास्त्रकारों ने मोहशक्ति की तीव्रता-मदता का विशेष अवलम्बन लिया है। मोह मुख्यतया दो रूपो में उपलब्ध होता है. दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय आत्मा को यथार्थता— सम्यक्त्व—विवेकशीलता से दूर रखता है। चारित्र मोहनीय आत्मा को विवेकयुक्त आचरण अर्थात् प्रवृत्ति नहीं करने देता। दर्शन मोहनीय के कारण व्यक्ति की भावना, विचार, दृष्टि, चिन्तन अथवा श्रद्धा सम्यक् नहीं हो पाती—सहीं नहीं बन पाती। सम्यक् दृष्टि की उपस्थिति में भी चारित्र मोहनीय के कारण व्यक्ति का क्रियाकलाप सम्यक् अर्थात् निर्दोष नहीं हो पाता। इस प्रकार मोह का आवरण ऐसा है जो व्यक्ति को न तो सम्यक् विचार प्राप्त करने देता है और न उसे सम्यक् आचार की और ही प्रवृत्त होने देता है।

मिथ्या दृष्टि:

प्रथम गुणस्थान का नाम दर्शन मोहनीय के ही आधार पर मिथ्यादृष्टि रखा गया है। यह आत्मा की अघस्तम अवस्था है। इसमे मोह की प्रवलतम स्थिति होने के कारण व्यक्ति की आध्या-तिमक स्थिति विलकुल गिरी हुई होती है। वह मिथ्या दृष्टि अर्थात् विपरीत श्रद्धा के कारण राग-द्वेष के वशीभूत हो आध्यात्मिक किंवा तात्त्विक सुख से विचत रहता है। इस प्रकार इस गुणस्थान का मुख्य लक्षण मिथ्या दर्शन अथवा भिथ्या श्रद्धान है।

अल्पकाळीन सम्यक् द्वि :

दितीय गुणस्थान का नाम सास्वादान-सम्यग्दृष्टि अथवा सासादन-सम्यग्दृष्टि अथवा सास्वादन-सम्यग्दृष्टि है। इसका काल अति अल्प है। मिथ्यादृष्टि व्यक्ति को मोह का प्रभाव कुछ कम होने पर जब कुछ चणो के लिए सम्यक्त्व अर्थात् यथार्थता की अनुभूति होती है—तत्त्वदृष्टि प्राप्त होती है—सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है तब उसकी जो अवस्था होती है उसे सास्वादन-सम्यग्-दृष्टि गुणस्थान कहते है। इस गुणस्थान में स्थित आत्मा तुरन्त मोहोदय के कारण सम्यक्त्व से गिर कर पुनः मिथ्यात्व में प्रविष्ट हो जाती है। इस अवस्था में सम्यक्त्व का अति अल्पकालीन आस्वादन होने के कारण इसे स्वास्वादन-सम्यग्दृष्टि नाम दिया गया है। इसमें आत्मा को सम्यक्त्व का केवल स्वाद चखने को मिलता है, पूरा रस प्राप्त नहीं होता।

मिश्र दृष्टिः

तृतीय गुणस्थान आत्मा की वह मिश्रित अवस्था है जिसमें न केवल सम्यग्दृष्टि होती है, न केवल मिथ्यादृष्टि । इसमें सम्यवत्व और मिथ्यात्व मिश्रित अवस्था में होते हैं जिसके कारण आत्मा में तत्त्वातत्त्व का यथार्थ विवेक करने की क्षमता नहीं रह जाती । वह तत्त्व को तत्त्व समभने के साथ ही अतत्त्व को भी तत्त्व समभने लगती है । इस प्रकार तृतीय गुणस्थान में व्यक्ति की विवेकशक्ति पूर्ण विकसित नहीं होती । यह अवस्था अधिक लंबे काल तक नहीं चलती । इसमें स्थित आत्मा शीघ्र ही अपनी तत्कालीन परिस्थित के अनुसार या तो मिथ्यात्व—अवस्था को प्राप्त हो जाती है या सम्यवत्व-अवस्था को । इस गुणस्थान का नाम मिश्र अर्थान् सम्यक्-मिथ्यादृष्टि है ।

ग्रंथिमेट व सम्यक् श्रद्धाः

मिथ्यात्व-अवस्था मे रही हुई आत्मा अनुक्रल संयोगो अर्थात् कारणो की विद्यमानता के कारण मोह का प्रभाव कुछ कम होने पर जब विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करती है तब उसमे तीव्रतम राग-द्वेप को किचित् मद करने वाला बलविशेप उत्पन्न होता है। इसे जैन कर्मशास्त्र मे ग्रथिभेद कहा जाता है। ग्रथिभेद का अर्थ है तीव्रतम राग-द्वेप श्रथीन् मोहरूप गाँठ का छेदन अर्थात् शिथिलीकरण। ग्रथिभेद का कार्य वडा कठिन होता है। इसके लिए आत्मा को बहुत लंबा सघर्ष करना पडता है। चतुर्थ गुणस्थान आत्मा की वह अवस्था है जिसमे मोह की शिथि-लता के कारण सम्यक् श्रद्धा अर्थात् सदसद्विवेक तो विद्यमान रहता है किन्तु सम्यक् चारित्र का अभाव होता है। इसमे विचार-शुद्धि की विद्यमानता होते हुए भी आचार-शुद्धि का असद्भाव होता है। इस गुणस्थान का नाम अविरत-सम्यग्दृष्टि है।

देशविरति:

देशविरत-सम्यन्दृष्टि नामक पाँचवे गुणस्थान मे व्यक्ति की आत्मिक शिक्त और विकसित होती है। वह पूर्ण रूप से सम्यक् चारित्र की आराघना तो नहीं कर पाता किन्तु आशिक रूप से उसका पालन अवश्य करता है। इसी अवस्था में स्थित व्यक्ति को जैन आचारशास्त्र में उपासक अथवा श्रावक कहा गया है। श्रावक की आशिक चारित्र-साधना अणुव्रत के नाम से प्रसिद्ध है। अणुव्रत का अर्थ है स्थूल, छोटा अथवा आणिक व्रत अर्थात् चारित्र अथवा

३४: जैन आचार

नियम। अणुन्नती उपासक पूर्णरूपेण अथवा सूक्ष्मतया सम्यक् चारित्र का पालन करने मे असमर्थ होता है। वह मोटे तौर पर ही चारित्र का पालन करता है। स्थूल हिंसा, भूठ आदि का त्याग करते हुए अपना व्यवहार चलाता हुआ यर्तिकचित् आध्मात्मिक साधना करता है।

सर्वविरति :

छुठे गुणस्थान मे साधक कुछ और आगे बढता है। वह देशविरति अर्थात् आंशिकविरति से सर्वविरति अर्थात् पूर्णविरति की ओर आता है। इस अवस्था मे वह पूर्णतया सम्यक् चारित्र की आराधना प्रारम्भ कर देता है। उसका वृत अणुवृत न कहुला कर महावृत कह्लाता है। वह अणुवृती उपासक अथवा श्रावक न कहला कर महावृती साधक अथवा श्रमण कहलाता है। उसका हिसादि का त्याग स्थूल न होकर सूच्म होता है, अणु न होकर महान् होता है, छोटा न होकर बड़ा होता है। यह सब होते हुए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस अवस्था में स्थित साधक का चारित्र सर्वथा विशुद्ध होता है अर्थात् उसमे किसी प्रकार का दोष आता ही नही । यहाँ प्रमादादि दोषो की थोडी-बहुत सभावना रहती है अतएव इस गुणस्थान का नाम प्रमत्त-सयत रखा गया है। साधक अपनी आध्यात्मिक परिस्थिति के अनुसार इस भूमिका से नीचे भी गिर सकता है तथा ऊपर भी चढ सकता है।

अप्रमत्त अवस्थाः

सातवे गुणस्थान मे स्थित साधक प्रमादादि दोषो से रहित

होकर आत्मसाधना में लग्न होता है। इसीलिए इसे अप्रमत्त-सयत गुणस्थान कहा जाता है। इस अवस्था में रहे हुए साधक को प्रमादजन्य वासनाएँ एकदम नहीं छोड़ देती। वे बीच-बीच में उसे परेशान करती रहती हैं। परिणामतः वह कभी प्रमादा-वस्था में विद्यमान रहता है तो कभी अप्रमादावस्था में। इस प्रकार साधक की नैया छठे व सातवे गुणस्थान के बीच में डोलती रहती है।

अपूर्वकरण :

यदि साघक का चारित्र-वल विशेष वलवान् होता है और वह प्रमादाप्रमाद के इस संघर्ष में विजयी वन कर विशेष स्थायी अप्रमत्त-अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे तदनुगामी एक ऐसी शक्ति की सम्प्राप्ति होती है जिससे रहे-सहे मोह-वल को भी नष्ट किया जा सके। इस गुणस्थान में साधक को अपूर्व आत्मपरिमाण-रूप शुद्धि अर्थात् पहले कभी प्राप्त न हुई विशिष्ट आत्मगुणशुद्धि की प्राप्ति होती है। चूँकि इस अवस्था में रहा हुआ साधक अपूर्व आध्यात्मिक करण अर्थात् पूर्व में अप्राप्त आत्मगुणरूप साधन प्राप्त करता है अथवा उसके करण अर्थात् चारित्ररूप क्रिया की अपूर्वता होती है अत इसका नाम अपूर्वकरण-गुणस्थान है। इसका दूसरा नाम निवृत्ति-गुणस्थान भी है क्योंकि इसमें भावों की अर्थात् अध्य-वसायों की विषयाभिमुखता--पुन. विषयों की ओर लौटने की किया विद्यमान रहती है।

३६: जैन आचार

स्थूल कषाय:

दृष्ट, श्रुत अथवा भुक्त विषयों की आकांक्षा का अभाव होने के कारण नवे गुणस्थान में अध्यवसायों की विषयाभिमुखता नहीं होती अर्थात् भाव पुन. विषयों की ओर नहीं लौटते। इस प्रकार भावो—अध्यवसायों की अनिवृत्ति के कारण इस अवस्था का नाम अनिवृत्ति-गुणस्थान रखा गया है। इस गुणस्थान में ग्रात्मा बादर अर्थात स्थूल कषायों के उपशमन अथवा क्षपण में तत्पर रहती है ग्रत. इसे ग्रनिवृत्ति-बादर-गुणस्थान, अनिवृत्ति-बादर-सम्पराय (कपाय) गुणस्थान अथवा बादर-सम्पराय गुणस्थान भी कहा जाता है।

सूक्ष्म कपायः

दसर्वां गुणस्थान सूच्म-सम्पराय के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे सूच्म लोभरूप कषाय का ही उदय रहता है। ग्रन्य कपायो का उपशम अथवा क्षय हो चुका होता है।

उपशांत कपाय:

जो साधक कोघादि कपायों को नष्ट न कर उपशान्त करता हुआ ही आगे वढता है—विकास करता है वह क्रमशः चारित्र-शुद्धि करता हुआ ग्यारहवे गुणस्थान को प्राप्त करता है। इस गुणस्थान में साधक के समस्त कपाय उपशान्त हो जाते हैं—दब जाते हैं। इसीलिए इसका उपशान्त-कपाय गुणस्थान अथवा उपशान्त-मोह गुणस्थान नाम सार्थक है। इस गुणस्थान में स्थित भारमा मोह को एक बार सर्वथा दवा तो देती है किन्तु निर्मूल नाश के अभाव मे दवा हुआ मोह राख के नीचे दवी हुई अग्नि की भाँति समय आने पर पुन. अपना प्रभाव दिखाने लगता है। परिणामत. आत्मा का पतन होता है। आत्मा इस अवस्था से एक बार अवश्य नीचे गिरती है—इस भूमिका से गिर कर नीचे की किसी भूमिका पर आ टिकती है। यहाँ तक कि इस गुणस्थान से गिरने वाली आत्मा कभी-कभी सबसे नीची भूमिका अर्थात् मिध्यात्व-गुणस्थान तक पहुँच जाती है। इस प्रकार की आत्मा पुन अपने प्रयास द्वारा कषायों को उपशान्त अथवा नष्ट करती हुई प्रगति कर सकती है।

क्षीण कषाय:

कषायों को नष्ट कर आगे बढने वाला साधक दसवे गुण-स्थान के अन्त में लोभ के अन्तिम अवशेष को विनष्ट कर मोह से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था का नाम ज्ञीण-कषाय अथवा ज्ञीण-मोह गुणस्थान है। इस गुणस्थान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता। ग्यारहवे गुणस्थान से विपरीत स्वरूप वाले इस बारहवें गुणस्थान की यहीं विशे-पता है।

सदेह मुक्तिः

मोह का क्षय होने पर ज्ञानादिनिरोधक अन्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। परिणामत. आत्मा मे विशुद्ध ज्ञानज्योति प्रकट होती है। आत्मा की इसी अवस्था का नाम सयोगि-केवली गुणस्थान है। केवली का अर्थ है केवलज्ञान अर्थात् सर्वथा विशुद्धज्ञान से युक्त। सयोगी का अर्थ है योग अर्थात् कायिक आदि प्रवृत्तियों से युक्त। जो विशुद्ध ज्ञानी होते हुए भी शारीरिक प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं होता वह सयोगी केवली कहलाता है। यह तेरहवा गुण-स्थान है।

विदेह मुक्तिः

तेरहवें गुणस्थान मे स्थित सयोगी केवली जब अपनी देह से मुक्ति पाने के लिए विशुद्ध ध्यान का आश्रय लेकर मानसिक, वाचिक एवं कायिक व्यापारों को सर्वथा रोक देता है तव वह आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। आत्मा की इसी अवस्था का नाम अयोगि-केवली गुणस्थान है। यह चारित्र-विकास अथवा आत्मविकास की चरम अवस्था है। इसमे आत्मा उत्कृष्टतम शुक्लध्यान द्वारा सुमेरु पर्वत की तरह निष्प्र-कम्प स्थिति को प्राप्त कर अन्त मे देहत्यागपूर्वक सिद्धावस्था को प्राप्त होती है। इसी का नाम परमात्म-पद, स्वरूपसिद्धि, मुक्ति, निर्वाण, निर्गुण-ब्रह्मस्थिति, अपुनरावृत्ति-स्थान अथवा मोच्च है। यह आत्मा की सर्वागीण पूर्णता, पूर्ण कृतकृत्यता एवं परम पुरुषार्थ-सिद्धि है। इसमे आत्मा को अनन्त एवं अव्यावाध अलौकिक सुख की प्राप्त होती है।

जैन गुणस्थान, वौद्ध अवस्थाएँ व वैदिक भूमिकाएँ:

जैन दर्शन की तरह अन्य भारतीय दर्शनों ने भी आत्मा के फिमक विकास का विचार किया है। यह विचार वैदिक परम्परा

मे भूमिकाओ तथा बौद्ध विचारघारा मे अवस्थाओं के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक परम्परा के योगवासिष्ठ, पातंजल-योगसूत्र आदि ग्रन्थो मे ग्रात्मविकास की भूमिकाओ का पर्याप्त विवेचन है। वौद्ध दर्शन मे भी आत्मा की ससार, मोच्च आदि अवस्थाएँ मानी गई हैं अत उसमे आत्मविकास का वर्णन स्वाभाविक है। यह वर्णन मज्भिमनिकाय आदि बौद्ध ग्रन्थो मे उपलब्घ है। योगवासिष्ठवणित चौदह भूमिकाएँ जैनशास्त्रोक्त चौदह गुणस्थानों से कुछ-कुछ मिलती हुई हैं। इन चौदह भूमिकाओ मे से सात अज्ञान की तथा सात ज्ञान की हैं। जैन परिभाषा मे इन्हे कमशः मिथ्यात्व तथा सम्यक्तव की अवस्थाएँ कह सकते हैं। मिज्भम-निकाय मे स्वरूपोन्मुख होने की स्थिति से लेकर स्वरूप की परा-काष्ठा प्राप्त करने तक की स्थिति का पाँच अवस्थाओं में विभा-जन किया गया है जिनके नाम ये है: १. धर्मानुसारी, २ सोता-पन्न, ३. सकदागामी, ४. अनागामी और ५. अरहा। जैन शास्त्रोक्त कर्मप्रकृतियो की भाँति मज्झिमनिकाय मे दस सयो-जनाओं का वर्णन है। इन सयोजनाओं का ऋमश क्षय होने पर सोतापन्न आदि अवस्थाएँ प्राप्त होती है। सोतापन्न आदि चार अवस्थाओं का विकास-क्रम जैनग्रन्थोक्त चौथे से लेकर चौदहवे तक के गुणस्थानों से मिलता-जुलता है। इन चार अवस्थाओं को चतुर्थ आदि गुणस्थानो का सक्षिप्त रूप कह सकते हैं। योगहण्याँ :

जिस प्रकार पातंजल-योगसूत्र मे आत्मविकास अर्थात् चारित्र-विकास की चरम अवस्थारूप मोक्ष की सिद्धि के लिए योगरूप साधन के यम, नियमादि आठ अंग बतलाये गये हैं उसी प्रकार आचार्य हरिभद्रकृत योगद्दिसमुच्चय में जैनाभिमत आठ योग-दिद्यां बतलाई गई है। इन दृद्धियों के नाम इस प्रकार हैं: १ मित्रा, २ तारा, ३. बला, ४ दीप्रा, ५ स्थिरा, ६. कान्ता, ७ प्रभा और ५ परा। दृद्धि का अर्थ बताते हुए योगद्दिस्समुच्चय में कहा गया है कि सत्श्रद्धाश्रुत बोध का नाम दृष्टि— यथार्थ दृष्टि है। इसके द्वारा विचारयुक्त श्रद्धा रखने, निर्णय करने एवं सत्य पदार्थ का ज्ञान करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ज्यों-ज्यो दृष्टि की उच्चता प्राप्त होती जाती है त्यो-त्यो चारित्र का विकास होता जाता है। आचार्य हरिभद्र ने इस विकास-क्रम को उक्त आठ दृष्टियों के माध्यम से स्वष्ट किया है।

ओघहप्रि च योगहिष्टः

सामान्यतया दृष्टि दो प्रकार की होती है अधिदृष्टि और योगदृष्टि। ओघटृष्टि का अर्थ है सामान्य अथवा साधारण दृष्टि। जनसमूह की सामान्य दृष्टि जिसमे विचार ग्रथवा विवेक का अभाव होता है, ओघटृष्टि कहलाती है। इसमे गतानुगतिकता का सद्भाव एव चिन्तनशीलता का अभाव होता है। योगदृष्टि का स्वरूप इससे विपरीत है। इसमे स्थित व्यक्ति मे विवेकशीलता विद्यमान रहती है। आचार्य हरिभद्रोक्त आठ दृष्टियों का समा-वेश योगदृष्टि मे होता है। दूसरे शब्दों मे मित्रादि आठ दृष्टियाँ योगदृष्टियाँ कहलाती है। इन्हीं दृष्टियों के समूह का नाम योग-दृष्टिसमुच्चय है। इन आठ दृष्टियों मे से प्रथम चार दृष्टियाँ मिथ्यादिष्ट जीवो को भी हो सकती है। यही कारण है कि इनसे पतन की भी संभावना रहती है। अन्तिम चार दिष्टियाँ नियमतः सम्यग्दिष्ट को हो होती हैं अत ये अप्रतिपाती है—इनसे पतन कभी नहीं होता। प्रथम चार दिष्टियाँ अस्थिर है जबिक अन्तिम चार स्थिर हैं।

मित्रादृष्टि व यमः

मित्राहिष्ट योग के प्रथम अंग यम के समकत्त है। इसमें अहिसा, सत्य, अस्तेय, मैथुनिवरमण एवं अपरिग्रह रूप पाच यम सामान्यतया विद्यमान होते है। इस हिष्ट मे प्राप्त वोध तृण की अग्न के समान होता है। जैसे तृणपुंज शीव्रता से जलकर शीव्र ही शान्त हो जाता है वैसे ही मित्राहिष्ट मे वोध शीव्र उत्पन्न होकर शीव्र ही समाप्त हो जाता है। यह वोध अति सामान्य प्रकार का होता है। इसमें स्थायित्व जरा भी नहीं होता। इस हिष्ट का लक्षण 'अखेद' है अर्थात् इस हिष्ट में स्थित व्यक्ति को शुभ कार्य करते जरा भी खेद नहीं होता—अच्छा काम करते तिनक भी दुख नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अशुभ कार्य करने वाले के प्रति 'अद्वेष' वृत्ति रखता है अर्थात् बुरा काम करने वाले पर क्रोध न लाते हुए अथवा उससे घृणा न करते हुए उसे दया का पात्र समभता है। इस अद्वेपवृत्ति के कारण उसमें सहिष्णुता उत्पन्न होती है।

तारादृष्टि व नियम :

तारादृष्टि योग के द्वितीय अंग नियम के समकक्ष है। इसमे

शौच, संतोप, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान की विद्यमानता होती है। शारीरिक व मानसिक शुद्धि का नाम शौच है। जीवन के लिए अनिवार्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की अस्पृहा को सन्तोप कहते हैं। चुघा, पिपासा आदि परीषह तथा अन्य प्रकार के कव्ट सहन करना तप है। ग्रन्थादि के अध्ययन का अर्थ है स्वाध्याय । परमात्मतत्त्व का चिन्तन ईश्वरप्रणिघान कहलाता है। इस दृष्टि में बोध कड़े की ग्रग्नि के समान होता है जो कुछ समय तक टिकता है। जिस प्रकार मित्रादृष्टि मे अखेद एवं अद्वेष गुण उत्पन्न होता है उसी प्रकार तारादृष्टि मे 'जिज्ञासा' गुण पैदा होता है। इसके कारण व्यक्ति के मन में तत्त्वज्ञान की अभिलाषा उत्पन्न होती है। इस दृष्टि मे शुभ कार्य करने की प्रवृत्ति विशेष बलवती एवं वेगवती होती है। इसकी सिद्धि के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के नियम अंगीकार करता है। उसे योगकथा से बहुत प्रेम होता है। अन्य प्रकार की कथाग्रो मे आनन्द नही ग्राता। योगियों —साधको के प्रति उसके ऋदय मे मान बढ़ जाता है।

वलादृष्टि च आसनः

वलादृष्टि में साध्य का दर्शन विशेष हढ एवं स्पष्ट होता है। आत्मा 'ग्रन्थिभेद' के समीप पहुँच जाती है। उसे एक ऐसे बल का ग्रनुभव होता है जो पहले कभी न हुग्रा हो। इस दृष्टि में स्थित व्यक्ति की ऐसी मनोवृत्ति हो जाती है कि उसकी पौद्-गलिक पदार्थविषयक तृष्णा शान्त हो जाती है। परिणामतः उसमे ऐसी स्वभावसौम्यता उत्पन्न हो जाती है कि स्थिरता के अभ्यास के रूप में उसे आसन नामक तृतीय योगाग की प्राप्ति होती है। प्रथम दो दृष्टियों में जैसे अद्वेप व जिज्ञासा गुण प्राप्त होते हें वैसे ही इस दृष्टि में शुश्रूपा अर्थात् श्रवणेच्छा गुण की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति को तत्त्वश्रवण की प्रवल इच्छा होती है। उसे तत्त्वश्रवण में अति ग्रानन्द का अनुभव होता है। इस दृष्टि में प्राप्त बोध काष्ठ की ग्राम्त के सदृश होता है। यह तारादृष्टि में प्राप्त बोध की ग्रपेचा ग्रधिक स्थिर होता है। इस दृष्टि की एक महत्त्वपूर्ण विशेपता यह है कि इसमें सत्प्रवृत्ति करते हुए प्राय विष्त उपस्थित नहीं होते ग्रतः आरम्भ किये हुए शुभ कार्य ठीक तरह पूरे हो जाते हैं। कदाचित् विष्त आ जाय तो भी उसके निवारण की उपायकुशलता प्राप्त होने के कारण वह बाधक सिद्ध नहीं हो पाता।

दीप्रादृष्टि व प्राणायाम:

दीमा नामक चतुर्थ दृष्टि मे योग के चतुर्थ अग प्राणायाम— श्वासिनयन्त्रण की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार प्राणायाम की रेचक, पूरक व कुम्भकरूप तीन अवस्थाएँ हैं उसी प्रकार इस दृष्टि की भी तीन अवस्थाएँ हैं। यहाँ बाह्यभाव-नियन्त्रणरूप रेचक, आन्तरिकभाव-नियन्त्रणरूप पूरक एव स्थिरतारूप कुभक होता है। यह ग्राच्यात्मिक प्राणायाम है। इस दृष्टि मे प्राप्त होने-वाला बोघ दीपप्रभा—दीपक की ज्योति के समान होता है। यहाँ श्रवण गुण की प्राप्ति होती है। बलादृष्टि मे प्राप्त शुश्रुषा दीप्रा- हिंदि में श्रवण के रूप में परिणत होती है। इससे बोघ अधिक स्पष्ट होता है। इस हिंदि में स्थित व्यक्ति को धर्म अर्थात् सदा-चरण पर इतनी अधिक श्रद्धा होती है कि वह उसके लिए प्राणा-पंण करने को भी तैयार रहता है। उसको दृष्टि में शरीर का उतना मूल्य नहीं होता जितना कि धर्म का—चारित्र का। इतना होते हुए भी इस दिष्ट में सूक्ष्म बोध का तो अभाव ही रहता है। यही कारण है कि चतुर्थ दृष्टि तक पहुंच कर भी प्राणी कभी-कभी पतित हो जाता है—पुनः नीचे गिर पडता है।

स्थिरादृष्टि व प्रत्याहार:

उपर्युक्त चार दृष्टियो तक कम-ज्यादा मात्रा मे अभिनिवेशआसक्ति की विद्यमानता रहती है। व्यक्ति को सत्यासत्य की सुनिि चित प्रतीति नहीं होती। सूक्ष्म बोध के ग्रभाव में वह तत्त्वातत्त्व
को समुचित परोच्चा नहीं कर पाता। या तो अपनी मान्यता को
सत्य मानकर चलता है या पूरी परीक्षा किये विना जिस किसी
का अनुसरण करता है। प्राणी की इस प्रकार की स्थिति को
'ग्रवेद्यसवेद्य पद' कहा जाता है। अभिनिवेश का ग्रभाव होने
पर सूक्ष्म वोध के कारण व्यक्ति को सत्यासत्य की सुनिश्चित
प्रतीति होती है—तत्त्वातत्त्व का निश्चित ज्ञान होता है। इस
स्थिति का नाम है 'वेद्यसवेद्य पद'। (ज्ञायिक) सम्यवत्व की
प्राप्ति के कारण ही इस पद की प्राप्ति होती है। प्रथम चार दृष्टियो
मे सम्यवत्व की भजना है अर्थात् इनमे सम्यवत्व होता भी है
और नहों भी। स्थिरा नामक पाँचवी दृष्टि में निश्चत रूप से

सम्यक्तव होता है। यह सम्यक्तव ग्रन्थिभेद के कारण प्राप्त होता है। इसके वाद साधक का पतन नहीं होता। वह निश्चित रूप से ग्रागे वढ़ता जाता है—ग्राध्यात्मिक उन्नति करता जाता है। उसके चारित्र में किसी प्रकार का दोष नहीं आता—किसी प्रकार की शिथिलता नहीं ग्राती। स्थिरादृष्टि में बोध रत्नप्रभा के समान होता है। उसमे पर्याप्त स्थिरता आ जाती है जिसके कारण आत्मा को साध्य का साक्षात् अनुभव होने लगता है। इस दृष्टि मे विपय-विकार-त्यागरूप प्रत्याहार नामक पचम योगाग की प्राप्ति होती हैं जिससे आत्मा इन्द्रियविषयो की श्रोर आकृष्ट न होती हुई स्वरूप की और भुकती है। जिस प्रकार पूर्वोक्त चार दृष्टियों में कमश अद्वेष ,जिज्ञासा, शुक्षूपा एवं श्रवण गुण की प्राप्ति होती है उसी प्रकार इस पाँचवी दृष्टि मे सूच्मबोध गुण उत्पन्न होता है। इस दृष्टि मे स्थित व्यक्ति की चर्या सामान्यतया ऐसी हो जाती है कि उसे अतिचाररूप दोप बहुत कम लगते हैं—नही के बराबर लगते है। वह अनेक यौगिक गुण प्राप्त करता है, जैसे अचंचलता अथवा स्थिरता, नीरोगता, अकठोरता, मलादिविषयक अल्पता, स्वरसुन्दरता, जनप्रियता आदि ।

कान्ताहिष्ट च घारणाः

कान्ता नामक छठी दृष्टि मे पदार्पण करने के पूर्व साधक को यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी होती हैं। कान्तादृष्टि मे उसे धारणा नामक योगाग की प्राप्ति होती है। घारणा का अर्थ है किसी पदार्थ के एक भाग पर चित्त की स्थिरता। यह दृष्टि प्राप्त होने पर चित्त की चंचलता और कम हो जाती है जिससे मन को और अधिक स्थिर किया जा सकता है। यहाँ मीमांसा गुण की प्राप्ति होती है जिससे व्यक्ति की सदसत्परीक्षणशक्ति विशेष बढ जाती है। उसका बोध तारे की प्रभा के समान होता है। जैसे तारा एकसा प्रकाश देता है वैसे ही इस दृष्टिवाले प्राणी का बोध एकसा स्पष्ट एवं स्थिर होता है। उसका चारित्र स्वभावतः निरतिचार होता है, अनुष्ठान शुद्ध होता है, आचरण प्रमादरहित होता है, आशय उदार एवं गंभीर होता है। भव-उद्धेग के पूर्ण विकास के कारण उसका संसारसम्बन्धी राग नृष्टप्रायः हो जाता है—माया व ममता से उसे अन्त करण-पूर्वक विरक्ति हो जाती है। उसका मन श्रुतधर्म में बहुत आसक्त रहता है। उसकी कर्मप्रचुरता धीरे-धीरे कम होती जाती है। प्रभादिष्ट व ध्यान:

प्रभा नामक सातवी दृष्टि में ध्यान नामक योगांग की प्राप्ति होती है। किसी एक पदार्थ पर अन्तर्मुहूर्तपर्यन्त होने वाली चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। यह ध्येय वस्तु में होने वाली एकाकार चित्तवृत्ति के प्रवाह के रूप में प्रस्फुटित होता है। घारणा में चित्तवृत्ति की स्थिरता एकदेशीय तथा अल्पकालीन होती है जबिक ध्यान में वह प्रवाहरूप तथा दीर्घकालीन होती है। प्रभादृष्टि में बोध सूर्य की प्रभा के समान होता है जो लंबे समय तक अतिस्पष्ट रहता है। यहाँ प्रतिपत्ति गुण की प्राप्ति होती है अर्थात् कान्तादृष्टि में विचारित—परीक्षित—मीमासित तत्त्व का ग्रहृण होता है—अमल प्रारंभ होता है। सर्व व्याधियों के उच्छेद के कारण शमसुख—अपूर्व शान्ति की अनुभूति होती है। कर्ममल क्षीणप्रायः हो जाता है। इस अवस्था को पातंजल-योग-दर्शन की परिभाषा मे प्रशान्तवाहिता कह सकते हैं। परादृष्टि व समाधि:

आठवी पराद्यांट योग के अन्तिम अंग समाधि के समकक्ष है। घारणा से प्रारम्भ होने वाली एकस्थ चित्तता ध्यानावस्था को पार करती हुई समाधि मे पर्यवसित होती है। धारणा मे चित्तवृत्ति की स्थिरता एकदेशीय ग्रर्थात् अप्रवाहरूप होती है। ध्यान मे चित्तवृत्ति का एकाकार प्रवाह चलता है किन्तु वह सतत घारारूप नहीं होता अपितु थोडे समय वाद—अन्त-र्मुहूर्त मे उसका विच्छेद हो जाता है। समाधि मे चित्तवृत्ति का प्रवाह अविछिन्न रूप से वहता है। इसमे एकाग्रता स्थायी होती है क्योकि यहाँ घ्यान मे विज्ञेप करने वाले कारणो का अभाव होता है। परादृष्टि मे बोध चन्द्र के उद्योत के समान शान्त एवं स्थिर होता है। यहाँ प्रवृत्ति गुण की प्राप्ति होती है अर्थात् प्रभादृष्टि मे प्राप्त प्रतिपत्ति गुण इस दृष्टि मे पूर्णता को प्राप्त होता है। परिणामतः आत्मा की स्वगुण मे अर्थात् स्वरूप में सम्पूर्णतया प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था मे किसी भी प्रकार के दोष की सम्भावना नहीं रहती। अन्त मे ग्रात्मा को अखंड अानन्दरूप अनन्त सुख की प्राप्ति होती है जिसे भारतीय दार्श-निको ने मोक्ष अथवा निर्वाण कहा है तथा जो सम्यक्विचार एव सदाचार का ध्येय माना गया है और जिसमे सम्यग्दृष्टि व सच्चारित्र का पर्यवसान होता है।

जैन स्राचार-ग्रन्थ

आचाराग उपासकदशाग दशवैकालिक **आवश्यक** दशाश्रुतस्कन्ध वृहत्कल्प व्यवहार निशीथ महानिशीथ जीतकल्प मूलाचार मूला राधना रत्नकरण्डक-श्रावकाचार वसुनन्दि-श्रावकाचार सागार-धर्मामृत अनगार-वर्मामृत

जैन आचार का प्रारभ देशविरति अर्थात् आंशिक वैराग्य से होता है। इस अवस्था को पंचम गुणस्थान कहते हैं। इसमे व्यक्ति अणुत्रतो - छोटे व्रतो का पालन करता है। इस भूमिका पर स्थित व्यक्ति को उपासक अथवा श्रावक कहा जाता है। इसके बाद की अवस्था सर्वविरति के रूप मे होती है। इसमे व्यक्ति पूर्णतया विरक्त हो जाता है। इस अवस्था को पष्ठ गुणस्थान कहते है। इसमे स्थित श्रमण अथवा निग्रंन्थ महाव्रतो-वडे व्रतो का पालन करता है। इस भूमिका को आचार्य हरिभद्रप्रतिपादित मित्रा-योगदृष्टि एवं पतंजलिनिर्दिष्ट यम-योगाग के समकक्ष माना जा सकता है। इसके बाद चारित्र का धीरे-घीरे विकास होता जाता है जिसके कारण कर्मग्रन्थोक्त अप्रमत्त आदि अवस्थाओ की प्राप्ति होती है। आचार्यो ने श्रमणाचार एव श्रावकाचार दोनो से सम्वन्धित ग्रन्थों का निर्माण किया है। इन ग्रन्थों में इवेताम्वर परम्पराभिमत आचा रांग, उपासकदशांग, दशवैकालिक, आवश्यक, दशाश्रुतस्कन्ध, वृह-त्कल्प, व्यवहार, निशीय, महानिशीय व जीतकल्प तथा दिगम्वर परम्पराभिमत मूलाचार, मूलाराधना, रत्नकरण्डकश्रावकाचार, वसुनंदिश्रावकाचार, सागारधर्मामृत व अनगारधर्मामृत मुख्य हैं।

आचारांग:

समग्र जैन आचार की आधारशिला प्रथम अंगसूत्र आचारान

है। यह दो श्रुतस्कन्धों मे विभक्त है। प्रथम श्रुतस्कन्ध गणधरकृत तथा द्वितीय श्रुतस्कन्ध स्थिवरकृत है। प्रथम श्रुतस्कन्ध मे पहले नौ अध्ययन थे किन्तु महापरिज्ञा नामक एक अध्ययन का लोप हो जाने के कारण ऋब इसमें आठ अध्ययन ही रह गये है। इन अध्ययनो के नाम इस प्रकार हैं: १ शखपरिज्ञा, २. लोकविजय, ३. शीतोष्णीय, ४. सम्यक्तव, ५. लोकसार अथवा आवंती, ६. घूत, ७ विमोक्ष और ८. उपधानश्रुत। ये अध्ययन विभिन्न उद्देशो मे विभक्त है। प्रथम अध्ययन के सात उद्देश है। द्वितीय आदि अध्ययनों के कमश छ, चार, चार, छ., पाँच, आठ और चार उद्देश हैं। इस प्रकार प्रथम श्रुतस्कन्ध मे सब मिला कर चौवालीस उद्देश हैं। ये उद्देश छोटे-छोटे सूत्रों मे विभक्त हैं। प्रथम श्रुतस्कन्घ के भ्रध्ययनो का संयुक्त नाम 'ब्रह्मचर्यं' है। इसीलिए आचार्य शीलांक ने अपनी टीका मे इस श्रुतस्कन्ध को ब्रह्मचर्य-श्रुतस्कन्ध कहा है। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ सयम है जो अहिसा एवं समभाव की साधना का नामान्तर है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध को निर्युक्ति-कार ने 'आचाराग्र' नाम दिया है। यह वस्तुतः प्रथम श्रुतस्कन्ध का परिशिष्ट है। इसीलिए इसे आचारचूडा अथवा आचारचूलिका भी कहा जाता है। विषय के विशेष स्पष्टीकरण की दृष्टि से इस प्रकार की चूलिकाएँ ग्रन्थों में जोड़ी जाती हैं। ग्राचाराग्र अथवा आचारचूलिकारूप द्वितीय श्रुतस्कन्ध पाँच चूलाओ मे विभक्त है। प्रथम चूला मे पिण्डेपणादि सात तथा द्वितीय चूला मे स्थान आदि सात भ्रध्ययन हैं। तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चूलाएँ एक-एक अध्ययन के रूप में हो हैं। प्रथम चूला के प्रथम अध्ययन के ग्यारह, द्वितीय तथा

तृतीय ग्रध्ययनों के तीन-तोन और अन्तिम चार अध्ययनों के दो-दो उद्देश हैं। द्वितीयादि चूलाओं के अध्ययन एक-एक उद्देश के रूप में ही हैं।

उपलब्ध समग्र जैन साहित्य मे आचारांग का प्रथम श्रुत-स्कन्घ प्राचीनतम है, यह इसकी प्राकृत भाषा, तन्निष्ठ शैली व तद्गत भावो से सिद्ध है। इसके प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा के सात उदेशो में हिंसा के साधनो ग्रर्थात् शस्त्रो का परिज्ञान कराते हुए उनके परित्यागका उपदेश दिया गया है। जीवविषयक सयम इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है। प्रथम उद्देश मे जीव का सामान्य निरूपण करके द्वितीयादि उद्देशो मे पट् जीवनिकायो का ऋमशः वर्णन किया गया है। प्रत्येक उद्देश में यह प्रतिपादित किया गया है कि जीववध से कर्मों का वन्घ हाता है अतएव विरति ही कर्तव्य है। लोकविजय नामक द्वितीय ग्रध्ययन छ उद्देशो मे विभक्त है। इसका प्रतिपाद्य विषय लोक का वंघन व उसका घात है। इसके छ. उद्देशो का अर्थाधिकार अर्थात् प्रतिपाद्य विषय ऋमशः इस प्रकार है: १ स्वजनो मे आसक्ति का परित्याग, २ संयम मे शिथिलता का परित्याग, ३ मान और अर्थ मे सारदृष्टि का परित्याग, ४. भोग मे आसितत का परित्याग, ५. लोक के श्राश्रय से सयम-निर्वाह, ६. लोक मे ममत्व का परित्याग। 'लोकविजय' का शब्दार्थ है कपायरूप भावलोक का औपश-मिकादि भावो द्वारा निरसन । शीतोष्णीय नामक तृतीय अध्ययन चार उद्देशो मे विभक्त है । सत्कार आदि अनुकूल परीपह शीत तथा अपमान आदि प्रतिकूल परीषहु उष्ण कहे जाते हैं। प्रस्तुत

अध्ययन मे आन्तरिक व वाह्य शीत-उष्ण की चर्चा है। इसमे यह बताया गया है कि श्रमण को शीतोष्ण स्पर्श, सुख-दु.ख, अनुकूल-प्रतिकूल परीपह, कषाय, कामवासना, शोक-संताप आदि को सहन करना चाहिए तथा सदैव तप-संयम-उपशम के लिए उद्यत रहना चाहिए। प्रथम उद्देश मे असयमी का, द्वितीय उद्देश मे असयमी के दु ख का, तृतीय उद्देश में केवल कष्ट उठानेवाले श्रमण का एवं चतुर्थ उद्देश मे कषाय के वमन का वर्णन है। सम्यक्तव नामक चतुर्थ अध्ययन भी चार उद्देशों मे विभक्त है। प्रथम उद्देश मे सम्यक्-वाद अर्थात् यथार्थवादका विचार किया गया है। द्वितीय उद्देश मे धर्मप्रावादुको की परीक्षा का, तृतीय उद्देश मे अनवद्य तप के आचरण का तथा चतुर्थ उद्देश मे नियमन अर्थात् संयम का वर्णन है। इन सबका तात्पर्य यह है कि संयमी को सदेव सम्यक् ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र में तत्पर रहना चाहिए। पंचम अध्ययन का नाम लोकसार है। यह छ. उद्देशों में विभक्त है। इसका दूसरा नाम आवती भी है क्योंकि इसके प्रथम तीन उद्देशों का प्रारम्भ इसी शब्द से होता है। लोक में धर्म ही सारभूत तत्त्व है। धर्म का सार ज्ञान, ज्ञान का सार संयम व सयम का सार निर्वाण है। प्रस्तुत अध्ययन मे इसी का प्रतिपादन किया गया है। प्रथम उद्देश मे हिंसक, समारंभकर्ता तथा एकलविहारी को अमुनि कहा गया है। द्वितीय उद्देश मे विरत को मुनि तथा अविरत को परिग्रही कहा गया है। तृतीय उद्देश में मुनि को अपरिग्रही एव कामभोगों से विरक्त बताया गया है। चतुर्थ उद्देश मे ग्रगीतार्थ के मार्ग मे आने वाले विष्नो का निरूपण है। पंचम उद्देश मे मुनि को हृद अर्थात्

जलाशय की उपमा दी गई है। छठे उद्देश मे उन्मार्ग एवं रागद्वेष के परित्याग का उपदेश दिया गया है। पष्ठ अध्ययन का नाम घूत है। इसमे बाह्य व आन्तरिक पदार्थो के परित्याग तथा आत्म-तत्त्व की परिशुद्धि का उपदेश दिया गया है अत. इसका घूत (फटक कर घोया हुआ-- शुद्ध किया हुआ) नाम सार्थक है। इसके प्रथम उद्देश में स्वजन, द्वितीय में कर्म, तृतीय में उपकरण और शरीर, चतुर्यं मे गौरव तथा पंचम मे उपसर्ग और सन्मान के परित्याग का उपदेश है। महापरिज्ञा नामक सप्तम अध्ययन विच्छिन्न है—लुप्त है। इसकी निर्युक्ति भी उपलब्ध नहीं है। निर्युक्तिकार ने प्रारम्भ में इसके विषय का मोहजन्य परीषह व उपसर्ग के रूप में निर्देश किया है: मोहसमुत्था परीसहुवसग्गा। इससे प्रतीत होता है कि इस अध्ययन मे नाना प्रकार के मोहजन्य परीषहों और उपसर्गी को सहन करने के विषय मे प्रकाश डाला गया होगा। विमोक्ष नामक अष्टम अध्ययन मे आठ उद्देश है। प्रथम उद्देश मे असमनोज्ञ अर्घात् असमान ग्राचार वाले के परित्याग का उपदेश है। द्वितीय उद्देश मे अकल्प्य अर्थात् अग्राह्य वस्तु के ग्रहण का प्रतिषेघ किया गया है। अंगचेष्टा से सम्वन्धित कथन या शंका का निवारण तृतीय उद्देश का विषय है। आगे के उद्देशों मे सामान्यतः भिन्नु के वस्राचार का वर्णन है किन्तु विशेषत चतुर्थमे वैखानस एवं गार्द्ध-पृष्ठ मरण, पचम मे रोग एवं भक्तपरिज्ञा, षष्ठ मे एकत्वभावना एवं इंगिनीमरण, सप्तम मे प्रतिमा एवं पादपोपगमन मरण तथा अप्टम मे वय प्राप्त श्रमणो के भक्तपरिज्ञा, इगिनीमरण एवं पादपोपगमन मरण की चर्चा है। नवम अध्ययन का नाम उपघानश्रुत है। इसमे

वर्तमान जैनाचार के प्ररूपक अन्तिम तीर्थंकर श्रमणभगवान् महावीर की तपस्या का वर्णन है। प्रस्तुत अध्ययन मे भगवान् महावीर के साधकजीवन अर्थात् श्रमणजीवन की सर्वाधिक प्राचीन एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध है। इसके चार उद्देशों में से प्रथम मे श्रमणभगवान् की चर्या अर्थात् विहार, द्वितीय मे शय्या अर्थात् वसति, तृतीय मे परीषह् अर्थात् उपसर्ग तथा चतुर्थ में आतक व तद्विपयक चिकित्सा का वर्णन है। इन सब कियाओं मे उपधान अर्थात् तप प्रधान रूप से रहता है अतः इस अध्ययन का उपधानश्रुत नाम सार्थक है। इसमे महावीर के लिए 'श्रमणभग-वान्', 'ज्ञातपुत्र', 'मेद्यावी', 'ब्राह्मण', 'भिक्षु', 'अवहुवादी' आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक उद्देश के अन्त मे उन्हें मतिमान् ब्राह्मण एवं भगवान् कहा गया है।

दितीय श्रुतस्कन्ध की पाँच चूलाओ मे से अन्तिम चूला आचार-प्रकल्प अथवा निशीथ को आचारांग से किसी समय पृथक् कर दिया गया जिससे आचारांग मे अव केवल चार चूलाएँ ही रह गई है। प्रथम श्रुतस्कन्ध मे आने वाले विविध विषयो को एकत्र करके शिष्यहितार्थ चूलाओ मे सगृहीत कर स्पष्ट किया गया। इनमे कुछ अनुक्त विषयो का भी समावेश कर दिया गया। इस प्रकार इन चूलाओ के पीछे दो प्रयोजन थे: उक्त विषयो का स्पष्टीकरण तथा अनुक्त विपयों का ग्रहण। प्रथम चूला मे सात अध्ययन हैं: १. पिण्डेषणा, २ शय्येपणा, ३. ईर्या, ४ भाषाजात, ५ वस्त्रै-पणा, ६ पात्रैपणा, ७. अवग्रहप्रतिमा। दितीय चूला मे भी सात ग्रध्ययन हैं: १. स्थान, २. निपीधिका, ३. उच्चारप्रस्रवण, ४. शब्द, ५. रूप, ६. परित्रया, ७ अन्योन्यित्रया। तृतीय चूला भावना-अध्ययन के रूप मे है। चतुर्थ चूला विमुक्ति-अध्ययनरूप है। प्रथम चूला का प्रथम ग्रध्ययन ग्यारह उद्देशों में विभक्त है। इनमे भिचु-भिक्षुणी की पिण्डैपणा अर्थात् आहार की गवेषणा के विषय मे विधि-निषेघो का निरूपण है। शय्यैषणा नामक द्वितीय अध्ययन मे श्रमण-श्रमणी के रहने के स्थान अर्थात् वसति की गवेषणा के विषय में प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन में तीन उद्देश हैं। ईया नामक तृतीय ग्रध्ययन मे साघु-साध्वी की ईया अर्थात् गमनागमनरूप क्रिया की शुद्धि-अशुद्धि का विचार किया गया है। इसमे तीन उद्देश हैं। भाषाजात नामक चतुर्थ अध्ययन के दो उद्देश हैं जिनमे भिन्नु-भिक्षुणी की वाणी का विचार किया गया है। प्रथम उद्देश में सोलह प्रकार की वचनविभक्ति तथा द्वितीय मे कपायजनक वचनप्रयोग की व्याख्या है। पचम अध्ययन वस्त्रैपणा के भी दो उद्देश है। इनमें से प्रथम में वस्त्रग्रहणसम्बन्धी तथा दितीय मे वस्रधारणसम्बन्धी चर्चा है। षष्ठ अध्ययन पानै-षणा के भी दो उद्देश हैं जिनमे अलावु, काष्ठ व मिट्टी के पात्र के गवेषण एव घारण की चर्चा है। अवग्रहप्रतिमा नामक सप्तम अध्ययन भी दो उद्देशो मे विभक्त है जिनमे विना अनुमति के किसी भी वस्तु को ग्रहण करने का निपेध किया गया है। द्वितीय चूला के प्रथम अध्ययन स्थान मे शरीर की हुलन-चलनरूप क्रिया का नियमन करने वाली चार प्रकार की प्रतिमाएँ अर्थात् प्रतिज्ञाएँ र्वाणत हैं जिनमे सयमी की स्थिति अपेक्षित है। द्वितीय अध्ययन निवीधिका में स्वाध्यायभूमि के सम्बन्ध में चर्चा है।

उच्चार-प्रस्नवण नामक तृतीय अध्ययन मे मल-मूत्र के त्याग की अहिंसक विधि बतलाई गई है। शब्द नामक चतुर्थ अध्ययन मे विविध वाद्यो, गीतो, नृत्यो, उत्सवों आदि के शब्दो को सुनने की लालसा से यत्र-तत्र जाने का निषेध किया गया है। रूप नामक पंचम अध्ययन मे विविध प्रकार के रूपों को देखने की लालसा का प्रतिषेच किया गया है। षष्ठ अध्ययन परिक्रया मे अन्य द्वारा शारीरिक संस्कार, चिकित्सा आदि करवाने का निषेध किया गया है। सप्तम अध्ययन अन्योन्यक्रिया मे परस्पर चिकित्सा आदि करने-करवाने का प्रतिषेध किया गया है। भावना नामक तृतीय चूला मे पांच महावृतो की भावनाओं के साथ ही तदुपदेशक भग-वान् महावीर का जीवन भी दिया गया है। विमुक्ति नामक चतुर्थ चूला में मोक्ष की चर्चा है। मुनि को आंशिक एवं सिद्ध को पूर्ण मोक्ष होता है। समुद्र के समान यह संसार दुस्तर है। जो मुनि इसे पार कर लेते हैं वे अन्तकृत—विमुक्त कहे जाते हैं। इस प्रकार आचाराग सूत्र नि.सदेह भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपा-दित आचारशास्त्र का उत्कृष्टतम ग्रंथ है। इसमे अनगारधर्म अर्थात् श्रमणाचार के समस्त महत्त्वपूर्ण पक्षों का सारगिभत निरूपण है।

उपासकद्शांगः

श्रावकाचार श्रर्थात् सागारधर्मका प्रतिपादक उपासकदशांग सातवा अंगसूत्र है। इसमे भगवान् महावीर के दस प्रधान उपा-सको—श्रावको के आदर्श चरित्र दिये गये हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं १. आनन्द, २ कामदेव, ३ चुलनीपिता, ४ सुरा- देव, ४. चुल्लशतक, ६. कुंडकोलिक, ७. सद्दालपुत्र; ८. महाशतक, ९ नदिनोपिता, १०. सालिहीपिता। आनन्द नामक प्रथम अध्य-यन मे श्रावक के बारह व्रतो का विशेष वर्णन किया गया है।

दशवैकालिक:

उत्तराध्ययनादि मूलसूत्रों में दशवैकालिक का भी समावेश किया जाता है। इसके कर्ता आचार्य शय्यभव हैं। इसमे दस अध्य-यन है। अन्त मे दो चूलिकाएँ भी है। द्रुमपुष्पित नामक प्रथम अध्ययन मे वताया गया है कि जैसे भ्रमर पुष्पों को विना कष्ट पहुँचाये उनमे से रस का पान कर अपने आपको तृप्त करता है वैसे ही भिन्तु आहार आदि की गवेपणा मे किसी को तनिक भी कष्ट नही पहुँचाता । श्रामण्यपूर्विक नामक द्वितीय अध्ययन मे बताया गया है कि जो काम-भोगो का निवारण नही कर सकता वह सकल्प-विकल्प के अधीन होकर पद-पद पर स्खलित होता हुआ श्रामण्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे श्रगंधन सर्प अग्नि मे जल कर प्राण त्यागना स्वीकार कर छेता है किन्तु वमन किये हुए विष का पुन. पान नहीं करता वैसे ही सच्चा श्रमण त्यागे हुएकाम-भोगो का किसी भी परिस्थिति मे पुन. ग्रहण नही करता। क्षुक्षिकाचारकथा नामक तीसरे अध्ययन मे निर्ग्रन्थो के लिए औहे शिक भोजन, कीत भोजन, रात्रिभोजन, राजपिण्ड ग्रादि का निषेध किया गया है तथा बताया गया है कि जो ग्रीव्मऋतु मे आतापना लेते हैं, शीतकाल मे ठड सहन करते हैं तथा वर्पाऋतु मे एक स्थान पर रहते हैं वे यत्नशील भिक्षु कहे जाते हैं। चौथा

अध्ययन पट् जीवनिकाय से सम्वन्धित है। इसमे पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय व त्रसकाय को मन, वचन व तन से हानि पहुँचाने का निषेध किया गया है तथा सर्व प्राणातिपात-विरमण, मृपावाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण, मैथुन-विरमण और परिग्रह-विरमणरूप महाव्रतो एवं रात्रिभोजन-विरमणरूप वृत का प्रतिपादन किया गया है। पाँचवाँ पिण्डै-पणा अध्ययन दो उद्देशो मे विभक्त है। इनमे भित्तासम्बन्धी विविध विधि-विधान है। छठे अध्ययन का नाम महाचारकथा है। इसमे चतुर्थ अध्ययनोक्त छ. व्रतो एव छ जीवनिकायो की रज्ञा का विशेप विचार किया गया है। सातवाँ अध्ययन वाक्यशुद्धि से सम्बन्धित है। साधु को हमेशा निर्दोप, अकर्कश एवं असंदिग्ध भाषा बोलनी चाहिए। त्राठवे अध्ययन का नाम आचारप्रणिधि है। इसमे मन, वचन अर काय से पट्काय जीवो के प्रति अहि-सक आचरण के विषय मे अनेक प्रकार से विचार किया गया है। विनयसमाधि नामक नवाँ अध्ययन चार उद्देशो मे विभक्त है। इनमे श्रमण के विनयगुण का विविध दृष्टियों से व्याख्यान किया गया है। सिभक्षु नामक दसवे अध्ययन मे वताया गया है कि जिसकी ज्ञातपुत्र महावीर के वचनो मे पूर्ण श्रद्धा है, जो पर्-काय के प्राणियों को आत्मवत् समभता है, जो पाँच महावतो की आराधना एवं पाँच ग्रास्रवो का निरोध करता है वह भिक्षु है, इत्यादि । रतिवावय नामक प्रथम चूलिका मे चंचल मन को स्थिर करने का उपाय बताते हुए कहा गया है कि जैसे लगाम से चचल घोड़ा वश मे हो जाता है, अकुश से उन्मत्त हाथी वश मे आ

जाता है उसी प्रकार अठारह वातो का विचार करने से चंचल चित्त स्थिर हो जाता है, इत्यादि । विविक्तचर्या नामक द्वितीय चूलिका मे साधु के कुछ कर्तव्याकर्तव्यों का प्रतिपादन किया गया है। आचाराग, उत्तराध्ययन और दशवेकालिक मे कुछ बातें शब्दशः व कुछ ग्रर्थत. मिलती-जुलती हैं।

आवश्यक:

अावश्यक का समावेश भी मूलसूत्रों में होता है। इसमे नित्य के कर्तव्यो—आवश्यक अनुष्ठानों का प्रतिपादन किया गया है। इसके छः अध्ययन हैं: १ सामायिक, २ चतुर्विश्तित्स्तव, ३ वंदन, ४. प्रतिक्रमण, ५. कायोत्सर्ग, ६. प्रत्याख्यान। सामायिक मे याव-जीवन—जीवनभर के लिए सबप्रकार के साबद्य योग—पापकारी कृत्यों का त्याग किया जाता है। चतुर्विश्तित्स्तव मे चौबीस तीर्थं-करों की स्तुति की जाती है। वदन में गुरु का नमस्कारपूर्वक स्तवन किया जाता है। प्रतिक्रमण में व्रतों में लगे अतिचारों की आलोचना की जाती है एवं भविष्य में उन दोषों की पुनरावृत्ति न करने की प्रतिज्ञा की जाती है। कायोत्सर्ग में शरीर से ममत्व भाव हटाकर उसे ध्यान के लिए स्थिर किया जाता है। प्रत्या-ख्यान में एक निश्चित अविध के लिए चार प्रकार के आहार—अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य का त्याग किया जाता है।

दशाश्रतस्कन्धः

दशाश्रुतस्कन्घ, वृहत्कल्प, व्यवहार, निशीय, महानिशीय और जीतकल्प छेदसूत्र कहलाते हैं। संभवतः छेद नामक प्रायश्चित्त को ध्यान मे रखते हुए इन्हें छेदसूत्र नाम दिया गया है। छेदसूत्रों मेंश्रमणाचार से सम्बन्धित प्रत्येक विषय का प्रतिपादन किया गया है। यह प्रतिपादन उत्सर्ग, अपवाद, दोष एव प्रायिश्वत्त से सम्बन्धित है। इस प्रकार का प्रतिपादन अगादि सूत्रों मे नहीं मिलता। इस दृष्टि से छेदसूत्रों का जैन आचारसाहित्य मे विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प एव व्यवहार आचार्य भद्रबाहु (प्रथम) की कृतियाँ मानी जाती है।

दशाश्रुतस्कन्ध को ग्राचारदशा के नाम से भी जाना जाता है। इसमे दस अध्ययन हैं। प्रथम भ्रध्ययन मे द्रुत गमन, अप्रमाजित गमन, दुष्प्रमाजित गमन, अतिरिक्त शय्यासन आदि बीस असमाधि-स्थानो का उल्लेख है। द्वितीय ग्रध्ययन मे हस्तकर्म, मैथुनप्रतिसेवन, रात्रिभोजन, आधाकर्मग्रहण, राजिपण्डग्रहण आदि इकीस प्रकार के शबल-दोषो का वर्णन है। तृतीय अध्ययन मे तैतीस प्रकार की आशातनाओ पर प्रकाश डाला गया है। चतुर्थं अध्ययन मे आठ प्रकार की गणिसम्पदाओ -- ग्राचार-सम्पदा, श्रुत-सम्पदा, शरीर-सम्पदा, वचन-सम्पदा, वाचना-सम्पदा आदि का वर्णन है। पंचम अध्ययन दस प्रकार के चित्तसमाधि-स्थानो से सम्बन्धित है। षष्ठ अध्ययन मे एकादश उपासक-प्रतिमाओ तथा सप्तम अध्ययन मे द्वादश भिन्नु-प्रतिमाओ का वर्णन है। अष्टम अध्ययन का नाम पर्यु-षणाकल्प है। वर्षाऋतु मे श्रमण का एक स्थान पर रहना पर्युषणा कहलाता है। पर्युषणाविषयक कल्प ग्रर्थात् ग्राचार का नाम है पर्युषणाकल्प । प्रस्तुत अध्ययन मे पर्युषणाकल्प के लिए विशेष उपयोगी महावीरचरितसम्बन्धी पाँच हस्तोत्तरो का निर्देश किया

गया है: १. हस्तोत्तर नक्षत्र मे महावीर का देवलोक से च्युत होकर गर्भ मे आना, २ हस्तोत्तर में गर्भ-परिवर्तन होना, ३ हस्तोत्तर मे जन्म-ग्रहण करना, ४. हस्तोत्तर मे प्रव्रज्या लेना, ५ हस्तोत्तर मे ही केवलज्ञान की प्राप्ति होना । कल्पसूत्र के रूप मे प्रचलित ग्रंथ इसी ग्रध्ययन का पल्लवित रूप है। इसमे श्रमणभगवान् महावीर के जीवनचरित्र के अतिरिक्त मुख्य रूप से पार्श्व, अरिष्टनेमि और ऋषभ—इन तीन तीर्थंकरों की जीवनी भी दी गई है। अन्त में स्यविरावली एवं सामाचारी (श्रमण-जीवनसम्बन्धी नियमावली) भी जोड़ दी गई है। नवम अध्ययन मे तीस मोहनीय-स्थानो का वर्णन है। दशम अध्ययन का नाम आयतिस्थान है। इसमे विभिन्न निदान-कर्मों अर्थात् मोहजन्य इच्छापूर्तिमूलक संकल्पों का वर्णन किया गया है जो जन्म-मरण की प्राप्ति के कारण हैं। इस प्रकार दशाश्रुतस्कन्घ के दस अध्ययनो मे से एक अध्ययन श्रावका-चार से सम्वन्धित है जिसमे उपासक-प्रतिमाओ का वर्णन है। शेष नौ अध्ययन श्रमणाचारसम्बन्धी हैं।

वृहत्करुप:

वृहत्कल्प सूत्र मे छ. उद्देश हैं। प्रथम उद्देश मे तालप्रलम्ब, मासकल्प, आपणगृह, घटीमात्रक, चिलिमिलिका, दकतीर, चित्र-कर्म, सागारिकिनिश्रा, अधिकरण, चार, वैराज्य, अवग्रह, रात्रि-भक्त, अध्वगमन, उच्चारभूभि, स्वाध्यायभूमि, आर्यक्षेत्र आदि विष-यक विधि-निपेध उपलब्ध हैं। कही-कही अपवाद एव प्रायश्चित्त की भी चर्चा है। द्वितीय उद्देश मे प्रथम बारह सूत्र उपाश्रयविष-यक हैं। आगे के तेरह सूत्रों में आहार, वस्र व रजोहरण का विचार किया गया है। तृतीय उद्देश मे उपाश्रय-प्रवेश, चर्म, वस्त्र, समवसरण, अन्तरगृह, शय्या-संस्तारक, सेना आदि से सम्बन्धित विधि-विघान है। चतुर्थ उद्देश मे वताया गया है कि हस्तकर्म, मैथुन एवं रात्रिभोजन अनुद्घातिक अर्थात् गुरु प्रायश्चित्त के योग्य हैं। दुष्ट एवं प्रमत्त श्रमण के लिए पारांचिक प्रायश्चित का विद्यान है। सार्घामक स्तैन्य, अन्यद्यामिक स्तैन्य एवं मुष्टिप्रहार आदि के लिए अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था है। पंडक, क्लीब आदि प्रव्रज्या के अयोग्य है। निर्ग्रं थ-निर्ग्रन्थियों को काला-तिक्रान्त एव क्षेत्रातिक्रान्त अगनादि ग्रहण करना अकल्प्य है। उन्हें गगा, यमुना, सरयू, कोशिका एव मही नामक पाँच महा-नदियाँ महीने मे एक वार से अधिक पार नही करनी चाहिए। ऐरावती आदि छोटी नदियाँ महीने मे दो-तीन बार पार की जा सकती है। पचम उद्देश में ब्रह्मापाय, परिहारकल्प, पुलाकभक्त आदि दस प्रकार के विषयों से सम्बन्धित दोषो व प्रायश्चित्तों का प्रतिपादन किया गया है। पष्ठ उद्देश मे बताया गया है कि निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्थियो को छ प्रकार के वचन नही वोलने चाहिए: अलीक वचन, हीलित वचन, खिसित वचन, परुष वचन, गाई-ेस्थिक वचन और व्यवशमितोदीरण वचन। कल्पस्थिति—आचार-मर्यादा छः प्रकार की बताई गई है : सामायिकसयतकल्प-स्थिति, छेदोपस्थापनीयसंयतकल्पस्थिति, निर्विशमानकल्पस्थिति, निर्विष्टकायिककल्पस्थिति, जिनकल्पस्थिति और स्थिवर-कल्पस्थिति।

व्यवहार:

वृहत्कल्प और व्यवहार परस्पर पूरक हैं। व्यवहार सूत्र मे दस

उद्देश हैं। पहले उद्देश में निष्कपट और सकपट आलोचक, एकल-विहारी साधु आदि से सम्बन्धित प्रायश्चित्तो का विधान है। दूसरे उद्देश में समान सामाचारी वाले दोपी साधुग्रो से सम्बन्धित प्राय-श्चित्त, सदोप रोगी की सेवा, अनवस्थित आदि की पुन. संयम मे स्थापना, गच्छ का त्याग कर पुनः गच्छ मे मिलने वाले की परीचा एवं प्रायश्चित्तदान आदि पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे उद्देशमे निम्नोक्त वातो का विचार किया गया है गच्छाधिपति की योग्यता, पदवीघारियो का आचार, तरुण श्रमण का आचार, गच्छ मे रहते हुए अथवा गच्छ का त्याग कर अनाचार सेवन करने वाले के लिए प्रायश्चित्त, मृषावादी को पदवी प्रदान करने का निषेघ। चतुर्थ उद्देश मे निम्न विषयो पर प्रकाश डाला गया है . आचार्य आदि पदवी-धारियो का श्रमण-परिवार, आचार्य आदि की मृत्यु के समय श्रमणों का कर्तव्य, युवाचार्य की स्थापना इत्यादि । पचम उद्देश साध्वियों के आचार, साधु-साध्वियो के पारस्परिक व्यवहार; वैयावृत्य आदि से सम्बन्धित है। षष्ठ उद्देश निम्नोक्त विषयों से सम्वन्वित है : साधुओ को अपने सम्वन्धियो के घर कैसे जाना चाहिए, आचार्य आदि के क्या अतिशय हैं, शिक्षित एवं अशि-क्षित साधु मे क्या विशेपता है, मैथुनेच्छा के लिए क्या प्राय-श्चित्त है इत्यादि। सातवें उद्देश में निम्न वातो पर प्रकाश डाला गया है: संभोगी अर्थात् साथी साधु-साध्वियो का पारस्परिक व्यवहार, साधु-साध्वियो की दीक्षा—प्रव्रज्या, साधु-साध्वियो के आचार की भिन्नता, पदवी प्रदान करने का समुचित समय, राज्यव्यवस्था मे परिवर्तन होने की स्थिति मे श्रमणो का कर्तव्य

आदि। आठवे उद्देश में शय्या—सस्तारक आदि उपकरण ग्रहण करने की विधि पर प्रकाश डाला गया है। नवे उद्देश में मकान-मालिक के यहाँ रहे हुए अतिथि आदि के आहार से सम्बन्धित कल्पाकल्प का विचार किया गया है, साथ ही भिक्षु-प्रतिमाओं का संचिप्त वर्णन किया गया है। दसवे उद्देश में यवमध्य-प्रतिमा, वज्रमध्य-प्रतिमा, पांच प्रकार का व्यवहार, बालदीक्षा, विविध सूत्रों के पठन-पाठन की योग्यता आदि का प्रतिपादन किया गया है।

निशीथ:

निशीय सूत्र मे चार प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान है:
गुरुमासिक, लघुमासिक, गुरुचातुर्मासिक और लघुचातुर्मासिक।
यहाँ गुरुमास ग्रथवा मासगुरु का अर्थ उपवास तथा लघुमास
अथवा मासलघु का अर्थ एकाशन समभना चाहिए। यह सूत्र
वीस उद्देशों मे विभक्त है। प्रथम उद्देशमें निम्नलिखित कियाओं
के लिए गुरुमास का विधान किया गया है: हस्तकर्म करना,
अंगादान को काष्ठादि की नलीं में डालना अथवा काष्ठादि की
नलीं को अंगादान में डालना, अंगुली आदि को अगादान में डालना
अथवा अगादान को अगुलियों से पकडना या हिलाना, अगादान
का मदन करना, अंगादान के ऊपर की त्वचा दूर कर अंदर का
भाग खुला करना, पुष्पादि सूघना, ऊँचे स्थान पर चढने के लिए
दूसरों से सीढी आदि रखवाना, दूसरों से पर्दा आदि वनवाना,
सूई ग्रादि ठीक करवाना, अपने लिए माँग कर लाई हुई सूई

आदि दूसरों को देना, पात्र आदि दूसरो से साफ करवाना, सदोष ग्राहार का उपभोग करना आदि: द्वितीय उद्देश मे निम्नोक्त क्रियाओं के लिए लघुमास का विधान है . दारुदण्ड का पादप्रोछन वनाना, कीचड के रास्ते मे पत्थर ग्रादि रखना, पानी निकलने की नाली आदि वनाना, सुई ग्रादि को स्वयमेव ठीक करना, जरासा भी कठोर वचन वोलना, हमेशा एक ही घर का आहार खाना, दानादि लेने के पहले अथवा बाद मे दाता की प्रशसा करना, निष्कारण परिचित घरों मे प्रवेश करना, अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्य की सगति करना, मकानमालिक के घर का आहार-पानी ग्रहण करना आदि। तीसरे, चौथे एवं पाँचवे उद्देश में भी लघुमाम से सम्वन्धित क्रियाओं का उल्लेख है। छठे उद्देश में मैथुनसम्बन्धी निम्नोक्त क्रियाओं के लिए गुरुवातुर्मासिक (श्रनुद्घातिक) प्रायव्चित्त का विधान किया गया है: स्त्री अथवा पुरुष से मैथुनसेवन के लिए प्रार्थना करना, मैथुन की कामना से हस्तकर्म करना, स्त्री की योनि मे लकड़ी आदि डालना, अचित्त छिद्र आदि मे अंगादान प्रविष्ट कर शुक्र-पुद्गल निकालना, वस्त्र दूर कर नग्न होना, निर्लंबा वचन बोलना, प्रेमपत्र लिखना-लिखवाना, गुदा अथवा योनि मे लिंग डालना, डलवाना आदि । सातवे, आठवे, नवे, दसवे व ग्यारहवे उद्देश में भी मैथुनविषयक एवं अन्य प्रकार की दोषपूर्ण त्रियाओं के लिए गुरुचातुर्मासिक प्रायदिचत का विधान है। वारहवे से उन्नीसवे उद्देश तक लघुचातुर्मासिक (उद्यानिक) प्रायन्चित्त से सम्बन्धित क्रियाओं का प्रतिपादन किया गया है। ये क्रियाएँ

इस प्रकार हैं: प्रत्याख्यान का वार-वार भंग करना, गृहस्थ के वस्त्र, भाजन आदि का उपयोग करना, दर्शनीय वस्तुओं को देखने के लिए उत्कंठित रहना, प्रथम प्रहर मे ग्रहण किया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर तक रखना, दो कोस से आगे जाकर आहार लाना, अपने उपकरण अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ से उठवाना, हस्तरेखा आदि देख कर फलाफल बताना, मत्र-तत्र सिखाना, विरेचन लेना अथवा औपिंघ का सेवन करना, शिथिलाचारी को वदना-नमस्कार करना, पात्रादि मोल लेना, मोल लिवाना, मोल लेकर देने वाले से ग्रहण करना, उघार लेना, उघार लिवाना, उघार लेकर देनेवाले से ग्रहण करना, वाटिका आदि मे टट्टी-पेशाब डालना, गृहस्थ आदि को आहार-पानी देना, दम्पति के शयनागार मे प्रवेश करना, जुगुप्सित कुलो से आहारादि ग्रहण करना, गीत गाना, वाद्ययन्त्र बजाना, नृत्य करना, ग्रकारण नाव मे बैठना, स्वामी की अनुमति के बिना नाव मे बैठना, इन्द्रमहोत्सव, स्कन्द-महोत्सव, यक्षमहोत्सव, भूतमहोत्सव आदि के समय स्वाध्याय करना, अस्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय न करना, अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्य को पढाना या उससे पढना, शिथिलाचारियों को पढाना अथवा उनसे पढना आदि । बीसवे उद्देश में आलोचना एव प्रायश्चित्त करते समय लगने वाले विविध दोषो के लिए विशेष प्रायश्चित्त का विघान किया गया है। इस उद्देश के अन्त मे तीन गाथाएँ हैं जिनमे निशीथ सूत्र के प्रणेता आचार्य विसाहगणि—विशाखगणी की प्रशस्ति की गई है। निशीथ सूत्र जैन ग्राचारशास्त्रान्तर्गत निर्ग्रन्थ- दण्डशास्त्र का अति महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमे कोई सदेह नही। महानिशोधः

उपलब्ध महानिशीय भाषा व विषय की दृष्टि से बहुत प्राचीन नही माना जा सकता। इसमे यत्र-तत्र आगमेतर ग्रथो व आचार्यों के नाम भी मिलते हैं। यह छ. अध्ययनो व दो चूलाग्रो मे विभक्त है। प्रथम अध्ययन में पापरूपी शल्य की निन्दा एवं आलो-चना की दृष्टि से अठारह पापस्थानको का प्रतिपादन किया गया है। द्वितीय अध्ययन मे कर्मविपाक का विवेचन किया गया है। तृतीय व चतुर्थं अध्ययनो मे कुशील साधुओ की सगतिन करने का उपदेश है। इनमे मत्र-तत्र, नमस्कार-मत्र, उपधान, जिनपूजा आदि का विवेचन है। पचम अध्ययन मे गच्छ के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। षष्ठ ग्रध्ययन मे प्रायश्चित्त के दस व आलोचना के चार भेदो का विवेचन है। इसमे आचार्य भद्र के गच्छ मे पाँच सौ साघु व वारह सौ साध्वियाँ होने का उल्लेख है। चूलाओं में सुसढ आदि की कथाएँ हैं। तृतीय ग्रध्ययन में उल्लेख है कि महानिशीथ के दीमक के खाजाने पर हरिभद्रसूरि ने इसका उद्धार एव संशोधन किया तथा आचार्य सिद्धसेन, वृद्धवादी, यक्ष-सेन, देवगुप्त, यशोवर्धन, रविगुप्त, नेमिचन्द्र, जिनदासगणी आदि ने इसे मान्यता प्रदान की—इसका वहुमान किया।

जीतकल्प:

जीतकल्प सूत्र जिनभद्रगणि-क्षमाश्रमण की कृति है। इसमे निर्ग्रन्य-निर्ग्रन्थियो के विभिन्न ग्रपराधविषयक प्रायश्चित्तो का जीत-व्यवहार (परम्परा से प्राप्त एव श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अनुमत व्यवहार) के आधार पर प्ररूपण किया गया है। सूत्रकार ने बताया है कि सबर और निर्जरा से मोच्च होता है तथा तप सबर और निर्जरा का कारण है। प्रायिश्वत्त तपों में प्रधान है अतः प्रायिश्वत्त का मोक्षमार्ग की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। इसके बाद सूत्रकार ने प्रायिश्वत्त के निम्निलिखित दस भेदों का व्याख्यान किया है. १ आलोचना, २. प्रतिक्रमण, ३ उभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग, ६ तप, ७ छेद, ८ मूल, ९ अनवस्थाप्य, १०. पाराचिक। इन दस प्रायिश्वत्तों में से अन्तिम दो अर्थात् अनवस्थाप्य व पाराचिक अन्तिम चतुर्दशपूर्वधर (प्रथम भद्रबाहु) तक ही विद्यमान रहे। तदनन्तर उनका लोप हो गया।

मूलाचार:

दिगम्बर परम्पराभिमत आचार-ग्रन्थो मे वट्टकेराचार्यकृत मूलाचार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे आचाराग भी कहा जाता है। इस पर आचार्य वसुनन्दी ने टीका लिखी है। इसमें साढे वारह सौ गाथाएँ है जो वारह अधिकारों में विभक्त हैं। इन अधिकारों के नाम इस प्रकार है: १. मूलगुण, २. वृहत्प्रत्याख्यान, ३ सच्तेपप्रत्याख्यान, ४ सामाचार, ५ पचाचार, ६ पिण्डशुद्धि, ७ पडावश्यक, ८ द्वादशानुप्रेक्षा, ९ अनगारभावना, १० समय-सार, ११ शीलगुण, १२ पर्याप्ति। मूलगुणाधिकार में श्रमण के निम्नोक्त २८ मूलगुणों का वर्णन है: पाँच महाव्रत, पाँच सिम-तियाँ, पाँच इन्द्रियों का निरोध, छ आवश्यक, लोच, अचेलकत्व, अस्नान, चितिशयन, अदतधावन, स्थितिभोजन और एकभक्त। वृहतप्रत्याख्यान-अधिकार मे सव पापो का त्यागकर मृत्यु के समय दर्शनादि आराधनाओं मे स्थिर रहने तथा चुधादि परीपहो को जीतने का उपदेश है। सन्नेपप्रत्याख्यान-अधिकार मे व्याघ्रा-दिजन्य आकस्मिक मृत्यु की उपस्थिति मे सव पापो का त्याग कर समभावपूर्वक प्राण छोडने का उपदेश है। सामाचाराधिकार मे इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आसिका, निपेधिका, आप्-च्छा, प्रतिपृच्छा, छन्दन, सनिमन्त्रणा और उपसम्पत्—इन दस प्रकार के औधिक सामाचारों का वर्णन है। इसमें यह भी वताया गया है कि तरुण श्रमण को तरुण श्रमणी के साथ सभापण नहीं करना चाहिए; श्रमणो को श्रमणियो के साथ उपाश्रय मे नही ठहरना चाहिए, श्रमणियो को तीन, पाँच ग्रथवा सात की संख्या मे (पारस्परिक संरक्षण की भावना से) भिक्षा के लिए जाना चाहिए; आयींओ को आचार्य से पाँच हाथ दूर, उपाध्याय से छः हाय दूर एव साधु से सात हाथ दूर वैठ कर वदना करनी चाहिए। इस प्रकार सामाचाराधिकार मे साधु-साध्वियो के पारस्परिक व्यवहार का भी कुछ विचार किया गया है। पचा-चाराधिकार मे दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपआचार व वीर्याचार का भेद-प्रभेदपूर्वक वर्णन किया गया है। पिण्डशुद्धि-अधिकार मे निम्नोक्त आठ प्रकार के दोपो से रहित आहारजुद्धि का प्रतिपादन किया गया है . १. उद्गम, २ उत्पादन, ३. एपण, ४. सयोजन, ५ प्रमाण, ६ अगार, ७ घूम, ८ कारण। पडावश्यक-अधिकार मे सर्वप्रधम पचनमस्कार-निरुपित की गई है। तदनन्तर निम्नलिखित छः आवश्यको की निरुक्ति है: १ सामायिक, २ चतुर्विशस्तव, ३ वदना, ४. प्रतिक्रमण, ५ प्रत्या-ख्यान, ६ कायोत्सर्ग। द्वादशानुप्रेचा-अधिकार निम्नोक्त वारह भावनाओं से सम्बन्धित है : १ अध्रुव, २. अशरण, ३ एकत्व, ४. अन्यत्व, ५ ससार, ६. लोक, ७. अशुभत्व, ८. आस्रव, ९ सवर, १० निर्जरा, ११ धर्म, १२. वोधि । अनगारभावना-अधिकार मे दस प्रकार की शुद्धियों से युक्त मुनि को मोक्ष की प्राप्ति वतलाई गई है: १. लिगशुद्धि, २ व्रतशुद्धि, ३. वसतिशुद्धि, ४ विहारशुद्धि, ५ भिक्षाशुद्धि, ६ ज्ञानशुद्धि, ७. उज्झनशुद्धि (परित्यागशुद्धि), ८. वाक्यशुद्धि, ९ तप शुद्धि, १०. ध्यान-शुद्धि । समयसाराधिकार मे चारित्र को प्रवचन का सार बताया गया है एवं कहा गया है कि भ्रष्टचारित्र श्रमण सुगति प्राप्त नही कर सकता। इसमे चार प्रकार का लिंगकल्प वताया गया है: अचेलकत्व, लोच, व्युत्सृष्टशरीरता और प्रतिलेखन (पिच्छिका) शीलगुणाधिकार मे शील के अठारह हजार भेदो का निरूपण है। पर्याप्ति-अधिकार मे निम्नोक्त छ पर्याप्तियो का भेद-प्रभेदपूर्वक वर्णन किया गया है . १. आहारपर्याप्ति, २. शरीरपर्याप्ति, ३. इन्द्रियपर्याप्ति, ४. आनप्राणपर्याप्ति (स्वासोच्छ्वासपर्याप्ति), ५ भाषापर्याप्ति, ६ मन पर्याप्ति । इसमे चतुर्दश गुणस्थानो एवं चतुर्दश मार्गणास्थानो का भी समावेश है। मूलाचार की अनेक गाथाएं दशवैकालिक, दशवैकालिक-निर्युक्ति, आवश्यक-निर्युक्ति, पिण्डनियुंक्ति, भक्तपरिज्ञा, मरणसमाधि आदि व्वेताम्बर ग्रन्थो से मिलती है।

मूलाराधना :

। मूलाराधना का दूसरा नाम भगवती-आराधना है। यह भी दिगम्बर सम्प्रदाय का एक प्राचीन ग्रन्थ है। इसमे नामा-नुरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र एव सम्यक्तप रूप चार प्रकार की मूल आराधनाओं का दो हजार से अधिक गायाओं में विवेचन है। यह ग्रन्थ चालीस अधिकारों में विभक्त है। इसकी रचना करने वाले आचार्य हैं शिवार्य अथवा शिव-कोटि। मूलाचार की ही भाँति इसकी भी अनेक गाथाएँ आव-श्यक-निर्युक्ति,वृहत्कल्प-भाष्य, संस्तारक, भक्तपरिज्ञा, मरणसमाधि ,आदि श्वेताम्बर ग्रन्थों से मिलती हैं। इस पर अपराजितसूरि, आशाघर आदि की टीकाएँ है। इस ग्रन्थ मे आचाराग, कल्प (वृहत्कल्प), व्यवहार एवं जीतकल्प का उल्लेख है। इसके मुख्य विषयों के नाम इस प्रकार हैं : मरण व उसके सत्रह भेद, आचेलक्य, लोच, देहममत्वत्याग व प्रतिलेखन (पिच्छिका), रूप चार निर्ग्रन्थलिंग, विनय व उसके भेद, समाधि अधिकार, अनियत विहार, उपाधित्याग, भावना-अधिकार, सल्लेखना व उसके उपाय, वैयावृत्य व तत्सम्बद्ध गुण, आर्यिका-सगति का त्याग, दुर्जन-संगति का त्याग, दशविधकल्प, आलोचना-अधिकार, योग्यायोग्य वसति, परिचारको के कर्तव्य, आहार-प्रकरण, क्षपणाधिकार, पंचनमस्कार, पचमहाव्रत, कषायविजय, चार ध्यान, छः लेश्याएँ, बारह भावनाएँ, मृतकसंस्कार आदि। मार्गणा-अधिकार में आचार (आचारांग), जीत (जीतक ल्प) व कल्प (वृहत्कल्प) का उल्लेख है। सुस्थित-ग्रधि-

७४ : जैन आचार

कार मे आगम, आजा, श्रुत, घारणा और जीत रूप पांच प्रकार के व्यवहार का वर्णन है। इसमें व्यवहार सूत्र की प्रघानता बताई गई है। भावना-अधिकार मे गजसुकुमार, अन्निकापुत्र, भद्रबाहु, धर्मघोष, चिलातपुत्र आदि अनेक मुनियों की कथाएँ हैं जिन्होंने विविध परीषह सहन कर सिद्धि प्राप्त की।

रत्नकरण्डक-श्रावकाचार:

आचार्य समतभद्रकृत रत्नकरण्डक श्रावकाचार का एक सस्कृत ग्रन्थ है। इसमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र रूप त्रिरत्नधर्म की आराधना का उपदेश है। ग्रन्थ मे सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन का स्करूप बतलाया गया है एवं उसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि सम्यग्दर्शनयुक्त चाडाल को भी देवसदश समझना चाहिये। मोहरहित अर्थात् सम्यग्दिष्टिसम्पन्न गृहस्थ मोक्षाभिमुख होता है। जबिक मोहयुक्त अर्थात् मिथ्यादृष्टिसम्पन्न मुनि मोक्षविमुख होता है। अतएव मोहयुक्त मुनि से मोहरहित गृहस्थ श्रेष्ठ है। इसके बाद आचार्य ने सम्यग्ज्ञान का स्वरूप बताते हुए तद्विषय-गत प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग एव द्रव्यानुयोग का सामान्य परिचय दिया है। तदनन्तर सम्यक्-चारित्र की पात्रता एवं आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चौर्य, मैथुन एव परिग्रहात्मक पाप से विरतिरूप बताया है। चारित्र के सकल और विकलरूप दो भेद करके यह उल्लेख किया है कि सकलचारित्र सर्वविरत मुनियो के होता है जबकि विकलचारित्र देशविरत गृहस्थों के होता है। विकलचारित्र के वारह भेद हैं. पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत। अहिंसादि पाच अणुव्रतों का ग्रितचारसिंहत स्वरूप समभाते हुए यह प्रतिपादन किया है कि ये पांच अणुव्रत तथा मद्य, मास और मधु का त्याग ये ग्राठ श्रावक के मूलगुण हैं। ग्रीहंसादि अणुव्रतों की ही भाति दिग्वतादि तीन गुणव्रतों एवं देशावकाशिकादि चार शिक्षाव्रतों का अतिचारसिंहत वर्णन किया है। सल्लेखना की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए ग्रंथकार ने सच्चेप मे समाधिमरण की विधि का निर्देश किया है एव सल्लेखना के पाच अतिचार वताये है। अन्त मे श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओ का स्वरूप समभाया गया है।

वसुनन्दि-श्रावकाचारः

आचार्य वसुनिन्दकृत श्रावकाचार ५४६ गाथाप्रमाण है। इसमे उपासक के छोटे-वडे सभी कर्तव्यो का वर्णन किया गया है। प्रारम्भ मे आचार्य ने मगलाचरण करते हुए श्रावकधर्म का प्ररूपण करने की प्रतिज्ञा की है। तदनन्तर श्रावक की निम्नोक्त ग्यारह प्रतिमाओं को आधार बनाकर श्रावकाचार का प्रतिपादन किया है: १ दर्शन, २ व्रत, ३ सामायिक, ४. पौषध, ५ सचित्तत्याग, ६ रात्रिभुक्तित्याग, ७ ब्रह्मचर्य, ६ आरम्भत्याग, ९ परिग्रहत्याग, १०. अनुमितत्याग, ११. उद्दि- एत्याग। चूँकि ये प्रतिमास्थान सम्यक्तव से रहित जीव के नहीं होते अत. इसके बाद सम्यक्तव का वर्णन किया गया है एवं

बताया गया है कि जो सम्यक्त्वी जीव पाच उदुम्बरों तथा सात व्यसनो के सेवन का त्याग करता है वह प्रथम प्रतिमाघारी दर्शन-श्रावक कहलाता है। द्वितीय प्रतिमा मे स्थूल प्राणातिपात-विरति आदि वारह वर्तों का पालन किया जाता है। इसी प्रकार श्रागे की प्रतिमाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ मे आचार्य वसुनन्दि ने श्रावक के छोटे-वड़े सभी कर्तव्यो का प्रतिपादन किया है तथापि निम्नलिखित वातों की ओर उनका ध्यान विशेष रूप से गया है: दूत, मद्य, मास, वेश्या, आखेट, चोरी और परदार-सेवनरूप सात व्यसन व उनसे प्राप्त होने वाले चतुर्गति-सम्बन्धी दुख; दान, दान के योग्य पात्र, दाता, दातव्य पदार्थ व दानफल, पचमी, रोहिणी, अश्विनी आदि व्रत-विधान, नाम, स्थापना, द्रव्य, चेत्र, काल और भाव-रूप छ प्रकार की पूजा, जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप व फल से पूजन करने का फल; जिनप्रतिमा-स्थापन, जिन-प्रतिमा-निर्माण, जिनाभिषेक एवं जिनभवन-निर्माण का फल।

सागार-धर्मामृतः

पण्डितप्रवर आशाधर की श्रावकाचार एवं श्रमणाचार दोनो पर कृतियाँ हैं। उनका सागार-धर्मामृत श्रावकाचार से सम्बन्धित है जबिक अनगार-धर्मामृत का सम्बन्ध श्रमणाचार से है। सागार-धर्मामृत आठ अध्यायो मे विभाजित है। प्रथम अध्याय मे सागारधर्म का सामान्य स्वरूप प्रतिपादित करते हुए श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक व साधकरूप तीन प्रकारो का लक्षण बताया गया है। द्वितीय अध्याय पाचिकाचार से सम्बन्धित है। तृतीय अध्याय मे नैष्ठिक श्रावक के आचार पर विशेष प्रकाश डाला गया है। चतुर्थ अध्याय मे अणुव्रतपचक की समीक्षा की गई है। पंचम अध्याय ज्ञीलसप्तक अर्थात् दिग्वतादि तीन गुणव्रतो एवं देशावकाशिकादि चार शिक्षावृतो से सम्बन्धित है। पष्ठ अध्याय मे श्रावक के आहोरात्रिक आचार पर प्रकाश डाला गया है। सप्तम अध्याय मे सामायिकादि नौप्रतिमाओ का स्वरूप वताया गया है। अष्टम अध्याय मे सल्लेखना की विधि वताई गई है। सागार-घर्मामृत मे श्रावकाचार के पूर्ववर्ती समस्त महत्त्वपूर्ण ग्रयो का सार समाविष्ट किया गया है। इसमे श्रावक का कोई भी आवश्यक कर्तव्य छूटने नही पाया है । तृतीय अध्याय मे सप्त च्यसनो के अतिचारों का वर्णन करके ग्रथकार ने सागार-धर्मामृत को एक विशेषता प्रदान की है जो पूर्ववर्ती किसी ग्रथ मे नही पाई जाती।

अनगार-धर्मामृत:

जिस प्रकार पंडितप्रवर आशाधर के सागार-धर्मामृत में श्रावकाचार के पूर्ववर्ती समस्त ग्रन्थों का सार समाविष्ट है उसी प्रकार उनके अनगार-धर्मामृत में श्रमणाचार के पूर्ववर्ती सव महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का निचोड़ है। अनगार-धर्मामृत नौ अध्यायों में विभक्त है। पहले ग्रध्याय में धर्म के स्वरूप का निरूपण है। दूसरा अध्याय सम्यवत्व—सम्यग्दर्शन के उत्पादन से सम्वन्धित है। तीसरे अध्याय में सम्यग्जान की आराधना पर प्रकाश डाला

गया है। चौथा अध्याय सम्यक्चारित्र की आराधना पर प्रकाश डालता है। पाचवे अध्याय मे पिण्डविशुद्धि का विचार किया गया है। इसमे आहारशुद्धि से सम्बन्धित निम्नोक्त दोपो का प्रतिपादन है: सोलह उद्गम-दोप, सोलह उत्पादन-दोप, दस शकितादि दोष, अगार, धूम, सयोजन और प्रमाण-ये ४६ पिण्डदोष; पूय, अस्र, पल, अस्यि, अजिन, नख, कच, मृनविकल-त्रिक, कद, बीज, मूल, फल, कण और कुण्ड — ये १४ अन्नगत मल, काकादि ३२ अन्तराय। छठे अध्याय मे महोद्योग-मार्ग का वर्णन है। इसमे दशलक्षण धर्म, द्वादशविध अनुप्रेक्षा व द्वाविशति परीपहजय का प्रतिपादन किया गया है। सातवे अध्याय मे सम्यक् तप की आराधना का उपदेश है। ग्राठवा अध्याय पडा-वच्यक से सम्बन्धित है। नवे ग्रध्याय मे नित्य-नैमित्तिक त्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे लगभग एक हजार इलोक है। सागार-धर्मामृत व अनगार-धर्मामृत दोनो पर स्वोपज्ञ टीकाएँ हैं।

इवेताम्बर एवं दिगम्बर परम्पराओं के आचार-विषयक ग्रन्थों के उपर्युक्त परिचय से स्पष्ट है कि इन दोनो परम्पराओं के आचारमूलक सिद्धान्तों व नियमों में कितना साम्य है। मूलत. इनमें कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता। यहाँ तक कि दिगम्बर परम्पराभिमत मूलाचार जो कि इस परम्परा का आचारग है, श्रमण-श्रमणियों के पारस्परिक व्यवहारका भी यथोचित विधान करता है। इससे स्पष्ट है कि दिगम्बर परम्परा में साध्वीसस्था भी उसी प्रकार मान्य एव ग्रादरणीय रहीं है

जिस प्रकार कि साधुसंस्था। यदि ऐसा न होता तो मूलाचार के सामाचाराधिकार मे श्रमणियों के कल्प का प्रसंग उपस्थित न होता। शिवार्यकृत मूलाराधना में भी संयतियों के लिये आर्यिका-सगित के त्याग का उपदेश है। इससे भी साध्वी-संस्था की मान्यता सिद्ध होती है। चतुर्विध संघ की सिद्धि के लिये ऐसा होना ग्रनिवार्य भी है।

श्राव का चार

अणुन्नत गुणन्नत शिन्नान्नत सङ्घेखना अथवा सथारा प्रतिमाएँ प्रतिक्मण

:8:

वृतधारी गृहस्य को श्रावक, उपासक, अणुवृती, देशविरत, सागार आदि नामो से सम्बोधित किया जाता है। गुणस्थान की दृष्टि से वह पंचम गुणस्थानवर्ती माना जाता है। चूँकि वह श्रद्धापूर्वक अपने गुरुजनों ग्रर्थात् श्रमणो से निर्ग्रन्थ-प्रवचन का श्रवण करता है अत. उसे श्राद्ध अथवा श्रावक कहा जाता है। श्रमणवर्ग की उपासना करने के कारण वह श्रमणोपासक अथवा उपासक कहलाता है। अणुव्रतरूप एकदेशीय अर्थात् अपूर्ण संयम अथवा विरति घारण करने के कारण उसे अणुव्रती, देशविरत, देशसंयमी अथवा देशसयती कहा जाता है। चूँकि वह आगार अर्थात् घर मे रहता है-उसने घरबार का त्याग नही किया है अतएव उसे सागार, आगारी, गृहस्थ, गृही आदि नामो से पुकारा जाता है। श्रावकाचार के ग्रथो मे उपासक-धर्म का प्रतिपादन तीन प्रकार से किया गया है : १ वारह व्रतो के आघार पर, २. ग्यारह प्रतिमाओं के आघार पर, ३. पक्ष, चर्या अथवा निष्ठा एवं साधन के म्राधार पर । उपासकदशाग, तत्त्वार्थसूत्र, रत्नकरण्डक-श्रावकाचार आदि मे सल्लेखनासहित वारह वर्तों के आधार पर श्रावक-धर्म का प्रतिपादन किया गया है। आचार्य कुन्दकुन्द ने चारित्र-प्राभृत मे, स्वामी कार्ति-केय ने अनुप्रेक्षा मे एव आचार्य वसुनन्दि ने वसुनन्दि-श्रावकाचार में ग्यारह प्रतिमाओं को आधार वनाकर श्रावक-धर्म का प्ररूपण किया है। पडित आशाधर ने सागार-धर्मामृत मे पक्ष, निष्ठा एवं साधन को आधार वनाकर श्रावक-धर्म का विवेचन किया है। इस पद्धति के बीज आचार्य जिनसेन के ग्रादिपुराण (पर्व ३९) मे पाये जाते हैं। इसमे सावद्य किया अर्थात् हिंसा की शुद्धि के तीन प्रकार बताये गये हैं: पक्ष, चर्या और साधन । निग्रंथ देव, निर्ग्रन्थ गुरु तथा निर्ग्रन्थ धर्म को ही मानना पक्ष है। ऐसा पक्ष रखने वाले गृहस्थ को पाचिक श्रावक कहते हैं। ऐसे श्रावक की म्रात्मा मे मैत्री, प्रमोद, करुणा व माध्यस्थ्यवृत्ति होती है। जीवहिंसा न करते हुए न्यायपूर्वक आजीविका का उपार्जन करना तथा श्रावक के बारह वतो एवं ग्यारह प्रतिमाग्रो का पालन करना चर्या ग्रथवा निष्ठा है। इस प्रकार की चर्या का आचरण करने वाले गृहस्थ को नैष्ठिक श्रावक कहते है। जीवन के अन्त मे आहारादि का सर्वथा त्याग करना साधन है। इस प्रकार के साधन को अपनाते हुए ध्यानशुद्धिपूर्वक आत्मशोधन करने वाला साधक श्रावक कह्लाता है। उपासक-धर्म का प्रतिपादन करने वाले उक्त तीन प्रकारों में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। अहिसादि बारह व्रत एवं सल्लेखना श्रावक-धर्म के सम्यक् प्रतिपालन के लिए सामान्यतया आवश्यक हैं। बारह वृतधारी श्रावक विशेष आत्मसाधना के लिए उपयुक्त समय पर ग्यारह प्रतिमाओ को ऋमशः घारण करता है। पत्त, चर्या अथवा निष्ठा एवं साघन द्वादश व्रतघारी श्रावक की आचार-मर्यादा के ही प्रकारान्तर से किये गये तीन भेद हैं।

श्रावक के बारह वर्तों में से प्रथम पाँच अणुव्रत, बाद के तीन गुणव्रत एवं अन्तिम चार शिक्षावृत कहलाते हैं। यद्यपि श्वेताम्बर व दिगम्बर ग्रंथों में गुणव्रतों एवं शिक्षावृतों के नामों व गणना-कम में परस्पर एवं आन्तिरिक दोनों प्रकार के मतभेद हैं तथापि यह कहा जा सकता है कि दिशापिरमाण, भोगोपभोगपिरमाण एव अनर्थदगड़ विरमण रूप गुणवृत तथा सामायिक, देशावकाशिक, पौपघोपवास एवं अतिथिसंविभाग रूप शिक्षावृत साधारणतया अभीष्ट एवं उपयुक्त हैं। उपासकदगांग में गुणवृतों एवं शिक्षावृतों का सयुक्त नाम शिक्षावृत ही दिया है तथा पच-अणु-वृतों व सप्त-शिक्षावृतों को द्वादश प्रकार के गृहस्थ-धर्म के अग कहा है।

अणुवतः

श्रमण के अहिसादि पाँच महान्नतों की अपेचा लघु होने के कारण श्रावक के प्रथम पाँच न्नत अणुन्नत अर्थात् लघुन्नत कहलाते हैं। जिस प्रकार सर्वविरत श्रमण के लिए पाच महा-न्नत प्राणभूत हैं उसी प्रकार श्रावक के लिए पाँच अणुन्नत जीव-नरूप हैं। जैसे पाँच महान्नतों के अभाव में श्रामण्य निर्जीव होता है वैसे ही पाँच अणुन्नतों के अभाव में श्रावक-धर्म निष्प्राण होता है। यही कारण है कि ग्रणुन्नतों को श्रावक के मूलगुण कहा गया है। इस दृष्टि से दिशापिरमाणादि शेष सात न्नतों को श्रावक के उत्तरगुण कह सकते हैं। इस प्रकार जैसे मुनि अर्थात् श्रमण के गुण मूल एव उत्तर गुणरूप दो विभागों में विभक्त हैं वैसे ही श्रमणोपासक श्रावक के गुण भी मूलगुण एवं उत्तरगुण के रूप मे विभाजित हैं। मूलगुण श्रमण-धर्म अथवा श्रावक-धर्म के आधारभूत स्तम्भ है। उत्तरगुण मूलगुणो की पृष्टि एव दृढता के लिए हैं। श्रावक के मूलगुणरूप पाँच अणुव्रतो के नाम इस प्रकार है. १. स्थूल प्राणातिपात-विरमण, २. स्थूल मृषावाद-विरमण, ३. स्थूल अदत्तादान-विरमण, ४ स्वदार-सतोष, ५. इच्छा-परिमाण।

१. स्थूल प्राणातिपात-विरसण—सर्वविरत स्रर्थात् महाव्रती मुनि प्राणातिपात अर्थात् हिंसा का पूर्णं त्यागी होता है (प्रमाद-जन्य अथवा कषायजन्य हिंसा का सर्वथा त्याग करता है) जव कि देशविरत ग्रर्थात् अणुव्रती श्रावक केवल स्थूल हिंसा का त्याग करता है क्यों कि गृहस्थ होने के नाते उसे अनेक प्रकार से सूच्म हिंसा तो करनी ही पडती है। इसीलिए श्रावक का प्राणातिपात-विरमण अर्थात् हिसा-विरति स्थूल है—दीर्घ है। श्रमण की सर्व हिंसा-विरति की तुलना मे श्रावक की स्थूल हिंसा-विरति देश-विरति अर्थात् आशिक विरति कही जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति आशिक अहिंसा की साधना करता है-अहिंसावत का आंशिक रूप से पालन करता है। श्रमण मन, वचन अथवा काया से किसी भी प्राणी की-चाहे वह त्रस हो अथवा स्थावर-न तो हिंसा करता है, न किसी से करवाता है और न करने वाले का समर्थन ही करता है। इस प्रकार श्रमण हिंसा का तीन योग (मन, वचन व काया) और तीन करण (करना, करवाना व अनुमोदन करना) पूर्वंक त्याग करता है। उसका यह त्याग

सर्वेविरति कहलाता है। श्रावक इस प्रकार हिंसा का त्याग नही करता । वह केवल त्रस (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय) प्राणियों की हिंसा से विरत होता है। उसकी यह विरति तीन योग व तीन करणपूर्वक नहीं होती अपितु तीन योग व दो करणपूर्वंक ही होती है। वह निरपराध प्राणियो को मन, वचन अथवा काया से न स्वय मारता है और न दूसरो से मरवाता है। परिस्थितिविशेष में स्थूल हिंसा का समर्थन करने की वह छूट रखता है। यह श्रावक की देशविरति अथवा उपासक का स्यूल प्राणातिपात-विरमण वृत है। श्रावक ऐसी कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए स्वतन्त्र होता है जिसमे स्थूल हिंसा की संभावना न हो । इस प्रकार की प्रवृत्ति वह दूसरो से भी करवा सकता है। ऐसा करने मे उसके व्रतभंग का कोई प्रक्त उप-स्थित नहीं होता। वह कोई भी कार्य करता है अथवा करवाता है, इसकी पूरी सावधानी रखता है कि किसी को कष्ट न हो, किसी को चोट न पहुँचे, किसी को हिंसा न हो, किसी के प्रित अन्याय न हो। विवेकपूर्वक पूर्ण सावधानी रखते हुए कार्य करने पर भी किसी की हिंसा हो जाय तो श्रावक के र्अहिसा-न्नत का भग नही होता। कर्तव्य-अकर्तव्य एवं न्याय• अन्याय का विवेक न रखना हिंसा को प्रोत्साहन देना है। इससे र्भाहसा-व्रत की रक्षा नहीं हो सकती। अहिंसा की रक्षा के लिए विवेकशीलता—सत्यासत्यविचारणा अनिवार्यं है। विचार की सूक्ष्मता, गभीरता एव यथार्थता तथा दृष्टि की विशालता, अमू-ढता एवं निष्पक्षता अहिंसा की सुरत्ता के सुदृढ साधन हैं-

अमोव अस्त्र हैं। इनके अभाव मे अहिसा निष्प्राण होकर जडवत् हो जाती है-मर जाती है। अहिंसा-व्रत का पालन करने वाला श्रावक जितना किसी को मारने मे भय का अनुभव करता है उतना मरने मे नहो। वह अपनी वृत-रक्षा के लिए सदैव प्राणो-त्सर्ग करने को तैयार रहता है। वह न स्वयं भयभीत होता है; न किसी को भयभीत करता है। हिंसा व अन्याय के सामने सिर भुकाना उसका काम नही। वह वीरता व विवेकपूर्वक हिंसा व अन्याय का प्रतीकार करता है—सामनो करता है। निर्भयता अर्थात् वीरता अहिसादि व्रतो का आधार-स्तम्भ है। कायर अर्थात् डरपोक व्यक्ति न तो अपनी रचा कर सकता है, न अपने व्रतों की । उसकी कायरतापूर्ण प्रवृत्तियो से हिंसा, अन्याय एवं अनाचार को ही प्रोत्साहन मिलता है। जिसे अपने शरीर का अत्यधिक मोह होता है वह न श्रावक के अहिसादि अणुवतो का यथार्थ पालन कर सकता है, न श्रमण के अहिंसादि महावतो को सम्यक्तया निभा सकता है। वह हमेशा दूसरों से डरता रहता है। उसके द्वारा न किसी का हिंसक प्रतीकार सभव होता है, न किसी का अहिसक प्रतीकार। वह दव्वू वन कर न्याय-ग्रन्याय सव कुछ चुपचाप सह लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने वतो का पालन कैसे कर सकता है, अपने कर्तव्य-धर्म को कैसे निभा सकता है ? सच्चा श्रावक एव सच्चा श्रमण वही है जो कष्टो का वीरतापूर्वक सामना करता है, उनसे भयभीत होकर अपना पीछा छुडाने की कोशिश नहीं करता। किसी कप्ट का किस प्रकार सामना करना-

यह तद्विषयक परिस्थिति एवं सामना करने वाले की मानसिक भूमिका व वृतमर्थादा पर निर्भर है। इसके विषय मे किसी प्रकार का ऐकान्तिक विद्यान अथवा आग्रह नहीं है।

सावधानीपूर्वक वृत का पालन करते हुए भी कभी-कभी प्रमादवश ग्रथवा अज्ञानवश दोप लगने की संभावना रहती है। इस प्रकार के दोपो को अतिचार कहा जाता है। स्थूल ग्रिहिसा अथवा स्थूल प्राणातिपात-विरमण के पाच मुख्य अतिचार हैं: १ वन्ध, २. वघ, ३. छिवच्छेद, ४. अतिभार ५ अन्नपान-निरोध। ये अथवा इसी प्रकार के अन्य अतिचार श्रावक के जानने योग्य हैं, आचरण करने योग्य नहीं। वन्ध का अर्थ है किसी त्रस प्राणी को कठिन वधन से वांधना अथवा उसे अपने इप्ट स्थान पर जाने से रोकना। अपने अधीनस्थ व्यक्तियो को निश्चित समय से अधिक काल तक रोकना, उनसे निर्दिष्ट समय के उपरान्त कार्य लेना, उन्हें अपने इष्ट स्थान पर जाने मे अतराय पहुँचाना आदि वच के ही अन्तर्गत हैं। किसी भी त्रस प्राणी को मारना वध है। पीटना भी वध का ही एक रूप है। अपने आश्रित व्यक्तियों को अथवा अन्य किसी को निर्दयतापूर्वक या कोघवश मारना-पीटना, गाय, भैस, घोड़ा, बैल आदि को लकडी, चाबुक, पत्थर ग्रादि से मारना, किसी पर अनावश्यक अथवा अनुचित आर्थिक भार डालना, किसी की लाचारी का अनुचित लाभ उठाना, किसी का प्रनैतिक ढग से शोपण कर अपनी स्वार्यपूर्ति करना आदि वध मे समाविष्ट है। प्रत्यन्न या परोक्ष रूप से किसी प्राणी की हत्या करना, किसी को मारना-पीटना, संताप पहुँचाना, तडफाना, चूसना आदि वघ के ही विविध रूप हैं। अनीतिपूर्वक किसी की आजीविका छीनना अथवा न ए करना भी वघ का ही एक रूप है। संक्षेप में स्वार्थवश किसी निरपराघी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रहार करना वध है। इस अतिचार से वचने का यही उपाय है कि जिस प्रवृत्ति मे प्रत्यन या अप्रत्यक्ष रूप से त्रस प्राणियों की हिंसा होती हो-वध होता हो उस प्रवृत्ति से निलिप्त रहा जाय-अलग रहा जाय। जिस व्यक्ति मे स्वार्थ-भावना जितनी कम होगी वह वध के अतिचार से उतना ही दूर रहेगा । नि स्वार्थ एवं परोपकारमूलक प्रवृत्ति स्वाभाविकतया हिंसादोष से दूर रहती है। जिसके हृदय में सर्वहित की भावना विद्यमान होगी वह किसी का वध क्यो करेगा ? जिसे किसी के प्रति राग अथवा द्वेष नही होगा वह किसी की हिसा क्यों करेगा? परोपकारी के हृदय में सबकी रचा करने की भावना होती है, किसी का वध करने की नही। वह जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है, सार्वजिनक हित के लिए करता है, किसी के अहित के लिए नही। इसीलिए उसकी प्रवृत्ति शुद्ध एवं अहिंसक मानी जाती है। महात्मा गाधी ने इस प्रकार की ऋहिंसक प्रवृत्ति के अनेक प्रयोग किये जो एक आदर्श श्रावक के लिए अनुकरणीय हैं-आचरणीय हैं। महान् एवं पवित्र प्रवृत्ति मे यदि ग्रल्प हिंसा होती भी हो तो वह नगण्य है। उससे प्रवृत्ति की पवित्रता एवं महानता अल्प नही होती । जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य महान् एवं पवित्र हो, जिसके पीछे रही हुई भावना प्रशस्त एव उदात्त हो, जिसका सचालन विवेक एव सतर्कता से हो वह अल्पारंभ अर्थात् अल्प हिंसा के कारण

दूषित नहीं हो जाती। इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाला श्रावक वधदोष का भागी नही होता। स्थूल अहिंसा का तीसरा अति-चार छविच्छेद है। किसी भी प्राणी के अगोपांग काटना छविच्छेद कहलाता है। चूंकि छविच्छेद से प्राणी को पीडा होती है अत वह त्याज्य है। छविच्छेद की तरह वृत्तिच्छेद भी दोषयुक्त है। किसी की वृत्ति अर्थात् आजीविका का सर्वथा छेद करना याने रोजी छीन लेना तो वधरूप होने के कारण दोषयुक्त है ही, उचित पारिश्रमिक मे न्यूनता करना, कम वेतन देना, कम मजदूरी देना, अनुचित रूप से वेतन या मजदूरी काट लेना, नौकर या मजदूर को छुट्टी आदि की पूरी सुविघाएँ न देना आदि कियाएँ भी छविच्छेद की ही भाँति दोषयुक्त हैं। चौथा अतिचार अतिभार है। बैल, ऊँट, अरव आदि पराुओ पर अथवा मजदूर, नौकर आदि मनुष्यो पर उनकी शक्ति के अतिरिक्त वोभ लादना अतिभार कहलाता है। शक्ति एवं समय होने पर भी अपना काम खुद न कर दूसरो से करवाना अथवा किसी से शक्ति से अधिक काम लेना भी अति-भार ही है। पाचवा ग्रतिचार अन्तपानिनरोध है। किसी के खान-पान मे रुकावट डालने वाला इस अतिचार का भागी होता है। नौकर आदि को समय पर खाना न देना, पूरा खाना न देना, ठीक खाना न देना, अपने पास सग्रह होने पर भी आवश्यकता के समय किसी की सहायता न करना, अपने अधीनस्य पशुओ एवं मनुष्यो को पर्याप्त खाना आदि न देना अन्नपानिनरोध नही है तो क्या है ? अहिंसा की आराधना करने वाले श्रावक को इन सव अतिचारो से दूर रहना चाहिए-इस प्रकार के अनेक दोपो से

वचना चाहिए।

॰ स्यूळ मृपाबाद-विरमण—जिस प्रकार श्रमणोपासक के लिए स्थूल प्राणातिपात अर्थात् हिंसा से वचना आवश्यक है उसी प्रकार उसके लिए स्थूल मृपावाद अर्थात् भूठ से वचना भी जरूरी है। जिस प्रकार हिंसा न करना प्राणीतिपात-विरमण व्रत का निपेधात्मक पक्ष है तथा रक्षा, अनुकम्पा, परोपकार आदि करना अहिसा का विधेयात्मक रूप है उसी प्रकार असत्य वचन न बोलना मृपावाद-विरमण व्रत का निपेघात्मक पक्ष है तथा सत्य वचन वोलना इस वृत का विधेयात्मक रूप है। इससे व्यक्ति को सत्यनिष्ठ होने की शिचा मिलती है। उसके जीवन मे सचाई व ईमानदारी का विकास होता है। अहिंसा की आराधना के लिए सत्य की आराघना अनिवार्य है। भूठा व्यक्ति सही ग्रर्थ मे अहिसक नही हो सकता। सच्चा अहिसक कभी असत्य आचरण नही कर सकता। सत्य और अहिंसा का इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक के अभाव मे दूसरे की आराधना अज्ञक्य है। ये दोनो परस्पर पूरक तथा अन्योन्याश्रित है। अहिसा यथार्थता को सुरूप प्रदान करती है जबकि यथार्थता अहिसा की सुरत्ता करती है। अहिंसा के विना सत्य नग्न अथवा कुरूप होता है जवकी सत्यरहित अहिसा मरणोन्मुख अथवा अरचित होती है। जोवित रहते हुए मनुष्य हिसा का पूर्ण त्याग नही कर सकता। खान-पान, हलन-चलन, इवासोच्छ्वास आदि मे होने वाली सूक्ष्म हिंसा को मानव दूर नहीं कर सकता। असत्य के लिए ऐसा नही कहा जा सकता। मनुष्य असत्य को पूर्णरूप से

छोड सकता है। 🕆 🧦

गृहस्थ के लिए साधारणतया मृषावाद का सर्वथा त्याग अर्थात् सूक्ष्म असत्य का परित्याग शक्य नही होता। हाँ, वह स्थूल मृवावाद का त्याग अवश्य कर सकता है। इसीलिए श्रावक के लिए स्थूल प्राणातिपात-विरमण के विघान की भांति स्थूल मृषावाद-विरमण का भी विधान किया गया है। स्थूल भूठ का त्याग भो साधारणतया स्थूल हिंसा के त्याग के ही समान दो करण व तीन योगपूर्वक होता है। स्थूल भूठ किसे समझना चाहिए ? जिस भूठ से समाज मे प्रतिष्ठा न रहे, साथियों मे प्रामाणिकता न मानी जाय, लोगो मे अप्रतीति हो, राजदण्ड का भागी होना पडे उसे स्यूल भूठ समभना चाहिए। इस प्रकार के भूठ से मनुष्य का चतुर्मुखी पतन होता है। अनेक कारणो से मनुष्य स्थूल भूठ का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाह के निमित्त सामने वाले पन्न के सम्मुख भूठी प्रशसा करना-करवाना, पशु-पक्षियो के ऋय-विऋय के निमित्त मिथ्या प्रशसा का ग्राश्रय छेना, भूमि के सम्बन्ध मे भूठ वोलना-बुलवाना, ग्रन्य वस्तुओं के विषय मे भूठ का प्रयोग करना, नौकरी आदि के लिए ग्रसत्य का आश्रय छेना, किसी की धरोहर आदि 'दवाकर विश्वासघात करना, भूठी गवाही देना-दिलाना, रिश्वत खाना-खिलाना, झूठे को सच्चा या सच्चे को भूठा सिद्ध करने का प्रयत्न करना आदि। श्रावक के इस प्रकार का भूठ बोलने-बुलवाने का मन, वचन व तन से त्याग होता है।

सावधानीपूर्वक स्थूल मृषावाद-विरमण व्रत का पालन करते हुए भी एतद्विषयक जिन अतिचारो—दोषो की संभावना रहती है वे प्रधानतया पांच प्रकार के हैं: १. सहसा-अभ्याख्यान, २. रहस्य-अभ्याख्यान, ३. स्वदार अथवा स्वपति-मंत्रभेद, ४. मृपा-उपदेश, ५. कूट-लेखकरण। बिना सोचे-समझे, विना देखे-सुने किसी के विषय मे कुछ धारणा बना लेना अथवा निर्णय दे देना, किसी पर मिथ्या कलक लगाना, किसी के प्रति लोगों मे गलत धारणा पैदा करना, सज्जन को दुर्जन, गुणी को श्रवगुणी, ज्ञानी को अज्ञानी कहना अदि सहसा-अभ्याख्यान अतिचार के अन्तर्गत है। किसी की गुह्य बात किसी के सामने प्रकट कर उसके साथ विश-वासघात करना रहस्य-अभ्याख्यान है। श्रावक को किसी की गोपनीय बात अन्य के सामने प्रकट कर किसी को घोखा नही देना चाहिए। पति-पत्नी का एक दूसरे की गुप्त बातो को किसी अन्य के सामने प्रकट करना स्वदार अथवा स्वपित-मत्रभेद है। इससे क़्टुम्ब मे क्लेश पैदा होता है तथा बाहर बदनामी होती है। किसी को सच भूठ समभा कर कुमार्ग पर लेजाना मृपोपदेश है। झूठे लेख लिखना, भूठे दस्तावेज तैयार करना, झूठे हस्ता-क्षर करना अथवा भूठा अगूठा लगाना, भूठे बही-खाते तैयार करना, भूठे सिक्के बनाना अथवा चलाना आदि कूट-लेखकरण अतिचार के अन्तर्गत हैं। श्रावक को इन सबसे अथवा इस प्रकार के अन्य अतिचारो से बचना चाहिए । उसे सदा सावधान रह कर सत्य की आराधना करनी चाहिए। सावधानीपूर्वक वृत की ग्राराघना करने वाला व्यक्ति सहसा दोष का भागी नही बनता।

३. स्थृल अटत्तादान-विरमण-अहिंसा व सत्य के सम्यक् पालन के लिए अचौर्य अर्थात् अदत्तादान-विरमण आवश्यक है। श्रावक के लिए जिस प्रकार का अचौर्य अथवा अस्तेय आवश्यक माना गया है उसे स्थूल अदत्तादान-विरमण कहते है। साघु के लिए तो विना श्रनुमित के दतशोधनार्थ तृण उठाना भी वर्जित है अर्थात् वह बिना दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नही ृकरता। श्रावक के लिए ऐसा आवश्यक नही माना गया है। वह सूक्ष्म अदत्तादान का त्याग न भी करे तथापि उसे स्थूल अदत्तादान का त्याग तो करना ही पड़ता है । अदत्तादान का शब्दार्थ है बिना दो हुई वस्तु (अदत्त) का ग्रहण (आदान)। इसे सामान्य भाषा मे चोरी कहते हैं। श्रावक के लिए ऐसी चोरी का त्याग अनिवार्य है जिससे राजदण्ड भोगना पड़े, स्माज मे अविश्वास उत्पन्न हो, प्रामाणिकता नष्ट हो, प्रतिष्ठा को धंक्का लगे। श्रावक का इस प्रकार की चोरी का त्याग ही जैन आचार-शास्त्र मे स्थूल अदत्तादान-विरमण वृत के नाम से प्रसिद्ध है। स्यूल चोरी के कुछ उदाहरण ये है. किसी के घर ग्रादि मे सेव लगाना, किसी की गाँठ काटना, किसी का ताला तोडना, किसी को लूटना, किसी की चीज विना पूछे उठा कर रख लेना, किसी का गड़ा हुआ धन निकाल लेना, डाका डालना, ठगना, मिली हुई वस्तु का पता लगाने की कोशिश न करना अथवा पता लगने पर भी उसे न लौटाना, चौर्य बुद्धि से किसी की वस्तु उठा लेना अथवा अपने पास रख लेना आदि । आवश्यकता से ग्रधिक सग्रह करना अथवा किसी वस्तु का अनुचित उपयोग करना भी

एक प्रकार को चोरी है जिसका सम्बन्ध परिग्रह-वृत्ति तथा अवि-वेक से है। श्रावक चोरी का त्याग भी साधारणतया दो करण व तीन योगपूर्वक ही करता है।

अदत्तादान-विरमण वृत के मुख्य पांच अतिचार हैं: 🤻 स्तेनाहृत, २. तस्करप्रयोग, ३. राज्यादिविरुद्ध कर्म, ४. क्लट-तोल-कूटमान, ५ तत्प्रतिरूपक व्यवहार । अज्ञानवरा यह समभ कर कि चोरी करने व कराने में पाप है किन्तु चुराई हुई वस्तु लेने में क्या इर्ज है, चोरो का माल लेना स्तेनाहृत अतिचार है। चोरी की वस्तु सस्ते भाव में मिला करती है जिससे छेने वाला लोभवन वौचित्यानौचित्य का विचार नही करता। श्रावक को इस अतिचार से वचना चाहिए। चोरी का माल खरीदने से चोरी को प्रोत्साहन मिलता है। श्रावक को इस प्रकार का मंक खरीद कर चोरी को प्रोत्साहन नही देना चाहिए—चोरी का निमित्त नही वनना चाहिए—चोरी नही करवानी चाहिए । चोरी करने की प्रेरणा देना, चोर को सहायता देना, तस्कर को शर्ण देना, जलास आदि द्वारा डाकुओ की मदद करना, लुटेरों का पच लेना आदि कियाएँ तस्करप्रयोग के अन्तर्गत हैं। प्रजा के हित के लिए वने हुए राज्य आदि के नियमो को भंग कर्ना राज्यादिविरुद्ध कर्म है। इस अतिचार के अन्तर्गत निम्नोक्त क्रीयीं का समावेग होता है: अवैघानिक व्यापार करना, कर चुराना, विना अनुमति के परराज्य की सीमा मे प्रवेश करना, निषिद्ध वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा एक देश से दूसरे देश में लाना-लेजाना, राज्यहित के विरुद्ध गुप्त कार्य करना,

स्वार्थवश राज्य के किसी भी कानून का भग करना, समाज के किसी भी हितकर नियम की अवहेलना करना आदि। लेन-देन में न्यूनाधिकता का प्रयोग करना क्रूटतोल-क्रूटमान कहलाता है। इससे व्यक्ति की अप्रामाणिकता प्रकट होती है। प्रामाणिक व्यक्ति किसी के साथ विञ्वासघात नहीं करता। वह किसी के अज्ञान अथवा विश्वास का अनुचित लाभ नहीं उठाता। लेन-देन में घूर्तता का प्रयोग कर कम-ज्यादा तोलना, नापना, गिनना सामनेवाले के साथ विश्वासघात करना है। वस्तुओं में मिलावट करना तत्प्र-तिरूपक व्यवहार है। बहुमूल्य वस्तु में अल्पमूल्य वस्तु मिलाना, शुद्ध वस्तु में अनुद्ध वस्तु मिलाना, सुपथ्य वस्तु में कृपथ्य वस्तृ मिलाना और इस प्रकार अनुचित लाभ उठाना श्रावक के लिए वर्जित है।

४. स्वटार-नन्तोच—ग्रपनी भार्या के सिवाय शेष समस्त स्त्रियों के साथ मैथुनसेवन का मन, वचन व कायापूर्वक त्याग करना स्वदार-संतोप व्रत कह्लाता है। जिस प्रकार श्रावक के लिए स्वदार-संतोष का विधान है उसी प्रकार श्राविका के लिए स्वपित-सतोष का नियम समभना चाहिए। अपने भर्ता के अतिरिक्त अन्य समस्त पुरुषों के साथ मन, वचन और काया-पूर्वक मैथुनसेवन का त्याग करना स्वपित-सतोष कह्लाता है। श्रावक के लिए स्वदार-सतोष एव श्राविका के लिए स्वपित-सतोष अनिवार्य है। श्रमण-श्रमणी के लिए मैथुन का सर्वथा त्याग विह्ति है जविक श्रावक-श्राविका के लिए मैथुन की मर्यादा निश्चित की गई है। स्थूल प्राणातिपात-विरमण आदि की समकक्ष भाषा में इसे स्थूल मैथुन-विरमण कह सकते हैं। इसका पालन दो करण व तीन योगपूर्वक आवश्यक न माना जाकर साधारणतया एक करण व तीन योगपूर्वक ही जरूरी माना गया है। किसी भी व्रत के सम्यक् पालन के.लिए शील अर्थात् सदाचार आवश्यक है। श्रावक पूर्ण ब्रह्मचारी नही होता अपित आंशिक ब्रह्मचारी होता है। उसकी शीलमर्यादा स्वदारसंतोष तक होती है। स्वदारसंतोप का अर्थ है समाज-सम्मत अथवा कानूनसम्मत विवाहपद्धति द्वारा पत्नीरूप से गृहीत स्त्री के साथ मैथुन-सेवन की मर्यादा। इस परिभापा से स्पष्ट है कि यह ब्रत विवाहित व्यक्ति के लिए है न कि अविवाहित व्यक्ति के लिए। किसी का किसी कारण से चाहते हुए तथा विवाह्योग्य होते हुए भी विवाह अथवा पुनर्विवाह न हुआ हो तथा होने की सभावना भी न हो किन्तु वह मैथुन का सर्वथा त्याग न कर सकता हो तो उसके लिए स्थूल मैथुन-विरमण व्रत की क्या व्यवस्था है ? दूसरे शब्दों मे जो व्यक्ति स्वदारसंतोष की परिभाषा में नही आता उसके लिए चतुर्थ अणुव्रत का क्या रूप है ? इसका कोई स्पष्ट समाधान अथवा विधान शास्त्रों मे दृष्टिगोचर नही होता । स्यूल मैथुन-विरमण के पीछे जो विधे-यात्मक भावना रही हुई है वह है मर्यादित मैथुन-सेवन की। इस दृष्टि से यदि ऐसा अपनादरूप व्यक्ति विवशता के कारण सार्वजनिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए किसी विवाहेतर पद्धति से एक निश्चित सीमा बाघकर अपनी मैथुनेच्छा पूरी करता है तो क्या उसके स्थूल मैथुन-विरमण वृत का भंग होता है?

क्या वह चतुर्य अणुव्रतघारी नहीं हो सकता ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब श्रावक मैथुनसेवन की स्वदार-सतोपच्प मर्यादा निश्चित करता है तो उसमे परदारत्याग, वेश्यात्याग, कुमारिकात्याग आदि स्वतः आ जाता है।ऐसा होते हुए भी कई वार विषयवृत्ति की अधीनता के कारण वह जाने-अजाने ऐसी-ऐसी गलत गलियां निकालता है जिनसे व्रतभग भी न हो और मैथुनेच्छा भी पूरी हो जाय। यही गलियां स्थूल मैथुन-विरमण वृत के अतिचार है । ये दोपरूप होने के कारण त्याज्य हैं। इनका शास्त्रकारो ने अन्य व्रतों के अतिचारो की ही भांति निम्नोक्त पाँच रूपो मे प्रति-पादन किया है: इत्वरिक-परिगृहीता-गमन, अपरिगृहीता-गमन, अनंगक्रीडा, परविवाह्करण और कामभोग-तीन्नाभिलाषा। जो स्त्रियां परदारकोटि मे नही आती ऐसी स्त्रियों को घन आदि का लालच देकर कुछ समय तक ग्रपनी वना लेना अर्थात् स्वदार-कोटि में ले आना तथा उनके साथ कामभोग का सेवन करना इत्वरिक-परिगृहीता-गमन कहलाता है। इत्वर अर्थात् अल्पकाल, परिग्रहण अर्थात् स्वीकार, गमन अर्थात् कामभोग-सेवन । इत्व-रिक-परिगृहीता-गमन अर्थात् अल्पकाल के लिए स्वीकार की हुई स्त्री के साथ कामभोग का सेवन करना--कुछ समय के लिए रखी हुई किसी महिला के साथ मैथुनसेवन करना। जो स्त्री अपने लिए अपरिगृहीत अर्थात् अस्वीकृत है उसके साथ कामभोग का सेवन करना अपरिगृहीता-गमन है। इस प्रकार की स्त्रियो मे निम्नोक्त स्त्रियो का समावेश होता है: जिसके साथ

सम्बन्ध निश्चित हो गया हो किन्तु विवाह न हुआ हो, जो अवि-वाहित कन्या के रूप में ही हो, जिसका पति मर गया हो, जो वेश्या का व्यवसाय करती हो, जो अपने पित द्वारा छोड दी गई हो अथवा जिसने अपने पति को छोड दिया हो, जिसका पति पागल हो गया हो, जो अपनी दासी अथवा नौकरानी के रूप मे काम करती हो, इत्यादि । इन सव प्रकार की स्त्रियों के साथ स्वदारसंतोप, जिसका कि निषेघात्मक रूप परदारविवर्जन है, का पूरा अर्थ न समझने के कारण अथवा भूल से मैथुनसेवन का प्रसंग उपस्थित होना अपरिगृहीता-गमन अतिचार है। जिस-किसी स्त्री के साथ कामोत्तेजक क्रीड़ा करना, जिस-किसी स्त्री का कामोत्तेजक आलिंगन करना, हस्तकर्म आदि कुचेष्टाएं करना, कृत्रिम साधनों द्वारा कामाचार का सेवन करना आदि कामवर्धक प्रवृत्तियाँ अनंगक्रीडा के अन्तर्गत आती है। कन्यादान मे पुण्य समझ कर अथवा रागादि के कारण दूसरों के लिए लड़के-लड़िकयाँ हूढना, उनकी शादियाँ करना आदि कर्म परिववाहकरण अतिचार के अन्तर्गत हैं । कर्तव्यबुद्धि अथवा सहायताबुद्धि से वैसा करने मे कोई दोष नहीं। स्वसन्तित के विवाह आदि का दायित्व तो स्वदारसंतोष से सम्बद्ध होने के कारण श्रावक पर स्वत. आ जाता है। अतएव अपने पुत्र-पुत्रियो की शादी आदि का समुचित प्रवन्ध करना श्रावक के चतुर्थ अणुव्रत स्वदार-सन्तोष की मर्यादा के ही अन्तर्गत है। पाँच इन्द्रियों मे से चक्षु और श्रोत्र के विषय रूप और शब्द को काम कहते हैं क्यों कि इनसे कामना तो होती है किन्तु भोग नहीं होता। घ्राण, रसना व स्पर्शन के विषय

गघ, रस व स्पर्श भोगरूप हैं क्यों कि ये तीनो इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय के भोग से ही तृप्त होती हैं। इन कामरूप एवं भोगरूप विपयो मे अत्यन्त आसक्ति रखना अर्थात् इनकी अत्यधिक आकाचा करना कामभोग-तीव्राभिलाषा अतिचार कहलाता है। वाजी-करण आदि के सेवन द्वारा अथवा कामशास्त्रोक्त प्रयोगो द्वारा मैथुनेच्छा को अधिकाधिक उद्दीप करना भी कामभोग-तीन्नाभि-लापारूप अतिचार है। अपनी पत्नी के साथ अमर्यादित ढग से मैथुन का सेवन करना भी कामभोग-तीव्राभिलाषा अतिचार ही कहलाता है क्योंकि इससे सन्तोषगुण का घात होता है तथा मन में सदा कामोत्तेजना वनी रहती है जो श्रपने आप के लिए तथा अपनी पत्नी के लिए दु खदायी होती है। उपर्युक्त अति-चारो से सदाचार दूषित होता है। अतः श्रावक को इनसे बचना चाहिये। श्राविका के लिए स्वपति-सन्तोपरूप स्थूल मैथुन-वि-रमण वृत का तथा तद्विषयक समस्त अतिचारो का आवश्यक परिवर्तन के साथ यथोचित शब्दों मे सयोजन कर लेना चाहिए। ५ इच्छा-परिमाण--मनुष्य की इच्छा को आकाश के समान अनन्त कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि इच्छा पर नियन्त्रण न किया जाय तो वह कदापि तृप्त नही हो सकती।

अनन्त कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि इच्छा पर नियन्त्रण न किया जाय तो वह कदापि तृप्त नहीं हो सकती। इच्छातृप्ति का श्रेष्ठ उपाय है इच्छा-नियन्त्रण। गृहस्थाश्रम में रहते हुए इच्छाओं का सर्वथा त्याग संभव नहीं। हा, इच्छाओं की मर्यादा अवश्य बांघी जा सकती है। इसी इच्छामर्यादा अथवा इच्छानियन्त्रण का नाम है इच्छा-परिमाण। यह श्रावक का पांचवा अणुवृत है। जब इच्छा परिमित हो जाती है तब तद्- मूलक ममत्व तथा तज्जन्य सग्रह अथवा परिग्रह भी परिमित हो जाता है। परिणामत. श्रावक जो कुछ भी उपार्जन अथवा सग्रह करता है वह केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही होता है। उससे वह सतापपूर्वक अपनी तथा अपने आश्रितो की परि-मित इच्छा की पूर्ति करता है। श्रावक की इस प्रकार की परि-ग्रह-परिमिति का ही दूसरा नाम स्थूल परिग्रह-विरमण है। मनुष्य को उतना ही सग्रह करना अथवा रखना चाहिये जितना कि उसके लिए अनिवार्य अथवा आवर्यक हो। अनावश्यक सग्रह से समाज मे विपमता पैदा होती है। इस विषमता के कारण समाज अनेक प्रकार की बुराइयों को जन्म देता है। समाज में जो शोपणवृत्ति, पारस्परिक अविश्वास, ईप्यन्द्विप, छल-कपट, दू ख-दारिद्रय, शोक-सताप, लूट-खसोट आदि देखने को मिलते है उनका प्रधान कारण परिग्रहवृत्ति,संग्रहखोरी अथवा सचयबुद्धि है। शोपक पूँजीवाद की जड भी यही है । दूपित साम्यवाद भी इसी पर आधारित है। परिग्रहवृत्ति की परिमितता से ही सरल एव सच्चे समाजवाद की स्थापना हो सकती है। दभरहित परिग्रह-परि-माण से ही यथार्थ सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हो सकती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सरलता, सादगी एव सदाचरण की वृद्धि होती है तथा पारस्परिक विद्वेष एव सघर्ष को कमी होती है। परिग्रह की परिमितता अहिंसक एवं सत्यनिष्ठ समाज के विकास के लिये अनिवार्य है। इसके बिना न अहिंसा की रक्षा हो सकती है, न सत्यादि की।

जैन शास्त्रकारों ने समस्त परिग्रह का निम्नोक्त नौ प्रकारों

में समावेश किया है : १. ज्ञेत्र, २. वस्तु, ३. हिरण्य, ४. सुवर्ण, ५. धन, ६. धान्य, ७. द्विपद, ८. चतुष्पद, ९. कुप्य । क्षेत्र अर्थात् खेत, बगीचा, चारागाह आदि । वस्तु अर्थात् मकान, दुकान, गोदाम आदि । हिरण्य अर्थात् चादी के वर्तन, आभूषण तथा श्रन्य उपकरण । सुवर्ण अर्थात् सोने के वर्तन, श्राभूपण तथा अन्य उपकरण । रुपया-पैसा, रत्न-जवाहरात, ऋय-विऋयरूप सोना-चाँदी, कल-कारखाने आदि धन के अन्तर्गत हैं। गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, मूँग, तिल, अलसी, मटर आदि धान्य के अन्तर्गत है। दो पाँव वाले प्राणी यथा—स्त्री, पुरुष, तोता, मैना, कबूतर, मयूर आदि द्विपद मे समाविष्ट होते हैं। चार पैर वाले प्राणी यथा—गाय वैल, भैंस, हाथी, घोड़ा, भेड, वकरो आदि चतुष्पद मे समाविष्ट होते हैं। सोने व चांदी की वस्तुओ के ग्रतिरिक्त शेष समस्त वस्तुओं का समावेश कुप्य में होता है। ये वस्तुएँ मुख्यत लोहा, ताँबा, पीतल, कांसा आदि धातुओं की वनी हुई होती हैं। जो वस्तुएँ अपने उपयोग के लिए नही अपितु व्यापार के लिए होती हैं उनका समावेश घन मे किया जाता है। गाडी, मोटर, साइ-कल वग्गी, तांगा, रथ, ठेला, ट्रक आदि वाहन स्वरूप तथा उप-योग की विविधता की दृष्टि से द्विपद, चतुष्पद, घन, कुप्य आदि मे समाविष्ट होते हैं।

श्रमण के समान ममत्व-मूच्छा-गृद्धि-संग्रहवृत्ति का सर्वथा त्याग करना श्रावक के लिए शक्य नही। वह अशत. परिग्रह-वृत्ति से मुक्त होता है अर्थात् देशत. परिग्रह का त्याग करता है। यह त्याग उसके इच्छा-परिमाण अर्थात् परिग्रह-परिमाण से फलित १०४: जैन आचार

होता है। इसीको अणुव्रत की परिभाषा में स्थूल परिग्रह-विरमण व्रत कहते है। इसके अनुसार श्रावक उपर्युक्त सब प्रकार की वस्तुओं में से अपने लिए आवश्यक वस्तुओं की मर्यादा निश्चित कर शेष समस्त वस्तुओं के ग्रहण एवं सग्रह का त्याग करता है। यही परिग्रह-त्याग का स्थूल रूप अथवा स्थूल परिग्रह-विरमण है। इसके मूल में इच्छा-परिमाण रहा हुआ है।

अन्य व्रतो की भाँति परिग्रहसम्बन्धी इस पचम अणुवृत के भी पांच अतिचार वतलाये गये हैं। इन अतिचारो का सम्बन्ध उपर्युक्त नौ प्रकार के पदार्थों से ही है। इन पदार्थों को अतिचारों की दृष्टि से पाच वर्गों में विभक्त किया गया है तथा स्वीकृत सीमा का उल्लंघन करने पर लगने वाले दोपों को अतिचारों के रूप में इन्हीं के नामों से सम्बद्ध किया गया है। ये अतिचार इस प्रकार है. १. चेत्रवास्तु-परिमाण-अतित्रमण, २. हिरण्यसुवर्ण-परिमाण-अतिक्रमण, ३ घनघान्य-परिमाण-अतिक्रमण, ४ हिपदचतुष्पद-परिमाण-अतिक्रमण, १ कुप्य-परिमाण-अतिक्रमण। मर्यादा से अधिक परिग्रह की प्राप्ति होने पर उसका दानादि सत्कार्यों में उपयोग कर लेना चाहिए। इससे परिग्रह-परिमाण व्रत की आसानी से रक्षा हो सकती है तथा समाजहित के कार्यों को आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है।

गुणवतः

अणुद्रतो की रक्षा तथा विकास के लिए जैन आचारशास्त्र मे गुणवतो की व्यवस्था की गई है। गुणवत तीन हैं: १, दिशा- परिमाण वत, २ उपभोगपरिभोग-परिमाण वत, ३. अनर्थदण्ड-विरमणवत। इन्हें गुणवत इसिलए कहा गया है कि इनसे अणु-वत रूप मूलगुणों की रक्षा तथा विकास होता है। ग्रथवा अणु-वतो की भावनाओं के रूप में अथवा उन भावनाओं की दढता के लिए जिन विशेप गुणों की आवश्यकता रहती है उन्हें गुणवत कहा जाता है। इनकी उपस्थिति में ग्रणुवतों की रक्षा विशेष सरलता से हो सकती है।

१. दिशा-परिमाण—अपनी त्यागवृत्ति के अनुसार व्यवसायादि प्रवृत्तियों के निमित्त दिशाओं की मर्यादा निश्चित करना दिशा-परिमाण वृत्त है। इस गुणवृत से परिग्रह-परिमाणरूप पाँचवे ग्रणुवृत की रज्ञा होती है। दिशाओं की मर्यादा निश्चित हो जाने पर तृष्णा पर स्वतः नियन्त्रण हो जाता है। तृष्णा पर नियन्त्रण होने पर सग्रह की भावना पर प्रतिवन्ध लगने में कोई देर नहीं लगती। इस प्रकार इच्छा-परिमाण अथवा परिग्रह-परिमाणरूप पंचम अणुवृत की दृढता के लिए दिशा-परिमाणरूप गुणवृत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में दिशा-परिमाण वृत्त, इच्छा-परिमाण वृत्त की ही एक भावना अथवा गुणविशेष है जिससे परिग्रह-नियन्त्रण में सहायता मिलती है।

दिशा-परिमाण व्रत के निम्नोक्त पाँच अतिचार हैं: १. ऊर्ध्व-दिशा-परिणाम-अतिक्रमण, २ अधोदिशा-परिमाण-अतिक्रमण, ३ तिर्यग्दिशा-परिमाण-अतिक्रमण, ४. चेत्रवृद्धि, ५. स्मृत्य-न्तर्घा। प्रमादवश अथवा अज्ञान के कारण ऊँची दिशा के निश्चित परिमाण का उल्लंघन करने पर लगने वाले दोष का नाम ऊर्ध्व- दिशा-परिमाण-अतिक्रमण है। नीची दिशा के परिमाण का उल्लंघन करने पर जो दोष लगता है उसे अधोदिशा-परिमाण-अतिक्रमण कहते हैं। ऊँची व नीची दिशाओं के अतिरिक्त पूर्वादि समस्त दिशाओं के परिमाण का उल्लंघन करना तिर्यग्दिशा-परिमाण-ग्रतिक्रमण है। एक दिशा के परिमाण का अमुक अंश दूसरी दिशा के परिमाण में मिला देना व इस प्रकार मनमाने ढग से चेत्र की मर्यादा बढा लेना चेत्रवृद्धि अतिचार है। सीमा का स्मरण न रहने पर लगने वाले दोष ग्रर्थात् अतिचार का नाम स्मृत्यन्तर्धा है। 'मैने सौ योजन की मर्यादा का व्रत ग्रहण किया है या पचास योजन की | मर्यादा का' इस प्रकार का सन्देह होने पर प्रथवा स्मरण न होने पर पचास योजन से आगे न जाना ही अनुमत है, चाहे वास्तव मे मर्यादा सौ योजन की ही क्यो न हो। यदि अज्ञान अथवा विस्मृति से चेत्र के परिमाण का उल्लंघन हुआ हो तो वापिस लौट आना चाहिए, मालूम होने पर आगे न जाना चाहिए, न किसी को भेजना ही चाहिए। वैसे ही कोई गया हो तो उसके द्वारा प्राप्त वस्तु का उपयोग भी नही करना चाहिए। विस्मृति के कारण खुद गया हो व कोई वस्तु प्राप्त हुई हो तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए।

२. उपभोगपरिभोग-परिमाण—जो वस्तु एक बार उपयोग में आती है उसे उपभोग कहते हैं। वार-वार काम में आने वाली वस्तु को परिभोग कहा जाता है। उपभोग एवं परिभोग की मर्यादा निश्चित करना उपभोगपरिभोग-परिमाण व्रत है। इस व्रत से आहिंसा एवं सतोप की रक्षा होती है। इससे जीवन में सरलता एवं सादगी आती है तथा व्यक्ति को महारम्भ, महापरिग्रह तथा महातृष्णा से मुक्ति मिलती है। शास्त्रकारों ने उपभोग परिभोग सम्बन्धी २६ प्रकार की वस्तुओ की गिनती की है। श्रावक को इन वस्तुओं की तथा इनके अतिरिक्त ग्रौर भी जितनी वस्तुएँ उसके काम मे आती हो उन सवकी मर्यादा निश्चित कर लेनी चाहिए जिससे उसके जीवन मे हमेशा शान्ति एव सन्तोप विद्यमान रहे। मर्यादा निश्चित करने मे विवेक का विशेप उपयोग करना चाहिए। जिनमे अधिक हिंसा ओर प्रपंच की सम्भावना हो उन पदार्थी का त्याग करना चाहिए तथा अल्पारम्भ व अल्प प्रपचयुक्त वस्तुओ का मर्यादापूर्वक सेवन करना चाहिए। उपभोग-परिभोगसम्बन्धी वस्तुओ के २६ प्रकार ये हैं: १ शरीर ग्रादि पोछने का अंगोछा आदि, २ दॉत साफ करने का मजन आदि, ३ फल, ४ मालिश के लिए तेल आदि, ५. उवटन के लिए लेप आदि, ६ स्नान के लिए जल, ७. पहनने के वस्न, ८. विलेपन के लिए चन्दन आदि, ९. फूल, १०. आभरण, ११. घूप-दीप, १२ पेय, १३. पक्वान्न, १४. ओदन, १५ सूप अर्थात् दाल, १६. घृत आदि विगय, १७. शाक, १८. माधुरक ग्रर्थात् मेवा, १६ जेमन अर्थात् भोजन के पदार्थ, २०. पीने का पानी, २१ मुखवास, २२ वाहन, २३. उपानत् अर्थात् जूता, २४ शय्या-सन, २५ सचित्त वस्तु, २६ खाने के अन्य पदार्थ।

उपभोगपरिभोग-परिमाण व्रत के भी पांच प्रधान ग्रतिचार हैं: १ सिचत्ताहार, २ सिचत्त-प्रतिबद्धाहार, ३. अपनवाहार, ४ दुष्पनवाहार, ५ तुच्छीपिधभक्षण। ये अतिचार भोजन-

सम्बन्धी हैं। जो सचित वस्तु मर्यादा के अन्दर नही है उसका भूल से आहार करने पर सचित्ताहार दोष लगता है। त्यक्त सचित्त वस्तु से संसक्त अर्थात् लगी हुई अचित्त वस्तु का आहार करने पर सचित्त-प्रतिबद्धाहार दोष लगता है जैसे वृक्ष से लगा हुआ गोंद, गुठलीसिह्त ग्राम, पिएडखनूर आदि खाना। सचित्त वस्तु का त्याग होने पर विना अग्नि के पके आहार का सेवन करने पर अपक्वाहार दोष लगता है। अथवा हरे अर्थात् कच्चे शाक, फल आदि का त्याग होने पर बिना पके फल आदि का सेवन करने पर अपक्वाहार अतिचार लगता है। इसी प्रकार अर्धपक्व आहार का सेवन करने पर दुष्पक्वा-हार दोष लगता है। जो वस्तु खाने मे कम आए तथा फेकने मे अधिक जाए अर्थात् खाने के लिये ठीक तरह से तैयार न हुई हो ऐसी वस्तु का सेवन करने पर तुच्छौषिधभक्षण अतिचार लगता है।। उपभोगपरिभोग-परिमाण वृत के आराधक को इन अतिचारो से बचना चाहिए। अतिचार-सेवन का प्रसंग उपस्थित होने पर आलोचना एवं प्रतिक्रमण रूप पश्चात्ताप अर्थात् प्राय-श्चित्त करना चाहिए।

उपभोग एव परिभोग की वस्तुओ की प्राप्ति के लिए किसी न किसी प्रकार का कर्म ग्रर्थात् व्यापार — व्यवसाय — उद्योग — धन्धा करना हो पडता है। जिस व्यवसाय मे महारम्भ होता हो — स्थूल हिंसा होती हो — अधिक पाप होता हो वह व्यवसाय श्रावक के लिए निषिद्ध है। इस प्रकार के व्यवसायों से महान् अशुभ कर्मी का उपार्जन होता है अत. इन्हें शास्त्रकारों ने कर्मादान

कहा है। उपासकदशाग में निम्नलिखित १५ कर्मादान श्रावक के लिए वर्जित किये गये हैं : १. अंगारकर्म, २. वनकर्मः ३. शकटकर्म, ४. भाटककर्म, ५ स्फोटककर्म, ६. दंतवाणिज्य, ७. लाक्षावाणिज्य, ८ रसवाणिज्य, ९. केशवाणिज्य, १०. विष-वाणिज्य, ११. यन्त्रपीडनकर्म, १२ निर्लाछनकर्म, १३. दावाग्नि-दानकर्म, १४. सरोह्रदतडागशोषणताकर्म, १५ ग्रसती-जनपोषणताकर्म। अगारकर्म अर्थात् अग्नि-सम्बन्धी व्यापार जैसे-कोयले वनाना, इँटें पकाना आदि। वनकर्म ग्रर्थात् वनस्पति-सम्बन्धी व्यापार जैसे—वृक्ष काटना, घास काटना आदि । शकट-कर्म अर्थात् वाह्नसम्बन्धो व्यापार जैसे —गाडी, मोटर, तांगा, रिक्शा वगैरह बनाना आदि । भाटककर्म अर्थात् वाहन किराये पर देना आदि । स्फोटककर्म अर्थात् भूमि फोडने का व्यापार जैसे—खानें खुदवाना, नहरे बनवाना, मकान बनाने का व्यवसाय करना आदि । दतवाणिज्य अर्थात् हाथीदाँत ग्रादि का व्यापार । लाचावाणिज्य अर्थात् लाख आदि का व्यापार । रस-वाणिज्य अर्थात् मदिरा आदि का व्यापार । केशवाणिज्य अर्थात् बालो व वालवाले प्राणियो का व्यापार । विषवाणिज्य अर्थात् जहरीली वस्तुस्रो तथा हिसक अस्त्र-शस्त्रो का व्यापार । यन्त्र-पीडनकर्म अर्थात् मशीन चलाने आदि का घन्धा । निर्लाछनकर्म अर्थात् प्राणियो के अवयवो को छेदने, काटने आदि का व्यवसाय। दावाग्निदानकर्म अर्थात् जगल, खेत आदि मे आग लगाने का कार्य । सरोह्रदतडागशोषणताकर्म अर्थात् सरोवर, भील, तालाव आदि को सुखाने का कार्यं। असतीजनपोषणताकर्म अर्थात् कुलटा

स्त्रियो के पोषण, हिंसक प्राणियों के पालन, समाजविरोधी तत्त्वों के सरक्षण आदि का कार्य। श्रावक के लिए इन सब प्रकार के व्यवसायो व इनसे मिलते-जुलते अन्य प्रकार के कार्यों का निषेध इसलिए किया गया है कि इनके गर्भ मे महती हिंसा रही हुई है। इस प्रकार के हिंसापूर्ण कृत्यों से करुणासम्पन्न श्रावक अपनी आजीविका कैसे चला सकता है। इन सब व्यवसायो का त्याग करने पर गृहस्य का जीवन कितना सरल, सादगीपूर्ण एवं सात्त्विक हो जाता है, इसकी कल्पना करना आज के युग के मनुष्य के लिए अति कठिन है। उसके लिए कुछ ही ऐसे लघु उद्योग एवं छोटे-मोटे सात्त्विक व्यवसाय रह जाते हैं जिनके द्वारा वह बिना किसी आडम्बर के सीघा-सादा जीवन जी सकता है। उसका जीवन कितना पवित्र एवं प्रेरणाप्रद होगा, यह गाँधीजी के जीवन की एक झलक से समभा जा सकता है। गाँघीजी की अहिसक समाज की कल्पना कुछ-कुछ इसी ढंग की है। उपर्युक्त १५ कर्मादानों में से कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिन्हे यदि विवेकपूर्वक एव विशिष्ट साधनों की सहायता से किया जाय तो स्थूल हिंसा का उपाजन नही होता। व्यवसाय कोई भी हो, यदि उसमे दो बाते दृष्टिगोचर हो तो वह श्रीवक के लिए आचरणीय है। पहली बात यह है कि उसमे स्थूल हिंसा अर्थात् त्रस जीवों की हिंसा न होती हो अथवा कम-से-कमे होती हो। दूसरी बात यह है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति वर्ग अथवा समाज का शोषण न होता हो अथवा कम-से-कम होता हो। इस प्रकार का शोषण प्रत्यक्षत हिंसा भले ही न हो किन्तु परोचते हिंसा हो है। इस प्रकार की हिंसा कभी-कभी साधारण

स्थूल हिंसा से भी भारी हो जाती है। कौनसा व्यवसाय श्रावक के करने योग्य है और कौनसा करने योग्य नहीं, इसका निर्णय मुख्यतः इन दो दृष्टियों से ही करना चाहिए।

३ अनर्थटण्ड-विरमण-अपने अथवा अपने कुटुम्ब के जीवन-निर्वाह के निमित्त होने वाले अनिवार्य सावद्य अर्थात् हिंसापूर्ण व्यापार-व्यवसाय के अतिरिक्त समस्त पापपूर्ण प्रवृत्तियो से निवृत्त होना अनर्थदण्ड-विरमण वृत है। इस गुणवृत से प्रधान-तया अहिसा एवं अपरिग्रह का पोषण होता है। अनर्थंदण्ड-विर-मण व्रतघारी श्रावक निरर्थक किसी की हिंसा नहीं करता और न निरर्थंक वस्तु का संग्रह ही करता है क्यों कि इस प्रकार के संग्रह से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। अनर्थंदण्ड अर्थात् निर-र्थंक पापपूर्णं प्रवृत्तियाँ चार प्रकार की बताई गई हैं : अपध्या-नाचरण, प्रमादाचरण, हिंसाप्रदान और पापकर्मीपदेश। अप-ध्यान अर्थात् कुध्यान । ध्यान के चार प्रकार हैं : आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान व शुक्लध्यान। इनमें से प्रथम दो ध्यान अशुभ ध्यान-कुध्यान हैं तथा वाद के दो ध्यान शुभ ध्यान-सुध्यान । आर्तध्यान चार प्रकार का है : इष्टवियोग, अनिष्ट-सयोग, रोगचिन्ता और निदान। प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति का वियोग होने पर उसके संयोग के लिये शोकाकुल रहना इष्टवियोग-आर्तध्यान है। अप्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति का सयोग होने पर उसके वियोग के लिए व्याकुल रहना अनिष्टसंयोग-आर्त-ध्यान है। शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा दूर करने की न्याकुलता को रोगचिन्ता-आर्तध्यान कहते हैं। अप्राप्त विषयों को प्राप्त करने की कामना से तीव संकल्प करना निदान-आर्त-ध्यान है। रौद्रध्यान अर्थात् क्रूरतापूर्णं चिन्तन । जिसका मन क्रूर होता है वह रुद्र कहलाता है। रुद्र व्यक्ति का ध्यान रौद्रध्यान है। हिंसा, असत्य, चोरी आदि से सम्बन्धित चिन्तन रौद्रध्यान के अन्तर्गत है क्यों कि उसमे क्रोध, ईर्ष्या, कपट, लोभ, अहकार आदि कूर वृत्तियों की विद्यमानता होती है। आर्तध्यान व रौद्रध्यान का सेवन हो अपध्यानाचरण है। प्रमादा-चरण अर्थात् आलस्य का सेवन । शुभ प्रवृत्ति मे आलस्य रखना अर्थात् शुभ प्रवृत्ति करना ही नही अथवा असावघानीपूर्वक शुभ प्रवृत्ति करना प्रमादाचरण है। इसका विधेयात्मक रूप अशुभ कार्यों मे उद्यमशील रहना है । हिंसाप्रदान का अर्थ है किसी को हिंसक साघन जैसे-अस्त्र-शस्त्र, विष आदि देकर हिंसक कृत्यों मे सहायक होना । जिस उपदेश से सुनने वाला पापकर्म मे प्रवृत्त हो वैसा उपदेश देना पापकर्मोपदेश कहलाता है। जैसे हिंसा से विरत व्यक्ति किसी को हिंसक साधन देकर हिंसक कृत्यों मे सहायक नही होता उसी प्रकार पापकर्म से निवृत्त व्यक्ति किसी को पापकर्म का उपदेश देकर पापपूर्ण कृत्यो मे सहायक नही वनता । इस प्रकार अपध्यानाचरण, प्रमादाचरण, हिंसाप्रदान व पापकर्मोपदेश तथा इसी प्रकार की अन्य निरर्थक पापपूर्ण प्रवृत्तियो से निवृत्त होना अनर्थदण्ड-विरमणव्रती के लिए आव-रयक है। अन्य व्रतो की भाति अनर्थदग्ड-विरमण व्रत के भी पांच प्रधान अतिचार हैं . १. कन्दर्प, २. कौत्कुच्य, ३. मौखर्य, ४. सयुक्ताधिकरंण, ५. उपभोगपरिभोगातिरिक्त । विकारवर्धक

वचन वोलना या सुनना कन्दर्प है। विकारवर्धक चेष्टाएँ करना या देखना कौत्कुच्य है। असम्बद्ध एव अनावश्यक वचन वोलना मौखर्य है। जिन उपकरणों के संयोग से हिंसा की सभावना बढ जाती हो उन्हें संयुक्त कर रखना सयुक्ताधिकरण है। उदाहरण के लिए बन्दूक के साथ कारतूस, धनुप के साथ तीर सयुक्त कर रखना। आवश्यकता से अधिक उपभोग एव परिभोग की सामग्री सग्रह करना उपभोगपरिभोगातिरिक्त है। ये सब अतिचार निरर्थक हिंसा का पोषण करने वाले हैं अत श्रमणोपासक को इनसे बचना चाहिये।

शक्षावत:

शिक्षा का अर्थ है अभ्यास । जिस प्रकार विद्यार्थी पुनपुन. विद्या का अभ्यास करता है उसी प्रकार श्रावक को कुछ
वतो का पुन.-पुन. अभ्यास करना पडता है । इसी अभ्यास के
कारण इन वतों को शिक्षाव्रत कहा गया है । अणुव्रत एव गुणव्रत एक ही वार ग्रहण किये जाते हैं जविक शिचाव्रत वार-वार
ग्रहण किये जाते हैं । दूसरे शब्दो मे अणुव्रत एव गुणव्रत जीवनभर के लिये होते हैं जविक शिचाव्रत अमुक समय के लिए ही
होते हैं । शिचाव्रत चार हैं : १. सामायिक व्रत, २. देशावकाशिक व्रत, ३. पौषधोपवास व्रत, ४ अतिथिसविभाग व्रत ।
१ सामायिक—'सामायिक' पद के मूल में 'समाय' शब्द है।

श सामायिक—'सामायिक' पद के मूल में 'समाय' शब्द है। समाय शब्द 'सम' और 'आय' के सयोग से बनता है। सम का अर्थ है समता ग्रथवा समभाव और ग्राय का अर्थ है लाभ अथवा प्राप्ति। इन दोनो अर्थों को मिलाने से समाय का अर्थ होता है समभाव का लाभ अथवा समता की प्राप्ति। समायसम्बन्धी भाव अथवा किया को सामायिक कहते है। इस प्रकार साम-यिक आत्मा का वह भाव अथवा शरीर की वह कियाविशेष है जिससे मनुष्य को समभाव की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दो मे जो त्रस ग्रौर स्थावर सभी जीवो के प्रति समभाव रखता है वह सामायिक का आराधक होता है। सामायिक के लिए मानसिक स्वस्थता और शारीरिक शुद्धि दोनो आवश्यक हैं। शरीर स्वस्थ, शुद्ध एव स्थिर हो किन्तु मन ग्रस्वस्थ, अशुद्ध एवं अस्थिर हो तो सामायिक की साधना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार मन स्वस्थ, शुद्ध तथा स्थिर हो किन्तु शारीरिक स्वस्थता, शुद्धता तथा स्थिरता का अभाव हो तो भी सामायिक की निविघन आराधना नहीं की जा सकती। सामायिक करने वाले के मन, वचन और कर्म तीनो पवित्र होते हैं। मन, वचन श्रौर कर्म मे सावद्यता श्रर्थात् दोष न रहे, यही सामायिक का प्रयोजन होता है। इसीलिए सामायिक में सावद्य योग अर्थात् दोषयुक्त प्रवृत्ति का त्याग एवं निरवद्य योग अर्थात् दोपरहित प्रवृत्ति का आच-रण करना पड़ता है। अमुक समय तक सामायिक व्रत ग्रहण करने वाला व्यक्ति ऋमश. अपने सम्पूर्ण जीवन मे समता का विकास करता है। घीरे-घीरे समभाव का अभ्यास करते-करते वह पूरे जीवन को समतामय बनाता है। जब तक समता जीवन-व्यापी नहीं हो जाती तब तक उसका अभ्यास चलता रहता है। सामायिक वृत का यथार्थ आराधन यही है। यही सामायिक का सार है।

निम्नलिखित पाँच अतिचारों से सामायिक व्रत दूषित होता है: १. मनोदुष्प्रणिधान, २ वाग्दुष्प्रणिधान, ३. कायदुष्प्रणिधान, ४. स्मृत्यकरण, ५ अनवस्थितकरण। मनसे सावद्य भावों का अनुचिन्तन करना मनोदुष्प्रणिधान है। वाणी से सावद्य वचन वोलना वाग्दुष्प्रणिधान है। गरीर से सावद्य किया करना काय-दुष्प्रणिधान है। सामायिक की स्मृति न रखना अर्थात् सामायिक करनी है या नही, सामायिक की है या नही, सामायिक पूरी हुई है या नही—इत्यादि विषयक स्मृति न होना स्मृत्यकरण है। यथावस्थित सामायिक न करना, समय पूरा हुए विना ही सामा-यिक पूरी कर लेना अनवस्थितकरण है।

२ देशावकाणिक—दिशापरिमाण वृत मे जीवनभर के लिए मर्यादित दिशाओं के परिमाण में कुछ घंटो अथवा दिनों के लिए विशेष मर्यादा निश्चित करना ग्रर्थात् विशेष कमी करना देशाव-काशिक वृत है। देश अर्थात् चेत्र का एक अश और अवकाश अर्थात् स्थान। चूँकि इस वृत में जीवनपर्यन्त के लिए गृहीत दिशापरि-माण ग्रर्थात् चेत्रमर्यादा के एक अश्रूष्ट्र स्थान की कुछ समय के लिए विशेष सीमा निर्धारित की जाती है इसलिए इसे देशाव-काशिक वृत कहते हैं। यह वृत चेत्रमर्यादा को सकुचित करने के साथ ही उपलक्षण से उपभोग-परिभोगादिष्ट्रप अन्य मर्यादाओं को भी सकुचित करता है। मर्यादित क्षेत्र से वाहर न जाना, बाहर से किसी को न बुलाना, न बाहर किसी को भेजना और न वाहर से कोई वस्तु मंगवाना, वाहर क्य-विक्रय न करना आदि प्रस्तुत वृत के लक्षण हैं। देशावकाशिक वृत के निम्नोक्त पाँच अतिचार हैं १. ग्रानय-नप्रयोग, २. प्रेषणप्रयोग, ३. शब्दानुपात, ४. रूपानुपात, ४. पुद्गलप्रचेप। मर्यादित चेत्र से बाहर की वस्तु लाना, मंगवाना आदि ग्रानयनप्रयोग है। मर्यादित चेत्र के बाहर वस्तु भेजना, लेजाना आदि प्रेषणप्रयोग है। किसी को निर्धारित चेत्र से बाहर खड़ा देख कर खाँसी आदि शब्दसंकेतों द्वारा उसे बुलाने आदि की चेष्टा करना शब्दानुपात है। सीमित चेत्र से बाहर रहे हुए लोगों को बुलाने आदि की चेष्टा से हाथ, मुँह, सिर आदि का इशारा करना अर्थात् रूपसकेतों का प्रयोग करना रूपानुपात है। मर्या-दित चेत्र से बाहर रहे हुए व्यक्ति को अपना ग्रभिप्राय जताने के लिए ककड़, कागज आदि कुछ फेकना पुद्गलप्रचेप है।

३. पाषधोपवास—विशेष नियमपूर्वक उपवास करना अर्थात् आत्मिचिन्तन के निमित्त सर्व सावद्यिक्रया का त्याग कर शान्ति-पूर्ण स्थान से बैठ कर उपवासपूर्वक नियत समय व्यतीत करना पौषधोपवास है। इस व्रत मे उपवास का मुख्य प्रयोजन आत्म-तत्त्व का पोपण होता है अतः इसे पौषधोपवास व्रत कहते हैं। आत्मपोषण के निमित्त पौषधोपवास को अंगीकार करने वाला श्रावक भौतिक प्रलोभनो से दूर रहता है, भौतिक आपत्तियो से व्याकुल अथवा विचलित भी नहीं होता। इस व्रत मे स्थित साधक श्रमणवत् साधनारत होता है। वह ग्राहार के परित्याग के साथ ही साथ उपलक्षण से शरीरसत्कार ग्रथीत् शारीरिक श्रांगार, अब्रह्मचर्य अर्थात् मैथुन एवं सावद्य व्यापार ग्रथीत् हिंसक क्रिया का भी त्याग करता है।

पोषघोपवास व्रत के निम्नोक्त पाच अतिचार हैं : १ अप्र-तिलेखित-दुष्प्रतिलेखित शय्यासंस्तारक, २. श्रप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शय्यासंस्तारक, ३. अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित उच्चारप्रस्रवण-भूमि, ४ अप्रमाजित-दुप्प्रमाजित उच्चारप्रस्रवणभूमि, ५ पौषघो-पवास-सम्यगननुपालनता । शय्या अर्थात् वसति-मकान और सस्तारक अर्थात् विछौना-कंबलादि का प्रतिलेखन अर्थात् प्रत्य-वेक्षण-निरीक्षण विलकुल न करना अथवा ठीक ढंग से न करना अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित शय्यासंस्तारक अतिचार है। शय्या व सस्तारक को प्रमाजित किये विना अर्थात् पोछे विना-साफ किये विना अथवा विना अच्छी तरह साफ किये काम मे लेना अप्रमा-जित-दुष्प्रमाजित शय्यासंस्तारक अतिचार है। इसी प्रकार मल-मूत्र की भूमि का विना देखे अथवा अच्छी तरह न देखकर उपयोग करना अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित उच्चारप्रस्रवणभूमि अतिचार है तथा साफ किये विना अथवा विना अच्छी तग्ह साफ किए उप-योग करना अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित उच्चारप्रस्रवणभूमि अतिचार है। पौपद्योगवास का सम्यक् प्रकार से पालन न करना अर्थात् आत्मपोषक तत्त्वो का भलीभाँति सेवन न करना पौषघोपवास-सम्य-गननुपालनता अतिचार है। इन सब अतिचारो से दूर रहने वाला श्रावक पौषघोपवास वृत की यथार्थ आराधना कर सकता है। प्रथम चार अतिचारो मे अनिरीक्षण अथवा दुनिरीक्षण एवं अप्र-मार्जन अथवा कुप्रमार्जन के कारण हिंसादोप की संभावना रहती है-जीवजन्तु का हनन होने की शक्यता रहती है।

४ . अतिथियविभाग-यथासविभाग अथवा अतिथिसंविभाग

चतुर्थं शिक्षावत है। यह श्रावक का वारहवाँ अर्थात् अंतिम वत है। यथासिद्ध अर्थात् ग्रपने निमित्त बनाई हुई अपने ग्रधिकार की वस्तु का अतिथि के लिए समुचित विभाग करना यथासविभाग अथवा अतिथिसविभाग कहलाता है। जैसे श्रावक अपनी आय को अपने तथा अपने कुटुम्ब के लिए व्यय करना अपना कर्तव्य समभता है वैसे ही वह अतिथि आदि के निमित्त अपनी आय का अमुक भाग सहजतया व्यय करना भी अपना कर्तव्य मानता है। यह कार्य वह किसी स्वार्थ के कारण नहीं करता अपितु विशुद्ध परमार्थं की भावना से करता है। इसीलिए उसका यह त्याग उत्कृष्ट कोटि मे आता है । जिसके आने-जाने की कोई तिथि अर्थात् दिन निश्चित न हो उसे अतिथि कहते है। जो घूमता-फिरता कभी भी कही पहुँच जाय वह अतिथि है। उसका कोई निहिचत कार्यक्रम नही होता, जाने-आने के निहिचत स्थान नही होते। इतना ही नही, उसका भोजन आदि ग्रहण करने का भी कोई निश्चित कार्यंक्रम नहीं होता । उसे जहाँ जिस समय जैसी भी उपयुक्त सामग्री उपलब्घ हो जाती है वहाँ उस समय उसी से सन्तोष प्राप्त हो जाता है। निर्ग्रन्थ श्रमण को इसी प्रकार का अतिथि कहा गया है। आध्यात्मिक साधना के लिए जिसने गृहवास का त्याग कर अनगारधर्म स्वीकार किया है उस भ्रम-णशील पदयात्री निर्ग्रन्थ श्रमण भिक्षुक को न्यायोपाजित निर्दोष वस्तुओ का नि स्वार्थभाव से श्रद्धापूर्वक दान देना उत्कृष्ट कोटि का अतिथिसविभाग व्रत है। सयमी एवं साधक पुरुषों को आव-इयक वस्तुओं का दान देने से पवित्र जीवन का अनुमोदन होता है-

आध्यात्मिक साघना का पोषण होता है। इससे दाता का जीवन भी उपयुक्त दिशा में विकसित होता है। जिस प्रकार निर्ग्रन्थ अतिथि को दान देना श्रमणोपासक का कर्तव्य है उसो प्रकार नि.स्वार्थभाव से अन्य अतिथियों अथवा व्यक्तियों की समुचित मदद करना, दीन-दु.खियों की यथोचित सहायता करना भी श्रावक का घर्म है। इससे करुणावृत्ति का पोषण होता है जो अहिंसाधमें के उपयुक्त विकास एव प्रसार के लिए आवश्यक है।

श्रतिथिसविभाग वृत के निम्नलिखित पाँच अतिचार वताये गये हैं जो मुख्यतया आहार से सम्वन्धित हैं १. सचित्त-निक्षेप, २. सचित्तिपद्यान, ३. कालातिऋम, ४. परव्यपदेश, ५. मात्सर्य। न देने की भावना से अर्थात् कपटपूर्वक साघु को देने योग्य आहारादि को सचित्त-सचेतन वनस्पति आदि पर रखना सचित्तनिक्षेप है क्योंकि निर्ग्रन्थ श्रमण ऐसा ओहारादि ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार आहारादि को सचित्त वस्तु से ढकना सचित्तिपिधान है। अतिथि को कुछ न देना पड़े, इस भावना से अर्थात् कपटपूर्वक भिक्षा के उचित समय से पूर्व ग्रथवा परचात् भि ज्ञुक से आहारादि ग्रहण करने की प्रार्थना करना कालातिकम अतिचार है। न देने की भावना से अपनी वस्तु को परायी कहना अथवा परायी वस्तु देकर अपनी वस्तु वचा लेना अथवा अपनी वस्तु स्वय न देकर दूसरे से दिलवाना पर-व्यपदेश है। सहजभाव से अर्थात् श्रद्धापूर्वंक दान न देते हुए दूसरे के दानगुण की ईर्ष्या से दान देना मात्सर्य अतिचार है। सल्लेखना अथवा संधारा :

जीवन के अन्तिम समय में अर्थात् मृत्यु आने के समय तप-

विशेप की आराधना करना सल्लेखना कहलाता है। इसे शास्त्रीय परिभाषा मे अपिक्चम-मारणान्तिक-सल्लेखना कहते हैं। अप-विचम का अर्थ है जिसके पीछे कोई दूसरा नहीं है अर्थात् सबसे अन्तिम। मारणान्तिक का अर्थ है मृत्युरूप अन्त मे होने वाली। सल्लेखना का अर्थ है जिसके द्वारा कपायादि कुश हो वैसी सम्यक् आलोचनायुक्त तपस्या । इस प्रकार अपश्चिम-मारणान्तिक-सल्ले-खना का अर्थ होता है मरणान्त के समय अपने भूतकालीन समस्त कृत्यो की सम्यक् आलोचना करके शरीर व कषायादि को कृश करने के निमित्त की जानेवाली सबसे अन्तिम तपस्या। इसका सीवे शब्दो मे अर्थ होता है अन्तिम समय मे आहारादि का त्याग कर (पहले अन्न व वाद में जल अथवा दोनो एक साथ छोड़कर) समाधिपूर्वक मृत्यु प्राप्त करना । इस दृष्टि से सल्लेखना प्राणान्त अनशन है। सल्लेखनापूर्वक होने वाली मृत्यु को जैन आचार-शास्त्र मे समाधिमरण व पण्डितमरण कहा गया है। इसे सथारा भी कहा जाता है। समाधिपरण व पडितमरण का अर्थ होता है स्वस्थ चित्तपूर्वक व विवेकयुक्त प्राप्त होने वाली मृत्यु । संथार ग्रर्थात् सस्तारक का अर्थ होता है विछोना। चूँकि सल्लेखना मे व्यक्ति सस्तारक ग्रहण करता है अर्थात् आहारादि का त्याग कर विछौना विछा कर शान्त चित्त से एक स्थान पर लेटा रहता है इसलिए इसे सथारा कहते है। जव व्यक्ति का शरीर इतना निर्वल हो जाता है कि वह सयम अर्थात् आचार के पालन के लिए सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध होता है तव उससे मुक्त होना ही साधक के लिए श्रेयस्कर होता है। दूसरे शब्दो मे जब शरीर किसी काम का न रह कर केवल भारभूत हो जाता है तब उससे
मुक्ति पाना ही श्रेष्ठ होता है। ऐसी अवस्था मे बिना किसी
प्रकार का कोध किये प्रशान्त एवं प्रसन्न चित्त से ग्राहारादि का
त्याग कर आत्मिक चिन्तन करते हुए समभावपूर्वक प्राणोत्सर्ग
करना सल्लेखना वृत का महान् उद्देश्य है। अथवा अन्य प्रकार
से मृत्यु का प्रसग उपस्थित होने पर निर्विकार चित्तवृत्ति से देह
का त्याग करना भी सल्लेखना है। श्रावक व श्रमण दोनो के
लिए सल्लेखना वृत का विधान है। इसे वृत न कह कर वृतान्त
कहना ही अधिक उपयुक्त होगा वयोकि इसमे समस्त वृतों का
अन्त रहा हुआ है। इसमे जैसे शरीर का प्रशस्त अन्त अभीष्ट
है वैसे ही वृतो का भी पवित्र अन्त वािछ्त है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सल्लेखना अथवा सथारा आत्मघात नहीं है। ग्रात्मघात के मूल में अतिशय कोघादि कपाय विद्यमान होते हैं जबिक सल्लेखना के मूल में कषायों का सर्वथा अभाव होता है। आत्मघात चित्त की अशान्ति एव अप्रसन्नता का द्योतक है जबिक सल्लेखना चित्त की प्रसन्नता एव शान्ति का निर्देशक है। आत्मघात में मानसिक ग्रसन्तुलन की परिसीमा होती है जबिक सल्लेखना में समभाव का उत्कर्ष होता है। आत्मघात विकृत चित्तवृत्ति का परिणाम है जबिक सल्लेखना निर्विकार चित्तवृत्ति के परिणाम है जबिक सल्लेखना निर्विकार चित्तवृत्ति से होती है। सल्लेखना जीवन के अन्तिम समय में अर्थात् शरीर की अत्यधिक निर्वलता—अनुपयुक्तता—भारभूतता की स्थिति में अथवा अन्यथा मृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर की जाती है जबिक आत्मघात किसी भी स्थिति में किया जा सकता

है। सल्लेखनापूर्वंक होने वाली मृत्यु निष्कपायमरण, समाधिमरण एव पण्डितमरण है जविक आत्महत्या सकपायमरण, वालमरण एवं अज्ञानमरण है। सल्लेखना आध्यात्मिक वीरता-निर्भीकता है जविक आत्महत्या निराशामय कायरता—भीक्ता है। आत्महत्या करनेवाला व्यक्ति स्थूल जीवन की निराशा से अब कर मृत्युमुख मे प्रवेश करता है जबिक संथारा करनेवाला आराधक आध्या-त्मिक गुणो की रचा के लिए वीरतापूर्वक मृत्यु का आह्वान करता है। उसमे स्थूल जीवन के लोभ से आध्यात्मिक गुणो से च्युत होकर अर्थात् अपने व्रतविशेप का भगकर मृत्यु से भयभीत होने की कायरता नहीं होती और न स्थूल जीवन की निराशाओं से हताश होकर मृत्युमुख मे प्रवेश करने की पामरता ही होती है। वह जितना जीवन से निर्भय होता है उतना ही मृत्यु से निर्भय होता है एव जितना मृत्यु से निर्भीक रहता है उतना ही जीवन से निर्भीक रहता है। उसके लिए जीवन व मृत्यु दोनों समानभाव से उपादेय होते हैं। वह सुख, सत्कार आदि मिलने पर अधिक समय तक जीवित रहने की कामना नही करता एव दु.ख, दुत्कार आदि मिलने पर शीघ्र मरने की इच्छा नही करता। कषा-यादि को कृश करता हुआ स्वाभाविकतया मृत्यु आने पर उसका सहर्षं स्वागत करता है एवं उत्कृष्ट आत्मपरिणामो के साथ अपनी जीवनलीला समाप्त करता है। इस प्रकार के मरण को आदर्श मरण न कहा जाय तो क्या कहा जाय ? इससे बढकर सात्त्विक एव शान्तिपूर्ण मृत्यु कौनसी हो सकती है ? इससे अधिक व्यक्ति के चैर्य एव विचारशीलता की क्या परीक्षा हो सकती है ? इसमे किसी प्रकार के ग्रावेश एवं अविवेक को स्थान ही कहाँ? जो शरीर अब रुकने की स्थिति में नहीं है उसे इससे वढकर और शानदार विदाई क्या दी जा सकती है? इससे किसी का क्या अहित हो सकता है? इसमें व्यक्ति व समाज दोनों का हित निहित है। इसकी आत्महत्या से किसी भी रूप में तुलना नहीं की जा सकती। जैन आचारशास्त्र परहत्या की तरह आत्महत्या को भी भयकर पाप मानता है। कषायमुक्त वीतराग ग्रहत्प्रणीत आचारशास्त्र में सकषाय मृत्यु अर्थात् कोधादि कपायजन्य आत्मधातरूप मरण का विधान ग्रथवा समर्थन कैसे हो सकता है?

द्वादश क्रतो की ही भाति मारणान्तिकी सल्टेखना अथवा सथारा के भी मुख्य पाच अतिचार वताये गये हैं जो इस प्रकार हैं: १ इहलोकाशसाप्रयोग, २. परलोकाशसाप्रयोग, ३. जीविता-शसाप्रयोग, ४. मरणाशंसाप्रयोग, ५ कामभोगाशंसाप्रयोग । इह-लोक अर्थात् मनुष्यलोक, आशंसा अर्थात् ग्रभिलापा, प्रयोग ग्रर्थात् प्रवृत्ति । इहलोकाशसाप्रयोग ग्रर्थात् मनुष्यलोकविषयक अभिलापा-रूप प्रवृत्ति । सल्लेखना के समय इस प्रकार की इच्छा करना कि आगामी भव मे इसी लोक मे धन, कीर्ति, प्रतिष्ठा ग्रादि प्राप्त हो-इहलोकाशंसाप्रयोग अतिचार है। इसी प्रकार परलोक मे देव आदि वनने की इच्छा करना परलोकाशसाप्रयोग अतिचार है। अपनी प्रशसा, पूजा-सत्कार आदि होता देख कर अधिक काल तक जीवित रहने की इच्छा करना जीविताशंसाप्रयोग अतिचार हे। सत्कार आदि न होता देख कर अथवा कष्ट आदि से घवरा-कर शीघ्र मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा करना मरणाशसाप्रयोग अतिचार है। आगामी जन्म मे मनुष्यसम्बन्धी ग्रथवा देवसम्बन्धी कामभोग प्राप्त करने की इच्छा करना कामभोगाशंसाप्रयोग अति-चार है। मारणान्तिकी सल्लेखना की ग्रराधना करनेवाले को इन व इस प्रकार के अन्य अतिचारों से बचना चाहिए। इससे सल्लेखना की निर्दोष ग्राराधना होती है। दोप लगने की स्थिति में आलो-चना व पश्चात्तापपूर्वक चित्तशुद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार शुद्ध तथा शान्तभाव से निष्कषाय एव निर्दोष मृत्यु का वरण करना चाहिए।

प्रतिमापं :

उपासकदशांग में आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए वताया गया है कि उसने भगवान् महावीर से पाच अणुव्रत व सात शिक्ता-व्रत रूप वारह प्रकार के गृहस्थ-धर्म को स्वीकार किया एवं घर में रह कर वारह व्रतो का पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत किए। पद्रह्वे वर्ष के प्रारम में उसे विचार आया कि मैंने जीवन का काफी हिस्सा गृहस्थ-जीवन में व्यतीत किया है। ग्रव क्यों न गृहस्थी के भभटों से मुक्त होकर श्रमण भगवान् महावीर से गृहीत धर्मप्रक्रित स्वीकार कर अपना समय व्यतीत करूँ ? ऐसा विचार कर उसने मित्रो आदि के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का सारा भार सौपा एवं सबसे विदा लेकर पौषधशाला में जाकर पौषध ग्रहण कर श्रमण भगवान् महावीर से ली हुई धर्मप्रक्रित स्वीकार कर रहने लगा। उसने उपासक-प्रतिमाएं अगीकार की एवं एक-एक करके ग्यारह प्रतिमाओं की आरा- धना की । अन्त मे मारणान्तिक सल्लेखना स्वीकार कर भक्तपान का प्रत्याख्यान कर समाधिमरण प्राप्त किया एव सौधर्म देवलोक के सौधर्मावतसक महाविमान के उत्तर-पूर्व मे स्थित अरुण विमान मे चार पल्योपम की स्थितिवाले देव के रूप मे उत्पन्न हुआ। वहाँ की आयु पूर्ण कर वह महाविदेह मे मुक्त होगा।

श्रानन्द के इस वर्णन में स्पष्ट उल्लेख है कि उसने द्वादश श्रावक-व्रतों का पालन करते हुए जीवन के अन्तिम भाग में एकादश उपासक-प्रतिमाओं की आराधना की एवं सल्लेखना-पूर्वक मृत्यु प्राप्त की। द्वादश व्रतों व सल्लेखना का परिचय तो पाठकों को प्राप्त हो ही चुका है। अब एकादश प्रतिमाओं का परिचय कराना अभीष्ट होगा।

यहाँ प्रतिमा का अर्थ है प्रतिज्ञाविशेष, व्रतिवशेष, तप-विशेष अथवा अभिग्रहिवशेष। प्रतिमास्थित श्रावक श्रमणवत् व्रतिवशेषो की आराधना करता है। कोशकार प्रतिमा के मूर्ति, प्रतिकृति, प्रतिविम्व, विम्व, छाया, प्रतिच्छाया आदि अर्थ देते हैं। चूँ कि प्रतिमाओं की आराधना करने वाले श्रावक का जीवन श्रमण के सदद्य होता है अर्थात् उसका जीवन एक प्रकार से श्रमण-जीवन की ही प्रतिकृति होता है ग्रत. उसके व्रतिवशेषों को प्रतिमाएँ कहा जाता है। जिस प्रकार श्रावक के लिए श्रमण-जीवन की प्रतिकृतिरूप एकादश उपासक-प्रतिमाओ का विधान किया गया है उसी प्रकार श्रमण के लिए भी अपने से उच्च कोटि के साधक के जीवन की प्रतिकृतिरूप द्वादश भिक्षु-प्रतिमाओ का विधान किया गया है। दशाश्रुतस्कन्ध मे इन दोनो प्रकार की प्रतिमाओ—साधना-सोपानो का संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित वर्णन है। पष्ठ उद्देश में उपासक-प्रतिमाओं तथा सप्तम उद्देश में भिक्षु-प्रतिमाओं पर प्रकाश डाला गया है। व्रतधारी श्रावक में प्रारम्भ की कुछ प्रतिमाएँ पहले से ही विद्यमान होती है। अतः उनके लिये उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जिसे श्रावक के व्रतों के पालन का अभ्यास नहीं होता उसे प्रथम प्रतिमा से ही प्रयत्नशील होना पडता है।

प्रथम प्रतिमा मे सम्यग्दृष्टि अर्थात् आस्तिकदृष्टि प्राप्त होती है। इसमे सर्वधर्मविषयक रुचि अर्थात् सर्वगुणविषयक प्रीति होती है। दृष्टि दोषों की ओर न जाकर गुणो की ओर जाती है। यह प्रतिमा दर्शनशुद्धि अर्थात् दृष्टि की विशुद्धता—श्रद्धा की यथार्थता से सम्बन्ध रखती है। इसमे गुणविषयक रुचि की विद्य-मानता होते हुए भी शोलवत, गुणवत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास आदि की सम्यक् आराधना नहीं होती। इसका नाम दर्शन-प्रतिमा है।

द्वितीय प्रतिमा का नाम व्रतप्रतिमा है। इसमे शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास ग्रादि तो सम्यक्-तया धारण किये जाते हैं किन्तु सामायिकव्रत एव देशावकाशिक-व्रत का सम्यक् पालन नहीं होता।

तृतीय प्रतिमा का नाम सामायिक प्रतिमा है। इसमे सामा-यिक एव देशावकाशिक व्रतों की सम्यक् आराधना होते हुए भी चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि के दिनो मे पौषघोप-वासव्रत का सम्यक् पालन नहीं होता। चतुर्थं प्रतिमा मे स्थित श्रावक चतुर्दशी आदि के दिनो में प्रतिपूर्ण पौषधव्रत का सम्यक्तया पालन करता है। इसका नाम पौषधप्रतिमा है।

पाचवी प्रतिमा का नाम है नियमप्रतिमा। इसमे स्थित श्रमणोपासक निम्नोक्त पाँच नियमो का विशेप रूप से पालन करता है: १ स्नान नहीं करना, २. रात्रिभोजन नहीं करना, ३. घोती की लाग नहीं लगाना, ४ दिन में ब्रह्मचारी रहना एव रात्रि में मैथुन की मर्यादा करना, ५ एकरात्रिकी प्रतिमा का पालन करना अर्थात् महीने में कम-से-कम एक रात कायो-त्सर्ग अवस्था में घ्यानपूर्वक व्यतीत करना।

छठी प्रतिमा का नाम ब्रह्मचर्यप्रतिमा है क्योकि इसमे श्रावक दिन की भाँति रात्रि में भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस प्रतिमा में सर्व प्रकार के सचित्त आहार का परित्याग नहीं होता।

सातवी प्रतिमा में सभी प्रकार के सचित्त आहार का परित्याग कर दिया जाता है किन्तु आरम्भ (कृषि, व्यापार आदि में होने वाली अल्प हिंसा) का त्याग नहीं किया जाता। इस प्रतिमा का नाम है सचित्तत्यागप्रतिमा।

आठवी प्रतिमा का नाम आरम्भत्यागप्रतिमा है। इसमे उपासक स्वय तो आरभ का त्याग कर देता है किन्तु दूसरो से आरभ करवाने का परित्याग नहीं कर सकता।

नवी प्रतिमा घारण करनेवाला श्रावक आरभ करवाने का भी त्याग कर देता है । इस अवस्था मे वह उद्दिष्ट भक्त अर्थात् अपने निःमित्त से वने हुए भोजन का परित्याग नहीं करता। इस प्रतिमा का नाम प्रेष्यपरित्यागप्रतिमा है नयों कि इसमें आरभ के निमिन्त्र किसी को कही भेजने-भिजवाने का त्याग होता है। आरभवर्धक परिग्रह को त्याग होने के कारण इसे परिग्रहत्यागप्रतिमा भी कहेते हैं।

दसवी प्रतिमा में उद्दिष्ट भक्त देना भी त्याग कर दिया जाता है। इस प्रतिमा में स्थित श्रमणीपा मक उस्तरे से मुण्डित होता हुआ शिखा धारण करता है अर्थात् सिर्गृको एकदम साफ न कराता हुआ चोटी जितने बाल सिर पर रखता है। इससे यह मालूम होता है कि गृहस्थ के सिर पर चोटी रखने के एक प्रथा जैन परम्परा में भी मान्य रही है। दसवी प्रतिमा धार जितने वाले गृहस्थ को जब कोई एक बार अथवा अनेक बार बुलाता है या एक अथवा अनेक प्रश्न पूछता है तब वह दो ही उत्तर देता है। जानने पर कहता है कि मैं यह जानता हूँ। न जानने की स्थित में कहता है कि मुझे यह मालूम नहीं। चूंकि इस प्रतिमा में उद्दिष्ट भक्त का त्याग अभिप्रेत होता है अत. इसका नाम उद्दिष्टभक्तत्यागप्रतिमा है।

ग्यारह्वी प्रतिमा का नाम श्रमणभूतप्रतिमा है। श्रमणभूत का अर्थ होता है श्रमण के सदृश। जो गृहस्थ होते हुए भी साष्ट्र के समान आचरण करता है अर्थात् श्रावक होते हुए भी श्रम के समान किया करता है वह श्रमणभूत कहलाता है। श्रम भूतप्रतिमाप्रतिपन्न श्रमणोपासक बालों का उस्तरे से मुण्डा वाता है अथवा हाथ से लुचन करता है। इस प्रतिमा मे नहीं रखी जाती। वेष, भाण्डोपकरण एवं आचरण श्रमण के ही समान होता है। श्रमणभूत श्रावक मुनिवेप में अनगारवत् आचार-धर्म का पालन करता हुआ जीवनयापन करता है। सम्बन्धियों व जाति के लोगों के साथ यत्किंचित् स्नेह्बन्धन होने के कारण उन्हों के यहाँ से अर्थात् परिचित घरों से ही भिचा ग्रहण करता है। भिचा लेते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि दाता के यहाँ उसके पहुँचने के पूर्व जो वस्तु बन चुकी होती है वही वह ग्रहण करता है, अन्य नहीं। यदि उसके पहुँचने के पूर्व चावल पक चुके हो और दाल न पकी हो तो वह चावल ले लेगा, दाल नहीं। इसी प्रकार यदि दाल पक चुकी हो और चावल न पके हो तो वह दाल ले लेगा, चावल नहीं। पहुँचने के पूर्व दोनों चीजे बन चुकी हो तो दोनों ले सकता है और एक भी न बनी हो तो एक भी नहीं ले सकता।

प्रतिमाएं गुणस्थानो की तरह आत्मिक विकास के बढते हुए अथवा चढते हुए सोपान हैं अत उत्तर-उत्तर प्रतिमाओं मे पूर्व-पूर्व प्रतिमाओं के गुण स्वत समाविष्ट होते जाते हैं। जब श्रावक ग्यारह्वी अर्थात् अन्तिम प्रतिमा की आराधना करता है तब उसमे प्रारम्भ से लेकर अन्त तक की समस्त प्रतिमाग्रो के गुण रहते हैं। इसके वाद अपनी शक्ति के ग्रनुसार चाहे वह मुनि-धर्म को दीचा ग्रहण कर सकता है, चाहे उसी प्रतिमा को धारण किये रह सकता है। इन प्रतिमाओं मे से कुछ के लिए ग्रधिकतम कालमर्यादा भी वतलाई गई है। उदाहरण के लिए पांचवी प्रतिमा का अधिकतम काल पाच मास, छठी का छः मास, १३०: जैन आचार

यावत् ग्यारहवी का ग्यारह मास है। यह एक साधारण विघान है। साधक के सामर्थ्य के अनुसार इसमे यथोचित परिवर्तन भी हो सकता है।

इवेताम्बर व दिगम्बर परम्परा-सम्मत उपासक-प्रतिमाओं के कम तथा नामों मे नगण्य अन्तर है। इवेताम्बर-परम्परा मे एकादश उपासक-प्रतिमाओं के नाम क्रमानुसार इस प्रकार मिलते है : १. दर्शन, २ व्रत, ३. सामायिक, ४. पौषध, ५ नियम, ६. ब्रह्मचर्य, ७ सचित्तत्याग, ८ आरम्भत्याग, ९. प्रेष्यपरि-त्याग अथवा परिग्रहत्याग, १० उ दिष्टभक्तत्याग, ११. श्रमण-भूत । दिगम्बर-परम्परा में इन प्रतिमाओं के नाम इस ऋम से मिलते हैं: १. दर्शन, २. व्रत, ३.सामायिक, ४. पौषघ, ५ सचित्त-त्याग, ६ रात्रिभुक्तित्याग, ७. ब्रह्मचर्य, ८. आरम्भत्याग, ९. परिग्रह्त्याग, १०. अनुमतित्याग, ११ उद्दिष्टत्याग। उद्दिष्ट-त्याग के दो भेद होते हैं जिनके लिये ऋमशः चुल्लक और ऐलक शब्दो का प्रयोग होता है। ये श्रावक की उत्कृष्ट अवस्थाएँ होती हैं। क्वेताम्बर व दिगम्बर-सम्मत प्रथम चार नामो मे कोई अन्तर नही है। सचित्तत्याग का कम दिगम्बर-परम्परा में पाचवा है जबिक श्वेताम्बर-परम्परा मे सातवा है। दिगम्बरा-भिमत रात्रिभुक्तित्याग श्वेताम्बराभिमत पाचवी प्रतिमा नियम के अन्तर्गत समाविष्ट है। ब्रह्मचर्य का क्रम इवेताम्बर-परम्परा मे छठा है जबिक दिगम्बर-परम्परा मे सातवां है। दिगम्बर-सम्मत अनुमतित्याग श्वेताम्बरसम्मत उद्दिष्टभक्तत्याग के ही अन्तर्गत समाविष्ट हो जाता है क्योंकि इस प्रतिमा मे श्रावक

उदिष्ट भक्त ग्रहण न करने के साथ ही किसी प्रकार के आरम्भ का समर्थन भी नहीं करता। क्वेताम्बराभिमत श्रमणभूतप्रतिमा ही दिगम्बराभिमत उदिष्टत्यागप्रतिमा है क्यों कि इन दोनों में श्रावक का आचरण भिचुवत् होता है। चुल्लक व ऐलक श्रमण के ही समान होते हैं।

प्रतिक्रमण े

जीतकल्प सूत्र में जिन दस प्रकार के प्रायञ्चित्तो का विधान किया गया है उनमे प्रतिक्रमण भी एक है। प्रतिक्रमण अर्थात् वापसी। यहाँ वापसी का अर्थ है शुभयोग से अशुभयोग मे गये हुए ग्रपने आपको पुनः शुभयोग मे लाना । साधक प्रमादवश शुभयोग से च्युत होकर अशुभयोग मे पहुँच जाता है। इस प्रकार अशुभयोग को प्राप्त करने के बाद फिर से शुभयोग को प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। जिस प्रकार श्रमण के लिये व्रतो में दोष लगने पर प्रतिक्रमणरूप प्रायश्चित्त आवश्यक माना गया है उसी प्रकार श्रावक के लिये भी अतिचारों की शुद्धि के लिये प्रति-क्रमण की ग्रावश्यकता स्वीकार की गई है। श्रावक स्थूल प्राणा-तिपात-विरमण आदि जिन व्रतों को स्वीकार करता है उनमे बन्घ, वध आदि अनेक अतिचाररूप दोष लगने की सम्भावना रहती है। इन दोषों का सम्यक् निरीक्षण कर आलोचनापूर्वक परवात्ताप करना चाहिये एव भविष्य मे उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखना चाहिये। इस प्रकार श्रावक अशुभयोग से निवृत्त होकर विशुद्धभाव से उत्तरोत्तर शुभयोग मे प्रवृत्त होता १३२: जैन आचार

जाता है। यही प्रतिक्रमण की सार्थकता है। प्रतिक्रमण का प्रयोजन साधक के जीवन से प्रमादभाव को दूर करना है। अज्ञान, मिथ्याज्ञान, राग, द्वेप आदि प्रमाद के ही रूप हैं। प्रमाद साधक-जीवन का एक भयंकर रोग है जो साधना को सड़ा-गला कर नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। प्रतिक्रमण इस रोग को नष्ट करने की एक भ्रद्भुत औषि है। साधक को इस ढंग से प्रति-क्रमणरूप श्रौषि का सेवन करते रहना चाहिए कि प्रमादरूप रोग जीवन में तनिक भी पनपने न पाए।

श्रम ग - धर्म

महाव्रत रात्रिभो जन-विरमणवृत षडावश्यक आदर्श श्रमण अचेलकत्व व सचेलकत्व वस्त्रमर्यादा वस्त्र की गवेषणा पात्र की गवेषणा व उपयोग आहार आहार क्यों ? आहार क्यों नही ? विशुद्ध आहार आहार का उपयोग आहारसम्बन्धी दोष एकभक्त विद्वार अर्थात् गमनागमन नौकाविहार पदयात्रा वसति अर्थात् उपाश्रय

सामाचारी सामान्य चर्या पर्युषणाकल्प भिक्षु-प्रतिमाएँ समाधिमरण अथवा पण्डितमरण

: 4:

उपासक अथवा श्रावक अंशत. हिसादि का त्याग करता है अत. वह देशविरत कहलाता है। श्रमण अथवा भिन्नु पूर्णतः हिंसादि का प्रत्याख्यान करता है अत. वह सर्वविरत कहलाता है। श्रावक के व्रतो को अणुव्रत अर्थात् आंशिक त्याग और श्रमण के वतो को महावत अर्थात् पूर्ण त्याग कहा जाता है। सर्वविरतिरूप महाव्रत पाँच हैं : १. सर्वप्राणातिपात-विरमण, २ सर्वमृपावाद-विरमण, ३. सर्वअदत्तादान-विरमण, ४. सर्व-मैथुन-विरमण, ५. सर्वपरिग्रह्-विरमण। प्राणातिपात अर्थात् हिंसा आदि का करना, कराना ओर अनुमोदन करना रूप तीन करणो का मन, वचन और काय रूप तीन योगो से निपेध किया गया है। इस प्रकार के त्याग को नवकोटि (३ \times ३=९) प्रत्याख्यान कहा जाता है। प्राणातिपात से नवकोटि से विरति लेना सर्वप्राणातिपात-विरमणरूप प्रथम महावृत है। इसी प्रकार मृषावाद अर्थात् भूठ, अदत्तादान अर्थात् चोरी, मैथुन अर्थात् कामभोग और परिग्रह अर्थात् संग्रह के नवकोटि प्रत्याख्यानरूप सर्वमृषावाद-विरमण, सर्वअदत्तादान-विरमण, सर्वमैथुन-विरमण और सर्वपरिग्रह-विरमण के विषय में समक्त लेना चाहिए। ये महाव्रत यावक्जीवन अर्थात् जीवनभर के लिए होते हैं। महावत

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय

और त्रसकाय जीवनिकाय हैं। इन छ जीवनिकायो की हिंसा का नवकोटि-प्रत्याख्यान सर्वप्राणातिपात-विरमण महाव्रत कह-लाता है। पृथ्वीकाय अर्थात् भूमि, ग्रप्काय अर्थात् जल, तेज-स्काय अर्थात् वह्मि, वायुकाय अर्थात् पवन, वनस्पतिकाय अर्थात् हरित और त्रसकाय अर्थात् द्वीन्द्रियादि प्राणी। महाव्रतघारी श्रमण अथवा श्रमणी का कर्तव्य है कि वह दिन मे अथवा रात्रि मे, अकेले अथवा समूह मे, सोते हुए अथवा जागते हुए भूमि,भित्ति, शिला, पत्थर, घुलियूक्त शरीर अथवा वस्त्र को हस्त, पाद, काप्छ, अंगुली, शलाका आदि से न झाड़े, न पोंछे, न डघर-उघर हिलाये, न छेदन करे, न भेदन करे । अपने धूलियुक्त शरीर आदि को वस्त्रादि मृदु साघनो से सावधानीपूर्वक भाड़े-पोछे । उदक, ओस, हिम, आई शरीर अथवा आई वस्त्र को न छुए, न सुखाए, न निचोड़े, न भटके, न अग्नि के पास रखे। अपने गीले शरीर आदि को यतनापूर्वक सुखाए अथवा सूखने दे। अग्नि, अगार, चिनगारी, ज्वाला अथवा उत्का को न जलाये, न बुझाये, न हिलाये, न जल से शान्त करे, न विखेरे। पखे, पत्र, शाखाः, वस्त्र, हस्त, मुख ग्रादि से ह्वा न करे। बीज, अकुर, पौधे, वृक्ष ग्रादि पर पैर न रखे, नवैठे. न सोये। हाथ, पैर, सिर, वस्त्र, पात्र, रजोहरण, शय्या, सस्तारक आदि में कीट, पतग, कुथू, चीटी आदि दिखाई देने पर उन्हें यतना-पूर्वक एकान्त मे छोड़ दे। प्रत्येक जीव जीने की इच्छा करता है। कोई भी मरना नहीं चाहता। जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्रिय है उसी प्रकार दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय है। इस-लिए निर्ग्रन्थ मुनि प्राणवध का त्याग करते है। असावधानी-

पूर्वक बैठने, उठने, चलने, सोने, खाने, पीने, बोलने से पापकर्म बँधता है। इसलिए भिन्नु को समस्त किया यतनापूर्वक करनी चाहिए। जो जीव और अजीव को जानता है, वस्तुत. वही सयम को जानता है। क्यों कि जीव और अजीव को जानने पर ही सयमी जीवों की रक्षा कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि पहले ज्ञान है, फिर दया। जो सयमी ज्ञानपूर्वक दया का आचरण करता है वही वस्तुत. दयाधर्म का पालन करता है। अज्ञानी न पुण्य-पाप को समझ सकता है, न धर्म-अधर्म को जान सकता है, न हिंसा-अहिंसा का विवेक कर सकता है।

आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की तृतीय चूला मे पाच महाव्रतो की पचीस भावनाएँ वताई गई हैं जिनके पालन से महाव्रतो की रक्षा होती है। प्राणातिपात-विरमण की पाच भाव-नाएँ ये हैं . १. ईर्याविषयक समिति—गमनागमनसम्बन्धी साव-धानी, २. मन की अपापकता—मानसिक विकाररहितता, ३ वचन की अपापकता—वाणी की विशुद्धता, ४. भाण्डोपकरणविषयक समिति—पात्रादि उपकरण-सम्बन्धी सावधानी, ५. भक्त-पान-विषयक आलोकिकता—खान-पानसम्बन्धी सचेतता। ये एवं इसी प्रकार की अन्य प्रशस्त भावनाएँ अहिसाव्रत को सुदृढ एवं सुरक्षित करती हैं।

जिस प्रकार सर्वविरत श्रमण जीवकाय की हिसा का सर्वथा त्याग करता है उसी प्रकार वह मृपावाद से भी सर्वथा विरत होता है। असत्य हिंसादि दोषो का जनक है, यह समझकर वह कदापि असत्य वचन का प्रयोग नहीं करता। वह हमेशा निर्दोप, अकर्कश, असंदिग्ध वाणी वोलता है। क्रोध, मान, माया व लोभमूलक वचन तथा जान-वूझकर श्रथवा अज्ञानवश प्रयोग किये जाने वाले कठोर वचन अनार्य वचन हैं। ये दोषयुक्त होने के कारण त्याज्य है। श्रमण को सदिग्ध अथवा अनिश्चित दशा में निञ्चय-वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्यक्तया निश्चय होने पर ही निश्चय-वाणी बोलनी चाहिए। सदोष, कठोर, जीवों को कष्ट पहुचाने वाली भाषा भिक्षु न बोले। वह सत्य, मृदु, निर्दोष, अभूतोपघातिनी भाषा काम मे ले। सत्य होने पर भी अवज्ञासूचक शब्दों का प्रयोग न करे किन्तु सम्मानसूचक शब्द प्रयोग मे ले। सत्तेप मे कहा जाय तो सर्वविरत भिक्षु को कोघादि कषायो का परित्याग कर, समभाव धारण कर विचार व विवेक पूर्वक सयमित सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

सत्यव्रत की पाच भावनाएँ ये हैं: १. वाणीविवेक, २. क्रोघ-त्याग, ३. लोभत्याग, ४ भयत्याग, ४. हास्यत्याग। वाणीविवेक अर्थात् सोच-समभकर भाषा का प्रयोग करना। क्रोधत्याग अर्थात् गुस्सा न करना। लोभत्याग अर्थात् लालच मे न फसना। भयत्याग अर्थात् निर्भोक रहना। हास्यत्याग अर्थात् हँसी-मजाक न करना। इन व इसी प्रकार की अन्य प्रशस्त भावनाओं से सत्यव्रत की रक्षा होती है।

अदत्तादान से सर्वथा विरमण होने वाला श्रमण कोई भी वस्तु बिना दी हुई ग्रहण नहीं करता। वह बिना अनुमित के एक तिनका उठाना भी स्तेय अर्थात् चोरी समक्ता है। किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई अथवा अज्ञात स्वामी की वस्तु को छूना भी उसके लिए निषिद्ध है। आवश्यकता होने पर वह स्वामी की अनुमति से अर्थात् उपयुक्त व्यक्ति के देने पर ही किसी वस्तु को ग्रहण करता है अथवा उसका उपयोग करता है। जिस प्रकार वह स्वयं अदत्तादान का सेवन नहीं करता उसी प्रकार किसी से करवाता भी नहीं और करने-कराने वालों का समर्थन भी नहीं करता। इस प्रकार सर्वविरत मुनि सुवि-शुद्ध भावना से अदत्तादान-विरमण महाव्रत का पालन करता है। इससे उसके अहिसाव्रत के पालन में सहायता मिलती है।

अस्तेयव्रत की दृढ़ता एवं सुरक्षा के लिए पाच भावनाएँ इस प्रकार बतलाई गई हैं: १. सोच-विचार कर वस्तु की याचना करना, २ आचार्य आदि की अनुमित से भोजन करना, ३. परि-मित पदार्थ स्वीकार करना, ४. पुन-पुन. पदार्थों की मर्यादा करना, ५ सार्घीमक (साथी श्रमण) से परिमित वस्तुओं की याचना करना।

श्रमण-श्रमणो के लिए मैथुन का पूर्ण त्याग अनिवार्य है। उसके मैथुनत्याग को सर्वमैथुन-विरमण कहा जाता है। इसमे उसके लिए मन, वचन एवा काय से मैथुन का सेवन करने, करनाने तथा अनुमोदन करने का निषेघ होता है। इसे नवकोटि ब्रह्मचर्य अथवा नवकोटि शील कहा जाता है। मैथुन को अधर्म का मूल तथा महादोषों का स्थान कहा गया है। इससे अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न होते हैं, हिंसादि दोषों और कलह-संघर्ष-विग्रह का जन्म होता है। यह सब समझकर निर्ग्रथ मुनि मैथुन के ससर्ग का सर्वथा त्याग करते है। जैसे मुर्गी के वच्चे को

विल्ली से हमेशा डर रहता है उसी प्रकार संयमी श्रमण को स्त्री के शरीर एवं संयत श्रमणी को पुरुप की काया से सदा भय रहता है। वे स्त्री-पुरुष के रूप, रंग, चित्र आदि देखना तथा गीत आदि सुनना भी पाप समभते हैं। यदि उस ओर दृष्टि चली भी जाय तो वे तुरन्त सावधान होकर अपनी दृष्टि को खीच लेते हैं। वे बाल, युवा एव वृद्ध सभी प्रकार के नर-नारियों से दूर रहते हैं। इतना ही नहीं, वे किसी भी प्रकार के कामोत्तेजक अथवा इन्द्रियाकर्षक पदार्थ से अपना सम्बन्ध नहीं जोडते।

ब्रह्मचर्यव्रत के पालन के लिए पाँच भावनाएँ इस रूप में वतलाई गई हैं : १. स्त्री-कथा न करना, २. स्त्री के अंगो का अवलोकन न करना, ३. पूर्वानुभूत काम-क्रीडा आदि का स्मरण न करना, ४. मात्रा का अतिक्रमण कर भोजन न करना, ५ स्त्री आदि से सम्बद्ध स्थान में न रहना। जिस प्रकार श्रमण के लिए स्त्री-कथा आदि का निषेध है उसी प्रकार श्रमणी के लिए पुरुष-कथा आदि का प्रतिषेध है। ये एवं इसी प्रकार की अन्य भाव-नाएँ सर्वमेथुन-विरमण ब्रत की सफलता के लिए अनिवार्य है।

सर्वविरत श्रमण के लिए सर्वपरिग्रह-विरमण भी श्रनिवार्य है। परिग्रह मानव-जीवन का एक बहुत बडा पाप है, दोप है, हिंसा है। यह मनुष्य की मनोवृत्ति को उत्तरोत्तर कलुषित करता है। इससे व्यक्ति मे अज्ञान्ति उत्पन्न होती है, अज्ञुभ भावनाएँ पैदा होती हैं तथा समाज मे सघर्ष बढता है, कलह पनपता है। किसी भी वस्तु का ममत्वमूलक सग्रह परिग्रह कहलाता है। सर्वविरत श्रमण स्वय इस प्रकार का सग्रह कदापि नहीं करता, दूसरो से नहीं कराता और करने वालों का समर्थन नहीं करता। वह पूर्णतया अनासक्त एवं अकिंचन होता है। इतना ही नहीं, वह अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखता। सयम- निर्वाह के लिए वह जो कुछ भी अल्पतम उपकरण अपने पास रखता है उन पर भी उसका ममत्व नहीं होता। उनके खों जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसे शोक नहीं होता तथा प्राप्त होने पर हर्ष नहीं होता, वह उन्हें केवल संयम-यात्रा के साधन के रूप में काम में लेता है। जिस प्रकार वह अपने शरीर का अनासक्त भाव से पालन-पोपण करता है उसी प्रकार अपने उपकरणों का भी निर्मम भाव से रक्षण करता है। ममत्व अथवा आसक्ति आन्तरिक ग्रन्थि है। जो साधक इस ग्रन्थि का छेदन करता है वह निर्ग्रन्थ कहलाता है। सर्वविरत अमण इसी प्रकार का निर्ग्रन्थ होता है।

अपरिग्रह्वत की पाँच भावनाएँ ये हैं: १. श्रोत्रेन्द्रिय के विषय शब्द के प्रति राग-द्वेषरिहतता अर्थात् अनासक्त भाव, २. चक्षुरिन्द्रिय के विषय रूप के प्रति अनासक्त भाव, ३ द्राणे-न्द्रिय के विषय गन्ध के प्रति अनासक्त भाव, ४. रसनेन्द्रिय के विषय रस के प्रति अनासक्त भाव, ५ स्पर्शनेन्द्रिय के विषय स्पर्श के प्रति अनासक्त भाव।

रात्रिभोजन-विरमणवतः

वट्टकेराचार्यकृत मूलाचार के मूलगुणाधिकार नामक प्रथम प्रकरण में सर्वविरत श्रमण के २८ मूल गुणों का वर्णन है. पाच महावत, पाच समितियाँ, पाच इन्द्रियों का निरोध, छः ग्राव-श्यक, लोच, अचेलकत्व, अस्नान, क्षितिशयन, अदतघावन, स्थितिभोजन और एकभक्त । एकभक्त की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि मुनि सूर्योदय व सूर्यास्त के मध्य मे एक बार भोजन करता है। सूर्यास्त व सूर्योदय के बीच यानी रात्रि मे उसके भोजन का सर्वथा त्याग होता है। दशवैकालिक सूत्र के चुल्लिकाचार-कथा नामक तृतीय अध्ययन मे निर्ग्रन्थो के लिए औद्दे शिक भोजन, कीत भोजन, आमन्त्रण स्वीकार कर ग्रहण किया हुआ भोजन यावत् रात्रिभोजन का निषेध किया गया है। पड्-जीवनिकाय नामक चतुर्थ अध्ययन मे पाँच महाव्रतो के साथ रात्रिभोजन-विरमण का भी प्रतिपादन किया गया है एवं उसे छठा वृत कहा गया है। आचारप्रणिधि नामक आठवे अध्ययन मे स्पष्ट कहा गया है कि रात्रिभोजन हिंसादि दोषो का जनक है। ग्रत निर्ग्रन्थ सूर्य के ग्रस्त होने से लेकर सूर्य का उदय होने तक किसी भी प्रकार के आहारादि की मन से भी इच्छा न करे। इस प्रकार जैन आचार-ग्रन्थों मे सर्वविरत के लिए रात्रिभोजन का सर्वथा निषेघ किया गया है। वह आहार, पानी आदि किसी भी वस्तु का रात्रि मे उपभोग नही करता। जैन आचार-शास्त्र अहिंसावत की सम्पूर्ण साधना के लिए रात्रिभोजन का त्याग अनिवार्य मानता है।

षडावश्यकः

. • मूलाचार आदि दिगम्बर परम्परा के आचार-ग्रन्थों एवं आवश्यक आदि श्वेताम्बर परम्परा के आचार-ग्रन्थों मे सर्वविरत

मुनि के लिए पड़ावश्यक अर्थात् छ. आवश्यको का विद्यान किया गया है। इनके नाम दोनो परम्पराओ में एक हैं—ग्रभिन्न है। क्रम की दृष्टि से पांचवें व छठे नाम में विपर्यय है। दिगम्बर परम्परामें इनका क्रम इस प्रकार है. १. सामायिक, २ चतु-विश्वतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५ प्रत्याख्यान, ६ कायो-त्सर्ग। श्वेताम्बर परम्पराभिमत पड़ावश्यक-क्रम यो है: १ सामा-यिक, २. चतुर्विश्वतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५ कायो-त्सर्ग, ६ प्रत्याख्यान।

जो अवश्य करने योग्य होता है उसे आवश्यक कहते हैं। सामायिक आदि मुनि की प्रतिदिन करने योग्य क्रियाएँ हैं अतः इन्हे आवश्यक कहा जाता है। दूसरे शब्दो मे सामायिकादि षडावश्यक निर्ग्रन्थ के नित्यकर्म हैं। इन्हें श्रमण को प्रतिदिन दोनों समय अर्थात् दिन व रात्रि के ग्रन्त मे अवश्य करना होता है।

सम की आय करना अर्थात् त्रस और स्थावर सभी प्राणियों पर समभाव रखना सामायिक है। जिसकी आत्मा संयम, नियम व तम में सलीन होती है अर्थात् जो आत्मा को मन, वचन, व काय की पापपूर्ण प्रवृत्तियों से हटाकर निरवद्य व्यापार में प्रवृत्त करता है उसे सामायिक की प्राप्ति होती है। सामायिक में बाह्य दृष्टि का त्यागकर अन्तर्दाष्ट अपनाई जाती है—बिह्मुंखी प्रवृत्ति त्यागकर अन्तर्मुखी प्रवृत्ति स्वीकार की जाती है। सामायिक समस्त श्राध्यात्मिक साधनाओं की आधारिशला है। जब साधक सर्व सावद्य योग से विरत होता है, छ काय के जीवों के प्रति संयत होता है, मन-वचन-काय को नियन्त्रित करता है, आत्म-

स्वरूप मे उपयुक्त होता है, यतनापूर्वक आचरण करता है तव वह सामायिकयुक्त होता है।

समभावरूप सामायिक के महान् साधक एव उपदेशक तीर्थंकरो की स्तुति करना चतुर्विशतिस्तव आवश्यक है। तीर्थंकर का अर्थ है तीर्थ की स्थापना करने वाला। जिसके द्वारा ससार-सागर तरा जाता है-पार किया जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। इस प्रकार का तीर्थ धर्म कहलाता है। जो तीर्थ अर्थात् धर्म का प्रवर्तन करता है वह तीर्थंकर कहलाता है। जैन परम्परा मे इस प्रकार के चौवीस तीर्थंकर माने गये हैं। इन्होने भिन्न-भिन्न समय मे निर्ग्रन्थ-धर्म का प्रवर्तन किया है। भगवान् महावीर निर्ग्रन्थ-धर्म के अन्तिम प्रवर्तक हुए हैं। इन्हे चौवीसवाँ तीर्थंकर कहा जाता है। चौबीस तीर्थंकरो का उत्की-र्त्तंन करना चतुर्विशतिस्तव है। त्याग, वैराग्य, सयम व साधना के महान् आदर्श एवं सामायिक धर्म के परम पुरस्कर्ता वीतराग तीर्थंकरो के उत्कीर्तन से आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। उनकी स्तुति से साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। उनके गुण-कीर्तन से संयम में स्थिरता आती है। उनकी भक्ति से प्रशस्त भावों की वृद्धि होती है। तीर्थंकरों की स्तुति करने से प्रसुप्त आन्तरिक चेतना जाग्रत होती है। केवल स्तुति से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। स्तुति तो सोयी हुई आत्मचेतना को जगाने का केवल एक साधन है। तीर्थंकरो की स्तुति मात्र से ही मोन्न की प्राप्ति नहीं हो जाती। मुक्ति के लिए भिवत एवं स्तुति के साथ-साथ संयम एवं साधना भी आवश्यक है।

जिस प्रकार मुनि के लिए तीथंकर-स्तव आवश्यक है उसी प्रकार गुरुस्तव भी आवश्यक है। गुरु-स्तव को आवश्यक सूत्र मे वंदन कहा गया है। तीर्थंकर के बाद यदि वदन करने योग्य है तो वह गुरु है क्यों कि गुरु ऑह्सा आदि की उत्कृष्ट आराधना करने के कारण शिष्य के लिए साचात् आदर्श का कार्य करता है। उससे उसे प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त होती है। उसके प्रति सम्मान होने पर उसके गुणो के प्रति सम्मान होता है। तीर्थंकर के वाद सद्-धर्म का उपदेश देने वाला गुरु ही होता है। गुरु ज्ञान व चारित्र दोनो मे वडा होता है ग्रत. वन्दन योग्य है। गुरुदेव को वन्दन करने का अर्थ होता है गुरुदेव का उत्कीर्तन व अभिवादन करना। वाणी से उत्कीर्तन अर्थात् स्तवन किया जाता है तथा शरीर से अभिवादन अर्थात् प्रणाम। गुरु को वन्दन इसलिए किया जाता है कि वह गुणों में गुरु ग्रर्थात् भारी होता है। गुणहीन व्यक्ति को अवन्दनीय कहा गया है। जो गुणहीन अर्थात् अवद्य को वदन करता है उसके कर्मी की निर्जरा नहीं होती, उसके सयम का पोषण नही होता । इस प्रकार के वन्दन से असयम का अनुमोदन, अनाचार का समर्थन, दोषो का पोषण और पाप-कर्म का वन्धन होता है। इस प्रकार का वन्दन केवल कायक्लेश है। अवंद्य को वन्दन करने मे वन्दन करने वाले एव वन्दन कराने वाले दोनो का पतन होता है। वन्दन ग्रावश्यक का समुचित पालन करने से विनय की प्राप्ति होती है, अहभाव की समाप्ति होती है, उत्कृष्ट आदशों का जान होता है, गुरुजनो का सम्मान होता है, तीर्थंकरो की आज्ञा की अनुपालना और श्रुतधर्म की आराधना होती है। परिणामत. आत्मशक्ति की वृद्धि—विकास होता है तथा अन्ततो-गत्वा सिद्धि प्राप्त होती है—मुक्ति मिलती है। अतः सावक को गुरु-वन्दन के प्रति उदासीनता अथवा प्रमत्तता नही रखनी चाहिए।

प्रमादवश शुभ योग से च्युत होकर अशुभ योग को प्राप्त करने के बाद पुनः शुभ योग को प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। मन, वचन अथवा काया से कृत, कारित अथवा अनुमोदित पापो की निवृत्ति के लिए आलोचना करना, पश्चात्ताप करना, निन्दा करना, अशुद्धि का त्याग कर शुद्धि प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। यह एक प्रकार का प्रायश्चित्त है। हिंसा, असत्य, चौर्य, मैथुन एवं परिग्रहरूप जिन पापकर्मी का निर्ग्रन्थ श्रमण के लिए प्रतिषेध किया गया है उनका प्रमादवश उपार्जन करने पर प्रतिक्रमण करना चाहिए। सामायिक, स्वा-ध्याय आदि जिन शुभ प्रवृत्तियो का सर्वविरत सयमी के लिए विघान किया गया है, उनका आचरण न करने पर भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। क्योंकि अकर्तव्य कर्म को करना जैसे पाप है वैसे ही कर्तव्य कर्म को न करना भी पाप ही है। इसी प्रकार मान-सिक व वाचिक शुद्धि के लिए भी प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। प्रतिक्रमण भी सामायिक ग्रादि की ही तरह केवल किया तक सीमित नही रहना चाहिए। उससे वस्तुतः दोष-शुद्धि होनी चाहिए। तभी प्रतिक्रमण करना सार्थंक कहा जाएगा। इसी बात को पारिभापिक पदावली मे यो कह सकते हैं कि सक्षम साधक के लिए भाव-प्रतिक्रमण ही उपादेय है, द्रव्य-प्रतिक्रमण

नहीं। उपयोगयुक्त प्रतिक्रमण भाव-प्रतिक्रमण है तथा उपयोगशून्य प्रतिक्रमण द्रव्य-प्रतिक्रमण है। यही बात सामायिकादि अन्य कियाओं के विषय में भी सत्य है। एक बार दोषोंकी शुद्धि करने के बाद बार-बार उन दोषों का सेवन करना तथा उनकी शुद्धि के लिए बार-बार प्रतिक्रमण करना वस्तुत. प्रतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। प्रतिक्रमण का उद्देश्य सेवित दोषों की शुद्धि करना तथा उन दोषों की पुनरावृत्ति न करना है। बार-बार दोषों का सेवन करना व बार-बार उनका प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमण का परिहास करना है। इससे दोषशुद्धि होने के बजाय दोषवृद्धि ही होती है।

काय के उत्सर्ग अर्थात् शरीर के त्याग को कार्योत्सर्ग कहते हैं। यह कैसे ? यहाँ शरीरत्याग का अर्थ है शरीरसम्बन्धी ममता का त्याग। शारीरिक ममत्व को छोडकर आत्म-स्वरूप में लीन होने का नाम कायोत्सर्ग है। साधक जब बहिमुंखवृत्ति का त्याग कर अन्तर्मुंखवृत्तिको स्वीकार करता है तब वह अपने शरीर के प्रति भी अनासकत हो जाता है अर्थात् स्व-शरीरसम्बन्धी ममता का त्याग कर देता है। इस स्थिति मे उस पर जो कुछ भी सकट आता है, वह समभावपूर्वक सहन करता है। ध्यान की साधना अर्थात् चित्त की एकाग्रता के अभ्यास के लिए कायोत्सर्ग अनिवार्य है। कायोत्सर्ग मे हिलना-डुलना, बोलना-चलना, उठना-वैठना आदि वन्द होता है। एक स्थान पर बैठकर निश्चल एवं निस्पन्द मुद्रा में खडे होकर अथवा निर्निमेष दृष्टि से आत्मध्यान में लगना होता है। सर्वविरत श्रमण प्रतिदिन प्रात. व सायं कायोत्सर्ग द्वारा शरीर व आत्मा के सम्बन्ध मे विचार करता है कि यह शरीर अन्य है और मैं अन्य हूँ। मै चैतन्य हूँ-आत्मा हुँ जब कि यह शरीर जड़ है-भौतिक है। अपने से भिन्न इस शरीर पर ममत्व रखना अनुचित है। इस प्रकार की उदात्त भावना के अभ्यास के कारण वह कायोत्सर्ग के समय अथवा ग्रन्य प्रसग पर आने वाले सभी प्रकार के उपसर्गी—कष्टो को सम्यक् प्रकार से सहन करता है। ऐसा करने पर ही उसका कायोत्सर्ग सफल होता है। कायोत्सर्गभी द्रव्य व भाव के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। शरीर की चेष्टाओं का निरोध करके एक स्थान पर निश्चल एवं निस्पन्द स्थिति मे खडे रहना अथवा वैठना द्रव्य-कायोत्सर्ग है। ध्यान अर्थात् आत्मचिन्तन भाव-कायो-त्सर्ग है। कायोत्सर्ग मे ध्यान का हो विशेष महत्त्व है। शारीरिक स्थिरता ध्यान की निर्विष्न साधना के लिए आवश्यक है। कायचेष्टा-निरोधरूप द्रव्य-कायोत्सर्ग आत्म-चिन्तनरूप भाव-कायोत्सर्ग को भूमिका का कार्य करता है। अत. कायोत्सर्ग की सम्यक् सिद्धि के लिए द्रव्य व भाव दोनों रूप आवश्यक है।

प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग । वैसे तो सर्वविरत मुनि के हिंसादि दोपों से युक्त सर्वं पदार्थों का त्याग होता हो है किन्तु निर्दोष पदार्थों में से भी अमुक का त्याग कर अमुक का सेवन करना अनासक्त भाव के सिचन के लिए आवश्यक है। प्रत्याख्यान आवश्यक इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके द्वारा मुनि अमुक समय तक के लिए अथवा जीवनभर के लिए अमुक प्रकार के अथवा सब प्रकार के पदार्थों के सेवन का त्याग करता है।

इससे तृष्णा, लोभ, अशान्ति आदि मनोविकारो का नियन्त्रण होता है। तन, मन व वचन अशुभ प्रवृत्तियो से रुककर शुभ प्रवृत्तियों मे प्रवृत्त होते हैं। भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति) सूत्र के सातवे शतक के दूसरे उद्देशक मे प्रत्याख्यान के विविध भेदो का वर्णन है। इनमे अनागत आदि दस भेद प्रत्याख्यान का स्वरूप समझने के लिए विशेष उपयोगी हैं। इन दस प्रकार के प्रत्या-ख्यानो के नाम ये हैं : १ अनागत, २ अतिक्रात, ३ कोटियुक्त, ४ नियन्त्रित, ५ सागार, ६. अनागार, ७. कृतपरिमाण, ८. निरवरोष, ९ साकेतिक, १०. कालिक,। पर्व आदि विशिष्ट अवसर पर किया जाने वाला प्रत्याख्यान अर्थात् त्यागविशेष— तपविशेष कारणवशात् पर्वं आदि से पहले ही कर लेना अनागत प्रत्याख्यान है। पर्व आदि के व्यतीत हो जाने पर तपविशेष की आराघना करना अतिकांत प्रत्याख्यान है। एक तप के समाप्त होते ही दूसरा तप प्रारम्भ कर देना कोटियुक्त प्रत्याख्यान है। रोग आदि की बाधा आने पर भी पूर्वसंकिल्पत त्याग निञ्चित समय पर करना एव उसे दृढतापूर्वंक पूर्ण करना निय-न्त्रित प्रत्याख्यान है। त्याग करते समय आगार अर्थात् अपवाद-विशेष की छूट रख लेना सागार प्रत्याख्यान है। आगार रखे विना त्यागकरना अनागार प्रत्याख्यान है। भोज्य पदार्थ आदि की सख्या अथवा मात्रा का निर्घारण करना कृतपरिमाण प्रत्याख्यान है। अज्ञनादि चतुर्विध अर्थात् सम्पूर्ण आहार का त्याग करना निरवशेष प्रत्याख्यान है। इसमे पानी का त्याग भी शामिल है। किसी प्रकार के सकेत के साथ किया जानेवाला त्याग

१५० : जैन आचार

साकेतिक प्रत्याख्यान कहुंलाता है, यथा मुट्ठी बांधकर, गाठ बाधकर अथवा अन्य प्रकार से यह प्रत्याख्यान करना कि जब तक मेरी यह मुट्ठी या गाठ बंधी हुई है अथवा अमुक वस्तु अमुक प्रकार से पड़ी हुई है तब तक मैं चतुर्विध आहार, त्रिविध आहार आदि का त्याग करता हूँ। कालविशेष की निश्चित मर्यादा भ्रयीत समय की निश्चित अवधि के साथ किया जाने वाला त्याग कालिक प्रत्याख्यान अथवा अद्धा-प्रत्याख्यान कहलाता है। जैन परिभाषा में अद्धा का भ्रयं काल होता है।

उत्तराध्ययन सूत्र के सम्यक्तव-पराक्रम नामक उनतीसवे अध्ययन मे पडावश्यक का संक्षिप्त फल इस प्रकार बतलाया गया है:—

सामायिक से सावद्य योग (पापकर्म) से निवृत्ति होती है। चतुर्विशतिस्तव से दर्शन-विशुद्धि (श्रद्धा-शुद्धि) होती है। वंदन से नीच गोत्रकर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्रकर्म का बघ होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अप्रतिहत आज्ञाफल मिलता है तथा दाक्षिण्यभाव (कुशलता) की उपलब्धि होती है। प्रतिक्रमण से व्रतो के दोषरूप छिद्रो का निरोध होता है। परिणामतः आसव (कर्मागमन-द्वार) वंद होता है तथा शुद्ध चारित्र का पालन होता है। कायोत्सर्ग से प्रायश्चित्त-विशुद्धि होती है—ग्रतिचारों की शुद्धि होती है जिससे आत्मा प्रशस्त धर्मध्यान मे रमण करता हुआ परमसुख का अनुभव करता है। प्रत्याख्यान से आसव-द्वार वन्द होते हैं तथा इच्छा का निरोध

होता है। इच्छा का निरोध होने के कारण साधक वितृष्ण अर्थात् निस्पृह होता हुग्रा शान्तचित्त होकर विचरता है।

सर्वविरत श्रमण के लिए जिनका पालन आवश्यक बताया गया है उन पडावश्यको का आचरण देशविरत श्रावक भी अपनी मर्यादानुसार करता है। इससे उसके व्रतों में दृढता आती है तथा दोषशुद्धि होती है। श्रावक के लिए प्रतिक्रमण आदि के अलग पाठों की व्यवस्था भी जैन आचारशास्त्र में की गई है।

आद्र्श श्रमण :

यदि श्रमण-जीवन का भ्रादर्श एवं हृदय-स्पर्शी चित्र देखना हो तो आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का नवम अध्ययन पढना चाहिए। इस ग्रध्ययन का नाम उपधानश्रुत है। उपधान शब्द की व्याख्या करते हुए निर्युक्तिकार ने बताया है कि तकिया द्रव्य-उपधान है जिससे शयन करने मे सुविद्या मिलती है; तथा तपस्या भाव-उपघान है जिससे चारित्रपालन मे सहायता मिलती है। जिस प्रकार जल से मलिन वस्त्र शुद्ध होता है उसी प्रकार तपस्या से आत्मा के कर्ममल का नाश होता है। प्रस्तुत ग्रध्ययन मे श्रमण भगवान् महावीर की साधनाकालीन तपस्या का हृदय-स्पर्शो वर्णन है। महावीर एक आदर्श श्रमण थे। उन्होंने अपने श्रमण-जीवन में जिस प्रकार की कठोर तपस्या का सेवन किया उस प्रकार की कठोर तपस्या प्रत्येक जैन श्रमण के लिए आचरणीय है। वही श्रमण भगवान् महावोर का सच्चा अनुयायी है जो उपघानश्रुत-निर्दिष्ट तपोमय जीवन जोने का सिक्रय प्रयत्न करता है। उसकी

साधना तदाघारित होनी चाहिए, उसके समक्ष सदा महावीर का तप.कर्म आदर्श के रूप मे रहना चाहिए। विशुद्ध तपोमय जीवन ही श्रमणधर्म का आदर्श है। यही श्रामण्य है—श्रमण-जीवन का सार है।

उपघानश्रुत अध्ययन चार उद्देशों में विभक्त है। प्रथम उद्देश में महावीर की चर्या अर्थात् विहार का वर्णन है। द्वितीय मे शय्या अर्थात् वसति, तृतीय मे परीषह् अर्थात् कष्ट तथा चतुर्थं मे आतक-चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इस संपूर्ण वर्णन मे तपस्या का सामान्य रूप से समावेश किया गया है। यह वर्णन इतना सहज, समीचीन एव सरल है कि पाठक अथवा श्रोता का सिर उस महान् तपोमूर्ति के सामने स्वत अद्धावनत हो जाता है। जब से महावीर गृहत्याग करके अनगार बनते हैं तभी से उनका विहार प्रारभ होता है। आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भावना नामक तृतीय चूला मे यह बताया गया है कि महावीर तीस वर्ष तक घर मे रहने के बाद अपने माता-पिता की मृत्यु होने पर सब कुछ त्याग कर अनगार बने अर्थात् सर्वविरत श्रमण हुए। जव उन्होने दीक्षा ग्रहण की तब उनके पास केवल एक वस्त्र था। दीचा के समय उन्होने सामायिक चारित्र ग्रहण किया अर्थात् सर्वं सावद्य योग का प्रत्याख्यान किया-सब प्रकार की सदोष प्रवृत्तियो का त्याग किया एवं सब प्रकार के उपसर्ग सहन करने की प्रतिज्ञा की। उन्होने इस प्रकार का जीवन जीना प्रारभ किया कि जिसमे कषायजन्य हिंसादि दोपों की तिनक भी संभा-वना न रहे।

उपधानश्रुत के प्रथम उद्देश की पहली ही गाथा मे बतलाया गया है कि महावीर प्रवरणा ग्रहण कर तुरन्त ही विहार (पदयात्रा) के लिए चल पड़े। आगे की गाथाओं में कहा गया है कि उस समय उन्होने प्रतिज्ञा की कि मेरे पास जो यह एक वस्न है इससे में अपने शरीर का आच्छादन नही करूँगा। इतना ही नही, कुछ समय बाद (तेरह महीने वाद) उन्होने उस वस्त्र का भी त्याग कर दिया एव सर्वथा अचेल होकर भ्रमण करने लगे। तब फिर दीक्षा के समय महावीर ने भ्रपने पास जो वस्त्र (एक शाटक) रखा वह किसलिए ? वह वस्न संभवत प्रव्रज्या की तद्दे शीय प्रणाली के अनुसार वे अपने कधे पर रखे रहे अथवा उससे पोछने आदि का काम लेते रहे। चाहे कुछ भी हुआ हो, इतना निश्चित है कि महावीर प्रव़ज्या लेने के साथ ही अचेल अर्थात् नग्न हो गए तथा मृत्युपर्यन्त नग्न ही रहे एवं किसी भी रूप मे अपने शरीर के लिए वस्त्र का उपयोग नही किया।

दीक्षा के पूर्व शरीर पर चंदनादि का विलेपन किया गया था, ग्रतः महावीर पर चार मास से भी अधिक समय तक स्थान-स्थान पर नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं का आक्रमण होता रहा एवं उनके शरीर को विविध प्रकार से कष्ट पहुँचता रहा। वे चलते समय पुरुष-प्रमाण मार्ग का अवलोकन करते एव सावधानी पूर्वक चलते। उन्हें देखकर भयभीत हुए वालक उन्हें मार-मार कर आक्रन्दन करते। मार्ग में अभिवादन होने पर अथवा मार पड़ने पर वे समान भाव से रहते व किसी से कुछ नहीं कहते। उन्हें ग्रास्थान, नृत्य, गीत, दराहयुद्ध, मुष्टियुद्ध आदि में कोई

रस नही था। वे असह्य कष्टों को भी शान्ति से सहन करते हुए आगे बढते चलते । उन्होंने दीक्षा लेने के दो वर्ष से भी पहले से ही शीतल (सचित्त) जल का त्याग कर रखा था। उन्होंने यह जान लिया था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय सचित्त हैं - चेतन हैं, अतः वे इन सब से बचकर विच-रण करते। विहार में किसी सचित्त काय की हिंसा न हो, इसका वे पूरा ध्यान रखते। उन्होने स्वयं हिंसा न करने तथा दूसरो से हिंसा न करवाने का व्रत ग्रहण कर रखा था। स्त्रियों को (पुरुषों की अपेक्षा से) सर्व पापकर्म की जड़ समझ कर उनका उस संयमी ने सर्वथा परित्याग कर रखा था। वे आधा-कर्म अर्थात् अपने निमित्त से बने हुए आहारादि का सेवन न करते । जिसमे तिनक भी पाप की संभावना होती वैसा कोई भी कार्यं न करते हुए निर्दोष आहारादि का सेवन करते। वे न परवस्त्र का (पोंछने आदि मे) उपयोग करते, न परपात्र (भोजनादि के लिए) काम मे लाते। मानापमान का त्याग कर ग्रदीन-मनस्क होकर भिक्षा के लिए जाते एवं ग्रहान और पान की मात्रा का पूरा ध्यान रखते हुए रसों मे गृद्ध न होकर जो कुछ मिल जाता, खा लेते। वे न आँखो का प्रमार्जन करते; न शरीर को खुजलाते। रास्ते चलते इधर-उधर बहुत कम देखते। पूछने पर अल्प उत्तर देते व यतनापूर्वक चलते।

श्रमण भगवान् महावीर वित्ररण करते हुए गृह, पण्यशाला (दुकान), पालितस्थान (कारखाना), पलालपुंज, आगन्तार (अतिथिगृह), आरामागार, श्मशान, शून्यागार, वृत्तमूल आदि स्थानों मे ठहरते एवं श्रप्रमत्त होकर रात-दिन ध्यान करते । निद्रा की तनिक भी कामना नहीं करते। अनिच्छा से थोड़ी नीद आ जाने पर खडे होकर आत्मा को जागैरूक करते। पुन. निद्रा आने पर वाहर निकल कर मुहर्त-पर्यन्त चक्रमण कर लेते। उन्हें वसति-स्थानो मे ससर्पिप्राणियो, पक्षियो, दुराचारियो, ग्राम-रत्तको, शस्त्रधारियों द्वारा अनेक प्रकार के कप्र प्राप्त होते । इह-लोक व परलोक-संबंधी नाना प्रकार के भय तथा अनुकूल व प्रतिकूल इन्द्रिय-विषय उपस्थित होनेपर वे रित व अरित का अभिभव करके मध्यस्य होकर सब कुछ सह लेते। ध्यानस्थ महावीर को कोई आकर कुछ पूछता और उत्तर न मिलने पर कुढ़ हो जाता। कभी-कभी भगवान् 'मैं भिचुक हूँ' एसा उत्तर भी दे देते, किन्तु प्रायः मौन होकर ध्यानमग्न ही रहते। शिशिर ऋतु मे जव अन्य लोग शीतल वायु से कापते, यहाँ तक कि अनगार अर्थात् साधु भी निर्वात स्थान की खोज मे रहते, संघाटी से अपना शरीर ढकते, कोई-कोई तो ईंघन भी जला लेते तव भी भगवान् महावीर खुले स्थान मे ही रहकर शीत सहन करते।

महावीर को सर्वत्र परीषह सहन करने पड़े। उन्हें विशेष रूप से लाढ देश मे जो कष्ट उठाने पड़े वे भयकर थे। उन्होंने लाढ देश के वज्रभूमि और शुभ्रभूमि नामक दोनों दुश्चर प्रदेशों मे विचरण किया। यहाँ उन पर अनेक असह्य आपित्तयाँ आई। यहाँ के निवासियों ने उन्हे बुरी तरह से मारा-पीटा। यहाँ के कुत्तों ने उन्हे खूव काटा। लोगों ने कुत्तों को भगाने की वजाय 'छू छू' करके महावीर की ओर दौडाया। यहाँ की वज्रभूमि ऐसी थी

कि लाठी लेकर चलने वाले श्रमणो को भी कुत्ते काट खाते थे। महावीर ने तो लाठी का भी त्याग कर रखा था, अतः कुत्तों ने उन्हे अत्यधिक परेशान कियां। कई बार उन्हे बहुत दूर तक गाँव मिलता ही नहीं फिर भी वे विहार करते हुए व्याकुल न होते। कई बार गाँव के लोग पहले ही उनके पास आकर उन्हे वहाँ से भाग जाने के लिए कहते। कई बार ऐसा भी होता कि गाँव के लोग उन्हें 'मारो-मारो' की ग्रावाज करके लाठियो, भालों, पत्यरो, मुक्कों से मारते, उनके शरीर पर घाव कर देते, उन पर धूलि फेकते, उन्हे धक्के लगाकर गिरा देते। परीषहों का हृदय से स्वागत करने वाले महान् सयमी श्रमण भगवान् महावीर अपनी काया का मोह छोड़कर इन सब उपद्रवो को वीरतापूर्वक सहन करते एव संयममार्ग मे अधिक दढतापूर्वक अग्रसर होते। यही महावीर की शूरता थी । वे केवल आने वाले उपसर्गों का स्वागत ही नही करते अपितु कर्मनिर्जरा के निमित्त नये-नये उपसर्गीं को आमन्त्रित भी करते । यही उनकी महावीरता थी ।

रोगान्तक हो या न हो, महावीर ने चिकित्सा की कामना कभी नहीं की। वे हमेशा अवमौदर्य अर्थात् अल्पाहार करते। स्नान, सशुद्धि, अभ्यंगन, प्रक्षालन आदि से सदा दूर रहते। इन्द्रियों के विषयों के प्रति उनकी तिनक भी आसक्ति न थी। वे ठंड के दिनों में छाया में व गरमी के दिनों में घूप में रहकर ध्यान घरते। ओदन, कुल्माप आदि रूच्च पदार्थों का आहार करते। कई वार आधा महीना अथवा पूरा महीना विना पानी के ही विता देते। कभी-कभी दो मास से भी अधिक, यहाँ तक कि छ: मास तक विना पानी ही विचरण करते रहते। कभी वासी अञ्च मिल जाता तो खा लेते श्रौर वह भी दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन मे एक बार । वे अपने ग्राहार के लिए न स्वयं पाप करते, न दूसरो से करवाते और न करने वाले का अनुमोदन ही करते। दूसरो के निमित्त से वने हुए सुविशुद्ध आहार का ग्रनासक्त भाव से सेवन करते। गीचरी अर्थात् आहार की गवेषणा के लिए जाते-आते मार्ग में किन्ही पशु-पक्षियों को किसी प्रकार कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखते। अपने आहार के कारण किसी ब्राह्मण, श्रमण, भिखारी, अतिथि आदि की वृत्ति का उच्छेद न हो, किसी की अप्रीति न हो, किसी को अन्तराय न पहुँचे-इसकी पूरी सावधानी रखते। रूखा-सूखा जो कुछ मिल जाता, अनासक्तिपूर्वक खा लेते। कुछ प्राप्त न होने की अवस्था में भी मन में तिनक भी कोध अथवा निराशा न लाते। वे निष्कषाय, अनासक्त एव मूर्च्छारिहत थे तथा छद्मस्थ अर्थात् अपूर्ण ज्ञानी होते हुए भी प्रमाद-मुक्त थे। वे स्वत. तत्त्व का अभिगम कर आत्मशुद्धिपूर्वक अभिनिवृत्त हुए एवं यावज्जीवन मोह, माया व ममता का त्याग कर समभाव के आराधक वने।

अचेलकत्व व सचेलकत्व :

वट्टकेराचार्यकृत मूलाचार के समयसाराधिकार मे मुनि के लिए चार प्रकार का लिंगकल्प (आचारिचह्न) वताया गया है : १. अचेलकत्व, २. लोच, ३ व्युत्सृष्टशरीरता, ४. प्रति-लेखन । अचेलकत्व का अर्थ है वस्त्रादि सर्वपरिग्रह का परिहार।

लोच का अर्थ है अपने अथवा दूसरे के हाथों से मस्तकादि के केशों का अपनयन । व्युत्सृष्ट्रशरीरता का अर्थ है स्नान-अभ्यंगन-अंजन-परिमर्दन आदि सर्व सस्कारों का अभाव । प्रतिलेखन का अर्थ है मयूरिपच्छ का ग्रहण। अचेलकत्व निःसंगता अर्थात् अना-सक्ति का चिह्न है। लोच सद्भावना का सकेत है। व्युत्सृष्ट-शरीरता अपरागता का प्रतीक है। प्रतिलेखन दयाप्रतिपालन का चिह्न है। यह चार प्रकार का लिगकल्प चारित्रोपकारक होने के कारण ग्राचरणीय है।

वृहत्कल्प के छठे उद्देश के अन्त मे छः प्रकार की कल्प-स्थित (आचारमर्यादा) बतलाई गई है: १. सामायिकसंयत-कल्पस्थिति, २. छेदोपस्थापनीयसंयत-कल्पस्थिति, ३. निर्विश-मान-कल्पस्थिति, ४. निर्विष्टकायिक-कल्पस्थिति, ५. जिन-कल्प-स्थिति, ६. स्थविर-कल्पस्थिति । सर्वसावद्ययोगविरतिरूप सामा-यिक स्वीकार करने वाला सामायिकसंयत कह्लाता है। पूर्व पर्याय अर्थात् पहले की साधु-अवस्था का छेद अर्थात् नाश (अथवा कमी) करके सयम की पुन. स्थापना करने योग्य श्रमण छेदोपस्थापनीयसयत कह्लाता है। इस कल्पस्थिति मे मुनि-जीवन का अध्याय पुन प्रारभ होता है (अथवा पुन. आगे बढता है)। परिहारविशुद्धि-कल्प (तपविशेष) का सेवन करने वाला श्रमण निविशमान कहा जाता है। जिसने परिहारविश्-द्धिक तप का सेवन कर लिया हो उसे निविष्टकायिक कहते है। गच्छ से निर्गत ग्रर्थात् श्रमणसंघ का त्याग कर एकाकी सयम की साघना करने वाले साघुविशेप जिन अर्थात् जिनकल्पिक कहुलाते

हैं। गच्छप्रतिबद्ध अर्थात् श्रमणसंघ मे रहकर संयम की आराधना करने वाले आचार्य आदि स्थविर श्रर्थात् स्थविरकल्पिक कहे जाते हैं। यही कारण है कि जिनकल्पिको व स्थविरकल्पिको की आचारमर्यादा मे अन्तर है। जिनकल्पिक अचेलकधर्म का आच-रण करते हैं जबकि स्थविरकल्पिक सचेलकधर्म का पालन करते हैं।

आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्घ के धुत नामक छठे अध्ययन मे स्पष्ट बतलाया गया है कि कुछ अनगार ऐसे भी होते हैं जो सयम ग्रहण करने के बाद एकाग्रचित्त होकर सब प्रकार की आसक्ति का त्याग कर एकत्व-भावना का अवलम्बन लेकर मुण्ड होकर अचेल बन जाते हैं अर्थात् वस्त्र का भी त्याग कर देते हैं तथा आहार मे भी कमशः कमी करते हुए सर्व कष्टों को सहन कर अपने कर्मों का क्षय करते है। ऐसे मुनियो को वस्त्र फटने की, नये लाने की, सूई-घागा जुटाने की, वस्त्र सीने की कोई चिन्ता नही रहती। वे अपने को लघु अर्थात् हलका (भारमुक्त) तथा सहज तप का भागी मानते हुए सब प्रकार के कर्षों को समभाव-पूर्वक सहन करते हैं। विमोक्ष नामक आठवे अध्ययन मे अचेलक मुनि के विषय में कहा गया है कि यदि उसके मन में यह विचार आए कि मैं नग्नताजन्य शीतादि कष्टो को तो सहन कर सकता हूँ किन्तु लज्जानिवारण करना मेरे लिए शक्य नही, तो उसे कटिवन्घन घारण कर लेना चाहिए। अचेलक ग्रर्थात् नग्न मुनि को सचेलक अर्थात् वस्त्रघारी मुनि के प्रति हीनभाव नही रखना चाहिए। इसी प्रकार सचेलक मुनि को अचेलक मुनि के प्रति तुच्छना की भावनां नहीं रखनी चाहिए। अचेलक व सचेलक मुनियों को एक-दूसरे की निन्दा नहीं करनी चाहिए। निन्दक मुनि को निर्ग्रन्थधर्म का अनिधकारी कहा गया है। वह संयम का सम्यक्तया पालन नहीं कर सकता—आत्मसाधना की निर्दोष आराधना नहीं कर सकता। अचेलक व सचेलक मुनियों को अपनी-अपनी आचार-मर्यादा में रहकर निर्ग्रन्थ-धर्म का पालन करना चाहिए।

वस्त्रमर्यादाः

आचाराग मे एकवस्त्रधारी, द्विवस्त्रधारी एवं त्रिवस्त्रधारी निर्ग्रथो तथा चतुर्वस्त्रधारी निर्ग्रथियो का उल्लेख है। जो भिक्षु तीन वस्त्र रखने वाला है उसे चौथे वस्त्र की कामना अथवा याचना नही करनी चाहिए। जो वस्त्र उसे कल्प्य हैं उन्ही की कामना एवं याचना करनी चाहिए, अकल्प्य की नही। कल्प्य वस्त्र जैसे भी मिले, बिना किसी प्रकार का सस्कार किये धारण कर लेने चाहिए। उन्हे घोना अथवा रगना नही चाहिए। यही वात दो वस्त्रधारी एव एक वस्त्रधारी भिन्नु के विषय मे भी समभनी चाहिए। तरुण भिच्च के लिए एक वस्त्र धारण करने का विधान है। भिक्षुणी के लिए चार वस्त्र—संघाटियाँ रखने का विधान किया गया है जिनका नाप इस प्रकार है . एक दो हाथ की, दो तीन-तीन हाथ की ग्रौर एक चार हाथ की (लम्बी)। दो हाथ की संघाटी उपाश्रय मे पहनने के लिए, तीन-तीन हाथ की दो सघाटियों में से एक भिक्षाचर्या के समय धारण करने के

लिए तथा दूसरी शौच जाने के समय पहनने के लिए व चार हाथ की सवाटी समवसरण (धर्मसभा) मे सारा शरीर ढकने के लिए है, ऐसा टीकाकारों का न्याख्यान है। यहाँ भिन्तुणियो के लिए जिन चार वस्त्रों के धारण का विधान किया गया है उनका 'संघाटी' (साडी अथवा चादर) शब्द से निर्देश किया गया है। टीकाकारों ने भी इनका उपयोग शरीर पर लपेटने अर्थात् ओढने के रूप में ही बताया है। इससे प्रतीत होता है कि इन चारों वस्त्रो का उपयोग विभिन्न अवसरों पर ओढने के रूप मे करना ग्रभीष्ट है, पहनने के रूप मे नही । अत इन्हे साध्वियों के उत्तरीय वस्न अर्थात् साड़ी अथवा चादर के रूप मे समझना चाहिए, अन्तरीय वस्र अर्थात् लहगा या घोती के रूप मे नही। दूसरी बात यह है कि दो हाथ और यहाँ तक कि चार हाथ लम्बा वस्न अपर से नीचे तक पूरे शरीर पर घारण भी कैसे किया जा सकता है। अतएव भिचुणियों के लिए ऊपर जिन चार वस्नो के ग्रहण एव घारण का विधान किया गया है उनमे अन्तरीय वस्न का समावेश नही होता, ऐसा समझना चाहिए। भिन्नुओ के विषय मे ऐसा कुछ नही है। वे एक वस्त्र का उपयोग अन्तरीय के रूप मे कर सकते हैं, दो का अन्तरीय व उत्तरीय के रूप मे कर सकते हैं, आदि। यहाँ तक कि वे अचेल अर्थात् निर्वस्न भी रह सकते हैं। श्री-जातिगत सहज मर्यादाओं के कारण साध्वियों के लिए वैसा करना शक्य नही। उन्हें अपने सयम की रक्ता के लिए अमुक साघनो का उपयोग करना ही पडता है। वृहत्कल्प सूत्र के तृतीय उद्देश में यह वतलाया गया है कि

११

निर्ग्रन्थनि-र्ग्रन्थियों को कृत्स्न वस्र का संग्रह एवं उपयोग नही करना चाहिए। इसी प्रकार उन्हें अभिन्न वस्न काम मे नही लेना चाहिए। यहाँ फ़ुत्स्न वस्न का अर्थ है रग आदि से जिसका आकार आक-र्षक वनाया गया हो वैसा सुन्दर वसा। अभिन्न वस्र का अर्थ है विना फाड़ा पूरा वस्त्र। इस सूत्र मे आचारांगोल्लिखित वस्त्र-मर्यादा का नये ही रूप मे निर्देश किया गया है। इसमे वताया गया है कि नयी दीचा लेने वाले साधु को रजोहरण, गोच्छक, प्रतिग्रह अर्थात् पात्र एवं तीन पूरे वस्त्र (जिनके ग्रावश्यक उपकरण बन सके) लेकर प्रवृजित होना चाहिए। पूर्व प्रवृजित साधुको किसी कारण से पुनः दीक्षा ग्रहण करने का प्रसंग उप-स्थित होने पर नयी सामग्री न लेते हुए अपनी पुरानी सामग्री के साथ ही दीक्षित होना चाहिए। नवदी चित साध्वी के लिए चार पूरे वस्त्रों के ग्रहण का विधान है। शेष वाते साधु के ही समान समऋनी चाहिए। साधु के लिए अवग्रहानन्तक अर्थात् गुह्यदेशपि-धानकरूप कच्छा एवं अवग्रह्पट्टक अर्थात् गुह्यदेशाच्छादकरूप पट्टा रखना वर्ज्य है। साध्वी को इनका उपयोग करना चाहिए।

बृहत्कल्प के द्वितीय उद्देश में कहा गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्र-निययों को पांच प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करना कल्प्य है. जागिक, भांगिक, सानक, पोतक ग्रौर तिरीटपट्टक। जगम अर्थात् त्रस प्राणी के अवयवो (बालो) से निष्पन्न वस्त्र जागिक कहा जाता है। अलसी का वस्त्र भागिक, सन का वस्त्र सानक, कपास का वस्त्र पोतक तथा तिरीट नामक वृक्ष की छाल का वस्त्र तिरीटपट्टक कहलाता है। रजोहरण के लिए निम्नोक्त पांच प्रकार के धारो कल्प्य हैं: औणिक, औष्ट्रिक, सानक, वच्चकचिप्पक और मुजचिप्पक। श्रौणिक अर्थात् ऊन के, औष्ट्रिक अर्थात् ऊँट के वालों के, सानक अर्थात् सन की छाल के, वच्चकचिप्पक अर्थात् तृणिविशेष की कुट्टी के और मुंजचिप्पक अर्थात् मूज की कुट्टी के।

श्रमण-श्रमणी कितने एव किस प्रकार के वस्त्रो का उपयोग कर सकते हैं, इसका विचार करने के बाद यह सोचना आवश्यक है कि उन्हें वस्त्र किस प्रकार प्राप्त करने चाहिए ?

वस्त्र की गवेषणाः

आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के पाचवे अध्ययन में यह बताया है कि वस्त्र की गवेपणा के लिए अर्घ योजन से अधिक नहीं जाना चाहिए। वस्त्र की गवेपणा करते समय आहार की गवेपणा के समान पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अपने निमित्त खरीदा गया, धोया गया आदि दोषों से युक्त वस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुमूल्य वस्त्र की न याचना करनी चाहिए, न प्राप्त होने पर ग्रहण ही करना चाहिए। हिंसादि दोपों से दूषित वस्त्र की तिनक भी चाह नहीं करनी चाहिए। निर्दोप एवं सादे वस्त्र की कामना, याचना एवं ग्रहणता श्रमण-श्रमणियों के लिए कल्प्य है। वस्त्र को घोना तथा रंगना निपिद्ध है। भिच्च अन्य भिच्च को दिया हुआ वस्त्र वापिस नहीं लेते। अत. अन्य के वस्त्र को अपना वना लेने की भावना से किसी श्रमण-श्रमणी को अन्य श्रमण-श्रमणी से वस्त्र नहीं मागना चाहिए। विहार करते

१६४: जैन आचार

समय वस्त्रों की चोरी के भय से आड़ा-टेडा मार्ग न छेते हुए निर्भय व निर्मम होकर विचरण करना चाहिए। साराश यह है कि सर्वविरत श्रमण-श्रमणी को वस्त्र पर न किसी प्रकार का ममत्व रखना चाहिए, न वस्त्रनिमित्तक किसी प्रकार की हिंसा करनी-करवानी चाहिए और न इस प्रकार की हिंसा का किसी रूप में समर्थन ही करना चाहिए। वस्त्र की गवेपणा करते समय तथा वस्त्र का उपयोग करते हुए इन सब बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

पात्र की गवेषणा व उपयोगः

अाचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के छठे अध्ययन मे वतलाया गया है कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को अलाबु, काष्ठ व मिट्टी के पात्र रखना कल्प्य है तथा घातु के पात्र रखना अकल्प्य है। उन्हें वहुमूल्य वस्त्र की तरह वहुमूल्य पात्र भी नहीं रखने चाहिए। तरुण साधु के लिए केवल एक पात्र रखने का विधान है। पात्र की गवेपणा व उपयोग इस ढग से विह्ति है कि उसमें किसी प्रकार की हिंसा न हो। वृहत्कल्पसूत्र के प्रथम उद्देश में निर्ग्रन्थियों के लिए घटीमात्रक अर्थात् घड़ा रखने एव उसका उपयोग करने का विधान है जब कि निर्ग्रन्थों के लिए वैसा करने का निपंघ है। व्यवहार सूत्र के आठवे उद्देश में वृद्ध साधु के लिए जो उपकरण कल्प्य वताये गये हैं उनमें भाड अर्थात् घड़ा तथा मात्रिका अर्थात् पेशाव का वरतन भी समाविष्ट है। वस्त्र की गवेषणा की तरह पात्र की गवेषणा के लिए भी अर्घ

योजन से अधिक दूर नहीं जाना चाहिए। अपने निमित्त खरीदा गया पात्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। वर्णयुक्त पात्र को विवर्ण नहीं करना चाहिए और न विवर्ण पात्र को वर्णयुक्त ही करना चाहिए। इसी प्रकार सुरिभगन्घ पात्र को दुरिभगन्घ एवं दुर-भिगन्य पात्र को सुर्राभगन्घ नहीं बनाना चाहिए।

आहार:

ग्रावश्यक सूत्र मे मुनि के ग्रहण करने योग्य चौदह प्रकार के पदार्थों का उल्लेख है. १ अशन, २. पान, ३. खादिम, ४. स्वादिम, ५ वस्त्र, ६ पात्र, ७ कम्बल, ८ पादप्रोछन, ६. पीठ, १० फलक, ११. शय्या, १२ सस्तारक, १३. औपघ, १४ भेषज । रोटी, चावल आदि सामान्य खाद्य पदार्थ ग्रशन कहलाते हैं। जल, दूध आदि पेय पदार्थं पान के नाम से प्रसिद्ध हैं। मिष्ठान्न, मेवा ग्रादि सुस्वादु पदार्थ खादिम कहे जाते हैं। लींग, सुपारी आदि सुवासित पदार्थी का समावेश स्वादिम मे होता है। वस्त्र का अर्थ है पहनने योग्य कपड़े। पात्र का अर्थ है लकड़ी, मिट्टी एव तुम्बे के बरतन । ऊन आदि का बना हुग्रा चादर कम्बल कहलाता है। रजोहरण को पादप्रोंछन कहते हैं। वैठने योग्य चौकी को पीठ कहते है। सोने योग्य पट्ट को फलक कहते हैं। ठहरने का मकान आदि शय्या कहलाता है। बिछाने का घास आदि सस्तारक कहलाता है। एक ही वस्तु से वनी हुई दवाई औषच तथा अनेक वस्तुओं के मिश्रण से वनी हुई दबाई भेषज कहलाती है। इन चौदह प्रकार के पदार्थों में से

१६६: जैन आचार

प्रारभ के चार एवं अन्त के दो—ये छः खाने-पीने के काम में आते हैं अतः इन्हें आहार के अन्तर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। इन पदार्थों में तत्कालीन स्मृतिमूलक स्वाध्याय की पद्धति के कारण पुस्तकादि का समावेश नहीं किया गया है। ये पदार्थ स्थिवरकिल्पक अर्थात् सचेलक साधुग्रों की दृष्टि से है। जिनकिल्पत अर्थात् अचेलक साधुओं की दृष्टि से वस्त्रादि ग्रकल्प्य पदार्थों की कमी कर लेनी चाहिए।

आहार क्यों ?

उत्तराध्ययन सूत्र के सामाचारी नामक छव्वीसवे अध्ययन मे आहार ग्रहण करने के छ कारण वतलाये गये हैं. १. वेदना अर्थात् क्षुचा की शान्ति के लिए, २. वैयावृत्य अर्थात् आचा-र्यादि की सेवा के लिए, ३ ईर्यापथ अर्थात् मार्ग मे गमनागमन की निर्दोप प्रवृत्ति के लिए, ४ संयम अर्थात् मुनिधर्म की रक्षा के लिए, ५ प्राणप्रत्यय अर्थात् जीवनरक्षा के लिए, ६ धर्मचिन्ता अर्थात् स्वाध्यायादि के लिए। इनमें से किसी भी कारण की उपस्थिति मे मुनि को आहार की गवेपणा करनी चाहिए। इन कारणो में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, मुख्य एवं केन्द्रीय कारण सयम-रक्षा का अर्थात् मुनिव्रत की सुरत्ता का है। मुनि के लिए आहार इसीलिए ग्रहणीय वताया गया है कि इससे उसके वत-पालन मे आवश्यक सहायता मिलती है। जब आहार का यह प्रयोजन समाप्त हो जाता है अर्थात् आहार सयम की साधना मे किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता तब मुनि आहार का

परित्याग कर समाधिमरण को प्राप्त होता है। यही वात मुनि की अन्य सामग्री के विपय में भी है। मुनि का आहार-विहार संयम के लिए है। मुनि संयमार्थ ही शरीर धारण करता है। जव उसका शरीर इस उद्देश्य की पूर्ति करने मे असमर्थता का अनुभव करने लगता है तव वह आहारादि का परित्याग कर समभावपूर्वक शरीर से मुक्ति प्राप्त करता है। चूँकि वह चुधा परीपह को सहन नही कर सकता अर्थात् भूख के कष्ट की उप-स्थिति मे वतो की आराधना नही कर सकता अतएव ग्राहारादि ग्रहण करता है। जहाँ तक उसके लिए बुभुक्षितावस्था मे जता-राधना शक्य होती है वहाँ तक वह ग्राहार ग्रहण नही करता। सशक्त शरीर के रहते हुए आहारादि का त्याग कर अथवा अन्य प्रकार से मृत्यु प्राप्त करना जैन आचारशास्त्र मे सर्वथा निषिद्ध है। इस प्रकार की मृत्यु कषायमूलक होने के कारण महान् कर्मवन्घ का कारण वनती है। उपयुक्त समय पर समभावपूर्वक प्राप्त की जाने वाली मृत्यु ही जैन आचारशास्त्रमे उपादेय मानी गई है। इस प्रकार की मृत्यु से आराधक अपने लक्ष्य के समीप पहुँचता है अर्थात् कर्मों से छुटकारा पाता है।

आहार क्यों नहीं ?

जिस प्रकार आहार ग्रहण करने के उपर्युक्त छ. कारण वताये गये हैं उसी प्रकार आहार छोडने के भी निम्नोक्त छ: कारण गिनाये गये हैं: १. आतक अर्थात् भयकर रोग उत्पन्न होने पर, २. उपसर्ग अर्थात् आकस्मिक संकट आने पर, ३. न्रह्म-

चर्य ग्रथित् शील की रक्षा के लिए, ४. प्राणिदया अयित् जीवों की रचा के लिए, ५ तप अर्थात् तपस्या के लिए, ६. सलेखना अर्थात् समाधिमरण के लिए। इन कारणों के मूल में भी व्रतारा-घना ही रही हुई है। भयकर रोग उत्पन्न होने पर अमुक प्रकार के आहार का त्याग आवश्यक हो जाता है वयोकि वैसा न करने पर शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता और शारीरिक स्वा-स्थ्य के ग्रभाव मे वतो की ग्राराधना नही हो सकती। ग्राक-स्मिक सकट आने पर भी म्राहारत्याग आवव्यक हो जाता है क्यों कि वैसा न करने पर प्रतिकूल परिस्थिति के कारण कभी-कभी मुनिवृत खतरे में पड जाता है। जिस आहार से जीलवृत का भंग होने का भय हो वह आहार भी मुनि के लिए त्याज्य है क्योकि ऐसे आहार से व्रत-विराधना होती है। जीववध का भय होने पर भी मुनि को आहार का त्याग कर देना चाहिए क्यों कि प्राणिदया मुनि का मुख्य धर्म है। तप की आराधना के लिए भी मुनि आहार का त्याग करता है क्योकि विवेकपूर्ण तपस्या से सयम की सुरक्षा होती है। मृत्यु का समय उपस्थित होने पर भी मुनि आहारत्यागपूर्वक मारणान्तिकी सलेखना अर्थात् सथारा करता है एव समाधियुक्त अर्थात् समभावपूर्वक मरण का वरण करता है। ऐसी मृत्यु मुनि के लिए अभीष्ट है। इस प्रकार मुनि का आहारत्याग भी आहारग्रहण के ही समान व्रतरक्षा के लिए ही है—सयमरन्ना के निमित्त ही है।

विशुद्ध आहार :

भिचु-भिचुणी को ऐसी कोई वस्तु स्वीकार करना कल्प्य

नहीं जिसमें उसके निमित्त किसी प्रकार की हिंसा हुई हो अथवा होने की सभावना हो। आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के पिण्डेषणा नामक प्रथम अध्ययन में आहारविषयक विविध प्रकार की हिंसा की सभावनाओं का विचार किया गया है। उसमें बतलाया गया है कि जिसमें प्राण होने की तिनक भी शका अथवा संभावना हो वैसा आहार भिच्च या भिच्चणी ग्रहण न करे। कदाचित् गलती से सिचत्त आहार पात्र में आ भी जाय तो उसका यतनापूर्वक परित्याग करे। जब सिचत्त और अचित्त का पृथक्करण शक्य न हो तब समग्र आहार का त्याग कर दे। जिसके पूर्ण रूप से अचित्त होने का निश्चय हो वहीं वस्तु ग्रहण करे एवं उपयोग में ले।

यदि गृहस्थ ने मुनि के निमित्त हिंसा कर के आहार तैयार किया हो अथवा किसी से छीन कर, उद्यार लेकर, चोरी करके या अन्य अवैध उपाय से प्राप्त किया हो तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी अन्य को दानादि के रूप मे देने के लिए वनाया हुआ आहार भी ग्रहण करना निषिद्ध है।

उत्सवादि अवसरों पर जब तक अन्य याचको को दान देना समाप्त न हो जाय तव तक श्रमण-श्रमणी को भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। जहां सखिंड अर्थात् सामूहिक भोजन—भोज होना हो वहाँ श्रमण-श्रमणी को आहारार्थं नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्थानो पर भिचार्थं जाने पर अनेक दोष लगते हैं जिससे सयम की विराधना होती है।

रसोई वन रही हो अथवा कोई अन्य कार्य हो रहा हो तो

भिक्षु-भिक्षुणी को गृहपित के घर मे प्रवेश न करते हुए एकान्त में खड़े रहना चाहिए एवं उस कार्य की समाप्ति होने पर अन्दर जाना चाहिए। गृहस्थ के घर का द्वार विना अनुमित के व विना यतना के खोलना निपिद्ध है। अन्य भिचार्थी यदि पहले से ही गृहस्थ के घर मे गये हुए हो तो उनके निकलने पर ही अन्दर जाना कल्प्य है।

भोजन करते हुए यदि कोई सचित्त जलादि से हाथ साफ कर भिचा दे तो नही लेना चाहिए। सचित्त शिलापट्ट पर पीसी हुई अथवा कूटी हुई वस्तु त्याज्य है। इसी प्रकार अग्नि पर रखी हुआ पदार्थ भी अग्राह्य है। किसी ऊंचे स्थान पर रखी हुई वस्तु को भी सदोष समभ कर नहीं लेना चाहिए। किसी भी दातव्य पदार्थ का सम्पर्क यदि पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एव त्रसकायिक जीवो से हो तो वह त्याज्य है। चावल का घोवन आदि जब तक अचित्त न हो जाय, अग्राह्य है। कच्ची वस्तु भी सचित्त होने के कारण अकल्प्य है। तात्पर्य यह है कि कोई भी पदार्थ जब तक अचित्त न हो जाय, नहीं लेना चाहिए।

जिस ग्राम, नगर ग्रादि मे श्रमण-श्रमणी के परिचित सम्बन्धी आदि रहते हो वहाँ अपरिचितो के यहाँ से आहारादि लेना चाहिए। आहारादि ग्रहण करते समय उन्हे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दाता ने उनके निमित्त किसी भी प्रकार का उपक्रम न पहले किया हो और न बाद मे करने की संभावना हो।

आहार का उपयोगः

मुनि को सुगन्धित एवं दुर्गन्धयुक्त आहार का समभाव-पूर्वक उपयोग करना चाहिए । यदि पात्र मे आवश्यकता से अधिक आहार आ गया हो तो साथी सयतियो को पूछे विना उसका त्याग नही करना चाहिए। उन्हे आवश्यकता होने पर सहर्प दे देना चाहिए। यदि दूसरो का आहार लेना हो तो उनकी अनुमतिपूर्वक ही लेना चाहिए। यदि आहार साधारण हो अर्थात् पूरे समुदाय के लिए हो तो उसका सविभाग अपनी इच्छानुसार न करते हुए साथियो से पूछ कर उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए करना चाहिए। प्राप्त सामग्री को निश्छल भाव से आचा-र्यादि को दिखाना चाहिए। जिसमे खाने की सामग्री अल्प तथा फेकने की सामग्री अधिक हो ऐसी वस्तु स्वीकार नही करनी चाहिए। मना करने पर भी यदि ऐसी कोई वस्तु पात्र मे आ ही जाय तो सार भाग खाकर शेप भाग को निर्दोप स्थान देखकर फेक देना चाहिए। शक्कर मांगने पर यदि दाता ने गलती से नमक दे दिया हो तो निर्दोष होने पर उसका यथोचित उपयोग कर लेना चाहिए । अधिक होने पर साथियो को दे देना चाहिए । फिर भी वच जाय तो उसका अचित्त स्थान पर परित्याग कर देना चाहिए। रोगी के लिए म्राहार यदि इस शर्त पर दिया गया हो कि उसके उपयोग मे न आने की स्थिति मे वापिस कर दिया जाय तो रोगी के अस्वीकृत करने पर उस आहार को तद-नुसार लौटा देना चाहिए। इस प्रकार के आहार को अपनी लोलुपता के कारण बीच मे ही खाजाना ठीक नही।

१७२: जैन आचार

आहार-सम्बन्धी दोप .

पिण्डिनर्युक्ति आदि मे म्राहारसम्बन्धी ४७ दोषो का उल्लेख है। इनमे से आधाकमं आदि १६ दोष उद्गम-दोष तथा धात्री आदि १६ दोष उत्पादन-दोप कहे जाते हैं। ये ३२ दोप गवेपणा से सम्बन्धित है। शिकत आदि १० दोप महणेपणा-विपयक है। सयोजना आदि शेप ५ दोपों का सम्बन्ध म्रासेपणा से है। आहार की खोज करते समय मृहस्थ के निमित्त से लगने वाले दोप उद्गम-दोष तथा साधु की खुद की ओर से लगने वाले दोष उत्पादन-दोप कहलाते हैं। आहार लेते समय मृहस्थ तथा साधु दोनो के निमित्त से लगने वाले दोष महलाते हैं। आहार खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही ओर से लगने वाले दोष म्राह्म खाते समय साधु की ही आहार खाते समय साधु की ही साधित समय साधु की ही खाते समय साधु की ही खाते समय साधु की ही आहार खाते समय साधु की ही खाते समय साधु की ही खाते समय साधु की खाते समय साधु की ही साधित समय साधु की साधित समय साधु की साधित समय साधित साधित समय साधित साधित साधित समय साधित साधित

गवेषणा के उद्गम-दोप—निम्नोक्त १६ दोष आहार की गवे-षणा के उद्गम-दोष हैं: १. आधाकमं—विशेष साधु के उद्देश्य से आहार बनाना, २ औद्देशिक—सामान्य भिक्षुओं के उद्देश्य से आहार बनाना, ३ पूतिकर्म—शुद्ध आहार को अशुद्ध आहार से मिश्रित करना, ४ मिश्रजात—अपने लिए व साधु के लिए मिलाकर आहार बनाना, ५ स्थापना—साधु के लिए कोई खाद्य पदार्थ अलग रख देना, ६. प्राभृतिका—साधु के निमित्त से अपना भोजन का कार्यक्रम बदल देना, ७. प्रादुष्करण—अन्धकार दूर करने के लिए दीपक आदि का प्रयोग कर आहार देना, ८ क्रीत —साधु के लिए आहार खरीद कर लाना, ९. प्रामित्य—साधु के लिए आहार उधार लाना, १०. परिवर्तित—साधु के लिए आहार की अदला-वदली करना, ११ अभिहत—साधु के लिए आहार दूर से लाना, १२ उद्भिन्न—साधु के लिए वंद वरतन का मुँह तोड कर घी आदि देना, १३. मालापहत—ऊंचे स्थान पर चढकर आहार उतार कर देना, १४. आच्छेच—िकसी से छीन कर आहार देना, १५. अनिसृष्ट—साझे की वस्तु साभी की अनुमित के विना देना, १६ अध्यवपूरक—अपने लिए बनाये जाने वाले भोजन मे साधु के लिए थोडी मात्रा वढ़ा लेना।

गवेषणा के उत्पादन-दोप—निम्नलिखित १६ दोष आहार की गवेषणा के उत्पादन-दोष हैं १ धात्री-धाय की भाति गृहस्थ के वालको की किसी प्रकार की सेवा करके ग्राहार लेना, २. दूती-दूत के समान संदेश पहुँचाकर आहार लेना, ३ निमित्त-शुभाशुभ फल वताकर आहार लेना, ४. आजीव—अपनी जाति, कुल आदि वतलाकर ग्राहार लेना, ५. वनीपक--भिखमगे की तरह दीनता दिखा कर ग्राहार लेना, ६ चिकित्सा—औषघि आदि का प्रयोग वताकर आहार लेना, ७. कोध-गुस्सा करके अथवा शापादि का भय दिखाकर आहार लेना, ८. मान-अभि-मानपूर्वक आहार लेना, ९ माया--कपटपूर्वक आहार लेना, १०. लोभ--लालचवञ आहार लेना, ११. पूर्वपक्चात्संस्तव--आहार लेने के पहले अथवा वाद मे दाता की प्रशसा करना, १२. विद्या--जप आदि से सिद्ध होने वाली विद्या का प्रयोग करके आहार लेना, १३ मन्त्र--मत्र-तत्र का प्रयोग करके आहार लेना, १४ चूर्ण-चूर्ण आदि (वशीकरण) का प्रयोग करके आहार लेना, १५. योग—योगिवद्या का प्रदर्शन करके १७४ : जैन आचार

आहार लेना, १६ मूलकर्म—गर्भस्तम्भ अर्थात् गर्भ रोकने आदि के प्रयोग बताकर आहार लेना ।

ग्रहणेषणा के दोष—आहार की ग्रहणेपणा के निम्नोक्त १० दोप हैं १. शिकत—ग्राधाकमं ग्रादि दोषों की शका होने पर ग्राहार लेना, २. म्रक्षित—सिचत्त का ससर्ग होनेपर आहार लेना, ३ निक्षिप्त—सिचत्त पर रखा हुआ आहार लेना, ४. पिहित—सिचत्त से ढका हुग्रा आहार लेना, ५ सहत—सिचत्त पदार्थ से संपृक्त पात्र से अर्थात् अकल्पनीय वस्तु को निकालने के बाद उसी बरतन से देने पर आहार लेना, ६. दायक—गिंभणी आदि अनिधकारी दाता से आहार लेना, ७. उन्मिश्र—सिचत्त से मिश्रित आहार लेना, ८. अपरिणत—अधूरा पका आहार लेना, ९. लिप्त—साधु के निमित्त से घृत आदि से लिप्त होने वाले पात्र या हाथ से आहार लेना, १० छिंदत—नीचे गिरता हुग्रा या बिखरता हुआ आहार लेना।

त्रासैषणा के होष— निम्नोक्त ५ दोष ग्रासैषणा के हैं : १ सयोजना—स्वादवर्धन की दृष्टि से खाद्य पदार्थों को परस्पर मिलाना, २ अप्रमाण—मात्रा से अधिक खाना, ३. अंगार— स्वादिष्ट भोजन को प्रशसा करते हुए खाना, ४ धूम—नीरस भोजन को निन्दा करते हुए खाना, ५ अकारण—सयमरक्षा के निमित्त भोजन न करते हुए वलवृद्धि आदि के लिए भोजन करना।

अनगार-धर्मामृत के पाचवे ग्रध्याय मे पिण्डविशुद्धि अर्थात् आहारशुद्धि का विचार करते हुए निम्नोक्त ४६ पिण्डदोपो का प्रतिपादन किया गया है : १६ उद्गमदोष, १६ उत्पादनदोप, १० शकितादिदोष व ४ अगारादिदोष।

एकमक्त

मूलाचार के मूलगुणाधिकार नामक प्रथम अध्ययन में निर्ग्रन्थ (अचेलक) के जिन २८ मूलगुणों का वर्णन किया गया है उनमें स्थितिभोजन व एकभक्त नामक दो आहारसम्बन्धी गुणों का भी समावेश है। स्थितिभोजन का अर्थ है निर्दोष भूमि पर विना सहारे खड़े रहकर अजलिपुट (पाणिपात्र—स्वहस्तपात्र) में आहार करना। एकभक्त का अर्थ है सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच केवल एक बार आहार करना। इस प्रकार मूलाचार में मुनि के लिए एकभक्त अर्थात् दिन में एक बार भोजन करने का विधान है श्रीर वह भी खड़े-खड़े अपने हाथों में ही खाने का।

दशवैकालिक के महाचारकथा नामक छठे अध्ययन मे श्रमण को एकमक्त भोजन करने वाला कहा गया है: एगभत्त च भोअणं। यद्यपि टीकाकारों ने 'एगभत्त' का ग्रर्थ दिवाभोजन के रूप में किया है किन्तु शब्दरचना, सदर्भ एवश्रमणाचार के हार्द को देखते हुए यह अर्थ उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। एगभत्त— एकभक्त का अर्थ वहीं होना चाहिए जो मूलाचार के लेखक एवं टीकाकारों ने किया है। दिन में अनेक बार भोजन करने वाले मुनि को अपेक्षा एक बार भोजन करने वाला मुनि श्रमणधर्म का विशेष निविच्नतया एवं निष्ठापूर्वक पालन कर सकता है। ग्रनेक बार श्राहार करने वाले मुनियों का अधिकाश उपयोगी समय

आहार-पानी की गवेपणा में ही व्यतीत हो जाता है। इसे समय का सदुपयोग नहीं कह सकते। विशेष परिस्थिति में विवशतावश वैसा करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। सामान्यतया दिन में एक बार भोजन करना ही मुनि के लिए श्रेयस्कर है। उत्तराध्ययन के छट्वीसवे अध्ययन (सामाचारी) में भी इसी सिद्धान्त का समर्थन है। जिनके पास पात्र होते हैं वे भोजन के लिए उनका उपयोग करते हैं। जो पात्र नहीं रखते अर्थात् पाणिपात्र—करपात्र होते हैं वे खड़े-खड़े अपने हाथों में ही आहार करते हैं।

विहार अर्थात् गमनागमनः

निर्गं न्थ मुनि वर्षा ऋतु मे एक स्थान पर रहते हैं तथा शेप ऋतुओ मे पदयात्रा करते हुए स्थान-स्थान पर घूमते रहते हैं। उनकी यह पदयात्रा किस प्रकार निर्दोष एव संयमानुकूल हो, इसका जैन आचार-प्रथो मे सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया गया है। विचरने की अहिंसक विधि कैसी होती है, इस पर जैन आचारशास्त्र मे पर्याप्त ऊहापोह किया गया है। आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के तृतीय अध्ययन मे इस विषय का सुन्दर विवेचन उपलब्ध है। उसमे यह वतलाया गया है कि भिच्च या भिच्चणी को जब यह मालूम हो जाय कि वर्षा ऋतु का ग्रागमन हो गया है एव वर्षा के कारण विविध प्रकार के जीवकायो की सृष्टि हो चुकी है तथा मार्गो मे अकुरादि उत्पन्न होने के कारण गमनागमन दुष्कर हो गया है तब वह किसी निर्दोष स्थान पर वर्षावास अर्थात् चातुर्मास करके ठहर जाय। जहा स्वाध्याय आदि की अनुकूलता

न हो वहाँ न रहे। जब चातुर्मास पूर्ण हो जाय तथा मार्ग जीव-जन्तुओं से साफ हो जाय तव वह सयमपूर्वक विहार प्रारम्भ करदे। चलते हुए किसी प्राणी की हिसा न हो, इसका पूरा ध्यान रखे। जीव-जन्तुविहोन मार्ग लम्बा हो तो भी उसी का अवलम्बन ले। वह ऐसा मार्ग ग्रहण न करे जिससे जाने पर सयमरक्षा मे किसी प्रकार का विष्न उपस्थित होने की आशंका हो अथवा आगे के ग्रामादि का पता न लगे।

नौकाविहार :

आवश्यकता होने पर नाव का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हुए कहा गया है कि मुनि को यदि यह मालूम हो कि नाव उसी के निमित्त चलाई जारही है अथवा उसके लिए उसमे किसी प्रकार का सस्कार किया जारहा है तो वह उसका उपयोग न करे। यदि गृहस्थ अपने लिए नाव चला रहा हो तो मुनि उसकी अनुमति लेकर यतनापूर्वक एक ओर बैठकर उस नाव द्वारा पानी पार कर सकता है। नाव मे यदि कोई कुछ कार्य करने को कहे तो वह न करे। नाव वाले उससे किसी प्रकार का सह-योग न मिलने पर यदि कुद्ध होकर उसे पानी मे फेंक देने को तैयार हो जाय तो वह अपने आप ही उतर जाय एव समभावपूर्वक तैर कर वाहर निकल जाय । यदि वे उसे पानी मे डाल ही दें तो भी निराकुलता-पूर्वक तैरते हुए पानी पार कर जाय। तैरते समय किसी प्रकार का ग्रानन्द न छेते हुए सहज भाव से तैरे। बाहर निकलने के वाद शरीर व वस्त्रो को अपने आप ही सूखने दे। तदनन्तर विहार करे।

१७८ : जैन आचार

पद्यात्रा ः

ग्रामानुग्राम विचरण करते मुनि किसी के साथ अनावश्यक बाते न करे-गप न मारे किन्तु सावधानीपूर्वक चले। पैर से पार करने योग्य पानी होने पर उसे चलकर पार करे। पानी मे चलते समय किसी प्रकार का आनन्द न लेते हुए सहज गति से पानी पार करे। पानी से बाहर निकल कर कीचड्युक्त गीले पैर से जमीन पर न चले किन्तु पैर सूखने पर ही साफ पैर से चलना प्रारम्भ करे। मार्ग में किसी के द्वारा पकड़े जाने पर अथवा परेशान किये जाने पर व्याकुल न हो। रास्ते मे आने वाले चैत्य, स्तूप आदि को कुतूह्लपूर्वक न देखे। चलते समय आचार्य आदि गुरुजनों का अविनय न हो, इसका पूरा घ्यान रखे। मार्ग मे व्याघ्र आदि हिसक प्राणियो को देखकर व्याकुल न हो, उन्मार्ग ग्रहण न करे ग्रीर न कही छिपने की ही कोशिश करे अपितु निर्भय होकर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे वढता जाय । इसी प्रकार चोर-लुटेरों से भी न घवराये। लुटेरों से लूट लिये जाने पर दया की भीख न नॉगते हुए घर्मोपदेशपूर्वक अपनी वस्तु वापिस माँगे। न मिलने पर किसी प्रकार का दु:ख न करते हुए अपना मार्ग ग्रहण करे तथा किसी के सामने उसके सम्बन्ध मे किसी प्रकार की शिकायत न करे। सव कष्टों को समभावपूर्वक सहन करना ही सच्चा संयम है-सयमी का मार्ग है-मुनिधर्म है।

वसति अर्थात् उपाश्रयः

जैन आचार-ग्रथों मे वसित के लिए 'शय्या शब्द का प्रयोग

किया गया है। आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम चूला के द्वितीय अध्ययन का नाम शय्येषणा है जिसमे संयत के निवास-योग्य स्थान अर्थात् वसित की गवेषणा का विचार किया गया है। निर्युक्तिकार एवं चूिणकार ने शय्येषणा अध्ययन का व्याख्यान करते हुए शय्या शब्द का अर्थ वसित किया है। वैसे शय्या का अर्थ विद्योना होता है। जहाँ विद्योना विद्याया जासके ऐसे उपाश्रय आदि वसितस्थान भी शय्या के सम्वन्घ के कारण शय्या कहे जाते हैं। वसित-स्थान के गवेषण एवं उपयोग के विषय मे सामान्य नियम यही है कि जिस स्थान के लिए त्यागी के निमित्त से किसी प्रकार की हिंसा हुई हो, होती हो अथवा होने वाली हो वह स्थान श्रमण-श्रमणी स्वीकार न करें।

जिस स्थान में किसी प्रकार के विशेष जीव-जन्तु दिखाई दें वहाँ संयत ध्यान, स्वाध्याय, सस्तारक (विछौना) म्रादि न करे। जो स्थान साधारण जीव-जन्तुओं वाला हो उसे प्रमार्जन करके काम में ले।

जो मकान एक या अनेक त्यागियों को लक्ष्य करके वनाया गया हो, खरीदा गया हो अथवा अन्य ढग से प्राप्त किया गया हो उसे सदोष समभकर निर्मन्थ-निर्मन्थी उपयोग में न ले। यदि किसी मकान में सयमी के निमित्त किसी प्रकार का सस्कार किया गया हो तो उसे भी वह स्वीकार न करे।

जहाँ तक बन सके, श्रमण-श्रमणी ऊँचे मकान मे न रहे। कारणवशात् ऊँचे मकान मे रहना पड़े तो ऊपर से हाथ-मुँह आदि न धोवे। जिस मकान में स्त्री, वालक अयवा पशु का निवास हो उनमें श्रमण न रहे क्योंकि ऐसा स्थान सहज ही संयम का विराधक वन सकता है। श्रमणी के लिए पुरुपवाला स्थान निषिद्ध है।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को गृहस्थ के साथ भी निवास नही करना चाहिए क्यों कि गृहस्थ तो जुचि-सामाचारयुक्त ग्रर्थात् स्नानादि करने वाले होते हैं जब कि निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ स्नानादि शोच-क्रियाएँ नहीं करते। इस भेद के कारण गृहस्थ को अपने कार्यक्रम मे व्युत्क्रम करना पड़ सकता है। दूसरी वात यह है कि गृहस्थ ग्रपने यहाँ ठहरे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के निमित्त अनेक प्रकार के आरम्भ-समारम्भ मे प्रवृत्त हो सकता है और परिणामतः सयम की विराधना हो सकती है। राजि के समय चोरी आदि हो जाने पर वहाँ ठहरे हुए संयमी पर किसी प्रकार का आरोप आ सकता है।

कोई-कोई गृहस्थ अपने मकान बड़े इसलिए बनाते हैं कि अवसर आने पर वे भिचुग्रो के काम मे आसके। श्रमण-श्रमणियों को ऐसे मकानो में नहीं ठहरना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ ग्रपना बना-बनाया मकान श्रमणादि के लिए खाली कर अपने लिए दूसरा मकान बनाने का सोचता है तो साधु-साध्वियों को उसमे ठहरना अकल्प्य है।

श्रमण-श्रमणी उस घर मे न रहे जिसमे गृहस्य रहता हो, पानो आदि रखा जाता हो, गृहस्य के घर मे से होकर रास्ता जाता हो, लोग परस्पर कलह करते हों, स्नान करते हो, मालिश आदि करते हों। चित्रयुक्त स्थान भी त्यागियो के लिए त्याज्य है। जो स्थान हिंसादि दोषों से रिहत हो तथा जहाँ रहकर सयम की सम्यक्तया आराधना की जासके वही स्थान निर्गंन्थ-निर्गं-न्थियों के लिए कल्प्य है। इस प्रकार के स्थान में ठहरने के पूर्व स्वामी की निष्कपट भाव से अनुमित लेना अनिवार्य है। स्वामी की अनिच्छा अथवा निपेध होने की स्थिति में वह स्थान नहीं लेना चाहिए अथवा छोड देना चाहिए। संस्तारक ग्रादि अन्य सामग्री के विषय में भी यही नियम है।

संयमी को किसी भी स्थान मे ठहरने के पूर्व मलमूत्र के त्याग का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। एतद्विषयक स्थान पहले से ही यथावत् देख लेना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। पूरी सावधानी रखते हुए भी सम या विषम जैसा भी स्थान आदि मिले, समभावपूर्वक उपयोग में लेना चाहिए। संयम की किसी प्रकार से विराधना न हो, इसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।

निर्प्रं न्य-निर्प्रं न्थियों के एक स्थान पर रहने के समय का दो दृष्टियों से विचार किया गया है। वर्षाऋतु में वे एक स्थान पर चतुर्मासपर्यन्त रहते हैं। शेष आठ महीनों में उन्हें एक स्थान पर एक साथ एक मास से अधिक रहना अकल्प्य है। वृहत्कल्प सूत्र के प्रथम उद्देश में एतद्विषयक स्पष्ट विद्यान किया गया है। उसमें यह भी वतलाया गया है कि यदि ग्राम, नगर आदि अन्दर व बाहर के भागों में बंटे हुए हों तो दोनों में अलग-अलग अधिकतम समय तक रहा जा सकता है। अन्दर रहते समय भिक्षाचर्या आदि अन्दर एव बाहर रहते समय बाहर ही करना चाहिए। निर्ग्रन्थियों

१८२: जैन आचार

के लिए एक मास के स्थान पर दो मास की मर्यादा रखी गई है।

एक परित्तेप (वहारदीवारी) एव एक द्वार वाले ग्रामादि मे निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को एक ही समय नही रहना चाहिए। जिस वसित के आस-पास दुकानें हो, जो गली के किनारे पर हो, जहाँ अनेक रास्ते मिलते हो वहाँ निर्ग्रन्थियों को रहना अकल्प्य है। निर्ग्रन्थ इस प्रकार के स्थानों मे यतनापूर्वक रह सकते हैं। निर्ग्रन्थियों को विना दरवाजे के खुले उपाश्रय मे नही रहना चाहिए। द्वारयुक्त उपाश्रय न मिलने की स्थिति मे अपवादरूप से परदा लगा कर रहा जा सकता है। निर्ग्रन्थों को विना दर-वाजे के उपाश्रय में रहना कल्प्य है।

वृहत्कल्प के द्वितीय उद्देश में यह बतलाया गया है कि निर्ग्र-निययों को आगमनगृह (धर्मशाला आदि), विकृतगृह (अनावृत स्थान), वृक्षमूल (पेड का तना), अभ्रावकाश (खुला आकाश) आदि में रहना अकल्प्य है। निर्ग्रन्थ इन स्थानों में यतनापूर्वक रह सकते हैं। वृतीय उद्देश में कहा गया है कि निर्ग्रन्थों को निर्ग्र-न्थियों के उपाश्रय में बैठना, सोना, खाना, पीना आदि कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार निर्ग्रन्थों के लिए भी निर्ग्रन्थों के उपाश्रय में बैठना आदि निषिद्ध है।

श्रमण-श्रमणियों को किसी के घर के भीतर अथवा दो घरों के बीच मे बैठना, सोना, देर तक खड़े रहना ग्रादि अकल्प्य है। किसी रोगी, वृद्ध, तपस्वी ग्रादि के गिर पड़ने पर बैठने आदि में कोई हर्ज नहीं। जब श्रमण- श्रमणियों को अपना वसित-स्थान छोड़ कर अन्यत्र विहार करना हो तो प्रातिहारिक अर्थात् वापस देने योग्य उपकरण स्वामी को सौंपे विना प्रस्थान नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, शय्यातर अर्थात् मकानमालिक के शय्या-संस्तारक को अपने लिए जमाये हुए रूप में ही न छोडते हुए यथोचित रूप से व्यवस्थित करने के वाद स्थान छोड़ना चाहिए।

जिस दिन कोई श्रमण अथवा श्रमणियाँ वसित, संस्तारक आदि का त्याग करें उसी दिन अन्य श्रमण अथवा श्रमणियाँ वहाँ आकर ठहर जायं तो भी उस दिन के लिए उस स्थान आदि पर पहले के श्रमण-श्रमणियों का ही अवग्रह ग्रथीत् अधिकार बना रहता है। दूसरे शब्दों मे एक श्रमण-वर्ग के अधिकार की वस्तु पर दूसरा श्रमण-वर्ग तव तक अपना ग्रधिकार न समझे जव तक कि उसका त्याग किये एक दिन व्यतीत न हो जाय।

श्रमण-श्रमणियों को किसी स्थान पर रहते हुए चारों बोर सवा योजन अर्थात् पाँच कोस की मर्यादा रखना कल्प्य है। यह मर्यादा किसी प्रयोजन से कही जाने-आने के लिए समझनी चाहिए। इस सामान्य मर्यादा में कार्यविशेष अथवा परिस्थिति-विशेष की दृष्टि से बावश्यक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

सामाचारी:

सामाचारी अथवा समाचारी का अर्थ है सम्यक् चर्या। श्रमण की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ? इस प्रश्न का जैन ग्राचार-शास्त्र में व्यवस्थित उत्तर दिया गया है। यह उत्तर दो रूपो मे है सामान्य दिनचर्या व पर्युपणाकल्य। उत्तराध्ययन आदि में मुनि की सामान्य दिनचर्या पर प्रकाश डाला गया है तथा कल्प-सूत्र आदि में पर्युषणाकल्प अर्थात् वर्षावास (चातुर्मास) से सम्ब-न्धित विशिष्ट चर्या का वर्णन किया गया है।

सामान्य चर्याः

उत्तराध्ययन सूत्र के छ्विति अध्ययन के प्रारम्भ मे श्रमण की सामान्य चर्यारूप सामाचारी के दस प्रकार वतलाये गये हैं: १. आविश्यकी, २ नैपेधिकी, ३ आपृच्छना, ४. प्रतिपृच्छना, ४. छन्दना, ६ इच्छाकार, ७. मिथ्याकार, ८. तथाकार अथवा तथ्येतिकार, ६. अभ्युत्थान, १०. उपसपदा।

किसी आवश्यक कार्य के निमित्त उपाश्रय से बाहर जाते समय 'में आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाता हूँ' यो कहना चाहिए। यह आवश्यकी सामाचारी है। बाहर से वापस आकर 'अब मुझे बाहर नहीं जाना है' यों कहना चाहिए। यह नैपेधिकी सामाचारी है। किसी भी कार्य को करने के पूर्व गुरु अथवा ज्येष्ठ मुनि से पूछना चाहिए कि क्या मैं यह कार्य कर छूं? इसे आपृ-च्छना कहते हैं। गुरु श्रथवा ज्येष्ठ मुनि ने जिस कार्य के लिए पहले मना कर दिया हो उस कार्य के लिए आवश्यकता होने पर पुनः पूछना कि क्या अब मैं यह कार्य कर छूँ, प्रतिपृच्छना है। लाये हुए आहारादि के लिए अपने साथी श्रमणों को आमित्रत कर धन्य होना छंदना है। परस्पर एक-दूसरे की इच्छा जानकर अनुक्तल व्यवहार करना इच्छाकार कहलाता है। प्रमाद के कारण

होने वाली अपनी त्रुटियों के लिए पश्चात्ताप कर उन्हें मिथ्या ग्रर्थात् निष्फल बनाना मिथ्याकार कहलाता है। गुरु ग्रथवा ज्येष्ठ मुनि की आज्ञा स्वीकार कर उनके कथन का 'तहत्ति' (आपका कथन यथार्थ है) कहकर ग्रादर करना तथाकार अथवा तथ्येति-कार कहलाता है। उठने, बैठने आदि मे ग्रपने से वडो के प्रति भक्ति एवं विनय का व्यवहार करना अभ्युत्थान है। भगवती (व्याख्याप्रज्ञिप्त) सूत्र (शतक २५) में अभ्युत्थान के स्थान पर निमन्त्रणा शब्द है। निमन्त्रणा का अर्थ है आहारादि लाने के लिए जाते समय साथी श्रमणों को भी साथ आने के लिए निम-न्त्रित करना अथवा उनसे यह पूछना कि क्या आपके लिए भी कुछ लेता आऊँ ? ज्ञानादि की प्राप्ति के लिए योग्य गुरु का आश्रय ग्रहण करना उपसंपदा है। इसके लिए श्रमण अपने गच्छ का त्याग कर अन्य गच्छ का आश्रय भी ले सकता है।

मुनि को दिवस को चार भागों में विभक्त कर अपनी दिन-चर्या सम्पन्न करनी चाहिए। उसे दिवस के प्रथम प्रहर में मुख्यतः स्वाध्याय, द्वितीय में ध्यान, तृतीय में भिक्षाचर्या तथा चतुर्थ में फिर स्वाध्याय करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि के चार भागों में से प्रथम में स्वाध्याय, द्वितीय में ध्यान, तृतीय में निद्रा एवं चतुर्थ में पुनः स्वाध्याय करना चाहिए। इस प्रकार दिन-रात के आठ पहर में से चार पहर स्वाध्याय के लिए, दो पहर ध्यान के लिए, एक पहर भोजन के लिए तथा एक पहर सोने के लिए है। इससे प्रतीत होता है कि श्रमण की दिनचर्या में अध्ययन का सर्वाधिक महत्त्व है। इसके वाद ध्यान को महत्त्व दिया गया है। खाने-पीने के लिए दिन में एक बार एक पहर का समय दिया गया है। इसी प्रकार सोने के लिए भी रात के समय केवल एक पहर दिया गया है। स्वाध्याय अथवा अध्ययन में निम्नोक्त पाँच कियाओं का समावेश किया जाता है: वाचना; पृच्छना, परि-वर्तना (पुनरावर्तन), अनुप्रेक्षा (चिन्तन) और धर्मकथा।

श्रमण की इस संक्षिप्त दिनचर्या का विवेचन करते हुए उत्तरा-ध्ययनकार ने बतलाया है कि दिवस के प्रथम प्रहर के प्रारम्भ के चतुर्थं भाग मे वस्त्र-पात्रादिका प्रतिलेखन (निरीचण) करने के चाद गुरु को नमस्कार कर सर्व दु खमुक्ति के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। इसी प्रकार दिवस के अन्तिम प्रहर के अन्त के चतुर्थ भाग मे स्वाध्याय से निवृत्त होकर गुरु को वंदन करने के वाद वस्त्र-पात्रादि का प्रतिलेखन करना चाहिए। प्रति-स्रेखन करते समय परस्पर वार्तालाप नही करना चाहिए और न किसी अन्य से ही किसी प्रकार की वातचीत करनी चाहिए अपितु अपने कार्य मे पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। तृतीय प्रहर में क्षुधा-वेदना की शान्ति आदि के लिए आहार-पानी की गवेषणा करनी चाहिए। आहार-पानी लेने जाते समय भिक्षु को पात्र आदि का अच्छी तरह प्रमार्जन कर लेना चाहिए। भिन्ना के लिए अधिक-से-अधिक आधा योजन (दो कोस) तक जाना चाहिए। चतुर्थं प्रहर के अंत में स्वाध्याय से निवृत्त होने पर एव वस्त्र-पात्रादि की प्रतिलेखना कर लेने पर मल-मूत्र का त्याग करने की भूमि का अवलोकन करने के वाद कायोत्सर्ग (प्रतिक्रमण अथवा आवश्यक) करना चाहिए । कायोत्सर्ग मे दिवससम्बन्धी अति-

चारों—दोषो की चिन्तना एवं आलोचना करनी चाहिए। तदनन्तर रात्रिकालीन स्वाध्याय आदि मे लग जाना चाहिए। रात्रि के चतुर्थ प्रहर मे इस ढंग से स्वाध्याय करना चाहिए कि अपनी आवाज से गृहस्थ जग न जायं। चतुर्थ प्रहर का चतुर्थ भाग शेष रहने पर पुनः कायोत्सर्ग करना चाहिए एव रात्रिसम्बन्धी अति-चारों की चिन्तना व आलोचना करनी चाहिए।

पर्युपणाकल्प :

कल्पसूत्र (पर्युषणाकल्प) के सामाचारी नामक अतिम प्रक-रण मे यह उल्लेख है कि श्रमण भगवान् महावीर ने वर्पा ऋतु का वीस रातसहित एक महीना वीतने पर अर्थात् आषाढ मास के अन्त मे चातुर्मास लगने के वाद पचास दिन व्यतीत होने पर वर्पावास किया। इस प्रकरण मे यह भी उल्लेख है कि इस समय से पूर्व भी वर्षावास कल्प्य है किन्तु इस समय का उल्लघन करना कल्प्य नही । इस प्रकार जैन आचारशास्त्र के अनुसार मुनियों का वर्षावास चातुर्मास लगने से लेकर पचास दिन बीतने तक कभी भी प्रारंभ हो सकता है अर्थात् आषाढ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर भाद्रपद शुक्ला पचमी तक किसी भी दिन शुरू हो सकता है। सामान्यतया चातुर्मास प्रारंभ होते ही जीव-जन्तुओ की उत्पत्ति को घ्यान मे रखते हुए मुनि को वर्पावास कर लेना चाहिए। परिस्थितिविशेप की दृष्टि से उसे पचास दिन का समय और दिया गया है। इस समय तक उसे वर्षावास अवश्य कर लेना चाहिए। वर्षावास मे स्थित निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को भी चारों ओर सवा योजन अर्थात् पाच कोस तक की अवग्रह-मर्यादा—गमना-गमन की चेत्र-सीमा रखना कल्प्य है।

हृष्टपुष्ट, आरोग्ययुक्त एवं बलवान् निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को दूध, दही, मक्खन, घी, तेल आदि रसिवकृतियाँ बार-वार नहीं लेनी चाहिए ।

नित्यभोजी भिक्षु को गोचरकाल मे (गोचरी के समय) आहार-पानी के लिए गृहस्था के घर की ओर एक बार जाना कल्प्य है। आचार्य आदि की सेवा के निमित्त अधिक बार भी जाया जा सकता है। चतुर्थभक्त अर्थात् उपवास करने वाले भिक्षु को उपवास के बाद प्रात काल गोचरी के लिए निकल कर हो सके तो उस समय मिलने वाले ग्राहार-पानी से ही उस दिन काम चला लेना चाहिए। वैसा शक्य न होने पर गोचर-काल मे आहार-पानी के लिए गृहपति के घर की ओर एक बार और जाया जा सकता है। इसी प्रकार षष्ठभक्त अर्थात् दो उप-वास करने वाले भिच् को गोचरी के समय आहार-पानी के लिए गृहस्थ के घर की ओर दो बार स्रौर जाना कल्प्य है। अष्टमभक्त अर्थात् तीन उपवास करने वाला भिन्नु गोचरी के समय आहार-पानी के लिए गृहपति के घर की ओर तीन बार और जा सकता है। विकृष्टभक्त ग्रर्थात् अष्टमभक्त से अधिक तप करने वाले भिक्षु के लिए एतद्विषयक कोई निर्धारित सख्या अथवा समय नही है। वह अपनी सुविधानुसार किसी भी समय एव कितनी ही बार अग्हार-पानी के लिए गृहस्थ के घर जा सकता है। उसे इस विषय मे पूर्ण स्वतन्त्रता है।

नित्यभोजी मिच्चु को सब प्रकार का निर्दोष पानी लेना कल्प्य है। चतुर्थभक्त करने वाले मिच्चु को निम्नोक्त तीन प्रकार का पानी ग्रहण करना कल्प्य है: उत्स्वेदिम अर्थात् पिसे हुए अनाज का पानी, संस्वेदिम अर्थात् उवले हुए पत्तों का पानी और तंदुलोदक अर्थात् चावल का पानी। षष्ठभक्त करने वाले भिच्चु के लिए निम्नोक्त तीन प्रकार का पानी विहित है: तिलो-दक अर्थात् तिल का पानी, तुपोदक अर्थात् तुष का पानी और यवोदक अर्थात् जो का पानी। अष्टमभक्त करने वाले भिच्चु के लिए निम्नोक्त तीन प्रकार का पानी विहित है: आयाम अर्थात् पके हुए चावल का पानी, सौवीर अर्थात् काजी और शुद्धिवकट अर्थात् गरम पानी। विकृष्टभक्त करने वाले भिक्षु को केवल गरम पानी ग्रहण करना कल्प्य है।

पाणिपात्र अर्थात् दिगम्बर भिन्नु को तिनक भी पानी वर-सता हो तो भोजन के लिए अथवा पानी के लिए नही निकलना चाहिए। पात्रघारी भिक्षु अधिक वर्षा में आहार-पानी के लिए चाहर नहीं जा सकता। अल्प वर्षा होती हो तो एक वस्त्र और ओढकर आहार-पानी के लिए गृहस्थ के घर की ग्रोर जा सकता है। भिक्षा के लिए वाहर गया हुआ मुनि वर्षा आ जाने की स्थिति में वृक्ष ग्रादि के नीचे ठहर सकता है एवं आवश्यकता होने पर वहाँ आहार-पानी का उपभोग भी कर सकता है। उसे खा-पीकर पात्रादि साफ कर सूर्य रहते हुए अपने उपाश्रय में चले जाना चाहिये क्योंकि वहाँ रह कर रात्रि व्यतीत करना अकल्प्य है। मुनि को अपने शरीर से पानी टपकने की स्थिति मे अथवा अपना शरीर गीला होने की अवस्था मे आहार-पानी का उप-भोग नहीं करना चाहिये। जब उसे यह मालूम हो कि अब मेरा शरीर सूख गया है तब आहार-पानी का उपभोग करना चाहिए।

पर्युषणा के वाद अर्थात् वर्षा ऋतु के पचास दिन व्यतीत होने पर निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के सिर पर गोलोमप्रमाण अर्थात् गाय के वाल जितने केश भी नहीं रहने चाहिए। केंची से अपना मुण्डन करने वाले को आधे महीने से मुंड होना चाहिए, उस्तरे से अपना मुण्डन करने वाले को एक महीने से तथा लोच से मुड होने वाले को अर्थात् हाथो से वाल उखाड कर अपना मुडन करने वाले को छ. महीने से मुण्ड होना चाहिए। स्थिवर (वृद्ध) वार्षिक लोच कर सकता है।

श्रमण-श्रमणियों को पर्युपणा के बाद अधिकरणयुक्त अर्थात् क्लेशकारी वाणी वोलना अकल्प्य है। पर्युपणा के दिन उन्हें परस्पर क्षमायाचना करनी चाहिए एवं उपशमभाव की वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि जो उपशमभाव रखता है वहीं आराधक होता है। श्रमणत्व का सार उपशम ही है अत. जो उपशमभाव नहीं रखता वह विराधक कहा जाता है।

भिश्च-प्रतिमाएँ ः

प्रतिमा का अर्थ होता है तपिवशेष। दशाश्रुतस्कध के षष्ठ उद्देश में एकादश उपासक-प्रतिमाओं का तथा सप्तम उद्देश में द्वादश भिक्षु-प्रतिमाओं का वर्णन है। उपासक-प्रतिमाएँ श्रावक के लिए हैं जबिक भिच्च-प्रतिमाएँ श्रमण के लिए हैं। द्वादश भिच्च-प्रतिमाओं के नाम इस प्रकार हैं: १. मासिकी, २. द्विमासिकी, ३. त्रिमासिकी, ४. चतुर्मासिकी, ५ पंचमासिकी, ६ पट्मासिकी, ७. सप्तमासिकी, ८. प्रथम सप्त-अहोरात्रिकी, ९. द्वितीय सप्त-अहोरात्रिकी, १०. तृतीय सप्त-अहोरात्रिकी, ११. अहोरात्रिकी, १२. रात्रिकी।

मासिकी प्रतिमाघारी अर्थात् एक महीने तक तपविशेप की आराघना करने वाले मुनि को किसी भी संकट से नही घबराना चाहिए। उसे प्रत्येक प्रकार के परीषह को क्षमापूर्वक सहन करना चाहिए। किसी भी उपसर्ग की उपस्थिति मे दीनता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस प्रतिमा में मुनि को एक दित्त अन की एवं एक दत्ति जल की लेना विहित है। यहाँ दत्ति का अर्थ है दीयमान अन्न या जल की एक अखण्डित घारा। यह पदार्थं के एक अंश-हिस्से-डुकडे के रूप मे होती है। मासिकी प्रतिमा-स्थित मुनि को ग्रज्ञात कुल से एक व्यक्ति के लिए वने हुए भोजन में से ही आहार ग्रहण करना कल्प्य है। गर्भवती के लिए, बालक वाली के लिए, वालक को दूध पिलाने वाली के लिए बना हुआ भोजन लेना अकल्प्य है। जिसके दोनो पैर देहली के भीतर अथवा बाहर हो उससे वह आहार नहीं लेता। जो एक पैर देहली के भीतर एव एक देहली के वाहर रखकर भिक्षा देता है उसी से वह ग्रहण करता है। यह उसका अभिग्रह ग्रर्थात् प्रतिज्ञाविशेप है। मासिकी प्रतिमाधारी श्रमण जहाँ उसे कोई जानता हो वहाँ

एक रात एवं जहाँ उसे कोई भी नही जानता हो वहाँ दो रात रह सकता है। इससे अधिक रहने पर उतने ही दिन का छेद (दीचा-पर्याय मे कटौती) अथवा तपरूप प्रायदिचत्त लगता है। मासिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न निर्यन्य को चार प्रकार की भाषा कल्प्य है: आहारादि की याचना करने की, मार्गादि पूछने की, स्थानादि के लिए अनुमति लेने की तथा प्रश्नों के उत्तर देने की। इस प्रकार के अनगार के उपाश्रय में यदि कोई आग लगा दे तो भी वह वाहर नहीं निकलता । यदि कोई उसे पकड़ कर वाहर खीचने का प्रयत्न करे तो वह हठ न करते हुए यतनापूर्वक वाहर निकल माता है। यदि उसके पैर मे कांटा, क कड या कील आदि लग जाय अथवा आँख मे घूलि आदि गिर जाय तो उमकी परवाह न करते हुए समभावपूर्वक विचरण करता रहता है। यदि उसके सामने मदोन्मत्त हाथी, घोडा, बैल, भैस, सूअर, कुत्ता, बाघ अथवा अन्य क्रूर प्राणी ग्रा जाय तो उससे भयभीत होकर वह एक कदम भी पीछे नहीं हटता । यदि कोई भोला-भाला जीव उसके सामने आजाय और डरने लगे तो वह कुछ पीछे हट जाता है। वह ठड के भय से शीतल स्थान से उठ कर उष्ण स्थान पर अथवा गरमी के डर से उष्ण स्थान से उठ कर शीतल स्थान पर नहीं जाता अपितु जिस समय जहाँ होता है उस समय वही रह कर शीतोष्ण परीषह सहन करता है।

द्विमासिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार भी इसी प्रकार व्युत्सृष्ट-काय ग्रथात् शरीर के मोह से रहित होता है। वह केवल दो दत्तिया अन्न की तथा दो दत्तियाँ जल की ग्रहण करता है। त्रिमासिकी प्रतिमा मे अन्न-जल की तीन दित्तयां, चतुर्मासिकी प्रतिमा में चार दित्तया, पचमासिकी प्रतिमा मे पाच दित्तया, पट्मासिकी प्रतिमा मे छ दित्तया तथा सप्तमासिकी प्रतिमा मे सात दित्तयां विहित है।

प्रथम सप्त-ग्रहोरात्रिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न भिच्च निर्जल चतुर्थं भक्त (उपवास) करते हुए ग्रामादि के वाहर उत्तानासन (लेटे हुए आकाश की ओर मुख रख कर—चित्त लेट कर), पार्श्वा-सन (एक पार्श्व के आधार पर लेटकर) ग्रथवा निषद्यासन (समपादपूर्वक वैठ कर) से कायोत्सर्ग—ध्यान करता है। वहा वह देव, मनुष्य या तिर्यञ्चसम्बन्धी उपसर्ग उत्पन्न होने पर ध्यान से स्खलित नहीं होता। द्वितीय सप्त-अहोरात्रिकी प्रतिमा में दण्डासन, लकुटासन अथवा उत्कृटुकासन पर ध्यान किया जाता है। तृतीय सप्त-अहोरात्रिकी प्रतिमा में ध्यान के लिए गोदोहनिकासन, वीरासन अथवा आम्रकृट्जासन का ग्रवलम्बन लिया जाता है। शेष सव नियम प्रथम सप्त-अहोरात्रिकी प्रतिमा के ही समान हैं।

अहोरात्रिकी प्रतिमा निर्जल पच्छ भक्त (दो उपवास) पूर्वक होती है। इस प्रतिमा में स्थित मुनि ग्रामादि के वाहर (खडा) रह कर दोनो पैरों को कुछ संकुचित कर तथा दोनों भुजाओं को (जानुपर्यन्त) लम्बी कर कायोत्सर्ग करता है। रात्रिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार निर्जल ग्रष्ट भक्त (तीन उपवास) पूर्वक ग्रामादि के वाहर खड़ा रह कर शरीर को थोडा-सा आगे की ओर भुकाकर एक पुद्गल (नासिका, नख

१३

आदि किसी एक अंगोपाग) पर दृष्टि स्थित कर निर्निमेप नेत्रों, निश्चल अंगों, सकुचित पेरो एवं प्रलम्बित वाहुश्रों से ध्यानस्थ होता है तथा पूर्ववत् समस्त उपसर्गों को सहन करता है।

इन प्रतिमाओं के नामों से स्पष्ट है कि प्रथम प्रतिमा एक मास की, द्वितीय दो मास की यावत् सातवी प्रतिमा सात मास की होती है। आठवी, नवी व दसवी प्रतिमाओं का समय सात-सात दिनरात का है। ग्यारहवी प्रतिमा एक दिनरात की तथा वारहवी प्रतिमा एक रात की होती है। प्रथम सात प्रतिमाओं मे टीकाकार पूर्व-पूर्व की प्रतिमाओं का समय भी मिलाते जाते हैं। दूसरे शब्दों मे टीकाकारो के मत से प्रथम सात प्रतिमाएँ एक-एक मास की ही होती हैं। ऐसा मानने पर आठ मास के भीतर ही द्वादश प्रतिमाएँ समाप्त हो जाती हैं। यदि मूल सूत्र के अनुसार प्रथम प्रतिमा एक मास की यावन् सप्तम प्रतिमा अलग से सात मास की मानी जाय तो प्रथम सात प्रतिमाओं के लिए दो वर्प चार महीने तथा अतिम पांच प्रतिमाओ के लिए वाईस दिन व एक रात का समय लगता है। इस प्रकार द्वादश प्रतिमाएँ दो वर्ष, चार मास, बाईस दिवस व एक रात्रि मे समाप्त हो पाती हैं। इस अवधि मे वर्षा ऋतु के दिनो मे विहार के सामान्य नियम का पालन नहीं किया जाता अर्थात् एक या दो दिन के श्रन्तर से ग्रामानुग्राम विहार न किया जाकर चार मास पर्यन्त एक ही स्थान पर रहा जाता है।

व्यवहार सूत्र के दसवे उद्देश मे यवमध्य-प्रतिमा एवं वज्र-मध्य-प्रतिमा का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अन्यत्र भद्र- प्रतिमा, महाभद्र-प्रतिमा, सुभद्र-प्रतिमा, सर्वतोमहाभद्र-प्रतिमा, सप्तिपण्डेषणा-प्रतिमा, सप्तपानेषणा-प्रतिमा आदि विविध भिचु-प्रतिमाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। इनमे तप के विविध रूपों का प्रतिपादन किया गया है। तप से कर्मनिर्जरा होती है अतः मुनि के लिए तप आचरणीय है।

समाधिमरण अथवा पंडितमरण :

मरण दो प्रकार का होता है: बालमरण और पडित-भरण। अज्ञानियों का मरण बालमरण एवं ज्ञानियों का मरण पडितमरण कहा जाता है। जो विषयों में आसक्त होते हैं एवं मृत्यु से भयभीत रहते हैं वे अज्ञानी बालमरण से मरते हैं। जो विषयों में अनासक्त होते हैं यथा मृत्यु से निर्भय रहते है वे ज्ञानी पडितमरण से मरते हैं। चूंकि पडितमरण में संयमी का चित्त समाधियुक्त होता है अर्थात् सयमी के चित्त में स्थिरता एवं समभाव की विद्यमानता होती है अतः पंडितमरण को समाधि-मरण भी कहते हैं।

जब भिच्नु या भिक्षुणी को यह प्रतीति हो जाय कि मेरा शरीर तप आदि के कारण अत्यन्त कृश हो गया है अथवा रोग आदि कारणों से अत्यन्त दुर्बल हो गया है अथवा अन्य किसी आकस्मिक कारण से मृत्यु समीप ग्रागई है एवं सयम का निर्वाह असभव हो गया है तब वह क्रमशः आहार का सकोच करता हुआ कषाय को कृश करे, शरीर को समाहित करे एव शान्त चित्त से शरीर का परित्याग करे। इसी का नाम समाधिमरण ग्रथवा पंडितमरण है। चूं कि इस प्रकार के मरण में शरीर एवं कपाय को कृश किया जाता है—कुरेदा जाता है अतः इसे संलेखना भी कहते है। सलेखना में निर्जीव एकान्तस्थान में तृणशय्या (संस्तारक) विद्या कर ग्राहारादि का परित्याग किया जाता है अतः इसे सथारा (सस्तारक) भी कहते हैं।

आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के आठवे अध्ययन मे समा-धिमरण स्वीकार करने वाले को बुद्ध व ब्राह्मण कहा गया है एव इस मरण को महावीरोपिद्द वताया गया है। समाधिमरण ग्रहण करने वाले की माध्यस्थ्यवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह संयमी न जीवित रहने की आकांक्षा रखता है, न मृत्यु की प्रार्थना करता है। वह जीवन और मरण मे आसक्तिरहित होता है—समभाव रखता है। इस अवस्था मे यदि कोई हिंसक प्राणी उसके शरीर का मास व रक्त खा जाय तो भी वह उस प्राणी का हनन नहीं करता और न उसे अपने शरीर से दूर ही करता है। वह यह समभता है कि ये प्राणी उसके नश्वर शरीर का ही नाश करते है, अमर आत्मा का नहीं।

श्रम शा - संघ

गच्छ, कुल, गण व संघ ग्राचार्य उपाध्याय प्रवर्तक, स्थविर, गणी गणावच्छेदक व रत्नाधिक निर्ग्रन्थी-सघ वैयावृत्य दीक्षा प्रायश्चित्त

जैन आचारशास्त्र मे स्थविरकल्पिक मुनि के लिए व्रतपालन की भिन्न व्यवस्था की गई है एवं जिनकत्पिक मुनि के लिए भिन्न। जिनकल्पिक मुनि का आचार अति कठोर तपोमय होता है अत. उसे विशेष प्रकार के संगठन अथवा सामूहिक मर्यादाओं मे न वाँघ कर एकाकी विचरने की अनुमति दी गई है। वह एकर्लावहारी एवं एकान्तविहारी होकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्थविरकल्पिक के विषय मे यह बात नही है। वह एकाकी रह कर संयम का पालन समुचित रूप से नहीं कर सकता । उसकी मानसिक भूमिका अथवा आध्यात्मिक भूमिका इतनी विकसित नही होती कि वह अकेला रह कर सर्वविरत श्रमणधर्म का पालन कर सके। इसलिए स्थविरकल्पिकों के लिए सघव्यवस्था की गई है। सघ से पृथक् होकर विचरण करने वाले स्थविरकल्पिको के विषय मे आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के पचम अध्ययन में स्पष्ट कहा गया है कि एकचारी बहुकोघी, बहुमानी, बहुमायी एवं बहुलोभी होते हैं। वे 'हम तो धर्म मे उद्यत हैं' ऐसा अपलाप करते हैं। वस्तुत. उनका दुरा-चरण कोई देख न ले इसलिए वे एकाकी विचरते हैं। वे अपने अज्ञान एव प्रमाद के कारण धर्म को नही जानते। व्यवहार सूत्र के प्रथम उद्देश मे एकलविहारी साघु के विषय मे कहा गया है कि कोई साधु गण का त्याग कर अकेला ही विचरे और वाद

मे पुन. गण मे सम्मिलित होना चाहे तो उसे आलोचना आदि (प्रायिच्च) करवाकर प्रथम दीक्षा का छेद अर्थात् भंग कर नई दीक्षा अंगीकार करवानी चाहिए। जो नियम सामान्य एकल-विहारी निर्मन्य के लिए है वही एकलिवहारी गणावच्छेदक, उपाध्याय, आचार्य आदि के लिए भी है।

गच्छ, कुल, गण व संघः

श्रमण-सघ के मूल दो विभाग है: साधुवर्ग व साध्वी-वर्ग। सख्या की विशालता को दृष्टि मे रखते हुए इन वर्गी को अनेक उपविभागों में विभक्त किया जाता है। जितने साधुग्रों व साध्वियो की सुविधापूर्वक देख-रेख व व्यवस्था की जा सके उतने साधु-साध्वियो के समूह को गच्छ कहा जाता है। इस प्रकार के गच्छ के नायक को गच्छाचार्य कहते है। गच्छ के साधुओ अथवा साध्वियो की संख्या बडी होने पर उनका विभिन्न वर्गों मे विभाजन किया जा सकता है। इस प्रकार के वर्ग मे कम से कम कितने साधु हो, इसका विधान करते हुए व्यवहार सूत्र के चतुर्थ उद्देश मे बताया गया है कि हेमन्त तथा ग्रीप्म ऋतु मे आचार्य एव उपाध्याय के साथ कम से कम एक भ्रन्य साधु रहना चाहिए । अन्य वर्गनायक, जिसे जैन परिभापा मे गणावच्छेदक कहते हैं, के साथ हेमन्त एवं ग्रीष्म ऋतु मे कम से कम दो अन्य साधु रहने चाहिए । वर्षाऋतु मे आचार्य एवं उपाध्याय के साथ दो तथा गणावच्छेदक के साथ तीन अन्य साधुओं का रहना अनिवार्य है। पंचम उद्देश में साध्वियों की स्रव्यतम सख्या का विधान करते हुए कहा गया है कि प्रवर्तिनी (प्रधान आर्या) को हेमन्त एव ग्रीष्म ऋतु में कम से कम दो तथा वर्षाऋतु में कम से कम तीन अन्य साध्वियों के साथ रहना चाहिए। गणावच्छेदिनी के साथ वर्षाकाल में कम से कम चार तथा अन्य समय में कम से कम तीन साध्वियाँ रहनी चाहिए। गच्छ के विभिन्न वर्गों के साधु-साध्वी गच्छाचार्य की आजा के अनुसार ही विचरण करते हैं। इस प्रकार के अनेक गच्छों के समूह को कुल कहते हैं। कुल के नायक को कुलाचार्य कहा जाता है। अनेक कुलों के समूह को गण तथा अनेक गणों के समुदाय को सघ कहते हैं। गणनायक गणाचार्य अथवा गणधर तथा सघनायक सधाचार्य अथवा प्रधानाचार्य कहलाता है।

आचार्य:

श्रमण-श्रमणियों में आचार्य का स्थान सर्वोपिर है। उसके वाद उपाध्याय, गणी आदि का स्थान आतो है। व्यवहार सूत्र के तृतीय उद्देश में आचार्य-पद की योग्यताओं का दिग्दर्शन कराते हुए कहा गया है कि जो कम से कम पाच वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला है, श्रमणाचार में कुशल है, प्रवचन में प्रवीण है यावत दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प ग्रर्थात् बृहत्कल्प एव व्यवहार सूत्रों का ज्ञाता है उसे आचार्य एव उपाध्याय के पद पर प्रतिष्ठित करना कल्प है। आठ वर्ष की दीक्षापर्याय वाला श्रमण यदि आचार्कुशल, प्रवचनप्रवीण एव असंक्लिप्टमना है तथा कम से कम स्थानांग व समवायाग सूत्रों का ज्ञाता है तो उसे आचार्य

उपाध्याय, स्थिवर, गणी, गणावच्छेदक म्रादि की पदवी प्रदान की जा सकती है। ये सामान्य नियम हैं। अपवाद के तौर पर तो विशेष कारणवशात् सयम से भ्रष्ट हो पुन. श्रमणाचार अंगीकार करने वाले निर्मृत्य को एक दिन की दीक्षापर्याय वाला होने पर भी आचार्यादि पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इस प्रकार का निर्मृत्य संस्कारों की दृष्टि से सामान्यतया प्रतीति-कारी, धैर्यशील, विश्वसनीय, समभावी, प्रमोदकारी, अनुमत एवं बहुमत कुल का होना आवश्यक है। इतना हो नही, उसमे खुद मे प्रतीति, धैर्य, समभाव ग्रादि स्वकुलोपलब्ध गुणों का होना जरूरी है। सूत्रों का ज्ञान तो आवश्यक है हो। इस प्रकार का निर्मृत्य कुलसम्पन्न एवं गुणसम्पन्न होने के कारण अपने दायित्य का सम्यक्तया निर्वाह कर सकता है।

मैथुन सेवन करने वाले श्रमण को आचार्य ग्रादि की पदवी प्रदान करने का निषेध करते हुए कहा गया है कि जो गच्छ से ग्रलग हुए बिना अर्थात् गच्छ मे रहते हुए ही मैथुन मे आसक्त हो उसे जीवनपर्यन्त आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी एवं गणावच्छेदक की पदवी देना निषिद्ध है। गच्छ का त्याग कर मैथुन सेवन करने वाले को पुन. दीक्षित हो गच्छ मे सम्मिन्छित होने के बाद तीन वर्ष तक आचार्यादि की पदवी प्रदान करना निषद्ध है। तीन वर्ष व्यतीत होने पर यदि उसका मन स्थिर हो, विकार शान्त हो, कषायादि का अभाव हो तो उसे आचार्य आदि के पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

श्रमण-श्रमणियों के लिए यह आवश्यक है कि वे आचार्य

आदि पूज्य पुरुषों की अनुपस्थिति में विचरण न करें और न कही रहे हो। व्यवहार सूत्र के चतुर्थ उद्देश मे बताया गया है कि ग्रामानुग्राम विचरते हुए यदि अपने गण के आचार्य की मृत्यु हो जाय तो अन्य गण के आचार्य को प्रधान के रूप मे अंगीकार कर रागद्वेषरहित होकर विचरण करना चाहिए। यदि उस समय कोई योग्य आचार्य न मिल सके तो अपने में से किसी योग्य साधु को श्राचार्य की पदवी प्रदान कर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना चाहिए। इस प्रकार के योग्य साधु का भी अभाव हो तो जहाँ तक अपने अमुक सार्घामक साधु न मिल जाय वहाँ तक मार्ग मे एक रात्रि से अधिक न ठहरते हुए लगा-तार विहार करते रहना चाहिए। रोगादि विशेष कारणो से कही अधिक ठहरना पड जाय तो कोई हानि नही। वर्षाऋतु के दिनो मे आचार्य का अवसान होने पर भी इसी प्रकार आच-रण करना चाहिए। इस प्रकार की विशेष परिस्थिति मे वर्षा-काल मे भी विहार विहित है।

निर्ग्रन्थियों के विषय मे व्यवहार सूत्र के सप्तम उद्देश में वताया गया है कि तीन वर्ष की दीन्नापर्याय वाले निर्ग्रन्थ को तीस वर्ष की दीन्नापर्याय वाले निर्ग्रन्थी उपाध्याय के पद पर प्रतिष्ठित कर सकती है। इसी प्रकार पाच वर्ष को दीन्नापर्याय वाले निर्ग्रन्थ को साठ वर्ष की दीन्नापर्याय वाले निर्ग्रन्थी आचार्य अथवा उपाध्याय के पद पर प्रतिष्ठित कर सकती है। तात्पर्य यह है कि साधु-साध्वियों को विना आचार्यादि के नियन्त्रण के स्वच्छन्तापूर्वक नहीं रहना चाहिए।

अपने जीवन के अन्तिम समय में आचार्य विविद्य पदो पर नियुक्तियाँ कर सकता है। एति द्विपयक विशिष्ट विधान करते हुए व्यवहार सूत्र के चतुर्य उद्देश में कहा गया है कि यदि आचार्य अधिक वीमार हो और उसके जीने की विशेष आशा न हो तो उसे अपने पास के साधुओं को युलाकर कहना चाहिए कि मेरी आयु पूर्ण होने पर अमुक साधु को अमुक पद प्रदान करे। आचार्य की मृत्यु के वाद यदि वह साधु ग्रयोग्य प्रतीत न हो तो उसे उस पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। अयोग्य प्रतीत होने पर किसी अन्य योग्य साधु को वह पद प्रदान करना चाहिए। अन्य योग्य साधु के अभाव में आचार्य के सुभाव के अनुसार किसी भी साधु को अस्थायी रूप से कोई भी पद प्रदान किया जा सकता है। अन्य योग्य साधु के तैयार हो जाने पर ग्रस्थायी पदाधिकारी को अपने पद से अलग हो जाना चाहिए।

आचार्य का सामान्य कार्य अपने अधीनस्य साधु-साध्वी-वर्ग की सब तरह की देख-रेख रखना है। वह उनका मुख्य अधिकारी होता है। उसका विशेष कार्य साधु-साध्वयो को उच्च कक्षा की शिक्षा प्रदान करना है—उच्च अध्यापन करना है। आचार्य के बाद उपाध्याय का स्थान है श्रीर उसके बाद प्रवर्तक, स्थिवर, गणी, गणावच्छेदक, रात्निक अथवा रत्नाधिक आदि का।

उपाद्याय

उपाध्याय का मुख्य कार्य साधु-साध्वियो को प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा की शिक्षा प्रदान करना है। व्यवहार सूत्र के तृतीय उद्देश मे उपाध्याय-पद की योग्यताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो कम से कम तीन वर्ष की दीक्षापर्याय वाला है, श्रमणाचार में कुशल है, सयम में सुस्थित है, प्रवचन में प्रवीण है, प्रायश्चित्त प्रदान करने में समर्थ है, गच्छ के लिए चेत्रादि का निर्गय करने में निष्णात है, निर्दोष आहारादि की गवेषणा में निपुण है, सिक्लब्ट परिणामो—भावों से अस्पृष्ट है, चारित्रवान् है, वहुश्रुत है वह उपाध्याय-पद पर प्रतिष्ठित करने योग्य है।

प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणावच्छेदक व रत्नाधिक :

प्रवर्तक का मुख्य कर्तव्य साधु-साध्वियों को श्रमणाचार की प्रवृत्ति मे प्रवृत्त करना एव तिह्वयक शिक्षा देना है। प्रवर्तक श्रमण-सघ का ग्राचाराधिकारी होता है। वह आचार व विचार दोनो मे कुशल होता है।

स्यविर (वृद्ध) तीन प्रकार के कहे गये है जाति-स्यविर, सूत्र-स्थिवर और प्रव्रज्या-स्थिवर। साठ वर्ष की आयु होने पर श्रमण जाति-स्थिवर होता है। स्थानागादि सूत्रों का ज्ञाता साधु सूत्र-स्थिवर कहलाता है। दीक्षा ग्रहण करने के वीस वर्ष वाद अर्थात् वीस वर्ष की दीक्षापर्याय होजाने पर निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या-स्थिवर कहलाने लगता है। स्थिवर का मुख्य दायित्व श्रमण-संघ में प्रविष्ट होने वाले निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को श्रमणधर्मीपयोगी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है।

गुणी का मुख्य कीर्य अपने गण को सूत्रार्थ देना अर्थात्

शास्त्र पढाना है। गणी को वाचनाचार्य अथवा गणधर भी कहा जाता है।

गणावच्छेदक अमुक गच्छ अथवा वर्ग का नायक होता है। उस वर्ग के समस्त साधुओ का नियन्त्रण उसके हाथ मे होता है।

श्रमण-संघ के विशिष्ट ज्ञानाचारसम्पन्न निर्ग्रन्थ रात्निक अथवा रत्नाधिक कहलाते हैं। ये महानुभाव विविध अनुकूल-प्रतिकूल प्रसंगों पर आचार्यादि की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

मूलाचार, अनगारधर्मामृत आदि दिगम्बर ग्रंथों मे भी श्रमण-संघ के विशिष्ट पुरुषो अथवा अधिकारियों के नाम लग-भग इसी रूप मे मिलते हैं। उनमे आचार्य, उपाध्याय, गणधर, स्थिवर, प्रवर्तक, रात्निक श्रादि नाम उपलब्ध होते हैं।

निर्ग्रन्थी-संघ

निर्ग्रन्थ-सघ की ही मांति निर्ग्रन्थी-संघ भी आचार्य एवं उपाध्याय के ही अधीन होता है। ऐसा होते हुए भी उसके लिए भिन्न व्यवस्था करना अनिवार्य है क्योंकि उसका संगठन स्वतन्त्र ही होता है। निर्ग्रन्थियों को निर्ग्रन्थों के साथ बैठने, उठने, ग्राने, जाने, खाने, पीने, रहने, फिरने आदि की मनाही है। निर्ग्रन्थियों को अपने ही वर्ग में रहकर संयम की आरंघना करनी होती है। यही कारण है कि निर्ग्रन्थी-सघ में भी विशिष्ट पदाधिका-रियों की नियुक्तियाँ की जाती हैं। इस प्रकार की नियुक्तियाँ

मुख्यतः निम्नोक्त चार पदों से सम्बन्धित होती है प्रवर्तिनी, गणावच्छेदिनी, अभिषेका और प्रतिहारी। पूरे श्रमण-सघ मे आचार्य का जो स्थान है वही स्थान निर्ग्रन्थी-सघ मे प्रवर्तिनी का है। उसकी योग्यताएँ भी आचार्य आदि के ही समकक्ष है अर्थात् ग्राठ वर्षं की दीचा-पर्याय वाली साध्वी ग्राचारकुशल, प्रवचनप्रवीण तथा असंक्लिष्ट चित्त वाली एवं स्थानांग-समवा-यांग की ज्ञाता होने पर प्रवर्तिनी के पद पर प्रतिष्ठित की जा सकती है। प्रवर्तिनी को महत्तरा के रूप मे भी पहचान! जाता है। आचार्य-उपाध्याय के अघीन होने के कारण उसे महत्तमा नही कहा जाता। कही-कही प्रधानतम साध्वी के लिए गणिनी शब्द का भी प्रयोग हुआ है। साध्वी-संघ मे गणावच्छेदिनी का वही स्थान है जो श्रमण-संघ में उपाध्याय का है। इसीलिए गणावच्छेदिनी को उपाध्याया के रूप में भी पहचाना जाता है। श्रमण-संघ मे जो स्थान स्थविर का है वही स्थान साध्वीसघ मे अभिषेका का है । इसीलिए उसे स्थविरा भी कहा जाता है । प्रतिहारी रात्निक अथवा रत्नाधिक श्रमण के समकन्न मानी जा सकती है। प्रतिहारी निर्मन्थी को प्रतिश्रयपाली, द्वारपाली अथवा संचेप मे पाली के रूप मे भी पहचाना जाता है। निर्ग्रन्थी-सघ की पदाधिकारिणियाँ भी निर्ग्रन्थ पदाधिकारियो के ही समान ज्ञानाचारसम्पन्न होती हैं।

मूलाचार के सामाचार नामक चतुर्थ अधिकार में संघ के श्रमण-श्रमणियों के पारस्परिक व्यवहार का विचार करते हुए कहा गया है कि तरुण श्रमण को तरुण श्रमणी के साथ संभाषण

२०८ ' जैन आचार

आदि नहीं करना चाहिए, श्रमणों को श्रमणियों के साथ नहीं ठहरना चाहिए, श्रमणियों को आचार्य से पांच हाथ दूर, उपाध्याय से छ हाथ दूर तथा ग्रन्य साधुओं से सात हाथ दूर वैठ कर वंदना करनी चाहिए। श्रमणियों को पारस्परिक संरक्षण की भावना से तीन, पाच अथवा सात की संख्या में भिक्षा के लिए जाना चाहिए।

चैयाचृत्यः

वैयावृत्य अर्थात् सेवा के विषय मे स्थविरकित्कों के लिए सामान्य नियम यही है कि साधु साध्वी से एव साध्वी साधु से किसी प्रकार का काम न ले। अपवाद के रूप मे साधु-साध्वी परस्पर सेवा-सुश्रूषा कर सकते है। सर्पदंश आदि विषम परि-स्थिति मे आवश्यकतानुसार कोई भी स्त्री अथवा पुरुप साधु-साध्वी की औषधोपचाररूप सेवा कर सकता है। जिनकित्को को त्यागी अथवा गृहस्थ किसी से किसी भी प्रकार की सेवा लेना ग्रथवा करना अकल्प्य है।

निर्मं न्थ-निर्मन्थियों के लिए सामान्यतया दस प्रकार की सेवा आचरणीय बताई गई है: १. आचार्य की सेवा, २ उपाध्याय की सेवा, ३ स्थिवर की सेवा, ४. तपस्वी की सेवा, ४ शैक्ष अर्थात् छात्र की सेवा, ६ ग्लान अर्थात् रोगी की सेवा, ७ सार्धीमक की सेवा, ८ कुल की सेवा, ६ गण की सेवा, १०. सघ की सेवा। इस प्रकार की सेवा से महानिर्जरा का लाभ होता है।

दीक्षाः

प्रविज्या अथवा दीक्षा के विषय में सामान्य नियम यही है कि साधु स्त्री को तथा साध्वी पुरुप को दी चित न करे। यदि किसी ऐसे स्थान पर स्त्री को वैराग्य हुआ हो जहाँ आसपास मे साध्वी न हो तो साघु उसे इस शर्त पर दीचा दे सकता है कि दीचा देने के बाद उसे यथाशीझ किसी साध्वी को सुपुर्द कर दे। इसी शर्त पर साध्वी भी पुरुप को दीचा प्रदान कर सकती है। तात्पर्य इतना ही है कि दीचा के नाम पर किसी प्रकार से साधु स्त्रीसग के दोष का भागी न वने और साच्वी पुरुषसग के दोप से दूर रहे। इसे ध्यान मे रखते हुए दोक्षा देने की औपचारिक विधि किसी भी योग्य निर्ग्रन्थ अथवा निर्ग्रन्थी द्वारा सम्पन्न की जा सकती है। दीचित होने के वाद साधु का निर्ग्रन्थ-वर्ग मे एव साध्वी का निर्ग्रन्थी-वर्ग मे सम्मिलित होना आवश्यक है। निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को नियमानुसार किसी भी अवस्था मे आठ वर्प से कम आयु के वालक-वालिकाग्रो को दीचा नही देनी चाहिए। दीक्षा के लिए विचारो की परिपक्वता भी आवश्यक है। अपरिपक्व आयु, ग्रपरिपक्व विचार एव अपरिपक्व वैराग्य दीचा के पवित्र उद्देव्य की संप्राप्ति मे वाधक सिद्ध होते है। पडक, वलीव आदि अयोग्य पुरुपो को भी दीचा नही देनी चाहिए।

भायदिचत्तः

प्रायश्चित्त का अर्थ है वृत में लगने वाले दोषों के लिए समुचित दण्ड। श्रमण-संघ की व्यवस्था सुचार रूप से चले, इसके

लिए दण्डव्यवस्था आवश्यक है। किसी भी व्यवस्था के लिए चार बातों का विचार आवश्यक माना जाता है: १. उत्सर्ग, २. अपवाद, ३. दोष, ४. प्रायश्चित्त । किसी विषय का सामान्य अथवा मुख्य विधान उत्सर्ग कहलाता है। विशेष अथवा गौण विधान का नाम अपवाद है। उत्सर्ग ग्रथवा अपवाद का भंग दोप कहलाता है। दोष से सम्बन्धित दण्ड को प्रायश्चित्त कहते हैं। प्रायश्चित्त से लगे हुए दोषों की शुद्धि होने के साथ ही साथ नये दोषों की भी कमी होती जाती है। यही प्रायश्चित्त की उप-योगिता है। यदि प्रायश्चित्त से न तो लगे हुए दोषों की शुद्धि हो श्रौर न नये दोषों की कमी तो वह निरर्थक है—निरुपयोगी है।

जीतकल्प सूत्र मे निर्ग्रन्थ-निर्ग्रंन्थियों के लिए दस प्रकार के प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है: १ आलोचना, २ प्रति-क्रमण, ३. उभय, ४. विवेक, ५. व्युत्सर्ग, ६. तप, ७. छेद, ८. मूल, ९. अनवस्थाप्य, १०. पारांचिक । इन दस प्रकारों में से अन्तिम दो प्रकार चतुर्दशपूर्वंघर (प्रथम भद्रवाहु) तक ही विद्यमान रहे। तदनन्तर उनका विच्छेद हो गया—व्यवहार बंद हो गया।

मूलाचार के पंचाचार नामक पंचम अधिकार मे भी प्राय-रिचत्त के दस ही प्रकार बताये गये हैं। उनमे अन्तिम दो के सिवाय सव नाम वही हैं जो जीतकल्प मे हैं। ग्रन्तिम दो प्रकार परिहार व श्रद्धान के रूप मे हैं। सभवत. अन्तिम दो प्रायश्चित्तों का व्यवहार बंद हो जाने के कारण यह अन्तर हो गया हो।

आहारादिग्रहण, वहिर्निर्गम, मलोत्सर्ग आदि प्रवृत्तियो मे

लगने वाले दोषो की शुद्धि के लिए आलोचनारूप प्रायश्चित्त का सेवन किया जाता है। आलोचना का अर्थ है सखेद अपराध-स्वीकारोक्ति।

प्रमाद, आशातना, अविनय, हास्य, विकथा, कन्दर्प आदि दोषो की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमणरूप प्रायश्चित्त का सेवन किया जाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ है दुष्कृत को मिथ्या करना अर्थात् किये हुए अपराधों से पीछे हटना।

अनात्मवशता, दुश्चिन्तन, दुर्भापण, दुश्चेष्टा आदि अनेक अपराध आलोचना व प्रतिक्रमण उभय के योग्य हैं।

अशुद्ध आहार ग्रादि का त्याग करना विवेक प्रायश्चित्त कहलाता है। विवेक का अर्थ है अशुद्ध भक्तादि का विचार-पूर्वक परिहार।

गमनागमन, श्रुत, स्वप्न आदि से सम्बन्धित दोषों की शुद्धि के लिए व्युत्सर्ग अर्थात् कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग का अर्थ है शरीर की ममता का त्याग।

ज्ञानातिचार आदि विभिन्न अपराधों की शुद्धि के लिए एकाज्ञन, उपवास, पष्ठभक्त, अष्टमभक्त आदि तपस्याओं का सेवन किया जाता है। इसी का नाम तप प्रायश्चित्त है।

छेद का अर्थ है दीक्षापर्याय में कमी। इस प्रायश्चित्त में विभिन्न ग्रपराधों के लिए दीनावस्था में विभिन्न समय की कमी कर दी जाती है। इस कमी से अपराधी श्रमण का स्थान संघ में अपेक्षाकृत नीचा हो जाता है। जो तप के गर्व से उन्मत्त है अथवा तप के लिए सर्वथा श्रयोग्य है, जिसकी तप पर तिनक

भी श्रद्धा नही है श्रथवा जिसका तप से दमन करना अति कठिन है उसके लिए छेद प्रायश्चित्त का विधान है।

पचेन्द्रियघात, मैथुनप्रतिसेवन आदि अपराघो के लिए मूल प्रायश्चित्त का विद्यान है। मूल का अर्थ है अपराघी की पूर्व प्रव्रज्या को मूलत समाप्त कर उसे पुनर्दोच्चित करना अर्थात् नई दीचा देना।

तीव कोधादि से प्ररुष्ट चित्त वाले घोर परिणामी श्रमण के लिए अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त का विघान है। अनवस्थाप्य का अर्थ है अपराघी को तुरन्त नई दीन्नान देकर अमुक प्रकार की तपस्या करने के बाद ही पुनः दीक्षित करना।

पाराचिक प्रायश्चित्त देने का अर्थ है अपराधी को हमेशा के लिए संय से बाहर निकाल देना। तीर्थंकर, प्रवचन, आचार्य, गणधर आदि की अभिनिवेशवश पुन:- पुन. आशातना करने वाला पारांचिक प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है। उसे श्रमण-सघ से स्थायीरूप से बहिप्कृत कर दिया जाता है। किसी भी अवस्था में उसे पुन: प्रवज्या प्रदान नहीं की जाती।

वृहत्कल्प के चतुर्थं उद्देश में दुष्ट एवं प्रमत्त श्रमण के लिए पारांचिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है तथा सार्धामक-स्तैन्य, अन्यधार्मिकस्तैन्य एवं मुष्टिप्रहार के लिए अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है।

निशीय सूत्र में चार प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान है:
गुरुमासिक, लघुमासिक, गुरुचातुर्मासिक और लघुचातुर्मासिक।
यहाँ गुरुमास अथवा मासगुरु का अर्थ उपवास तथा लघुमास

ग्रथवा मासलघु का अर्थ एकाज्ञन अर्थात् अर्ध-उपवास समझना चाहिए। इस प्रकार गुरुमासिक आदि तप-प्रायश्चित्त के ही भेद हैं।

अंगादान का मर्दन करना, अंगादान के ऊपर की त्वचा दूर करना, अंगादान को नली में डालना, पुष्पादि सूंघना, पात्र आदि दूसरों से साफ करवाना, सदोप आहार का उपयोग करना आदि कियाएँ गुरुमासिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं।

दारुदण्ड का पादप्रोछन बनाना, पानी निकलने के लिए नाली बनाना, दानादि लेने के पूर्व अथवा पश्चात् दाता की प्रशसा करना, निष्कारण परिचित घरों में प्रवेश करना, अन्य-तीर्थिक अथवा गृहस्थ की सगति करना, शय्यातर अर्थात् अपने ठहरने के मकान के मालिक के यहाँ का आहार-पानी ग्रहण करना आदि ऋयाएं लघुमासिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं।

स्त्री अथवा पुरुष से मैथुनसेवन के लिए प्रार्थना करना, मैथुनेच्छा से हस्तकर्म करना, नग्न होना, निर्लंज्ज वचन वोलना, प्रेमपत्र लिखना, गुदा अथवा योनि मे लिंग डालना, स्तन आदि हाथ मे पकड़ कर हिलाना अथवा मसलना, पशु-पक्षी को स्त्री-रूप अथवा पुरुषरूप मानकर उनका आलिगन करना, मैथुनेच्छा से किसी को ग्राहारादि देना, आचार्य की अवज्ञा करना, लाभा-लाभ का निमित्त बताना, किसी श्रमण-श्रमणी को बहकाना, किसी दीचार्थी को भड़काना, अयोग्य को दीक्षा देना, अचेल होकर सचेल के साथ रहना अथवा सचेल होकर अचेल के साथ

रहना अथवा अचेल होकर भ्रचेल के साथ रहना आदि क्रियाएं गुरुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं।

प्रत्याख्यान का बार-बार भग करना, गृहस्थ के वस्त्र, पात्र, शय्या आदि का उपयोग करना, प्रथम प्रहर मे ग्रहण किया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर तक रखना, अर्घयोजन अर्थात् दो कोस से यागे जाकर याहार लाना, विरेचन लेना अथवा औषघि का सेवन करना, शिथिलाचारी को नमस्कार करना, वाटिका आदि सार्वजनिक स्थानो मे टट्टी-पेशाव डाल कर गंदगी करना, गृहस्थ आदि को ग्राहार-पानी देना, दम्पति के शयनागार मे प्रवेश करना, समान आचारवाले निर्म्यन्थ-निर्मन्थी को स्थान आदि की ंसुविधा न देना, गीत गाना, वाद्ययन्त्र बजाना, नृत्य करना, अस्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करना अथवा स्वाध्याय के काल मे स्वाध्याय न करना, अयोग्य को शास्त्र पढ़ाना अथवा योग्य को शास्त्र न पढाना, अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ को पढ़ाना अथवा उससे पढना आदि ऋियाएं लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त के योग्य हैं।

निशीथ सूत्र के अन्तिम उद्देश में सकपट आलोचना के लिए निष्कपट आलोचना से एकमासिकी अतिरिक्त प्रायश्चित्त का विद्यान किया गया है तथा प्रायश्चित्त करते हुए पुनः दोष लगने मर विशेष प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है। व्यवहार सूत्र के प्रथम उद्देश में भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया है।

कही-कही ऐसा भी देखने में आता है कि एक ही प्रकार कें दोष के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त नियत किये गये हैं। इसका कारण परिस्थिति की भिन्नता, अपराधी की भावना एवं अपराध की तीव्रता-मंदता है। ऊपर से समान दिखाई देने वाले दोप में परिस्थिति की विशेषता एव अपराधी के आशय के अनुरूष तारतम्य होना स्वाभाविक है। इसी तारतम्य के अनुसार अपराध की तीव्रता-मदता का निर्णय कर तदनुरूप दण्ड-व्यवस्था की जाती है। अतः एक ही प्रकार के दोष के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त देने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है।

सामान्यतया प्रायश्चित्त प्रदान करने का अधिकार आचार्य को होता है। परिस्थितिविशेष को ध्यान में रखते हुए अन्य अधिकारी भी इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। अपराध-विशेष अथवा अपराधीविशेष को दृष्टि में रखते हुए सम्पूर्ण संघ भी एतद्विषयक आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। इस प्रकार प्रायश्चित्त देने का अथवा प्रायश्चित्त के निर्णय का कार्य परिस्थिति, अपराध एवं अपराधी को दृष्टि में रखते हुए आचार्य, अन्य कोई पदाधिकारी अथवा सकल श्रमण-सघ सम्पन्न करता है।

मन्थ-सूची

अनगार-धर्मामृत (स्वोपज्ञ टीकासिह्त), आज्ञाघर, माणिक-चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई, १९१९.

अनुप्रेक्षा (कार्तिकेयानुप्रेक्षा), कार्तिकेय अथवा कुमार, राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला, अगास (आंणंद), १९६०.

आचारांग (नियुंक्ति व शीलाककृत टीकासहित), आग-मोदय समिति, मेहसाना, १९१६.

आचारांग सूत्र, गुज० अनु०--रवजी भाई देवराज, जैन प्रिटिंग प्रेस, अहमदाबाद, १६०२.

अचारांग सूत्र (प्रथम श्रुतस्कंघ), गुज० श्रनु०—सौभाग्य-चन्द्रजी महाराज, महावीर साहित्य प्रकाशन मंदिर, अहमदावाद.

आदिपुराण (महापुराण भा०२), जिनसेन, भारतीय ज्ञानपीठ, काज्ञी, १९५१.

आवश्यक (हरिभद्रकृत टीकासहित), आगमोदय समिति, मेहसाना, १९१६.

उत्तराध्ययन,जीवराज घेलाभाई दोशी, ग्रहमदावाद,१९३५. उपासकदशाग (अभयदेवकृत टीकासहित), आगमोदय

समिति, मेहसाना, १९२०.

कर्मग्रथ-१-४, देवेन्द्रसूरि, आत्मानद जैन ग्रंथमाला, भावनगर, १९३४.

^{कल्पसूत्र}, साराभाई मणिलाल नवाव, ग्रहमदावाद,१९५२. १४

२१८ ३ जैन आचार

गुणस्थान क्रमारोह, रत्नगेखरसूरि, जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर.

गृह्स्थ-धर्म, मुनि फूलचन्द्र 'श्रमण', जैन शिक्षा निकेतन, होशियारपुर, १९६३.

चारित्रप्राभृत (षट्प्राभृतादिसंग्रह), कुन्दकुन्द, माणिक-चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रथमाला, बम्बई, १९२०.

जीतकल्प (स्वोपज्ञ भाष्यसिंहत), जिनभद्र, बबलचन्द्र केशवलाल मोदी, अहमदाबाद, वि० स० १९९४

जैन दृष्टिए योग, मोतीचंद गिरिघरलाल कापड़िया, महावीर जैन विद्यालय, बम्बई, १९५४

तत्त्वार्थसूत्र, उमास्वाति, भारत जैन महामंडल, वर्घा, १६५२

दर्शन और चितन, प० सुखलालजी, गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद, १९५७.

दशवैकालिक (हरिभद्रकृत टीकासहित), देवचन्द्र लाल-भाई जैन ग्रंथमाली, बम्बई, १९१८.

दशाश्रुतस्कंघ (निर्युक्ति व चूर्णिसहित), पंन्यास मणि-विजय गणिवर ग्रंथमाला, भावनगर, वि० सं० २०११.

निशीथ (भाष्य व चूर्णिसिह्त), सन्मित ज्ञानपीठ, आगरा, १९५७-१९६०.

पचप्रतिक्रमण, आत्मानंद जैन-पुस्तक प्रचारक मंडल, आगरा, १९२१

पाचितसूत्र, मनसुखलाल नागरचद, भावनगर, वि० सं० १९९०. पिडनियुंक्ति, देवचन्द्र लालभाई जैन ग्रंथमाला, बम्बई, १९१८.

वृहत्कल्प (भाष्य व मलयगिरि-क्षेमकीर्तिकृत टीकासिहत), आत्मानंद जैनसभा, भावनगर, १९३३-१९४२.

भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति), आगमोदय समिति, मेहसाना, १९१८-२१.

मिज्मिमनिकाय, अनु० राहुल सांकृत्यायन, महाबोधि सभा, सारनाथ; १९३३.

महानिशोध, मुनि पुण्यविजयजी की हस्तलिखित प्रति.

महावीरस्वामीनो आचारधर्म, गोपालदास जीवाभाई पटेल, नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, वि० सं० १९९२.

मूलाचार (वसुनिदकृत टीकासिहत); वट्टकेर, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई, वि० सं० १९७७–१९८०.

मूलाराधना (अपराजित व आशाधरकृत टीकाओं, ग्रमित-गतिकृत क्लोकों तथा हिन्दी टीकासहित), शिवकोटि, सखाराम नेमचंद दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, सोलापुर, १९३४.

योगदृष्टिसमुच्चय, हरिभद्रसूरि, देवचंद लालभाई जैन ग्रंथमाला, बम्बई, १९१३

योगवासिष्ठ, अच्युत ग्रथमाला, काशी योगसूत्र, पतजलि, बम्बई, १९१७.

रत्नकरंड-श्रावकाचार (प्रभाचन्द्रकृत टीकासहित), समन्त-भद्र, माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रथमाला, बम्बई, १९२६.

वसुनन्दि-श्रावकाचार (हिन्दी अनुवादसिंहत), वसुनन्दि, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६५२

व्यवहार (भाष्य व मलयगिरिकृत टीकासिहत), केशव-लाल प्रेमचंद, अहमदाबाद, १९२६-१९२८.

श्रमण-सूत्र, उपाध्याय अमरमुनि, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, वि० सं० २००७.

श्रावक-धर्म, महासती उज्ज्वलकुमारीजी, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा. १९५४

सागार-धर्मामृत (स्वोपज्ञ टीकासहित), प्राशाधर, माणिक-चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई, १६१७.

Development of Moral Philosophy in India, Surama Dasgupta, Orient Longmans, Calcutta, 1961

Doctrine of Karman in Jain Philosophy, H. von Glasenapp, Vijibai Jivanlal Fund, Bombay, 1942.

History of Jaina Monachism, S. B Deo, Deccan College, Poona, 1956.

Jama Monastic Jurisprudence, S. B. Deo, Jam Cultural Research Society, Banaras, 1960.

Jaina Yoga, R Williams, Oxford University Press, London, 1963.

Outlines of Karma in Jainism, Mohan Lal Mehta, Jain Mission Society, Bangalore, 1954.

Sacred Books of the East, Vol 22, Hermann Jacobi, Clarendon Press, Oxford, 1884.

अनुक्रमणिका

		_		
		अ	अतिचार ' ५९	
	अंग	१२,४०	अतिथिसविभाग ११७	•
	अगादान	६६	अतिभार	
	अगार	७१,७८,१७४	अदतघावन ७१,१४२	
•	अंगारकर्म	३०१	अदत्तादान १३८	
	अगारादिदोध	र १७५	अदत्तादान-विरमण १३९	
	वगोछा	१०७	अद्वेप ३१	
	अतरगृह	६४	अधिकरण ६३	
	अतराय	१८,७८	अघोदिशा-परिमाण-अतिक्रमण १०५	
	अकारण	१७४	अघ्यवपूरक १७३	
	अकिंचन	१४१	अझूव ७२	
	अखेद	४१	अघ्वगमन ६३	
	अघाती	१८	अनंगक्रीडा ६६	
	अचित्त	१७०	अनगार-वर्मामृत ७७	
	अचेल ***	१५३	अनगार-भावना ७०	
	अचेलक ***	१५६,१६६	अनर्थदड १११	
	अचेलकत्व अचौर्य	७०,७२,१४२,१५७	अनर्थदड-विरमण १११	
	जपाय अजिन	९४	अनवस्थाप्य ६४,७०,२१०,२१२	
		৬ 5	अनागामी ३९	
	अज्ञानमर्ण सम्मन्त्र	१२२	अनासक्त १४१	
	म्रणुव्रत अणुव्रती	३३,७४,७७,८४,११३	अनिवार्यतावाद १६	
	34(1)	الت	अनिवृत्ति-गुणस्थान ३६	

अनिवृत्ति-वादर-गुणस	थान ३६	अपुनरावृत्त ि-स ्यान	३८
अनिवृत्ति-वादर-स प	राय ३६	अपूर्वकरण	३५
ञनिष्ट-सयोग	१११	अपेक्षावाद	२३
अ निसृष्ट	<i>१७३</i>	अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित	
अनीश्वरवाद	१५	उच्चारप्रस्नवणभूमि	११७
अनुकंपा	53	अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित	
अनुप्रेक्षा	१९,७८,१८६	शय्यासस्तारक	११७
अनुभाग-वघ	१७	अप्रमत्त-संयत	३५
•	•	अप्रमाण	१७४ •
अनुमतित्याग	७४, १३०	अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित	
अनेकांतवाद	न, २३	उच्चारप्रस्नवणभूमि	११७
स्रन्नपानि रोघ	८९	अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित	
अन्निकापुत्र	७४	शय्यासस्तारक	११७
अन्यत्व	७२	अव हुवादी	४६
अन्योन्यक्रिया	४७	अवांघाकाल	१७
अपक्वाहार	१०७	अभिपेका	२०७
अपच्यानाचरण	१११	अभिहृत	१७३
वयगाजितसूरि	હ છ	अ म्युत्यान	१८४
अपरिगृहीता-गमन	९९	अभावकाश	१८२
वपरिग्रह	१३, २१	अमृपावाद	२२
अपन्गिह्वाद	१५	अमैथुन	२२
अपरिग्रह्यत	१४१	वयोगि-केवली	36
व्यरिणत	१७४	अरहा	3,6
सपवाद	२१०	•	
अपश्चिम-मार्णान्ति	क-	अरिष्टनेमि	६३
ग्रल्डेयना	१२०	अ नावु	१६४

अवग्रह ६३,१८३ अहिंसाव्रत **अवग्रहपट्टक अहोरात्रिकी** १६२

८६ 338 अवग्रहप्रतिमा ४६ आ अवग्रहानतक १६२ आगमनगृह १८२

आचार

आचारच्डा

आचारदशा

आचारचूलिका

आचार-प्रकल्प

आचार-प्रणिघि

आचाराग

आचाराग्र

आचार्य

आचेलक्य

आच्छेद्य

आजीव

आतक

अात्मघात

आत्मवाद

आत्मविकास

आत्महत्या

आधाकर्म

आत्मा

अनुक्रमणिका : २२३

দ३

७६

ሂ

४२

४२

६२

४६

¥ο.

४२

७३-

१७३

१७३

१६७

१२१

२०

१२

१२२

२०

१७२

५१,७०,७३,

६४,७१,२००,२०१

२०२,२०३,२०४,२१५

35 आगारी

33

४४

१६५

७२

ξ¥

७२

७६

१३

308

६२

१३९

७८

७5

६८

१५

७१,१४२.

५,१३,२१

१८८,१८६

१३,२२,६५

अवस्था ११५ आखेट

१३

अवस्थितकरण अविज्ञप्ति

अविरत-सम्यग्दृष्टि अवेद्यसंवेद्य

अशन अशरण अशिक्षित अगुभत्व

अश्वनी

अष्टमभक्त अप्टाग असतोजनपो**षणताक**र्म

असमाधिस्थान

अस्तेय

अस्यि

अस्नान

अस्वाघ्याय

अहिंसावाद

अहिंसा

अस्र

अस्तेयव्रत

आन न्द	५८,१२४	आसक्ति	२३, १४१
आनप्राणपर्याप्ति	७२	वासन	१३, ४२
क्षानय नप्रयोग	११६	आसिका	9 छ
आनुपू र्वी	38	आस्रव	१७, १६, ७२
आपणगृह 	६३	आहार ६३,६	८,७३,१६ ५,१६६
क्षापृच्छना	१८४	बाहार पर्याप्ति	७२
आपृच्छा	७१	आहारश <u>ु</u> द्धि	७८, <i>१७</i> ४
आभर ण	१०७	5	₹
क्षायतिस्थान	ृ ६३	इद्रमहोत्सव	६८
आयाम	१८९	इद्रियपर्याप्ति	७२
वायु	१८	इच्छाकार	७१, १८४
आरम्भत्याग	७५	इच्छानियन्त्रण	१०१
आरम्भत्यागप्रतिमा	१२७	इच्छा-परिमाण	१०१
आराध क	१९०	इच्छा-मर्यादा	१०१
बार्तच्या न	१११	इच्छा-स्वातन्त्र्य	१६
आर्यक्षेत्र	६३	इत्वरिक-परिगृही	ता-गमन ६६
आर्या	७१	इप्टवियोग	१११
वायिका-संगति	६७	इहलोकाशसाप्रयो	ग १२३
आलोचना ६९, ७०	०, ७३, २१०,		ई
	२११, २१४	ईयो	४६
या वंती	५२, ५४	ईर्यापय	११६
आवस्यक ६१, ७०	, १४२, १८६	ईश्वर	१६
बायश्यिको	१८४		ভ
जागातना	६२	उच्चारप्रन्ववण	५६
बागाचर	४५, ४६, ८४	उच्चारभृमि	६३
क्षाश्रम	१०	उ ज्झनशुद्धि	७२

अनुक्रमणिका : २२५

उत्तरगुण		5 ¥	उ पसपत्	७१
उत्तरमोमा सा		6	उपसंपदा	१८४
उत्पादन		७१	उपसर्ग	१६७
उत्पादनदोप	७८, १७२,	१७५	उपाधि	७३
उत्मर्ग	•	२१०	उपाघ्याय	७१
उत्स्वेदिम		१८९	उपाच्याया	२०७
उदय		१७	उपानत्	१०७, २००, २०२,
टदुम्बर		७६		२०३, २०४
उद्गम		७१	उ पाश्रय	६३,६४,१७८
उद्गम-दोप	७८, १७२,	१७४	उपासक	३३, ५८, ८३
उद्दिष्टत्याग		७५	उपासकदशाग	५८, ८५
उद्दिष्टभ नतत्यागऽ	रितमा	१२=	उपासक-प्रतिमा	६२, १२४
उद्भिन		१७३	उभय	७०, २१०, २११
उद्योग		१०५		ऊ
उन्मिश्र		१७४	कर्बंदिशा-परिम	राण-
उपकर ण	६ ८,	१६४	अतिक्रमण	१०५
उपघान	५६, ६९	, १५१		ऋ
उपघानश्रुत	५२, ५५		ऋषभ	६३
छ पनिपद्	•	3		ए
उपभोग		१०६	एकचारी	338
उपमोगपरिभोग	ा-परिमाण	१०६	एकत्व	७२
उपमोगपरिभोग	गतिरि व त	११२	एकभक्त	७१, १४२, १७४
उपयोग		२०	एकल-विहारी	६५, १ ६६
उपवास		२१२	एकवस्त्रघारी	१६०
उपशान्त-कषाय	र	३६	एकातविहारी	१९९
उपशान्त-मोह		- ३६	एकाशन	२१३
1				

२२६ ; जैन आचार

एपण		७१	कर्म	११,१५
•	ऐ	•	कर्मकाडी	१५
ऐरावती		६४	कर्मपथ	१३,१४
ऐलक		१३०	कर्मबंघ	१६
	ओ		कर्ममुक्ति	११,१६
ओघदृष्टि		४०	कर्मवाद	१४
ओदन		१०७	कर्मादान	२०८
	औ		कल्प	૭ ૢ૱
औदारिक		१९	कल्पसूत्र	६३
औद्देशिक		१७२	कल्पस्यित	६४,१५८
अी णिक		१६३	कषाय	१६
औपघ		१६५	कषायविजय -	६३
औष्ट्रिक		१६३	काजी	358
	क		काता	४०
कंद		७६	कातादृष्टि	४५
कंदर्प		११२	कामदेव	ሂሪ
कवल		१६५	कामभोग-तीव्राभिला	पा ९९
कुड		৩=	कामभोगागंसाप्रयोग	१२३
कुटकोलिक		५९	कायदुष्प्रणिघान	११५
चन्च		১৩	कायोत्सर्ग ६१,७	२,१४३,१४७,
कच्छा		१६२	कारण	१८६,२११
कृण		১৩	कार्मण कार्मण	७१
कथिचत्		२३	कामण कालातिक्रमण	38
करणानुयोग		४७	काष्ट	११९ १६४
करपात्र		१७६	<u>कु</u> प्य	१०३
यत्त्री		२१	कुप्य-परिमाण-अतिक्र	

अनुक्रमणिका : २२७

कु ल	२००,२०१		ग
कुलाचार्यं	२०१	गंगा	६४
कु शील	६९	गच्छ	६४, ६६, २००
नूटतोल-कूटमान	દદ	गच्छाचार्य	२००
कूट-लेखकरण	९४	गच्छाघिपति	६५
ने श केश	१९०	गजसुकुमार	৬४
केशवाणिज्य	१०९	गण	२००, २०१
कोशिका	६४	गणघर	२०१
कौत्कुच्य	११२	गणाचार्य	२०१
क्रीत	१७२	गणावच्छेदक	२००, २०२,
क्रोध	१७३		२०४, २०५
क्लोब	६४	गणावच्छेदिनी	७० ६
क्षत्रिय	१०	गणिनी	२०७
ध् रपण	७३	गणिमंपदा	६२
क्षनायाचना	१९०	गणी	२०२, २०४
िं धित शयन	७१,१४२	गवेपणा	१७२, १७३
क्षीण-कषाय	३७	गीत	६८
घीण-मोह	३७	गुणव्रत	७४, ७७, =४
धुल्लग	१३०		१०४, ११३
धुन्त्रिकाचार-क्या	४६	गुणस्यान	२६, ३०, ३८, ७२
छे प	१०३	गुणी	20%
क्षेपप्रास्तु-परिमाण-अ	तिक्रमण १०४	गुदा	€3 8 ±
धेयवृद्धि	१०४	गृष्ति <u> </u>	35
ख		गुरुवानुर्मातिक 	६६, २१२, २१४ ०० २१२
गादिम	१९४	गुरमाम सम्बद्धाः	६६, २१२ - ६६, २१२, २१३
~ 3 2 6 Gr 44	1, 51	गुगमासिया	

२२८ : क्षेन आचार

गृद्धि	হ্ঃ	चरणानुषोग	४७
गृहस्य	८३	चर्म	६४
गृहस्य-धर्म	ςΥ	चर्या	८३, ६४
गृहस्थाश्रम	१०	<u> चानुर्माम</u>	१७६
गृहो	प ३	चार	€3
गोच्छक	१६२	चारित्र	१६, ३६
गोत्र	१८	चारिय-मोह्नीय	₹ ₹
ग्रन्थि	१४१	चारित्राचार	७१
ग्रंथिभेद	३३, ४२	चितन	३१, १⊏६
ग्रहणैवणा	१७२, १७४	चिकित्सा	<i>६७३</i>
ग्रासैपणा	१७४	चित्तसमाधिस्या	न ६२
ग्रोष्म	२००, २०१	चित्रकर्म	EB
	घ	चिलातपुत्र	४७
घटीमात्रक	् ६३, १ ६४	चिलिमिलिका	६३
घडा	१ ६ ४	चुलनीपिता	४८
घाती	१५	चुल्लशतक	५€
घृत	७०९	चूर्ण	१७३
c.	च च	चोरी	७६
चदन	१०७		छ
चतुर्दशपूर्वधर	२१०	छदन	१७
चतुर्थभक्त	१८८	छदना	१८४
चतुर्मासिकी	१ <i>६</i> १	र्छा दत	१७४
चतुर्वस्त्रधारी	१६०	छविच्छेद जेन	37
चतुर्विशतिस्तव	६१, १४३, १४४		६१,७०,२१०,२११
चतुर्विशस्तव	<i>وې</i>	छेदसूत्र	६१ •
चतुष्वद	७२ १०३	छदापस्थापनायस	ांयतकल्पस्थिति ६४, १५८
49244	404		£ 4, 49

;	স	त	
जल जागिक	१०७ १६२	तदुलोदक तत्प्रतिरूपक-त्र्यवहार	3¤\$ \$3
जानक जिज्ञासा	४२	तथाकार तथ्येतिकार	७१,१८४ १८४
जिनकल्पस्यिति	६४,१५८	त्तप ७०,१६८,३	-
जिनकल्पिक	१६६,१६६,२०८	तपआचार	৬१
जिनदासगणि	ę e	तपःगुद्धि	७२
जिनपूजा	33	तपस्या	38
जिनप्रतिमानिम	िण ७६	तर्क	Ę
जिनप्रतिमास्या	पन ७६	तस्करप्रयोग	\$3
जिनभद्रगणि	33	तारा 	80
जिनभवन-निर्मा	णि ७६	तारादृष्टि तालप्रलव	٧ १ دء
जिनाभिपेक	७६		६३ १६२
जीतकल्प	६६,७३,१३१,२१०	तिरोटपट्टक तिर्यग्दिया-परिमाण-अति	• •
जीतन्यवहार	७०	तिलोदक '	3=5
जीविताशमाप्र	योग १२३	तुच्छीपधिनक्षण	१०७
जेमन	७०९	ु तृपोदक	१=६
ত্ ন	c, { X , 3 c	मृतीय राप्त-अहोरामिकी	\$28
जैगाचार	१४	तेल	१०७
झातपुत्र	५६	राजन	१६
भाग	११,२०	ीमा मिकी	१२१
চান নুদ্ধি	34	नियम्पारी	१६०
খানান্য	७१	ट्	
शमास्ति	१ स	विकासम्बा	₹₹७

२२० - जैन आधार

दडशास्य	ક ફ	दुष्पवसारार	१०३
दंतवाणिज्य	१०६	दूती	१७३
दक्तीर	१६३	वृ <u>ष्टि</u>	₹१, ७०
दर्शन	६,२०,७४	देवगुप्त	દર્શ
दर्गन-प्रतिमा	१२६	देशप्रिरन	43
दर्गन-मोहनीय	३१	देणविरत-मम्यग्टृष्टि	5 5
दर्शनाचार	৬१	देशविरति	5.5
दर्शनावरणीय	१=	देशमंयती	==
दगविधकल्प	७३	देशनंयमी	4 5
दशवैकालिक	3×	देशावकाशिक	६६४
दगाश्रुतस्त्रंघ	६१	देहममत्वत्याग	इ्छ
दाता	હદ	दोप	१७२, २१०
दान	७६	चूत	७६
दानफल	७६	द्रव्यकर्म	- १ሂ
दायक	१७४	द्रव्यानुयोग	७४
दावाग्निदानकर्म	३०१	द्रुमपुष्पित	ξ ε
	१४२, १८६	द्वादगानुप्रेक्षा	ও০
दिनचर्या	१८३	द्वारपाली	२०७
दिवाभोजन	१७४	ह्चितुष्पद-परिमाण-	
दिशापरिमाण	१०५	अतिक्रमण	१०४
दोक्षा	६५, २०६	द्वितीय सप्त-अहोरात्रिव	नी १६१
दीप	७०१	द्विपद	१०३
दीप्रा	४०	द्विमासिको	१३१
दीप्रादृष्टि	४३	द्विवस्त्रधारी	१६०
दुर्जनसगति	७३	घ	•
दुष्ट	६४	घघा	१०८

अनुक्रमणिका: २३९

घन	εοβ	नमस्कार	_
धनघान्यपरिमाण-	(00	गमस्यार नाम	७३
अतिक्रमण	१०४	गान नाव	१८
	१७२ १, ७२, ७६, ७८		१७७
घमकथा			१७४
घर्मचिता	१८६	नित्यभोजी	१८५,१८६
धर्मघोप	१६६	निदान	१११
वर्म <u>घ्यान</u>	७४	निद्रा	१८५
वर्मप्रज्ञप्ति	१११	निमित्त	१७३
वर्मशास्त्र वर्मशास्त्र	१२४	नियतिवाद	१६
	3	नियम	१३,४१
घर्मानुसारी 	38	नियमप्रतिमा	१ २७
घातु	्र १६४	निरोघ	७०,१४२
वात्री	६७%	निर्गुण व्रह्मस्थिति	, ३८
घान्य	े १०३	निग्रंथ	१४१
वारणा	१३,४५	निर्ग्नथलिंग	৬३
घूत	४२,४५	निग्रंथो-सघ	२०६
वूप	१०७	निर्जरा	१८,१९,७२
घूप-दोप	१०७	निर्लाछनकर्म	308
घूम	७१,७८,१७४	निर्वाण	१४, ३८
घ्यान ११,१	३,४६,७३,१११,	निविशमानकल्पस्थिति	•
	१४८,१८५		. ,
घ्यानशुद्धि	७२	निविष्टकायिककल्पस्	यति ६४,१५८
		निवृत्ति-गुणस्थान	३५
₹	Γ	निशीथ	४ ६,६६,२१२
नदिनीपिता	<i>¥ E</i>	निपोधिका	५६
नख	७८	निषेधिका	७१
i			

२३२ जैन आचार

	निष्यत्पट		ÉX	षरछोक			8€
ŧ	निष्ठा		43,4 8	वस्योक्ताशंवाद्रय	गेग		१२३
	नृत्य		£	परविवार्गसण			33
	नेमिचंद्र		६६	परव्यपदेश			११६
	नीतिकता		X	परा			~0
	नैपेयिकी		१८४	परादृष्टि			४७
	नैष्टिक		७६,८४	परिग्रह	ર્ર,	१०२,	१४०
	नीकाविहार		१७७	परिग्रहत्याग			৬২
	न्याय-वैदोपिक		१३	परिग्रहत्यागप्रति	मा		(२८
		प		परिग्रहपरिमिति			१०२
	पचमासिकी		१६१	परिग्रहविरमण			१०२
	पंचमी		७६	परिचारक			७₿
	पचाचार		७०	परिणमनशील			२१
	पडक		६४	परित्यागशुद्धि			७२
	पडितमरण		१२०,१६५	परिभोग			१०६
	पक्वान्न		१०७	परिवर्तना			१८६
	पक्ष		द३	परिवर्तित			१७२
	पट्टा		१६२	परिहारकल्प			६४
	पदयात्रा		१७६,१७५	परीषहजय		₹€,	७=
	पदवी		६५	परोपकार			६२
	पदत्रीघारी		६५	पर्याप्ति			90
	परक्रिया		द्र७	पर्युपणा		६२,	०३१
	परदारसेवन		७६	पर्युपणाकल्प	६२,	१5४,	१८७
	परमात्मपद		३८	पल			৩5
	परमात्मा		१६	पाक्षिक		७६,	58
	परमेश्वर		१६	पाणिपात्र	;	१७६,	3=8

अनुक्रमणिका: २३३

पातंजल-योगसूत्र	3 ફ	पूय	७=
_	, १६४, १६५	पूर्वपश्चात्सस्तव	१७३
पात्रघारो	१८६	पूर्वमीमासा	٠,٠,
पात्रैपणा	५६	पृच्छना	८ १८६
पादप्रोछन	१६५	वृष्ट रुख्या	१४
पान	१६५	रूष पेय	४१ ७०९
पानी	१०७	पोतक पोतक	•
पापकर्मोपदेश	१११		१६२
पापस्थानक	ξ <u>ε</u>	पौद्गलिक	२१
_	२१०, २१२	पौराणिक	१५
पाइर्व	ξ ξ	पोषच	७५
पाली	२०७	पौषघप्रतिमा	१२७
र्विडदोष	७८, १७४	पौषघोपवास	११६
पिडविशुद्धि	७८, १७४	पौषधोपवास-	
पिडशुद्ध <u>ि</u>	90	सम्यगननुपालनता	११७
पिंड <mark>ैपणा</mark>	५६, ६०	प्रकृति-वघ	१७,१८
पिच्छिका	७२, ७३	प्रतिक्रमण ६१, ७०,	७२, १३१,
पिहित	१७४	१४३, १	४६, १८६,
पीठ	१६५	;	२१०, २११
पुद्गलप्रक्षेप	११६	प्रतिग्रह	१६२
पुनरावर्तन	१८६	प्रतिपत्ति	४६
पुनर्जन्म	१८	प्रतिपृच्छना	१८४
पुलाकभक्त	६४	प्रतिपृच्छा	७१
पुस्तक	१६६	प्रतिमा ७५,८३,८४,	१२४, १६०
पूजा	७६		१४७, १८६
प्तिकर्म	१७२	प्रतिश्रयपाली	२०७

२ : ४ : जेन आनार

प्रतिहारी	၁၈ ၂	प्रामान्य	, -
पत्यान्यान ६०, ८२,	263,066	प्रायोग्नित	६६,६९,१३१,२००,
प्रत्वाहार	83, 68		250, 222
प्रथम मध्य-अहोराधिक	ती १६१	प्रोमपत्र	Sig
प्रयमानुयोग	ሄሃ	ध्रेपगत्र <u>य</u> ाग	११६
प्रदेश-वध	? ૩	ब्रेरापरिन्यागप	तिमा ५२=
प्रवानाचार्य	२०१		फ
प्रमत्त	٤,	फर	७८, १०८
प्रमत्त-नयत	₹8	फरफ	६६५
प्रमाण	७१, ७⊏	फूल	?০৩
प्रमादाचरण	१११		व
प्रभा	८०	दघ	१७,११,८६
प्रभादृष्टि	४६	वला	70
प्रयोग	98	वलादृष्टि	४२
प्रवर्तक २०५	१, २०४, २०५	वादर-सम्पराय	38
प्रवतिनी	२०१, २०७	वारदीक्षा	25
प्रवृत्ति	४७	वालमरण	१२२,१९५
प्रव्रज्या	६४, ६५,२०६	वीज	৬5
प्रवातवाहिता	४७	बृद्दकल्प	६३,७३
प्राणप्रत्यय	१६	वृहत्प्रत्या <mark>स्या</mark> न	T ७०
प्राणातिपात-विरमण	१३७	वोघ	२०
प्राणाया म	१३, ४३	वोधि	७२
प्राणिदया	१६८	वौद्ध	८, ३८
प्रातिहारिक	१८३	व्रह्मचर्य	१३, ५२, ७ ५,
प्रादुष्करण	१७२	•	१३६, १६७
प्राभृतिका	१७२	ब्रह्मचर्यप्रतिमा	१२७

वह्यचर्यवत	१४०	भोक्ता	२ १
व्रह्मचर्याश्रम	१०		स
न्नह्मापाय	६४	मजन	१०७
ब्राह्मण	१०, ५६	मत्र	१७३
	भ	मंत्र-तत्र	६८, ६२
भिवत	११	मज्झिमनिकाय	3 <i>९</i>
भगवती-आर	ावना ७३	मद्य	७४, ७६
भद्र	६९	मबु	ં હર્
भद्रप्रतिमा	१९५	मन पर्याप्ति	७२
भद्रवाहु	६२,७४,२१०	मनोदुष्प्रणिघान	११५
मागिक	१६२	ममत्व	१४१
भाड	१६४	मयूरििच्छ	१५=
भाटककर्म	१०९	मरण	७३, १९५
भाव-कर्म	१५	मरणाशसाप्रयोग	१२३
भावना	३१, ५७, ७३, १३७	मल	७८
भापाजात	४६	महत्तमा	२०७
भापापर्याप्ति	७२	महत्तरा	२०७
भिक्षा	१८६	महाचारकथा	٤o
भिद्याचर्या	१८५	महानिशीथ	ક છ
भिक्षाशृद्धि	७२	महापरिज्ञा	४२, ४५
भिक्षु	४६, १३ ५, १६०	महाभद्र-प्रतिमा	१६५
भिक्षुणी -	१६०	महायान	5
भिक्षुप्रतिमा	६२, ६६, १६०	महावीर ५६,	६३,१४१, १८७
भूतमहोत्सव	દ૮	महावीर चरित	६२
भूमिका	३८	महावृत ३४,७०	, <i>७</i> ३,१३ ५ ,१४२
भेपज	१६४	महाशतक	४९

२३६: जैन शाचार

मही	६४	ग् रटो	၌ ၃
माग	७४,७६	मूल	७०,७८,२१०,२१२
मात्मर्य	335	मुलकर्म	508
मानिका	१६४	गूटगुण	७०,८४,१४१
मधुरक	१०७	मृलाचार	30
गान	१७३	गूलाराधना	७३
माया	१७३	मृतितियलिश	52
मार्गणास्यान	७२	मृत <i>संस्</i> कार	<u> 19</u>
मालापहृत	१७३	मृत्यू मृत्यू	१२०
मासकल्प	६	मृपा-डपदेश	83
मामगुरु	६६,२१२	मृपावाद	१३७
मासलघु	६६,२१३	मुपानादी	é ň
मासिकी	१८१	मेघा वी	¥, €
मिट्टी	१६४	मैथुन	६४,६७,१३९
मित्रा	४०	मैथुनेच्छा	<i>६५,</i> २१३
मित्रादृष्टि	४१	मैथुनविरमण	९=
मिथ्याकार	७१,१८४	मोश	१४,१८, ६
मिथ्यात्व	3 €	मोह	3 9
मिथ्यादृष्टि	₹ १	मोहनोय	१=
मिश्रनात	१७२	मोहनोय-स्थान	६३
मिश्रदृष्टि	३२	मोहश्चित	₹ 0
मीमामा	७,१३,४६	मौखर्य	११२
मुजचिष्पक	१६३	म्रक्षित	१७४
मुक्ति	१५,३८		य
मुखवास	१०७	यत्रपोडनकर्म	308
मुष्टिप्रहार	६४	यक्षमहोत्सव	६८

अनुक्रमणिका : २३७

यक्षसेन	६९	राज्यादिविरुद्ध	-au cc
यथासविभाग	११७		-कम ह६ २०४
यम	१३, ४१		808 898
यमुना	₹ ¥		•
यवमघ्य-प्रतिमा	६६, १ <i>६</i> ४		\$ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
यवोदक	328	•	
यशोवर्घन	50		₹ ∀
युवाचार्य	4		, ,
योग ८,११,१३, १			५७
योगदर्शन	. ५, ५८, १७२ १३		११६
योगदृष्टि		** ** ***	१११
योगदृष्टिसमुच्चय	₹€, ४०	रोहिणी	७६
योगवासिष्ठ	४०	रौद्रघ्यान	१११
योगविद्या	3 €		ਲ
योनि	११	लघुचातुर्मासिक	६६, २१२
यान	६७	लघुमास	६६, २१२
₹		लघुमासिक	६६, २१२, २१३
रचा	६२	लाक्षावाणिज्य	308
रजोहर	६३, १६२,	लाढ	१५५
रतिवाक्य	६०	लिंग	६७
रत्नकरडक-श्रावकाचा	र ७४	लिंगकल्प	७२, १५७
रत्नाघिक	२०४, २०५		७२
रविगुप्त	Ę Ę	लिप्त	१७४
रसवाणिज्य	308		१०७
रसविकृति	१८८		७३
रहस्य-अभ्याख्यान	83		७२
राज्यव्यवस्था	Ę¥	लोकविजय	५२, ५३
	·	• • • • •	7 17 7 T

लोकगार	ሂጓ, ሂሄ	वस्त्रैयणा	Χć
लोच	७०, ७२, ७३,	वानमगुद्धि	६०, ७२
	१४२, १५७, १६०	वारदुष्त्रणिघान	११५
लोभ	१७३	वाचना	१=७
	व	वारायम	٤¤
वंदन	६ १, १४४	वानप्रस्याश्रम	१०
वदना	७२, १४३	वाहन	१०७
वचन	६४	विव लादेश	२४
: वच्चकचिष्पः		विकृतगृत्	१=२
वज्रभूमि	१५५	विष्ट प्रभवत	१८८, १८६
वज्रमध्य-प्रवि		विगय	७०१
वट्टकेराचार्य	50	विचार	५, ३१
वघ	58	विद्यप्ति	१३
वनकर्म	308	विदेह-मुक्ति	2 5
वनीपक	१७३	विद्या	१७३
वर्ण	१०	विनय	५ इ
वर्पा	१८६	विनयसमाघि	६०
वर्षाऋतु	२००, २०१	विमुक्ति	५७
वर्षावास	१७६, १८७	विमोक्ष	४२, ४५
वसति	७३, १७=	विराधक	१९०
वसतिशुद्धि	७२	विविक्तचर्या	६१
वसुनदि-श्रा	वकाचार ७५	विवेक	७०, २१०, २११
र्वसुनदी	७०, ७४	विशाखगणि	६८
वॅस्तु	१०३	विपवाणिज्य	308
वस्त्र	६३, ६४, १०७, १५३,		६८
	१६२, १६३, १६४	विहार	७३, १७६

अनुक्रमणिका : २३९

£		_	_
विहारगुद्धि	७२	शवलदोप	६२
वीर्य	२०	शब्द	५७
वीर्याचार	७१	शव्दानुपात	११६
वृक्षमूल	१५२		3,2
वृद्धवादी	इ ह	शय्या	१६४, १७८
वेदनीय	१८	रा य्यातर	१८३
वेदात	८, १२,१३	श यासन	१०७
वेद्यसवेद्य	88	शय्या-सस्तारक	૬ૼ૪ , ૬૬
वेश्या	७६	शय्यैषणा	५६
वैदिक	ू प, ३८	शरीरपर्याप्ति	७२
वैयावृत्य	७३, १६६, २०८	शस्य	Ę &
वैराज्य	६३	शस्त्रपरिज्ञा	५२, ५३
वैश्य	१०	गाक	१०७
व्यवसाय	१०८	शाटक	१५३
व्यवहार	६४, ६६, ७३, ७४	_	७७, ८४, ११३
व्यसन	૭૬, ७७		- · , · · . ዩሂ
न्यापार	१०८		৬३
व्युत्सर्ग	७०, २१०, २११	शिवार्य	ভয়
व्युत्सृष्टशरोर	७२	शोतोष्णीय	५ २, ५३
व्रत	४ ६, ७४, ७६,८३	गोल	७७, १३६
व्रतप्रतिमा	१२६	शीलगुण	90
नतशुद्धि	৩	शुक्लघ्यान	१११
_	श	शुद्धिविकट	१५६
शकित	७८, १७२, १७४	शुभ्रभू मि	१४५
शकितादिदोष	१७५	शुश्रूपा	४३
शकटकर्म	१०९	शूद्र	१०

প্ৰদ্ৰা	६, ३१	संघाटी	१६०
श्रमण	३४,७१,१३४,१४१	संथारा	१ १ ९,१९६
श्रमण-घर्म	१३५	संन्यासाश्रम	१०
श्रमणभगवान्	५६	सवंधी	१७०
श्रमण-मंघ	33\$	संभोगी	६४
श्रमणाचार	७७,३७	सयम	१६६
श्रमणी	१७	सयुक्ताधिकरण	११२
श्रमणोपासक	<i>5</i>	संयोजन	७१, ७≂
श्रवण	४३	सयोजना	३९,१७२,१७४
थाइ	८३	संलेखना	१६८,१६६
श्रामण्यपूर्विक	५९	सवर	१६,७२
প্ৰাৰক	३३,५८,७७,८३	सविभाग	१७१
श्रावकधर्म	७४,८३	संसार	७२
श्रावकाचार	७५,८३		_
ञ्वामोच् <u>छ</u> ्वासप	र्याप्ति ७२	संस्तारक	१२०, १६५,१६६
इवेताम्बर	न्ध्र,१३०,१४३	संस्वेदिम	१८९
	प	मंहत	१७४
पट्-जीवनिकाय	६०	सकपट	६५
पट्मानिकी	१६१	सकलादेश	२४
पडावय्यक	७०,७८,१४२	मचित्त	१७०
पष्टमक्त	१८८,१८६	सचित्तत्याग	प्रथ
	स	मचित्तत्यागप्रतिम	ना १२७
मंक्षे गत्रत्याम्या		मिचत्तनिक्षेप	११६
गंग ि	१६६	मचित्त पिद्यान	३१६
नंब	200,208	मिचत्त-प्रतिबद्धाह	शुर १०७
नंपानार्य	२०१	मित्ताहार	१०७

अनुक्रमणिका: २४१

सचेलक	8.4.4.4.		
सचेलकत्व	१५६,१६६	सरयू	६४
सत्य	१५७	4 11 (8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	हर्म १०६
	१३,९२	4.134	२०८
सत्यव्रत	१३८	सर्व अदत्तादान-विरमण	१३५
सदेह-मुक्ति	३७	सर्वतोमहाभद्र-प्रतिमा	१६५
मद्दालपुत्र	3.8	सर्वपरिग्रह-विरमण	१३५,१४०
सनिमंत्रणा	७१	सर्वप्राणातिपात-विरमण	१३५,१३६
सप्तपानैषणा-प्रति		सर्वमृषावाद-विरमण	१३५
सप्तपिडैपणा-प्रति	ामा १६५	सर्वमैयुन-विरमण	१३५,१३६
सप्तमासिकी	१६१	सर्वविरत	१३५
सकदागामी	3 €	सर्वविरति	₹ ₹
सभिक्षु	६०	•	3
समतभद्र	७४	सहसा-अम्याख्यान	5,00,176 83
ममयसार	७०	साख्य	-
समवसरण	६४	सास्य-योग	۲ د
समाचारी	१८३	सागार	१३
ममा घि	१३,४७,७३	सागारधर्म	८३ :- c
समाविमरण	७४,१२०,१९४	सागार-वर्मामृत	७६
ममिति	१९,७०,१४२	सागारिकनिश्रा	७६,८४
सम्यक्चारित्र	७४,७८		६३
सम्यक्तप	৬৯,৬৯	सावक	७६,५४
म म्यक्त्व	३६,४२,४४,७७	साधन	५३, ५४
सम्यक्-मिथ्यादृष्टि	37	साबु	६४,७१
सम्यग्जान	•	साधुवर्ग	२००
सम्यग्दर्शन	७४,४७	साधुमस्था साघ्वी	७९
सयोगि-केवली	<i>૭૯,૪૭</i> ૭૬	साध्वा साध्वीवर्ग	६५
•	20	प्राच्यावर्ग	२००

साघ्वीसस्या	৬দ	सौवीर	358
सानक	१६२,१६३	स्कदमहोत्सव	SE
सापेक्षवाद	२३	स्तेनापहृत	९६
सामाचार	७०	स्तैन्य	६४
सामाचारी	६३,१८३,१८४	स्यविर १६०,२०२	,२०४,२०४
सामायिक	६१,७२,७४,७७,	स्थविरकल्पस्थिति	६४,१५५
	११३,१४३	स्यविरकल्पिक	१६६,२०८
सामायिक-प्रतिमा	१२६	स्यविरा	२०७
सामायिकसंयतकल	प-स्यिति ६४,१५८	स्यविरावली	६३
सालिहोपिता	४९	स्थान	५६
सामादन-सम्यग्दृि	प्टे ३१	स्थापना	१७२
सास्वादन-सम्यग्दृ	ष्टि ३१	स्यिति-वघ	१७
मिद्धमे न	ξ ε	स्यितिभोजन ७१	,१४२,१७५
मिद्वि	र् ध	स्थिरा	४०
सुन	२०	स्थिरादृष्टि	88
सुभद्र-प्रतिमा	१९५	स्यूल अदत्तादान-विरमण	१३ ा
सुरादेव	रूप	स्यूल प्राणातिपात-विरम	ण ८६
सुवर्ण	१०३	स्यून्य मृपावाद-विरमण	६२
सुमट	ક ટ	स्फोटककर्म	१०९
सूध्मबीघ	% ጀ	स्मृति	६,१३
सूक्ष-नषराव	₹\$	स्मृत्यकरण	११५
न् त्र	દ,દદ	स्मृत्यन्तर्घा	१०५
न् र	?09	स्यान्	२३
मे ना	६४	स्याद्वाद	२३
स्था	२०८	स्वदार	83
मोनापम	70	स्त्रदार-मतोप	<i>v3</i>

अनुत्रसणिका : २४३

स्वदेह-परिमाण	२१	हस्तकर्म	६४,६६,६७
स्वपति-मत्रभेद	٤٨	हस्तरेखा	६८
स्वपति-मतोप	९७	हि्माप्रदान	१११
स्वरुपिद्धि	35	हिंमा-विरति	८६
स्वादिम	१६५	हिरण्य	१०३
स्वाघ्याय	६८,१८५,१८६	हिरण्यसुवर्ण-परिम	गाण-अतिक्रमण१०४
स्त्राघ्यायभूमि	६३	हीनयान	٤
	ह्	हेतुवाद	Ę
हरिभद्र	४०,६९	हेमत	२००,२०१